राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] चतुर्थ विधान सभा के छठे सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या 8

बुद्धवार,

दिनांक 28 जनवरी, 1970.

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[जनस्वास्थ्य, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, खनिज, गृह, स्वायतशासन, उद्योग, सैनिक कल्याण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

खंडप जल पहुंचने की योजना

173. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या बामसीण वाटर वर्क्स से खण्डप जल पहुंचाने की योजना कार्यान्वित कर दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पाइप लाइन से एक मील दूर पूर्व की ओर करमाबास ग्राम पड़ता है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम की ग्राम पंचायत ने अपने यहां पाइप लाइन लाने के लिये विभाग में अपने हिस्से की राशि जमा करा दी है ?

(4) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक चालू कर दिया जायगा ?

राज्य मंत्री जन-स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। 2500 रुपये जमा कराये हैं।

(4) योजना की स्वीकृति के बाद ही कार्य शुरू किया जा सकेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि यह पाइप लाइन जो है उसके लिए पंचायत ने कब राशि जमा कराई ? पहला प्रश्न। दूसरा

Page No 2

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रश्न मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने अर्से तक राशि जमा कराने के बाद पाइप लाइन के कार्य में और स्वीकृति में क्या प्रगति रही ? तीसरा प्रश्न मैं यह जानना चाहता हूं, उक्त योजना को कब तक स्वीकृत किया जाकर कार्य शुरु कर दिया जायेगा ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य। मैं सुन नहीं पाई। आप प्रश्न दोहरा दीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह राशि पंचायत ने कब जमा कराई, कौनसी तारीख को जमा कराई ?

श्रीमती सुमित्रा : 25-4-67 को।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 25-4-67 के बाद राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया इस योजना की प्रगति के बारे में ?

श्रीमती सुमित्रा : प्रगति के बारे में तो जब तक सेंक्शन नहीं हो तब तक क्या कदम उठायेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो राज्य सरकार ने सेंक्शन क्यों नहीं की ? क्या रुकावट आई सेंक्शन करने में ?

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.): धनाभाव।

श्रीमती सुमित्रा : धनाभाव।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह तो एक छोटी सी स्कीम है......

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): यह तो परसरामजी ने ही जवाब दे दिया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह एक छोटी सी स्कीम है। केवल डेढ़ माइल की लाइन है, इसमें धन की क्या कमी आ गई ?

श्री अध्यक्ष : धनाभाव हो सकता है इस डेढ मील की लाइन के लिए ?

श्रीमती सुमित्रा : यह जो डेढ़ मील की बात कही है, इसकी अभी योजना बन कर नहीं आई है। हां एक एप्लीकेशन आई है थोड़े दिन पहले।

प्रश्न संख्या 174

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित,-कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : फिर रुपया कैसे जमा करा दिया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री नथमल चोहला !

श्रीमती सुमित्रा : वह दूसरी स्कीम है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जी नहीं। इसी योजना के अन्तर्गत जमा कराया है। यह रुपया जमा करा दिया गया है। यह करमावास ग्राम पंचायत ने जमा कराया है।

श्री अध्यक्ष : श्री नथमल चोहला !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक गांव के लिए पानी का सवाल है।

Page No 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता बात कर सकते हैं। वह कोई एडवोकेट तो नहीं मांगते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह छोटी सी पाइप लाइन है !

श्रीमती सुमित्रा : टेक्निकल एप्रूवल के लिए जोधपुर खंड को लिखा हुआ है, वहां से जवाब आने पर विचार किया जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : टेक्निकल एप्रूवल के लिए कब लिखा है ?

श्रीमती सुमित्रा : अभी थोड़े दिन पहले लिखा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर क्लोज। श्री चोहला!

फतेहपुर-रामगढ़ सड़क का कार्य

175. श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़ सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि फतेहपुर रामगढ़ सड़क का कार्य फेमिन में बहुत सा हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क का कार्य जल्दी पूर्ण करने का सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क के दोनों ओर सामान भी काफी पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो देरी करने का क्या कारण है ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां।

(2) इस विभाग को आश्वासन दिये जाने की जानकारी नहीं है।

(3) जी हां। अर्थाभाव के कारण।

श्री नथमल चोहला : विभाग को आश्वासन के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर विभाग क्या कर रहा है ?

श्री माधोसिंह : विभाग ने आश्वासन नहीं दिया, इसलिए इसकी जानकारी नहीं है।

श्री नथमल चोहला : विभाग ने नहीं दिया, लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों ने दिया है कि अकाल राहत कार्य में इसको पूरा करवा दिया जायगा।

श्री माधोसिंह : पी. डब्ल्यू. डी. अधिकारियों के आश्वासन के लिए नहीं कह सकता, लेकिन इस सदन में कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

श्री विजय सिंह (मकराना) : दल बदलू का कार्य तो करवा दो।

श्री नथमल चोहला : सदन में पहले इस प्रश्न को उठाया गया था तब नवाब साहब ने कहा था कि इस रोड़ पर डामर का कार्य पूरा करा दिया जायगा। यह रोड़ ऐसी है जो चार जिलों को जोड़ती है।

श्री माधोसिंह : आश्वासन दिया था तो इसके बारे में चौथी योजना में कन्सीडर कर रहे हैं। और मुमकिन है कि इसका कार्य चौथे प्लान में पूरा हो जाय।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : क्या यह सही है कि यह सड़क सीकर जिले और चूरू जिले को मिलाने वाली है और राज्य सरकार की यह नीति है कि एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ा जाय सड़क से ?

Page No 4

श्री माधोसिंह : जी हां। इस सड़क का बीस मील का टुकड़ा है, इसके लिए चौथे प्लान में प्रोवीजन करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार महसूस करती है कि इस सड़क को अविलम्ब बनाना आवश्यक है ?

श्री माधोसिंह : यह आवश्यक सड़क जरूरी है लेकिन जब धन उपलब्ध होगा तब इस सड़क के काम को करने की कोशिश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : (श्री दौलतराम सारण के खड़े होने पर) श्री नथमल चोहला। प्रश्न-कर्त्ता।

श्री नथमल चोहला : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के बारे में बार बार आश्वासन दिये गये हैं। यह बारह मील का टुकड़ा है और इसका श्री गंगानगर, चूरू, सीकर और जयपुर से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष : यह चौथी योजना में लेने के लिए कह दिया।

श्री नथमल चोहला : डामर के सिवाय इस रोड़ का सब काम पूरा हो गया है।

श्री माधो सिंह : चौथी योजना में इसको लेंगे।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या चौथी योजना में इसको ले लिया जायगा ?

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के सम्बन्ध में असेम्बली में प्रश्न उठा था कि इस सड़क के काम में चार लाख का गबन है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री मोहन लाल मोदी : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस सड़क का।

श्री भैरों सिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि चौथी योजना कब से प्रारम्भ होगी और चौथी योजना में सड़कों के लिए कितना प्रावधान है ?

श्री माधो सिंह : चौथी योजना कन्सीड्रेशन की स्टेज में है। इसलिए निश्चिततौर पर नहीं कह सकता। कन्सी-ड्रेशन पूरा हो जायगा तब बता सकूंगा।

श्री भैरों सिंह : क्या यह माना जाय••• •••

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता !

श्री नथमल चोहला : इस सड़क का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ डामर का काम बाकी है। यह सड़क ठेठ तक पहुंच गई है और जो सामान पड़ा है उसका नुकसान हो रहा है।

श्री माधो सिंह : माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है वह सही है। इस सड़क पर मैंटल का काम पूरा हो चुका है। मैंटल बिछा दी गई है, आठ मील में रौल कर दिया गया है, छः मील में गिट्टी बजरी पड़ चुकी है। और तार करने की व्यवस्था कर ली थी लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था और फेमिन का काम खत्म हो गया था। अब चौथी योजना के लिए आश्वासन देता हूं, चौथी योजना में अवश्य ध्यान में रख कर इसको पूरा कर दिया जायगा।

श्री मोहन लाल मोदी : यह योजना कब से चालू हो रही है ?

श्री नथमल चोहला : अध्यक्ष महोदय, उस इलाके में तीस-पेंतीस गांवों में अभी भी अकाल है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राज्य सरकार की चौथी योजना के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है ?

श्री माधोसिंह : यह योजना मंत्रीजी से पूछिये कि समय निर्धारित है या नहीं ।

श्री दौलतराम सारण : आप योजना की बात क्यों कह रहे हैं ? अध्यक्षजी, यह इनको पता नहीं है कि चौथी योजना के लिए समय निर्धारित है या नहीं राज्य सरकार की तरफ से ।

श्री माधोसिंह : अलग अलग विभागों से योजना के बारे में विचार जरूर लेते हैं, लेकिन कब से वह लागू होगी यह मेरी जानकारी में नहीं है । आप योजना मंत्री जी से पूछिये ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि चौथी योजना में सड़कों के लिए प्रावधान अब तक नहीं किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री माधो सिंह : मैं अर्ज करूं कि चौथी योजना के लिए हम प्लान बना रहे हैं और उसके लिए विचार किया जा रहा है । वह प्लानिंग मंत्री को देंगे । वह कितना पैसा देते हैं, वह निर्धारित हो जायगा, उसके बाद कह सकता हूं कि क्या किया जायगा ।

श्री दौलतराम सारण : जब आप इसे महत्वपूर्ण सड़क स्वीकार करते हैं तो वार्षिक योजना में इस सड़क को शामिल करने में क्या आपत्ति है ? जब महत्वपूर्ण सड़क इसे स्वीकार करते हैं, और मेटिरियल पड़ा है, आधा काम हो चुका है, थोड़ा काम बाकी रहा है तो वार्षिक योजना में लेने में क्या आपत्ति है ?

श्री माधो सिंह : गत वर्ष अकाल राहत में इसका काम चल रहा था, इसलिए वार्षिक योजना में लेने की आवश्यकता नहीं थी । अब चौथी योजना के लिए विचार हो रहा है । अगर फण्ड उपलब्ध हुए, पैसा मिल गया तो वार्षिक योजना में लेने के लिए विचार किया जा सकता है ।

श्री नथमल चोहला : आप कहते हैं आपके पास पैसा नहीं है, तो इतना सामान पड़ा है सड़क को पूरा करने के लिये सड़क के आस पास, यह इतना पैसा आपके पास कहां से आया ?

(अनेक माननीय सदस्य इनके साथ साथ बोलने लगे अतः अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री नथमल चोहला : विभाग की तरफ से यह निश्चित रूप से कहना चाहिये कि इस सड़क को कब तक पूरा करवा दिया जायगा ? आप .....

(अनेक माननीय सदस्य साथ साथ में बोलते रहे अतः अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न को वापिस दोहराइये, सुनाई नहीं पड़ा ।

श्री नथमल चोहला : आप कहते हैं कि धनाभाव है, पर वास्तव में यह सड़क पूरी हो जाय इतना सामान पड़ा हुआ है, आप कहते हैं कि पैसा नहीं है तो यह इतना पैसा कहां से आया ?

श्री माधो सिंह : अकाल राहत कार्यों से यह सामान लाया गया था, अकाल राहत कार्यों का पैसा आया उससे यह सामान आया ... ...

श्री अध्यक्ष : कितने रुपयों का सामान है और कितना ब्याज ऊपर होता है ?

श्री माधो सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर 6 लाख का सामान लग चुका है, 6 लाख रुपया व्यय हो चुका है, इस सड़क को पूरा करने के लिये 1 लाख रुपया और चाहियेगा ।

श्री अध्यक्ष : सामान कितना पड़ा है ?

श्री माधो सिंह : उसका पूरा अन्दाज नहीं लगाया जा सकता, इस पर 674 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं, कितनी कीमत का सामान पड़ा हुआ है, इसको अभी केल्कुलेट नहीं किया जा सकता ।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : इस सड़क पर इतना खर्चा हुआ है, आप कहते हैं कि फंड्स की कमी है तो 80 परसैंट से अधिक खर्चा हो चुका है तो क्या आप कहीं से भी फंड निकाल कर इस कार्य को पूरा नहीं करा सकते ?

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़) : फंड तो जागीरदार, नवाब साहब मकान बनवाते हैं, पी. डब्लू. डी. की तरफ से उसमें सारे खर्च हो जाते हैं ।

श्री माधो सिंह : यह आपने क्या कहा ? नवाब साहब अपने घर पर कुछ भी करें, उनको अधिकार है, आपको उससे क्या मतलब ?

श्री मदन सिंह : जागीरदार साहब और नवाब साहब के यहां पी. डब्लू. डी. के आदमियों से, सामान से 10, 10 हजार का खर्चा हो गया, उसमें ही फण्ड्स पूरे हो गये ... — ....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न । नेक्स्ट ।

श्री मदन सिंह : कहूंगा कैसे नहीं, जब तक असेम्बली में हूं कहता रहूंगा, पी. डब्लू. डी. के सामान से, पी. डब्लू. डी. के आदमियों से घर पर काम करवाये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री बासोतिया !

खिरोड़ पहाड़ी से पत्थर निकालने का कार्य

176. **श्री सांवरमल बासोतिया** (नवलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खिरोड़ पहाड़ी से पत्थर निकालने का कार्य बन्द पड़ा है ?

(2) क्या यह सही है कि खिरोड़ व आस पास के मजदूरों के लिये रोजी का यही एक मात्र साधन है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस कार्य के बन्द रहने से सरकार को भी नुकसान है ?

(श्री सांवरमल बासोतिया)

(4) क्या राज्य सरकार इस कार्य को चालू करने के लिये उत्सुक है ताकि ग्रामीणों की रोजी मिल सके ?

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी हां ।

(2) यह नहीं कह सकते ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां ।

श्री सांवरमल बासोतिया : चौथे का जवाब आपने क्या दिया ।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां ।

श्री सांवरमल बासोतिया : इस खान को चलाने का इरादा नहीं है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा कि जी हां ।

श्री सांवरमल बासोतिया : बन्द करने के क्या कारण हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : पार्टी ने कोर्ट से स्टे लिया था इसलिये स्टे होने के कारण बन्द करना पड़ा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि इस खान से पत्थर सुचारु रूप से रोजाना लगातार ले जाये जा रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इस खान से पत्थर लोग निरन्तर ले जा रहे हैं, रोजाना एक हजार रुपये के पत्थर ले जाये जाते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : ले जाते होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री सांवरमल बासोतिया : जिस समय ठेकेदार ने स्टे लिया उस समय इस खान से रोयल्टी और एक्सेस रोयल्टी से राज्य सरकार को कितनी रकम मिलती थी ?

श्री हरिदेव जोशी : इससे इसकी रिलेवेन्सी नहीं है क्योंकि पार्टी से स्टे आ गया इसलिये गवर्नमेंट किसी को लेटआउट नहीं कर सकती थी । अब स्टे उठ गया है, अब कार्यवाही की जायगी ।

श्री सांवरमल बासोतिया : स्टे किसकी तरफ से लाया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : स्टे लेट आउट नहीं करने का पार्टी की तरफ से आया था ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 177

श्री श्रीनिवास शारदा । श्री गोरधन सोनी ।

कुचामन सिटी की पेय जल योजना

177. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) की अनुपस्थिति में **श्री विजयसिंह** (मकराना) द्वारा पूछा गया : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(1) नगरपालिका कुचामन सिटी में पेय जल योजना का अनुमानित व्यय कितना है एवं योजना की स्वीकृति कब दी गई थी ?

(श्री विजयसिंह)

(2) योजनान्तर्गत जो ट्यूबवैल बन चुके हैं उनमें प्रति घण्टे औसतन कितना पानी उपलब्ध होता है ? क्या इतना पानी नगर के लिये पर्याप्त है ?

(3) इस समय निर्माण कार्य चालू है या नहीं ? यदि है तो क्या कार्य हो रहा है ? एवं अब तक अनुमानित व्यय में से कितना व्यय हो चुका है ?

(4) योजना पूर्ण होकर उस नगर को पेय जल कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है ?

(5) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 11 अगस्त, 65 एवं 14 अगस्त, 66 की स्थानीय सार्वजनिक सभाओं में शीघ्र पेयजल प्रदान किये जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो फिर भी इस कार्य में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

राज्य मंत्री जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) रुपये 6,47,000.00 17 अक्टूबर, 69 को।

(2) जी हां, 3 नल कूप बन चुके हैं, उनमें प्रति घन्टे औसतन पानी की क्षमता क्रमश:

कुचामन 2 — 4,000 गैलन
कुचामन 3 — 12,000 गैलन
कुचामन 4 — 29,000 गैलन है।

(3) जी हां, टंकी का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है। तथा पाइप लाइन डालने का कार्य ठेकेदार को दिया जा चुका है। दिसम्बर 69 तक कुल 1.76 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(4) पाइप लाइन का कार्य पूर्ण होते ही अन्तरिम जल वितरण शुरू कर दिया जावेगा। वैसे साधारण तथा एक योजना के कार्य को पूर्ण करने में धन व सामग्री की उपलब्धि पर 3 वर्ष का समय लग जाता है और इसके अनुसार इस योजना का सम्पूर्ण कार्य अगले वित्तीय वर्ष तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

(5) घोषणा की इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है। धनराशि व सामग्री को जुटाने में समय लगता है।

श्री विजयसिंह : ऐसा कौनसा सामान है जो उपलब्ध नहीं होने जा रहा है जिसकी वजह से कि इस कार्य की प्रगति इतनी धीमी है।

श्रीमती सुमित्रा : काम रुका हुआ नहीं है, चालू है।

श्री विजयसिंह : इतना समय लगने का सवाल पैदा नहीं होता, तीन साल से ऊपर हो चुका है।

श्रीमती सुमित्रा : हर साल बजट अलोकेशन होता है, जितना होता है उसके अनुसार खर्च किया जाता है। 6 लाख की रकम एक साल में खत्म थोड़े ही हो सकती थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रेमसिंह सिंघवी !

Page No 9

छीपा बड़ोद ग्राम पंचायत को आबादी बसाने के लिये दी गई भूमि

178. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग द्वारा छीपाबड़ोद ग्राम पंचायत को कुछ जमीन आबादी बसाने हेतु ट्रान्सफर की गई है यदि हां, तो कौन कौन से नम्बर की व उसका कितना रकबा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो भूमि ग्राम पंचायत को आबादी बसाने हेतु दी गई है, उस पर पहले ही नाजायज कब्जे करके मकान बनवा लिये थे ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार के नाजायज कब्जे करने से बस्ती की सुन्दरता में फर्क आया है ? क्या सरकार इस प्रकार नाजायज कब्जों को हटाने के सिलसिले में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद तहसील में सन् 68-69 तक छीपाबड़ोद पटवार सर्किल के अन्तर्गत आने वाली राजस्व विभाग की कृषि योग्य भूमि या अन्य भूमि जैसे चरनोट आदि पर लोगों ने नाजायज मकान खड़े कर लिए हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप-मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इसे स्थगित करने की प्रार्थना है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री दौलतराम सारण !

भीलवाड़ा एवं चित्तौड़ जिलों में भूमि आवंटन के विरुद्ध शिकायतें

179. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में अनुसूचित अन्यायपूर्ण एवं पक्षपात से भूमि आवंटन की भारी शिकायतें आई हैं और आन्दोलन हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां के जिलाधीशों ने उन शिकायतों की जांच के आश्वासन दिये हैं और व्यापक रूप से जांच चालू कर दी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि गलत ढंग से आवंटित कृषि भूमि पर भूमिहीनों ने जबरन कब्जा कर लिया है ?

(4) क्या जांच में बड़े बड़े लोगों को भी अनुसूचित भूमि खारिज करने के नोटिस दिये गये हैं ?

(5) इस प्रकार के कितने नोटिस जारी किये गये हैं और उनकी कितनी अनुचित आवंटित भूमि है ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) चित्तौड़गढ़ जिले में भू-आवंटन को लेकर कतिपय शिकायतें जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। आन्दोलन कोई नहीं हुए हैं । जिला भीलवाड़ा से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(उप मंत्री राजस्व)

(2) जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ ने यह आश्वासन दिया है कि यदि विशिष्ट प्रकरण ध्यान में लाये गये तो गलत आवंटन की जांच की जावेगी। जो विशिष्ट प्रकरण ध्यान में लाये गये हैं तथा जो व्यक्ति भूमिहीन नहीं थे उन्हें नोटिसेज दिये गये हैं कि क्यों न आवंटन निरस्त कर दिया जाय।

(3) ऐसा कोई प्रकरण जिला प्रशासन के ध्यान में नहीं है।

(4) जिन लोगों को नोटिस दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(5) नोटिस 87 व्यक्तियों को दिये गये हैं उनमें अनुचितरूप से आवंटित भूमि 175 बीघा 7 बिस्वा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : जिन लोगों को अनुचित अलोटमेंट मान कर नोटिस दिये हैं, उनको अलोटमेंट किसने किये हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : अलोटमेंट सलाहकार समिति की सलाह से तहसीलदार ने किये।

श्री दौलतराम सारण : जिन्होंने अनुचित अलोटमेंट किये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : जांच के बाद में जब निर्णय होगा, यदि आरोप आवंटन अधिकारी के विरुद्ध सही पाये गये तो कार्यवाही की जायगी।

श्री दौलतराम सारण : क्या भीलवाड़ा की सूची प्राप्त नहीं हुई है, उसको बाद में देने का कहा है, वह बाद में दी जायगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : वह सूचना अभी भीलवाड़ा से आई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि चित्तौड़ जिले के जिन 33 गांवों के लोगों को भूमि का आवंटन किया गया, उस पर वहां के लोगों ने अधिकार कर लिया और इस प्रकार भूमिहीन लोगों द्वारा जबरन भूमि पर अधिकार करने के कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां, यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : तो आपने कैसे कह दिया कि पता नहीं, आपने कैसे कह दिया कि आन्दोलन नहीं हुआ ?

श्री गंगाराम चौधरी : आन्दोलन नहीं हुए कुछ अनधिकृत कब्जे करने वालों के खिलाफ दफा 147, 149, 447 आदि के तहत मुकदमें चल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन लोगों ने इन जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की वे लोग कलेक्टर से मिले और कलेक्टर ने उन्हें कहा कि अलोटमेंट कमेटी की दुबारा मीटिंग बुलायी जायगी और मीटिंग अगर दुबारा नहीं हो तो उनको उन जमीनों पर काश्त करने का अधिकार होगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिलाधीश ने यह कहा था कि आवंटन अनियमित हुआ तो इसकी जांच की जायगी।

Page No 11

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो आवंटन किये गये, उस समय जिन लोगों से प्रार्थना-पत्र लिये गये वे प्रार्थना-पत्र अब भी खाली पड़े हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी जानकारी नहीं है। 87 मामले जिलाधीश के पास ऐसे विचाराधीन हैं जिनके सम्बन्ध में अनुचित आवंटन की बात कही जाती है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह नहीं है। क्या यह सही है कि जो फार्म्स आवंटन करने के लिये सबमिट किये गये हैं, उनमें सिवाय नाम के कुछ भी नहीं लिखा है, उन फार्म्स में न पिता का नाम है, न ग्राम का नाम है न यह लिखा है कि उनके पास आलरेडी कितनी भूमि है, कितनी जमीन वे लेना चाहते हैं ? फिर भी उनको जमीनों का अलोटमेंट किया गया है और उनमें राजस्थान सरकार के अधिकारी और नेता लोग शामिल हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जांच कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : किस बात की जांच कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : 87 केसेज में जो नोटिस दिए हैं, उनमें इर्रेग्यूलरिटी सेट राइट की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : सेक्शन 91 के पहली बार जो नोटिसेज दिए गए, वह किस तारीख को दिए गए ?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग नोटिस चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं कि कि सेक्शन 91 में नोटिस दिए हैं। कौनसी तारीख को दिए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि शिकायत आई। कलेक्टर्स से कहा। उनको नोटिस देकर कार्यवाही की जायगी। 87 मामले ऐसे बताए जिनमें कहा गया है कि एलाॅटमेंट ठीक तरह से नहीं हुआ। 87 केसेज में नोटिस दिए गए।

श्री भैरोंसिंह : किस तारीख को नोटिस दिए गए ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास नहीं है। लेकिन इनमें जो अनियमिता हुई है, वह हटादी जायगी। जिन अधिकारियों ने गल्ती की है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो नोटिस दिए हैं, तारीख कौनसी है, उससे पता लगेगा कि नोटिस देने के बाद भी सरकार कितनी लिथार्जिक रही है, आज तक कोई ऐक्शन नहीं लिया।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : रेजोन्यू अधिकारी कानून की अवहेलना करते हैं, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : करते हैं।

श्री मूलचंद डागा : पाली के अन्दर एक अधिकारी ने हजारों बीघा जमीन गलत तरीके से एलाॅट कर दी, क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

Page No 12

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : भीलवाड़ा से अभी तक आपके पास सूचना नहीं आई है, उसका कारण यह है कि मांडलगढ़ और भीलवाड़ा और कई तहसीलों में ऐसे सैकड़ों केसेज हैं, इस कारण इकट्ठे करने में देरी हुई है ।

श्री गंगाराम चौधरी : जिलाधीश से उत्तर प्राप्त हुआ है कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जल्दी से जल्दी मंगवाने का आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां हां ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि जिलाधीश भीलवाड़ा के कई राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने अपने पिता के नाम, बेटे के नाम, भाई के नाम सैकड़ों बीघा जमीन एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में इस तरह भीलवाड़ा के कई गांवों में फर्जी एलॉटमेंट किया गया जिसकी शिकायत जिलाधीश के पास आई थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : भीलवाड़ा जिलाधीश से अभी तक सूचना नहीं आई है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो उनके पास पड़ी है ।

श्री दौलतराम सारण : इस प्रश्न का जवाब अधूरा है । मैंने प्रश्न के भाग (3) में पूछा है कि क्या यह सही है कि गलत ढंग से आवंटित भूमि पर भूमिहीनों ने जबरन कब्जा कर लिया है, आपने उत्तर दिया है । ऐसा कोई प्रकरण जिला प्रशासन के ध्यान में नहीं है । अब आपने कहा कि जिला प्रशासन के ध्यान में हैं, गलत मुकदमें चल रहे हैं, गलत उत्तर देते हैं इसके अलावा जो पूरक प्रश्न पूछा तो आपने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है, तो इस प्रश्न का उत्तर उस समय दिलाया जाय जब इनके पास सूचना पूरी तरह से एकत्रित हो जाय । यह उत्तर अधूरा है । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह हजारों आदमियों की रोटी रोजी का सवाल है ।

श्री गंगाराम चौधरी : जहां तक भीलवाड़ा जिले का संबंध है, अभी तक सूचना हमारे पास नहीं आई है ।

श्री दौलतराम सारण : चित्तौड़गढ़ जिले का भी उत्तर अधूरा है ।

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय से) अधूरा तो है न ?

स्थगित किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय ने····

श्री अध्यक्ष : उस समय पूछ लें ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो.........

श्री अध्यक्ष : मैं विवश हूं । आप पूछिये ।

महाराल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं पूछना चाहता था कि यह जो व्यवस्था है, जो तरीका है भूमि एलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है, सरकार अनुभव के आधार पर महसूस नहीं करती है कि यह खामियों से भरपूर है और पक्षपात है और इस व्यवस्था के अंदर असंतोष फैल रहा है और अगर यह तरीका आप काम में लेते रहे तो मेरे खयाल से और

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आंदोलन होंगे और सरकार की हालत और विशेष नाजुक होगी। यह सब अनऑफिशियल तरीका है, जिस तरह से भूमि का एलाटमेंट होता है, उसमें इतना स्कोप है पक्षपात का कि तरह तरह की शिकायतें होती हैं भीलवाड़ा और सारे राजस्थान में, ये शिकायतें हैं। मुझे विश्वास है कि भीलवाड़ा में जो बहुमूल्य भूमि है वहां पर अंधाधुंधी होती है, बड़े बड़े लोगों को जमीनें मिलती हैं और आपके पास ऐसी लिस्टें हैं जो भूमिहीन लोग हैं, उनको भी प्राथमिकता नहीं देते तो फिर मेरे खयाल से वे दिक्कत का सामना करेंगे। इस संबंध में मंत्री महोदय कुछ तो प्रकाश डालें कि उनका अनुभव क्या है, क्या जो एलॉटमेंट का तरीका है, ठीक है आपकी समझ में ?

श्री अध्यक्ष : मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह आवंटन जो होता है, भूमिहीन तो हैं ही लेकिन सरकारी कर्मचारी पटवारी की लेविल से लेकर ऊपर तक जो तहसील में आते हैं वे अपने नाम पर जमीन एलाॅट कराए बिना नहीं रह सकते। यह सारे राजस्थान की शिकायत है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एब्सोल्यूटली अन्हर्ड ऑफ।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भूमि अलॉटमेंट व्यवस्था का संबंध है और नियमों का संबंध है, मैं समझता हूं, वह ठीक है और उसमें जो एलॉटमेंट के अधिकार हैं, उसके लिए एक समिति है और उसमें, उस इलाके के एम. एल. ए. प्रधान व सरपंच होते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पीड़ित मैं भी बैठा हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं लिस्ट बता दूं। कलेक्टर, एस. डी. ओ. एस. पी. के रिश्तेदारों को जमीनें दी हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : मंत्री महोदय ने ...—

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है, वह कह रहे हैं। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। उत्तर आने दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी पूरी बात सुन लें। व्यवस्था का जहां तक ताल्लुक है, वह कमेटी करती है। सरकार नहीं करती और कमेटी में आफिशियल्स व नान-ऑफिशियल्स दोनों हैं। आफिशियल्स बी.डी.ओ. व तहसीलदार हैं और तीन नॉन.आफिशियल्स एम. एल. ए., प्रधान व सरपंच हैं। जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, वह ठीक है। अगर कोई आदमी ठीक नहीं है तो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, सही आदमी होता है तो सही इस्तेमाल होता है, यह क्वासी जुडिशियल मामला है। जहां अलॉटमेंट में अनियमितता हो तो उसमें दो अपीलें और एक रिविजन का प्रोवीजन है, अगर अलॉटमेंट कमेटी ने सही काम नहीं किया, प्रभाव में आकर कर दिया है तो उसकी अपील कलेक्टर को लाई करती है, उसकी अपील एपेलेट आथोरिटी को। सरकार को भी इसमें पावर्स है। जहां कहीं से शिकायत आती है, उस पर अमल होता है, सैकड़ों की की तादाद में शिकायतें आई हैं, डिसाइड होती हैं।

जहां तक सरकारी ऑफिसर्स का ताल्लुक है, सभी सरकारी मुलाजमान को मन्जूरी

Page No 14

(श्री रामकिशोर व्यास)

लेनी पड़ती है और मंजूरी के बाद ही ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते हैं। नीचे की लेविल के लोग कलेक्टर से मन्जूरी लेते है। उसके बाद एलॉटमेंट हो सकता है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम बग़ैर सरकारी मंजूरी के करता है, तो वह सेट एसाइड की जायगी।

श्री दौलतराम सारण : मंत्री महोदय, एक भी उदाहरण राजस्थान में बता सकते हैं जिसमें उन्होंने किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ गलत एलॉटमेंट करवाने के मामले में कार्यवाही की हो ?

श्री रामकिशोर व्यास : बांसवाड़ा में सस्पेन्ड किया है लोगों को।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : ठीक कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : किसी अधिकारी ने सरकार की बिना अनुमति के, अपने नाम भूमि एलॉट करवाई हो, ऐसे किसी अधिकारी को सजा दी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग अलग भूमि के सवाल हैं।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : राजस्व मंत्री को शायद डिटेल में जानकारी नहीं हो, बांसवाड़ा में तीन चार पटवारी और दो तहसीलदारों को इसलिए सस्पेण्ड किया गया था कि उन्होंने इर्रेग्यूलेरिटी की थी। यही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों अथवा अपने नाम एलॉटमेंट किया था।

श्री दौलतराम सारण : इस संबंध में माननीय सदस्यों ने विभिन्न अवसरों पर अनेक ऐसे मुद्दे सरकार के सामने रखे हैं लेकिन उनमें से किसी प्रश्न पर आज तक राज्य सरकार ने कोई ऐक्शन नहीं लिया हैं। मेरे क्षेत्र के मुद्दे रखे थे, एक साल की पूरी प्रोसीडिंग्स देखें लाखों हजारों रुपये का तावान हुआ। मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री तक ये लोग गये। अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक अवसरों पर शिकायतें की हैं लेकिन किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया गया। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने लिस्ट दी पूरी, सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने अपने नाम से बिना इजाजत के जमीन एलॉट करवाई है किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। यह प्रश्न वह सारे सदन को बेचैन करने वाला है। जहां तक माननीय सदस्यों के असंतोष का सवाल है यह कुछ माने में ठीक है। क्या यह नहीं हो सकता कि राज्य कर्मचारी जिन्होंने अपने नाम पर जमीन ली हो, अपने पुत्र के नाम पर ली हो, अपनी पत्नियों के नाम पर ली हो, उन सब की जिला स्तरीय जांच कराली जाए। कानून तो ठीक है। भूमिहीनों का प्रश्न जब आता है तब सम्पूर्ण भूमि की एक चौथाई जब इस तरह चली जाती है तो ऐसी विषम स्थिति बन सकती है।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर की आवाज)

श्री रामकिशोर व्यास : इस तरह के मामले सरकार के इल्म में लाये जायें

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बार बार पीड़ित हूं ! सबसे अधिक मांडलगढ़ पीड़ित है। और आज तक कोई जवाब नहीं मिला है।

श्री रामकिशोर व्यास : जिन जिन सरकारी कर्मचारियों ने जमीन ली है वह इल्म में लाई जाय ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय के आदेश हैं कि आप मंगायें। हम नहीं लायेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, पाली में मैंने दो साल तक पैरवी की, सैकड़ों अलॉटमेंट गलत बताये और रेवेन्यू मिनिस्टर ने जांच की और गलत अलाटमेंट हुए वह पाये । अफसर को सस्पेण्ड किया लेकिन उसको पांच दिन बाद ही वापिस बहाल कर दिया ।

(व्यवधान शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ऑर्डर, ऑर्डर । माननीय सदस्य ! उत्तर आने दीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : उत्तर यही है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशोर व्यास : सारण साहब ने कुछ मामलात बताये । मेरे इल्म में तो लाये नहीं गये हैं । आप बतायेंगे कि फलां अफसर ने और कर्मचारी ने अलाटमेंट करा लिया है तो कार्यवाही उसके खिलाफ की जायगी ।

श्री दौलतराम सारण : यह आपका काम है । मैं नाम नहीं बताऊंगा । कभी नहीं बताऊंगा । सदन में जो कार्यवाही होती है उनकी तरफ तो तवज्जह नहीं दी जाती है । बार बार सदन में मामले रखे गये हैं ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । उत्तर आने दीजिये ।

श्री दौलतराम सारण : मुझे सख्त आपत्ति है अध्यक्ष महोदय । सरकार खुद तो ध्यान देती नहीं । हमें कहती है कि आप आकर बताइये ।

श्री रामकिशोर व्यास : हमने कभी नहीं कहा कि घर आइये । यहां ही बता दीजिये । सुनना नहीं चाहते हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है । यहीं बता दीजिये, वरना मुझे ख्वाब तो आता नहीं ।

श्री दौलतराम सारण : मैंने भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के लिये नोटिस दिया लेकिन सरकार जानकारी नहीं देती ।

श्री रामकिशोर व्यास : भीलवाड़ा की इत्तला आयी नहीं । पाली के लिये महानुभाव ने बताया । उसकी तहकीकात की । अफसर को सस्पेन्ड किया । ऐक्शन लिया । अभी आपने कहा कि उसको बहाल कर दिया है तो यह मुझे मालूम नहीं है । तहकीकात हुई है, रिपोर्ट दी है । सस्पेन्ड किया है और रेवेन्यू बोर्ड ने वापिस उसको बहाल कर दिया है तो किन ग्राउन्ड्स पर किया है हम यह पूछ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय ने कहा । सरकारी अफसर उनके रिश्तेदार उन सब के बारे में जानकारी करना बड़ा मुश्किल है । रिश्तेदारों का कैसे पता चले फैक्ट्स आजायं । सरकुलर भी जारी करें कि सरकारी अफसरों ने और उनके रिश्तेदारों ने कहां कहां जमीन ली है अथवा उनको दी गई है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : एक सरकुलर निकाल दें । उत्तर आ जायेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : अफसरों ने और उनके रिश्तेदारों ने ली है और बेनामी ली है ...

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं आपको मसविदा दे देता हूं। बेचैनी का प्रश्न है। जिलाधीश को आप आदेश दे दें कि जो तहसीलदार, डिप्टी एस. पी., सब इन्सपेक्टर, अमीन, पटवारी जो कोई भी तहसील में रहा है, गत पांच साल का ही लेखा जोखा ले कर उनसे ऐसे लोगों के नाम माँग लें तो इस प्रश्न का निराकरण हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि ऐसे अधिकारियों के नाम का पता कैसे लगे तो उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं जैसे रामनारायणजी तहसीलदार हैं, उनके लड़के ने ली है तो धीरजलाल वल्द राम नारायण, लड़के ने ली है तो वल्द राम नारायण देख लीजिये ऐसा प्रबन्ध। जिलाधीश के स्तर पर कर सकें तो इससे प्रशासन को भी मदद मिलेगी और किसानों को भी।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक सुझाव रखता हूं। माननीय मंत्री महोदय, वास्तव में इस मामले की इन्क्वायरी चाहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय ने कहा उसके माफिक कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जांच नहीं करवा सकते। आपकी अनुमति है और सदन भी चाहता है कि इस सदन की एक समिति बना दी जाय, उसमें बाप, दादा, पिता, पुत्र सब आजावेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : चित्तौड़गढ़ के मामले में भी एक प्रश्न है। वह भी स्थगित हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित नहीं करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जिस सेती ग्राम में भूमि का आवंटन कराया, क्या यह सही है कि वहां पर हवाई अड्डा बना हुआ था उस पर दो लाख का खर्चा हुआ और इस भूमि का आवंटन करने की कोई आज्ञा नहीं दी और तहसीलदार ने मनमाने तरीके से भूमि का आवंटन किया ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी इस समय जानकारी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान की विधान सभा में राजस्व मंत्री महोदय.......

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रश्न को स्थगित किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नोटिसेज आ रहे हैं। दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रश्न स्थगित किया है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अलाटमेंट कमेटी की मिटिंग बुलाई जा रही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : शनिवार, रविवार को मिटिंग बुलाई है......

श्री अध्यक्ष : इसको समाप्त कर दीजिये ऑर्डर माननीय सदस्य। इस बात को समझ रहा हूं। विधान सभा चल रही हो तो छुट्टी के दिनों में बुलायी जायगी। अलॉटमेंट कमेटी की मिटिंग छुट्टियों के दिनों में बुलाई जाए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप और बता दीजिये एक प्रश्न। क्या कलेक्टर को चरनोट की भूमि का अलॉटमेंट करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक सप्लीमेन्टरी पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय उस पर, आशा करता हूं, विचार करेंगे। मंत्री महोदय ने कहा कि व्यवस्था है यह संतोषजनक है। कम से कम मेरे खयाल में एक सामान्य बुद्धि का प्रश्न है। जो मेम्बर हैं स्वयम् अपने लिए भूमि का अलाटमेंट करते हैं तो कोई व्यवस्था होनी चाहिये। इस वक्तव्य को मंत्री महोदय, संतोषजनक समझते हैं तो एक शब्द भी मुझे कहने की गुन्जाइश नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कमेटी हो उसमें सरकारी अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको भी इन्कवायरी में शामिल किया जाय, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कितनी भूमि दिलाई है और खुद ने कितनी भूमि ली है। हम लावेंगे मामले सामने। इसलिये सरकारी अधिकारी, एम. एल. ए. प्रधान, सरपंच, पंच, एम. पी. उनके रिश्तेदार जितने भी हैं, उन्होंने खुद ने ली है उसकी जांच करायें सदन की कमेटी बना कर के। एक तरफ भूमिहीन को भूमि नहीं मिलती है। राजस्व मंत्री तो ठंडे हैं। इससे मामला नहीं निपटेगा। एक जोरदार आदमियों की कमेटी बनाइये.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री मनोहरसिंह मेहता : गांधी शताब्दी वर्ष में सबसे अच्छा यह कार्य के होगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सुझाव सदन के सामने आया है अनियमित, पक्षपातपूर्ण तरीके से भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में जांच की जाय जिला स्तर पर। एक पुस्तक निकाली है जिसमें बार बार सरकुलर निकलते हैं लेकिन जिलाधीश और जिलास्तर पर अधिकारी कोई उनकी चिन्ता करते हैं। पुस्तक निकाली हैं। सरकुलर हैं उनमें सख्त कार्यवाही का निदेश है लेकिन आज तक सख्त कार्यवाही नहीं हुई। सही तरीके से, अगर ईमानदारी से सरकार चाहती है कि धांधली की और पक्षपात की जांच कराई जाय और सरकार आवश्यक कार्यवाही करे इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करूं इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की एक समिति बना दी जायं इसका समर्थन किया है। जो दो चार महीनों में जांच करे और जो तथ्य, सामने आय वह सरकार के सामने प्रस्तुत करें। इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि इस समिति को सैक्शन 85 के तहत पावर्स डेलीगेट कर दिये जायं जो सारे रेकार्ड को मंगवा सकते है, सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर आप यह पावर्स डेलीगेट नहीं करना चाहे तो भी 85 सैक्शन के अन्तर्गत जो पावर्स रिविजन के गवर्नमेंट को है वे ही पावर्स हाउस की कमेटी को डेलीगेट कर दिये जायं तो और भी अच्छा रहेगा। यही एक उचित तरीका हो सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है हम उस हुकम की तामील करेंगे उसके बाद जरूरत होगी तो आगे कमेटी की भी सोचेंगे।

श्री भैरोंसिंह : इस बारे में सदन की भावना जान ली जाय।

श्री मदनसिंह : आज भी कलेक्टर्स, तहसीलदार आपके हुक्म की तामील नहीं करते। आपके हुकम के माफिक न लिस्ट भेजते हैं और न उसके अनुसार कार्यवाही करते हैं। मैंने दांता रामगढ़ के अधिकारियों के खिलाफ लिस्ट मंगवायी थी वह लिस्ट प्रकाशित भी हुई लेकिन उसको दबा दिया गया है। आपके अधिकारी तो यहां तक कर सकते हैं नाम भी बदल सकते हैं, वल्दियत भी बदल सकते हैं, इसलिये सदन के सदस्यों की समिति मुकर्रर होनी चाहिये। यह कमेटी मुकर्रर हो जाय तो आपको भी मदद होगी।

श्री सतीचन्द्र अग्रवाल : जैसी सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की भावना है उसको देखते हुए आप सदन की एक समिति बनाने के सुझाव पर स्वीकृति देंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जमीन के आवंटन के मामले में आपने सारी बातें सुनी इससे आपको मालूम हुआ होगा हम लोग सभी इस बारे में चिन्तित हैं। इस प्रकार की कमेटी मुकर्रर होजाय तो वह सभी जमीन के आवंटन से संबंधित मामले हैं, उनकी जांच करें गलत किसी को आवंटन हो गया है तो उसके लिये सरकार को सूचित करें। इस तरह मुझे आशा है कि सरकार के सामने हजारों बीघा जमीन भूमिहीनों को देने के लिये मिल जायगी। हमारा भी यही सुझाव है कि सरकार इस समिति के गठन को स्वीकार कर ले।

श्री रामनारायण चौधरी: जो सुझाव है श्री मूलचन्द डागा ने दिया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं भी इस सुझाव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : इस प्रकार की समिति के गठन के बारे में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। सारा हाउस इस प्रकार की समिति के गठन का समर्थन करता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता: गांधी शताब्दी वर्ष में यह सब से अच्छा काम होगा इसके लिये हम बहुत आभारी होंगे।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी मु.) : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर।

इस प्रश्न पर सारा सदन चिन्तित है। इस बारे में जिस प्रकार के सुझाव आये हैं उनकी प्रोप्राइटी के बारे में विचार करना उचित होगा ऐसा कथन माननीय मंत्री महोदय का हो सकता है। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं सदन द्वारा जिस चिन्ता की अभिव्यक्ति हुई है उसके संदर्भ में कोई कदम उठाया जाना चाहिये। समाजवाद दृष्टिकोण से भी यह उपयुक्त होगा। इस स्थिति में प्रोप्राइटी का प्रश्न आ सकता है। यह प्रश्न नियम और कानून के संदर्भ में कितना ठीक है, यह सोचने का है। इस बारे में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री और विरोधी दलों के नेता और इधर के प्रमुख सदस्य जिन्होंने इस सुझाव की ताईद की है, वे सब एक साथ बैठकर इस बारे में विचार कर लें और उसके बाद जो तथ्य निकले उसके अनुसार निर्णय ले लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट इस बारे में कमिटमेण्ट तो करें कि वह इस प्रकार की समिति बनाने के लिये सहमत है।

श्री अध्यक्ष : समिति बनाने के प्रश्न पर दिक्कत आ सकती है...... -

श्री भैरोंसिंह : कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगर दिक्कत नहीं आती है तो यह प्रश्न की ग्राह्यता पर विचार हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : कौन सा ?

श्री अध्यक्ष : कमेटी बनाने का।

श्री भैरोंसिंह : हमने टिनेन्सी एक्ट बनाया और अन्य रेवेन्यू कानून बनाये अगर इसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत आयगी तो अमेण्डमेण्ट कर लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज भी अलॉटमेण्ट एडवाइजरी कमेटी करती है, रिविजन एडवाइजरी कमेटी करती है।

श्री अध्यक्ष : मेरा इस बारे में यही निवेदन है कि सहूलियत से इस बारे में विचार कर लिया जाय। कमिटमेण्ट चाहे यहां हो या बाहर हो समान ही असर रखता है। इस लिये मेरा यह सुझाव है कि माननीय विरोधी दल के नेता और इधर बैठने वाले प्रमुख सदस्य माननीय मंत्री महोदय से मिल कर इस प्रश्न पर विचार करेंगे। जो प्रभाव माननीय सदस्य यहां पैदा करना चाहते हैं वह प्रभाव वहां पर भी रहेगा इसमें कोई अन्तर आने वाला नहीं है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिये सब को आमन्त्रित कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : इस तरह से सदन की भावनाओं का निरादर कर रहे हैं जब सब माननीय सदस्य एक मत से कह रहे हैं तो इसको मानने में क्या आपत्ति है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (उप मंत्री) : यह सर्व सम्मति से कहां हो रहा है !

श्री भैरोंसिंह : आप विरोध करिए, खड़े होकर करिये।

श्री मोहनलाल मोदी : यह जरूरी है इस कमेटी के बारे में कदम उठाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने सदन की भावनाओं का अनुमान लगा लिया है। समिति का गठन किस प्रकार का हो इस पर कतिपय सदस्य जो विरोध करना चाहें वे कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह तो मान कर चलना पड़ेगा कि समिति के गठन के सबन्ध में बहुमत की भावना है। ऐसी हालत में बहुमत की भावना का आपके द्वारा आदर किया जाना चाहिये और समिति के गठन के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिये। अगर आप आवश्यक समझें तो इस बारे में वोट भी ले सकते हैं कि सदन समिति के गठन के पक्ष में है या नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : जो सुझाव अध्यक्ष महोदय ने दिया है, वह शिरोधार्य है। असल में देखना यह पड़ेगा कि इस संबन्ध में जो रूल्स बने हुए हैं उनके अन्तर्गत कमेटी की लीगेलिटी और प्रोप्राइटी के बारे में भी डिसकस करना पड़ेगा, इसके बारे में विधि विभाग से भी पूछना पड़ेगा तभी डिसीजन ले सकते हैं

श्री मोहनलाल मोदी : कानून हाउस ही बनाता है। हाउस ही उसमें अमेण्डमेण्ट कर सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी प्रोप्राइटी के बारे में आपस में बैठकर बात कर लेंगे।

श्री मदनसिंह : सवाल यह है कि इस कमेटी को क्या अधिकार दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : जहां तक कमेटी बनाने का प्रश्न है उसको माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है अगर उसकी प्रोप्राइटी कानून के अन्तर्गत आती है तो उसको स्वीकार किया है।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं किया है। अगर कानूनी दिक्कत है तो उसको हाउस रिमूव कर देगा।

श्री अध्यक्ष : लीगली कोन्स्टीट्यूट हो सकती है तो आपको स्वीकार है?

श्री रामकिशोर व्यास : आपस में बैठ कर विचार लेंगे।

श्री मदनसिंह : पहले भी कमेटियां बनी हैं जिनका ऐलान यहां भी किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : सदन ने, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने अपनी भावना बता दी है और अध्यक्ष महोदय ने भी वह देख कर कहा है कि इस पर विचार करगे और इसके साथ साथ आपने यह भी इनफरेन्स निकाला है कि लीगल प्रोप्राइटीज बाधक न हों तो मंत्री महोदय समिति बनाने को तैयार हैं। लेकिन मंत्री महोदय ने ऐसा कमिटमेण्ट नहीं किया है। माननीय मंत्री महोदय सदन और आसन दोनों की भावना का निरादर करने पर तुले हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): यह कतई प्रश्न नहीं है निरादर का यह क्वश्चन आवर है, It is to elicit information. आप इस समय में इनफोरमेशन सीक कर सकते हैं। यदि सदन कमेटी के बारे में चाहता है तो इसकी प्रोप्राइटी और लीगेलिटी के बारे में राय लेना उचित है।

जहां तक आसन के सम्मान का प्रश्न है वह आप करना चाहते हैं और हम नहीं करना चाहते यह तो कभी प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जहां अध्यक्ष आपके हैं वहां हमारे भी हैं, जितनी वफादारी सदन के प्रति आपकी हो सकती है उससे किसी कदर कम हमारी नहीं हो सकती। इस तरह से आप आसन को निरर्थक प्रभावित करने की चेष्टा न करें......

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है...

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह: व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उद्योग मंत्री ने आसन के प्रति ये शब्द कहे कि आसन को निरर्थक प्रभावित करने की कोशिश न की जाय। यह आसन के प्रति असम्मान के द्योतक हैं इसलिये इन शब्दों को निकाला जाय।

श्री मदनसिंह : आपकी तरफ से कोई भी आदेश हो जाता है और उसके बाद में जब वह बिल्कुल क्लीयर हो जावे कि कमेटी को बनाया जावे, वह बने, अब उसके नियम या रूल्स क्या हों इसके सम्बन्ध

(श्री मदनसिंह)

में क्या अधिकार होने चाहिये। इसके सम्बन्ध में मांग नहीं की है। आज तक क्या राजस्थान विधान सभा में कोई जांच के लिये कमेटी नियुक्त नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष : अब इस पर कोई भाषण, चर्चा नहीं होगी। मैंने यह निवेदन किया है कि यह प्रश्न काफी गम्भीर होता गया। इसका निराकरण भी हुआ है। अब आगे बढ़ने देना नहीं चाहता।

श्री नत्थीसिंह : यह निरर्थक दबाव कैसे कहा ? इसे एक्सपन्ज किया जाय।

श्री अध्यक्ष : निरर्थक दबाव का मैं आदी होगया हूं। अगर इस तरह से एक्सपन्ज किया जाने लगा तो आधा प्रोसीडिंग्स एक्सपन्ज हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : आप तो सार्थक दबाव के आदी हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको आपत्तिजनक नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह : इसका फैसला करवाइये।

श्री अध्यक्ष : इस उग्रता के वातावरण में यह सम्भव नहीं हो सकेगा। मैं मन्त्री महोदय को भी अपने कक्ष में बुलवाऊंगा। तब यह प्रश्न वहां रखा जाकर शान्त मन से वहां चिन्तन हो सकेगा। इस प्रश्न को उग्रता में नहीं डाला जावे।

श्री भैरोंसिंह : इस सदन से आपका कक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या ?

श्री अध्यक्ष : वह भी माननीय सदस्यों का ही है। वह कक्ष भी सदन का है। वहां वातावरण थोड़ा शान्त रहता है। यहां थोड़ी सी व्यग्रता रहती है।

श्री भैरोंसिंह : यहां का भी वातावरण शान्त है। मामला बड़ा गम्भीर है और ऐसे गम्भीर प्रश्न पर सरकार कानून की अड़चन की आड़ लेकर यदि समिति बनाने की या गठन करने की बात स्वीकार नहीं करती तो इसका मतलब यह है कि आपने अनेकों समितियों की मार्फत आवंटन कराया है, राजनीति के आधार पर, गुट्टबाजी के आधार पर और आपके लोगों ने नाजायजतौर पर भूमि पर अधिकार किया है तो उनको सरकार प्रोटेक्शन देना चाहती है। मैं समझता हूं कि राजस्व मन्त्री इस प्रश्न को गम्भीरता से लें। सदन ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। समिति का आप गठन कर दें और सिद्धान्ततः इसे स्वीकार कर लें कि समिति गठित की जावेगी। अब उसके रास्ते में कोई कानूनी पेचीदगियां होंगी तो सलाह मशविरा कर लेंगे। अगर यह नहीं करते है तो यह स्पष्ट रूप से सदन का निरादर है। अध्यक्ष का और आसन का भी निरादर है।

श्री अध्यक्ष : मेरे आदर निरादर पर आप मत जाइये।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपकी दृढ़ता है कि छोटे मोटे निरादर को तो आप स्वीकार ही नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : मुझे आपने आदी बना दिया है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो सरकार ने बना दिया है। और भी आदी पर पुट लगाया जा रहा है। हम तो उस पुट को हटा रहे हैं।

श्री मदन सिंह : On a point of clarification, Sir.

श्री अध्यक्ष : क्लेरिफिकेशन फिर आ जावेगा। अभी तो मन्त्रीजी को सुन लें।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के किसी भी सदस्य का निरादर नहीं करना चाहता और न ही सदन का निरादर करना चाहता हूँ। अध्यक्ष का निरादर करने की बात तो सोच ही नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह : वह तो आप में हिम्मत नहीं है। वैसे भी नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अभी आपको ना भी नहीं कहा कि कमेटी नहीं होगी। बैठ कर बात करेंगे। रास्ता निकालेंगे तो देखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : बैठकर ? हमारी समझ में नहीं आया कि किस बात की आप बात करेंगे। समिति बनाने के लिये बात करना चाहते हैं क्या ? अध्यक्ष महोदय, उनसे यह तो कहलवा दीजिये कि समिति बनाने के लिये वे बात करना चाहते है।

श्री अध्यक्ष : समिति को कान्स्टीट्यूट करने के सम्बन्ध में भी बात करेंगे।

श्री मदन सिंह : On a point of clarification, Sir, दो बातें सदन में चल रहीं हैं। एक पोइन्ट यह है कि मन्त्री जी को कोई ऐसी कानूनी अड़चन न हो और दूसरा, अध्यक्ष को अधिकार है, असेम्बली को नहीं। उसके लिये भी यह फैसला करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नो क्लेरिफिकेशन। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री भैरोंसिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 180।

श्री मदन सिंह : रेवेन्यू मिनिस्टर फैसला करेंगे की सदन को अधिकार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

पुलिस फायरिंग की जांच

180. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डीडवाना जिला नागौर एवं बीकानेर में पुलिस फायरिंग की जांच, जांच अधिकारियों द्वारा पूर्ण कर जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ? यदि हां, तो कब और उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया इन रिपोर्ट्स की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): जी हां। जांच समाप्त की जा चुकी है व रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

डीडवाना फायरिंग की जांच रिपोर्ट सरकार को दिनांक 28-3-69 को पेश की गई। दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच प्रारम्भ की जा चुकी है।

बीकानेर फायरिंग की जांच रिपोर्ट दिनांक 15-2-69 को राज्य सरकार को

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पेश की गई। पुलिस फायरिंग को न्यायोचित बताया गया है एवं किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं पाया गया। अतः व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जांच रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : डीडवाना की फायरिंग रिपोर्ट पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच प्रारम्भ की जा रही है तो इससे क्या यह माना जावे कि वह फायरिंग अनजस्टिफाइड था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री भैरों सिंह : मुझे नहीं मिली है रिपोर्ट।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट बहुत बड़ी है। आपको भी मिल जावेगी।

आपको भी समय कहां था इन दिनों पढ़ने का।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस रिपोर्ट में फायरिंग को अनजस्टिफाइड माना है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें यह माना है कि ठीक काम नहीं किया। अपनी ड्यूटी को पूरा अदा नहीं किया। इसका जिक्र किया है। इसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो परटीकूलर इस पोइन्ट पर पूछ रहा हूं कि फायरिंग को अनजस्टिफाइड माना है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जिन सरकमस्टेन्सेज में फायरिंग को किया गया है स्पष्ट बताया है कि फायरिंग क्यों किया गया यह कमीशन ने नहीं बताया। यह जरूर कहा कि यह फायरिंग एक्सीडेन्टली नहीं हुआ। जीप में बैठे हुए अफसर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दिया कमीशन ने इसको भी नहीं माना।

श्री भैरोंसिंह : बीकानेर फायरिंग की रिपोर्ट में भी क्या पुलिस के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्चर्स पास किये गये हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह कहीं नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन दोनों रिपोर्टों को सरकार ने अक्षरतः स्वीकार कर लिया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रिपोर्टों के आधार पर ही सरकार ने एक्शन लिया है।

श्री भैरोंसिंह : इन रिपोर्टों को आपने स्वीकार किया है या नहीं, यह स्पष्ट कहिये।

श्री हीरालाल : जी हां।

श्री भैरोंसिह : क्या इन दोनों रिपोर्टों को स्वीकार किया है तो जिस समय रिपोर्ट सबमिट की गई उन रिपोर्टों को उसी समय रिलीज क्यों नहीं किया ?

श्री दामोदर लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, स्वीकार करने का मतलब ....

श्री भैरोंसिंह : सफाई की जरूरत नहीं है। सफाई नहीं चाहते हम।

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : जवाब तो सुनना ही पड़ेगा। मैं जवाब दे रहा हूं श्रीमान्‌जी। मतलब यह है कि...

श्री भैरोंसिंह : मतलब कोई नहीं सुनना चाहते, इसमें मतलब की कोई बात नहीं है। डिप्टी मिनिस्टर ने साफ जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : यह तो इनका तकिया कलाम है। इन्टरप्ट न करें।

श्री दामोदर लाल व्यास : इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्टों पर ऐक्शन लेना था वह सरकार ने तुरन्त ले लिया।

श्री विजयसिंह (मकराणा) : दोषी पाये गये अधिकारियों का प्रोमोशन किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बड़ी जल्दी रिपोर्ट स्वीकार कर ली ये तो। फिर बेरी रिपोर्ट को क्यों नहीं माना अभी तक ? उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोतर

तबादलों के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल की हिदायतें

174. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) एक सरकारी कर्मचारी एक स्थान पर कितने वर्ष तक निरन्तर रह सकता है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि राजस्व विभाग में कई सरकारी कर्मचारी एक ही स्थान पर 10-10 और 12-12 सालों से व उसके भी ऊपर के अर्से से जमे हुए है ? यदि हां, तो सरकार उनके तबादले क्यों नहीं करती ?

(ग) क्या यह सही है कि राजस्व मंडल से इस प्रकार की कोई हिदायतें जारी हुई हैं कि राजस्व विभाग के ऐसे कर्मचारी जो एक ही स्थान पर पांच साल से अधिक सेवा में काम कर रहे हैं, उनके तबादले कर दिये जावें ? यदि हां, तो ऐसी हिदायतों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) क्या यह सत्य है कि राजस्व मंडल ने ऐसी हिदायतें सन् 68-69 में भी जारी की है ? यदि हां, तो उन हिदायतों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पह रखने का कष्ट करें।

(ड़) क्या यह सत्य है कि ऐसी हिदायतें होते हुए भी, उनकी अनुपालना नहीं की गई ? यदि हां, तो जो अधिकारी उन हिदायतों की पालना नहीं करते, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

(च) क्या ऐसी हिदायतें पाली जिले में भी पहुंची है ? यदि हां, तो वहां के अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) राजस्व विभाग द्वारा प्रचलित निर्देशों के अनुसार लिपिक, हैड क्लर्क, रीडर, अधीक्षक, एक स्थान पर 10 वर्ष व कनिष्ट लिपिक 5 वर्ष से अधिक नहीं रहना चाहिये।

उत्तर

(ख) जी हां। कुछ स्थानों पर ऐसा है सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं।

(ग) राजस्व मण्डल ने राजस्व विभाग द्वारा प्रचलित आज्ञा की पालना हेतु जिलाधीशों को हिदायतें जारी की है। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) राजस्व मण्डल ने अपनी ओर से कोई आदेश प्रचलित नहीं किये हैं। केवल राजस्व विभाग द्वारा प्रचलित आज्ञा की पालना हेतु हिदायतें जारी की हैं। जिनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ङ) इस संबंध में सभी जिलाधीशों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर यदि यह पाया गया कि बिना किसी कारण के राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं की गई तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

(च) जी हां। अब तक इसकी पालना में 9 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जा चुके हैं बाकी संबंधित कर्मचारियों के स्थानान्तरण विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कैथून, मंडाना तथा सुलतानपुर के थानों में दर्ज मामले

192. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले के थाना कैथून मंडाना, सुलतानपुर में जनवरी सन् 69 से 30 दिसम्बर सन 69 तक कितने केस दर्ज हुए ?

(2) इनमें दफा 447-379-354, 376-392-307-325 के कितने केस हैं ? इनके फरियादियों तथा मुलाजिमों के नाम मय गांव के बताने का कष्ट करें ?

(3) इनमें से कितने केसों का चालान पेश कर दिया गया है तथा कितनों में फाइनल रिपोर्ट किस तारीख को लगादी है ?

(4) फाइनल रिपोर्ट लगाने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के थाना कैथून, मंडाना सुलतानपुर में जनवरी सन् 69 से 31 दिसम्बर सन् 69 तक क्रमशः 117,65 वा 61 मुकदमात दर्ज हुये हैं।

(2) फरियादियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) 31 मुकदमात का चालान पेश किया जा चुका है व 38 मुकदमात में फाइनल रिपोर्ट दी गई है, 6 मुकदमात जेर तफतीश है वा 1 की तफतीश हस्ब दफा 157 बी. जा. फो. बन्द की गई है। फाइनल रिपोर्ट लगाने की तारीखे सूची में दे दी गई है।

(4) 18 मुकदमात झूठे पाये जाने के कारण एफ. आर. अदम वकूआ दी गई का 20 मुकदमात में मुलजिमान का पता नहीं चला इस लिये अदमपता में एफ. आर. दी गई।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

थाना कैथून में दर्ज मामला

193. **श्री बृजवल्लभ वोहरा** (दीगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.––

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के थाना कैथून में दिनांक 2 जनवरी, 1969 को हैड कान्सटेबिल श्री कन्हैयालाल द्वारा जुर्म दफा 332 ता. हि. का मुकदमा दर्ज कराया गया था ?

(2) अगर हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस मुकदमें में एफ. आर. अदमपता में तारीख 19-12-69 को दी जा चुकी है क्योंकि मुलजिमान अजनबी मजदूर थे जो बाद वारदात फरार हो गये। जिसका पता नहीं चल सका है।

अल्प आयु में विवाह

194. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बांरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत से अधिक विवाह अल्प आयु में होते है और शहरी क्षेत्र में 30 प्रतिशत में अधिक विवाह अल्प आयु में होते हैं ?

(2) अगर राज्य सरकार इस सम्बन्धी कानून का पालन कराने में असमर्थ है तो क्या सरकार इस प्रश्न पर पुन: विचार करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जा नहीं।

(2) जब कभी कोई मामला सामने आता है तो संबंधित कानून के अन्तर्गत अदालतों द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाती है। अत: उक्त कानून के बाबत पुनः विचार की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री डूंगरगढ नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध दर्ज मामला

195. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डायरेक्टर लोकल बोडीज की रिपोर्ट पर श्री डूंगरगढ़ नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जीवराज डागा के खिलाफ सन् 1963 में एफ. आई. आर. नम्बर 50 ऐन्टी-करप्सन विभाग बीकानेर के यहां भ्रष्टाचार का केस रजिस्टर्ड हुआ था ?

(2) क्या उस केस की जांच करते समय आज तक शिकायत कर्ता श्री यमुनाप्रसाद लखोटिया, भूतपूर्व अध्यक्ष का बयान लिया गया ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों नहीं और क्या अब लिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि शिकायत कर्ता के बयान नहीं लेते हुए और डाकूमेन्ट्री ऐवीडेन्स होते हुए भी केस को अदम सबूत दिया गया और अभी तक कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है ?

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जीवराज डागा के विरुद्ध नगर पालिका द्वारा बेची हुई और किश्त भरी हुई जमींन की दूसरी फाइल बनाकर अन्य लोगों को थोड़े मूल्यों में बेचने के डाकूमेन्टरी प्रमाण है ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(5) श्री डांगा के विरुद्ध अनेक तहरीरी प्रमाण होते हुए उसका चालान क्यों नहीं किया गया ? क्या चालान किया जायेगा ? यदि हां तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस अभियोग के फरियादी संचालक महोदय थे क्योंकि उनकी जांच पर यह केस दर्ज किया गया था और संचालक, लोकल बोडीज ने अपनी जांच में श्री यमुना-प्रसाद लखोटिया का बयान लिया था। अनुसंधान में उनका बयान नहीं लिया गया।

(3) पूर्ण अभिलेख, लोकल बोडीज के संचालक महोदय से कई बार स्मरण पत्र आदि भेजकर मंगवाये गये परन्तु सब ही प्रयास निरर्थक रहे। अतः और कोई चारा न देखकर इसमें अन्तिम प्रतिवेदन दिनांक 18-4-66 को दे दिया गया। अभिलेख प्राप्त होते पर केस में दुबारा तफतीश किये जाने सम्बन्धी पत्र संचालक महोदय को भेज दिया गया था परन्तु अभी तक अभिलेख प्राप्त न होने से दुबारा तफतीश नहीं की गई।

(4) सम्बन्धित अभिलेख संचालक महोदय लोकल बोडीज, जयपुर से प्राप्त नहीं हुये, इसलिए इस विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(5) स्थिति ऊपर स्पष्ट करदी गई है। ऐसी स्थिति में चालान किया जाना सम्भव नहीं था। अब भी यदि अभिलेख प्राप्त हो जाये तो पुनः की जाने वाली तफतीश के परिणाम के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

पुलिस कर्मचारियों द्वारा काश्तकारों को परेशान करने के मामले

196. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पाली तहसील के जो काश्तकार ट्रेक्टर रखते हैं उन्हें समय समय पर पुलिस कर्मचारी तंग और परेशान करते हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि जब कभी काश्तकार अपने अनाज को लेकर शहरों में या नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में आता है, तो पुलिस के कर्मचारी उनका घेरा डाल देते हैं? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि काश्तकार अपने अनाज को लेकर शहर की मंडी में आये तो पुलिस उन्हें भविष्य में तंग या परेशान नहीं करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं गलत है।

(2) जी नहीं गलत है।

(3) प्रश्न संख्या 2 के उत्तर से स्पष्ट है कि पुलिस इन्हें किसी प्रकार तंग नहीं करती न कोई ऐसी शिकायत आई है। विशेष व्यवस्था की ऐसी स्थिति में आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

उद्योगों के लिये कर्ज एवं अनुदान के रूप में दी गई राशि

197. श्री रामकिशन (वैर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सन् 1947 के बाद छोटे और बड़े उद्योगों के लिये कर्ज तथा अनुदान

(श्री रामकिशन)

के रूप में कितनी धनराशि किस किस उद्योगों को कितनी कितनी किस कार्य के लिये और कब दी गई ?

(2) जो धनराशि उद्योगों को कर्जे के रूप में दी गई थी उसमें से कितनी धनराशि मूलधन और व्याज सहित सरकार को वापिस प्राप्त हो गई ?

(3) जो धनराशि अभी बकाया है वह किस किस उद्योग में कितनी हैं ? मूलधन व ब्याज के अलग आंकड़े सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सेवा निवृत्त तहसीलदार को वेतन फिक्सेशन का मामला

198. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार श्री कान्ता प्रसाद जो भरतपुर तहसील से 19 दिसम्बर, 1961 में सेवा निवृत हुए थे, उनका वेतन फिक्सेशन 1 अप्रेल, 50 से नहीं हुआ हैं और उनकी पेन्शन अभी तक निश्चित की जा कर नहीं दी गई हैं ? अगर हां, तो इतना समय लगाने के क्या कारण हैं ?

(2) अब उक्त तहसीलदार का वेतन फिक्सेशन कब तक हो जावेगा एवं उनकी पेन्शन कब तक मिल जावेगी ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां। लेकिन इनको सेवा निवृत्त दिनांक 21-8-61 से किया गया हैं इनका 1-4-50 का वेतन निर्धारण महालेखाकार द्वारा तय किया जा चुका हैं इनको प्रोविजनल पेन्शन व ग्रेच्यूटी भी मिल चुकी है इनका फाइनल पेन्शन का मामला अभी तक पूर्ण नहीं होने के निम्न कारण हैं :—

(1) दिनांक 29-3-28 से 11-9-45 इसमें से 29-3-28 से 30-11-28 तक का सत्यापन अभी तक नहीं करवाया गया है क्योंकि रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा हैं।

(2) दिनांक 27-1-47 से 23-12-47 इसमें 1-2-47 से 26-8-47 तक के वेतन बिल इत्यादि उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

(3) दिनांक 4-4-48 से 27-11-48 इन सेवाओं का सत्यापन कराया जा चुका हैं।

(4) दिनांक 1-9-49 से 28-2-51 इसका भी सत्यापन कराया जा चुका है।

उपरोक्त समय में जिस काल का सत्यापन नहीं हुआ है उसके लिये श्री कान्ता प्रसाद को कोलेट्रल एविडेंन्स देने हेतु लिखा जा रहा हैं जिससे कि राजस्थान सेवा नियम 289 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिये जा सके।

(2) वेतन का फिक्सेशन तो तय किया जा चुका है। पेन्शन के बारे में निवेदन हैं कि प्रोविजनल पेन्शन तो मिल चुकी हैं व फाइनल पेन्शन हेतु इनसे कोलेट्रल एविडेन्स प्राप्त होने ही राजस्थान सेवा नियम के नियम 289 के तहत प्रमाण-पत्र जारी किया जा कर महालेखाकार को भेज दिया जावेगा।

किशनगंज के निलम्बित तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही

199. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि तहसील किशनगंज के भूतपूर्व तहसीलदार श्री "नागर" निलम्बित हैं ? यदि हां, तो किस तारीख से किन मामलों को लेकर निलम्बित किया गया और अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री नागर दिनांक 16-4-69 से निलम्बित हैं। श्री नागर तहसीलदार किशनगढ़ के पद पर कार्य करते हुये भूमि आवंटन तथा नियमन के मामलों में अवैधानिक अनियमिततायें आदि कार्य के संबंध में निलम्बित किये गये। श्री नागर के विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन व कन्ट्रोल व अपील रूल्स 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

भूतपूर्व शामलात कमेटी केकड़ी की जायदाद

200. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूतपूर्व शामलात कमेटी केकड़ी की जायदाद (प्रोपरटी) किस किस विभाग के सुपुर्द की गई है ? सूची सदन में रखने की कृपा करें।

(2) केकड़ी नगर के मध्य शामलात की जो हवेली व नोहरा व दफ़्तर है वह किनके अधिकार में है ?

(3) उक्त जायदादी का मुआवजा किन किन को व कितना कितना देना तय हुआ है ? सूची सदन में रखें।

(4) शामलात कमेटी का अजमेरी गेट के बाहर पुराना मोटर गैरेज जो नगरपालिका के किराये पर था उसका शामलात कमेटी को क्या मुआवजा दिया गया या नहीं ? क्या नगरपालिका ने इस किराये की भूमि को बेच दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

अकलेरा तहसील में भूमि पर अनधिकृत कब्जों के मामले

201. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(2) गत तीन वर्षों से अकलेरा तहसील में कुल कितने व्यक्तियों ने भूमि पर अनधिकृत कब्जे किये हुए हैं जिनमें वन विभाग की भूमि के कितने ट्रैस पासर्स हैं एवं राजस्व विभाग की भूमि के कितने ? आंकड़े बताने का कष्ट करें ?

(2) गत तीन वर्षों में कितनी राशि पैनल्टी अथवा जुर्मानों के रूप में राज्य को प्राप्त हुई ? आंकड़े बताने का कष्ट करें।

(3) उक्त ट्रैस पासर्स में से कितने व्यक्तियों को भूमि रेगुलेराइज की गई ?

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

व्यक्तियों की संख्या एवं एकड़ों की संख्या बताने का कष्ट करें ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

मनोहरथाना तहसील का अकलेरा तहसील में विलय

202. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सन 60-61 तक मनोहरथाना तहसील मुख्यालय था और उसे अकलेरा तहसील में विलय कर दिया गया ?

(2) क्या अकलेरा तहसील के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की दो पोस्टें है और दोनों अकलेरा हैड क्वार्टर पर ही रहते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अकलेरा से मनोहरथाना की 25 मील की दूरी से सैंकड़ों व्यक्तियों को रोजाना तहसील कार्यों हेतु आना जाना पड़ता है रजिस्ट्री के लिये भी लोग आते जाते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि जनता कई वर्षों से यह मांग करती आ रही है कि अकलेरा के नायब तहसीलदार का हैड क्वार्टर मनोहरथाना बना दिया जाये जिससे जनता को राहत मिल सके ?

(5) क्या यह सही है कि मनोहरथाना में नायब तहसीलदार के आफिस एवं निवास आदि कि सारी सुविधाएं उपलब्ध है ?

(6) क्या राज्य सरकार जनता की सहूलियत एवं अनुरोध पर पुनः तहसील की स्थापना न भी कर पाये किन्तु नायब तहसीलदार का हैडक्वार्टर मनोहरथाना कर दें उसमें क्या आपत्ति है ?

(7) क्या यह सही है कि इसी प्रकार की व्यवस्था बकानी में भी की हुई है ?

उत्तर

1–जी हां।

2–दोनों प्रकार के एक एक पद पर।

3–जी हां, परन्तु सैकड़ों को नहीं।

4–जी नहीं, ऐसी कोई मांग उपलब्ध नहीं हुई।

5–जी नहीं।

6–अर्थाभाव के कारण अभी ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है।

7–जी हां, वहां सब तहसील होने के कारण।

ग्राम सालोतिया में अनधिकृतरूप से भूमि पर कब्जा

203. **श्री जुझारसिंह (राजगंज मंडी)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सालोदिया, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ के पटेल श्री कन्हैयालाल व उसके सम्बन्धियों ने श्री कान्हा वल्द मगना भील ग्राम सलोतिया की भूमि को अपने नाम अनधिकृत रूप से रेगुलेराइज करवाया था ? यदि हां, तो कब और कितनी भूमि को ?

(श्री जुझारसिंह)

(2) क्या यह सही है कि सलोतिया के किसी गरीब भील की जमीन पर कब्जा कर लेने के खिलाफ श्री कन्हैयालाल पटेल सलोतिया के विरुद्ध रेवेन्यू बोर्ड में केस चला था व भील कृषक को उसकी जमीन वापिस कर देने के आदेश हुए थे? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि को अब भी पटेल ही काश्त करता आ रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

हिन्डोली तहसील के कार्य का निरीक्षण

204. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिंन्डोली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील हिन्डोली के कार्य का निरीक्षण अध्ययन राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 18-5-68 को किया गया था?

(2) क्या यह सत्य है कि अध्यक्ष ने तहसीलदार के कार्य में अनियमिततायें व अनधिकृत कार्य पाये?

(3) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल के अध्यक्ष द्वारा जिलाधीश बून्दी को इनकी जांच के लिये आदेश दिये गये थे? अगर हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला?

उत्तर

1–जी हां।

2–जी हां।

3–जी हां।

जांच रिपोर्ट राजस्व मण्डल में प्राप्त हो गई है जो उनके विचाराधीन है।

सेवा निवृत्ति नायब तहसीलदार को बकाया का भुगतान

205. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री रणवीर सिंह नायब तहसीलदार दिसम्बर सन् 63 से 1 मार्च सन् 64 तक फलौदी-जिला जोधपुर में रहे जो कि फेमिन में नियुक्त थे?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समय का वेतन व छुट्टियों का वेतन बार बार रेवेन्यू बोर्ड व जिलाधीश जोधपुर के लिखने पर भी आज तक नहीं दिया गया?

(3) उक्त नायब तहसीलदार को फलौदी नागौर जिला कार्यालय फेमिन शाखा, टौंक ट्रेनिंग स्कूल, केकड़ी तहसील, किशनगढ़ तहसील में कितना कितना वेतन भत्ता बकाया रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त नायब तहसीलदार 22-9-69 को किशनगढ़ से रिटायर हो गये परन्तु अभी तक पेंशन भी प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

तहसील पाटन के सामने किसान मजदूर प्रदर्शन

206. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला कांग्रेस कमेटी बूंदी के अध्यक्ष श्री भंवरलाल शर्मा ने तहसील

Page No 32

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

पाटन के सामने दिनांक 17-2-68 को एक किसान मजदूर प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो किस विषय में ?

(2) इस प्रदर्शन में क्या कोई प्रस्ताव भी पारित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको स्वीकार करने का विचार रखती है ?

(3) ग्राम कापरेन, जिला बूंदी में इसी प्रकार की आम सभा में दिनांक 15 जनवरी 68 के जो प्रस्ताव पारित किये गये थे और सरकार को भेजे गये थे उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(4) क्या यह सत्य है कि कांग्रेस के उक्त प्रदर्शन में लगान व सरचार्ज नहीं देने के लिये जिला अध्यक्ष ने लोगों से कहा था? यदि हां, तो क्या लगान नहीं देने पर सरकार काश्तकारों की कुड़कियां करेगी ?

(5) क्या सरकार का फैसला जो पाटन तहसील के लिये होगा वह सारे जिले में लागू होगा ?

उत्तर

1–जी हां, विशेष रूप से नई बन्दोबस्त दरों तथा भू-राजस्व पर अभिभार आदि न देने के संबन्ध में ।

2–जी हां, राज्य आदेश सं० 4(26) रा/ख/ग्रुप-1/66 दिनांक 11-3-68 द्वारा जब तक आगे विज्ञप्ति जारी न हो तहसील केशवराय पाटन में लगान नई दरों से न लिए जाने की आज्ञा दी गई थी ।

3–निर्णय का उल्लेख ऊपर आ चुका है ।

4–जी हां । नियमान्तर्गत जो आवश्यक कार्यवाही होगी की जावेगी ।

5–ऐसा होना आवश्यक नहीं है ।

पाली तहसील में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि का आवंटन

207. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली तहसील में इस साल अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति के लोगों को भूमि आवंटित की गई ? यदि हां, तो किन किन को कितनी कितनी और किस किस गांव में ? सूची ब्योरेवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार की आज्ञा के बावजूद इस साल अभी तक किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लोगों को भूमि नहीं दी गई ?

यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

1–सूची संलग्न है ।

2–यह सही नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्व मंडल में विचाराधीन मामले

208. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) रेवेन्यू बोर्ड में तारीख 31-12-69 को कितने मुकदमें किस किस किस्म के किस

(श्री रामसिंह कुड़ी)

किस साल के (यानि कलेन्डर ईयर के) पेन्डिग थे ?

(2) राज्य में रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी की कितनी अदालतें है एवं प्रत्येक में किस किस किस्म के, किस किस साल, कितने कितने मुकदमे तारीख 31-12-69 को पेन्डिग थे ?

उत्तर

1–सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2—राज्य में रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी की चार निम्न अदालतें हैं:—

1—राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर।

2—,, ,, ,, बीकनेर।

3—,, ,, ,, उदयपुर।

4—,, ,, ,, कोटा।

सिवाय जयपुर के अन्य अपीलेट ओथोरिटी के यहां पेन्डिग मुकदमों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

जयपुर अपीलेट ओथोरिटी के दौरे पर होने से सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अदालतों में टिकटों की व्यवस्था

209. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हर प्रकार की स्टाम्प टिकटें अदालतों में समय पर नहीं मिल रही हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि स्टाम्प फरोश बार बार मांग करते रहते हैं लेकिन उनको पूरे स्टाम्प नहीं दिए जाते जिससे जनता को बड़ी परेशानी होती है और सरकार को भी स्टाम्प बिक्री से जो आय होती है उसमें भी भारी नुकसान होता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि स्टाम्प फरोश जब तक रिश्वत नहीं देते उस समय तक टिकटें नहीं दी जाती हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

उत्तर

1—जी नहीं। केवल नोटोरियल स्टाम्प व हुन्डी स्टाम्प नासिक रोड से कोषाधिकारियों के कार्यालयों में कुछ देर से भेजे जाते हैं और ऐसी शिकायतें कुछ कोषाधिकारियों से प्राप्त हुई हैं।

2—जी नहीं। किसी भी स्टाम्प फरोश की इस प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

3—जी नहीं।

जिला श्री गंगानगर की भूमि

210. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्री गंगानगर में कुल कितनी एकड़ भूमि है ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(2) खातेदारी कितनी है व आराजी कितनी है ?

(3) बंजड़ कितनी है जिसमें सरकारी कितनी है व खातेदारी व अलाटशुदा कितनी है ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) गंग कैनाल में कितनी, भाखरा में कितनी, राजस्थान कैनाल में कितनी, कैनाल क्षेत्र से बाहर कितनी एकड़ हैं ?

सिंचित कितनी, बारानी कितनी एकड़ है? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि पहले यह भूमि तहसील रेवेन्यू से एक साला आरजी अलॉट की गई थी ? यदि हां, तो कौनसे सन् में भूमि अलॉट की गई और फिर यह भूमि खारिज किसने की थी ? उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(6) क्या यह सही है कि यह सब काश्तकार मौके पर आबाद हैं ? यदि हां, तो कौन से सन् में आबाद हुए ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

भाखरा क्षेत्र में खारिज की गई भूमि

211. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि भाखरा क्षेत्र के काश्तकारों की भूमि किश्तों की बकाया के कारण खारिज की गई है ? यदि हां, तो नोहर व भाखरा तहसील के कितने काश्तकारों की भूमि खारिज की गई है ? उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि आधी से ज्यादा किश्तों की रकम दाखिल करने पर भूमि खारिज कर दी गई है ?

(3) क्या सरकार इन काश्तकारों को वह भूमि जो खारिज कर दी गई है, वापिस उनके द्वारा किश्तें जमा करा देने पर बहाल करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ।

उत्तर

1. जी हां, तहसील नोहर के 16 काश्तकारों की व तहसील भादरा के 19 काश्तकारों की भूमि किश्तें न भरने के कारण खारिज की गई थी । उनके नामों की सूची संलग्न है ।

2. जी नहीं ।

3. नोहर के 16 काश्तकारान में से 12 काश्तकारों की भूमि बकाया किश्तें जमा कराने पर रकबा बहाल किया जा चुका है व भादरा के 19 काश्तकारान में से 5 काश्तकारान द्वारा बकाया किश्तें जमा करवाने पर रकबा बहाल किया जा चुका है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

जयपुर में भूखण्डों का अलॉटमेन्ट

212. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वर्ष और पिछले वर्ष में नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा किन किन को कहां कहां पर कितना कितना भूखण्ड अलॉट किया गया ? भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र किस किस तारीख से नगर विकास न्यास के पास विचाराधीन थे ? सूची व्यक्तियों के पूरे पते सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नगर विकास न्यास को भूखण्ड अलॉट करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किये हुए हों तो उनकी प्रतियां भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम उप-नियम बनाये हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इस समय भूखण्ड अलॉट करने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

केकड़ी की जल प्रदाय योजना का कार्य

213. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी नगर में जल प्रदाय नल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन का कार्य चालू है ?

(2) अगर है तो अब तक कितना कार्य हो चुका है एवं बकाया कार्य कब तक पूर्ण किया जाना तय है ? क्या यह भी सही है कि कार्य बड़ी धीमी गति से किया जा रहा है और बीच बीच में बन्द कर दिया जाता है ?

(3) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों और अब यह कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

(4) उक्त कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है या किसी कान्ट्रेक्टर द्वारा ?

(5) केकड़ी नगर को कौनसी तारीख तक पानी सप्लाई कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है बाकी के अन्य कार्य अगले वित्तीय वर्ष 1970-71 में धनराशि की उपलब्धि पर पूर्ण किये जा सकेंगे। कार्य प्रतिवर्ष धनराशि की उपलब्धि के अनुसार किया जाता है, धीमी गति से करने का अथवा बीच 2 में बन्द कर दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं, वित्तीय वर्ष में धनाभाव के कारण, अगले वित्तीय वर्ष 1970-71 में धनराशि की उपलब्धि पर बनकर तैयार होने की सम्भावना है।

(4) कार्य ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।

(5) धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर केकड़ी नगर को वित्तीय वर्ष 1970-71 के अन्त तक जल वितरण करने की सम्भावना है।

तखतगढ़ की जल प्रदाय योजना

214. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर): क्या जन स्वास्थ्य योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) यदि किसी ग्राम की जल प्रदाय योजना को संबंधित ग्राम की ग्राम पंचायत अपने अधिकार में लेकर स्वयं ग्राम पंचायत संचालित करना चाहे तो संबंधित ग्राम पंचायत को उसकी संबंधित जल प्रदाय योजना को उसे संभालने के क्या नियम हैं अथवा क्या शर्तें हैं ?

(2) तखतगढ़ ग्राम पंचायत को तखतगढ़ की जल प्रदाय योजना संभालने में क्या बाधायें हैं जबकि वह संभालने को तैयार है ?

उत्तर

1. संबंधित जिलाधीश द्वारा यह प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर कि पंचायत की वित्तीय स्थिति ठीक है और पंचायत योजना को दिलाने में समर्थ है, पंचायत को योजना चलाने के लिए संभला दी जाती है।

2. तखतगढ़ ग्राम पंचायत को तखतगढ़ की जल प्रदाय योजना दिनांक 8 अगस्त 1969 को संभला दी गई है।

सुलतानपुर की नल योजना

215. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुलतानपुर के ग्राम हैड क्वार्टर पर नल योजना मंजूर हुई है ? यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि जमा हुई ? नल योजना का कार्य कब से चालू होगा ?

उत्तर

1. जी नहीं, योजना के लिए जन सहयोग के रूप में 8000/- रु० की धनराशि जमा हुई है। योजना बनाई जा रही है। योजना की स्वीकृति के बाद कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

केकड़ी मोटर स्टेन्ड की भूमि

216. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि केकड़ी नगरपालिका द्वारा अलग मोटर स्टेन्ड बनाने हेतु सन् 1965 में जमीन खरीदी गई थी ? अगर हां, तो कितनी बीघा और कितने रुपयों में खरीदी गई थी ?

2. क्या यह सही है कि उक्त जमीन के प्लाट बना कर नीलाम किए गए थे ? अगर हां, तो कितने प्लाट बनाए व नीलाम कितने रुपये गज से किये गये और किस किस को नीलाम किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

3. प्रशासक द्वारा मोटर स्टेण्ड के पास और किस किस व्यक्ति को जमीनें दीं और किस आधार पर दी गई और उनसे कितना मूल्य लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

4. क्या नगरपालिका बोर्ड द्वारा उक्त नीलामी के बाद में भी दुकानों के प्लाट

(श्री देवीलाल बुरासिया)

नीलाम किए गए ? अगर हां, तो कितने प्लाट और किस किस व्यक्ति को किस किस दर से नीलाम किए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

5. क्या यह सही है कि नगरपालिका बोर्ड ने बरामदों की जमीन भी उक्त प्लाट वालों को मोल दी थी अगर हां, तो किस किस व्यक्ति को कितने कितने रुपये गज कीमत से दी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

6. क्या यह सही है कि बरामदों के लिए किन्हीं व्यक्तियों को किराये पर जमीनें दी गई ? अगर हां, तो किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

7. दूसरे व्यक्तियों को बरामदे की जमीन मोल बेची है और इनको किराये पर दी गई उसका क्या कारण है ?

8. उक्त जमीन में किसी व्यक्ति को विश्राम शाला बनाने हेतु जमीन दी गई ? अगर हां, तो कितनी और किस दर से ?

9. क्या उक्त विश्राम शाला बनाने के पहले जिलाधीश अजमेर ने कुछ शर्तें रखी थीं ? अगर हां, तो क्या ?

10. क्या उक्त विश्राम शाला, जिलाधीश के नक्शे (स्वीकृत) के अनुसार बनाई गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ? जिलाधीश द्वारा स्वीकृत नक्शा व वर्तमान नक्शे की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

11. क्या उक्त विश्राम शाला के निर्माण की स्वीकृति नगरपालिका बोर्ड से ले ली गई थी ?

(उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

भरतपुर में भूखण्डों का आवंटन

217. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास भरतपुर ने सन् 1960 में भरतपुर के नागरिकों से आवास हेतु भूखण्ड आवंटन करने के लिए पेशगी (एडवान्स) रुपया जमा कराया था ? यदि हां, तो कितने लोगों ने जमा कराया था ?

(2) क्या पेशगी जमा कराने वाले सभी व्यक्तियों को वरिष्ठता के आधार पर भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर सुधार न्यास

218. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में नगर सुधार न्यास कब कब से और कहां कहां पर कार्य कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अलमशहर में नाजायज तामीर का मामला

219. श्री **दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एक श्री पूर्णमल ने उनियारा नगरपालिका जिला टोंक में अलमशहर 'कटला गेट' पर नाजायज तामीर की है जिससे वहां स्थित छतरी पर कब्जा कर लिया है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त तामीर को लेकर वहां के प्रशासक को स्थानीय जनता ने एक दरख्वास्त दी थी, जिस पर प्रशासक ने उक्त तामीर का मौका देखा था ?

(3) क्या यह सही है कि मौका देखने के बाद प्रशासक ने उक्त तामीर को गलत मानते हुए उसे तुरन्त तुड़वाने की आज्ञा श्री पूर्णमल को दे दी थी ?

(4) क्या यह सही है कि वह तामीर आज दिन तक नहीं हटाई गई है ? यदि हां, तो क्यों नहीं हटाई गई ?

(5) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता में इस विषय पर काफी असंतोष फैला हुआ है और इसका कारण स्थानीय सचिव नगरपालिका द्वारा जान-बूझकर कार्यवाही न करना है ?

(6) क्या उक्त तामीर की जगह एक सार्वजनिक है और इस तामीर से नगर के सौंदर्य पर कुप्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो फिर क्यों नहीं उसे हटाया जा रहा है ?

उत्तर

(उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

अलवर जिले में बाढ़ से टूटी सड़कों एवं पुलों का पुनर्निर्माण

220. श्री **गंगासहाय** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अलवर जिले में बाढ़ के कारण टूटी सड़कों व पुलों के पुनर्निर्माण हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा कर।

उत्तर

17.39 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। विवरण तहसीलवार नहीं किया जाता है। सड़कवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

डाक बंगला अकलेरा

221. श्री **बिट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अकलेरा में कोई रेस्ट हाउस या डाक बंगला है ? यदि हां, तो उसकी देख-रेख की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है ?

(श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा)

(2) क्या उक्त डाक बंगले में पलंग, बिस्तर, सोफा, कुरसी, टी सैट आदि कोई सामान नहीं रहता है ? यदि रहता है, तो क्या क्या सामान है ?

(3) क्या उक्त डाक बंगले पर कोई वैतनिक चौकीदार भी है ? यदि हां, तो कब से एवं उसे कितने समय बंगले पर उपस्थित रहना आवश्यक है ?

(4) क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करते समय राजस्थान का यह सबसे पहला विश्राम-स्थल है और यहां होकर आते जाते मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई अधिकारी, मन्त्री, गवर्नर आदि यात्रा किया करते हैं और कुछ समय के लिये उस डाक बंगले में विश्राम आदि भी करते हैं ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि डाक बंगले में फ्लश लेटरिन आदि की व्यवस्था है किन्तु टैंक में कभी भी पानी नहीं रहता है?

(6) वर्ष में कितने अधिकारी उस डाक बंगले में ठहरते हैं। एक जनवरी से लगाकर 31 दिसम्बर, 69 तक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है।

(2) रेस्ट हाउस के सामान की सूची (अ) संलग्न है।

(3) जी हां, एक चौकीदार है। जो सारे दिन व रात भर उपस्थित रहता है।

(4) जी हां। जी हां।

(5) जी हां। पाइप द्वारा पानी की सप्लाई न होने से भवन के ऊपर रखा हुआ टैंक पानी से नहीं भरा रहता है।

(6) वर्ष में लगभग 200 अधिकारी इस विश्राम-गृह में ठहरते हैं। सूची (ब) संलग्न है। जिसमें केवल अधिकारियों के नाम शामिल किये गये हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सवाई माधोपुर में अस्पताल निर्माण के लिये स्वीकृत राशि

222. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर नं. 2-50 बैडेड अस्पताल के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने कुल कितनी राशि की स्वीकृति दी है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस भवन के निर्माण हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया ?

(2) इस वर्ष की स्वीकृति राशि में से अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है और यह भवन निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) 5.95 लाख रुपये की स्वीकृति दी है तथा वर्ष 1969-70 में 2,50,000 रुपया का प्रावधान किया है।

(2) मास दिसम्बर के अन्त तक 1,11,964 रु० व्यय हुआ है। आवश्यकता-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

नुसार धनराशि प्राप्त होने पर मार्च 1971 तक पूर्ण होने की आशा है ।

अकलेरा सब डिवीजन में सड़कों का कार्य

223. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकलेरा सब डिविजन में सड़कों के निर्माण एवं सुधार हेतु गत 3 वर्षों में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या उक्त धनराशि का उपयोग किया गया अथवा लेप्स हो गई ? यदि हां, तो उपयोग की गई राशि एवं लेप्स राशि के आंकड़े देने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि इस डिविजन के बनने के बाद कई सड़कें रिन्यू नहीं हुई हैं और उनकी हालत दिनों-दिन खराब होती जा रही है ?

(4) उक्त डिविजन का क्या कभी सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी एवं उप मन्त्री जी ने दौरा किया है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

अकलेरा उपखंड में निम्न प्रकार धनराशि स्वीकृत की गई है:-

वर्ष	निर्माण हेतु	सुधार हेतु
67-68	65,000	1,50,000
68-69	38,500	1,89,500
69-70	2,50,000	3,54,000

धनराशि का उपयोग किया है वर्ष 69-70 अभी चल रहा है :-

वर्ष	निर्माण	सुधार
67-68	78,654	2,00,000
68-69	81,024	4,20,094
69-70	76,217	4,20,812

उपलब्ध धनराशि के अनुसार कार्य कराया गया है ।

जी हां सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी के झालावाड़ डिविजन के दौरे का विवरण निम्न है :—

24-5-69 से 25-5-69 मंत्री
19-8-69 से 21-8-69 ,,
1-10-69 से 2-10-69 मंत्री
26-11-69 से 27-11-69 मंत्री

उप मंत्रीजी द्वारा उक्त डिवीजन का दौरा नहीं किया गया ।

झालावाड़ जिले में बाढ से क्षतिग्रस्त सड़क तथा पुल

224. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष बाढ़ के प्रकोप से जिला झालावाड़ की कई सड़कें तथा पुल आदि टूट गये हैं ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या अभी तक इन पुलों तथा सड़कों की मरम्मत आदि का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह कार्य कब तक पूरा

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

होगा? कितना-कितना रुपया इन पर लगाया जाना है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) आवागमन चालू रहे उस सीमा तक साधारण मरम्मत कराई गई है। 12 कार्यों की स्वीकृति देदी गई है। अनुमानित व्यय के आंकड़े सूची (अ) में अंकित कर दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिए)

अन्ता के ठेकेदार से पैनल्टी की वसूली

225. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अन्ता (जिला कोटा) के ठेकेदार श्री कादरबक्श के ऊपर पी. डब्लू. डी. के नियमों के अन्तर्गत कोई पैनल्टी लगाई थी? यदि हां, तो किस किस मामले में कितना कितना रुपया पैनल्टी लगाया गया था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त ठेकेदार के ऊपर जुर्माना वसूली की कार्यवाही पी. डी. आर. एक्ट. के तहत की थी? यदि हां, तो किन किन तारीखों में कितने कितने रुपयों की पी. डी. आर. एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही की?

(3) क्या पी. डी. आर. एक्ट के तहत उक्त ठेकेदार से वसूली की गई?

(4) उक्त ठेकेदार के ऊपर सरकारी रकम कितनी बाकी है तथा कितने स्थानों के ठेके कब कब कितने कितने रुपयों के दिये गये और काम स्थिति पर है? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां निम्न प्रकार :—	रुपये
पलायता सांगोद रोड़ मील 4 से 7	8338
,, ,, 8-10	7603
अन्ता से शीशावाली	9535
डामर कार्य बारां झलावरडा रोड़ मील 60-61 और 76 से 81	4929
नवीकरण बारां अटरू रोड मील 15 से 17	2772
अटरू गडघाट रोड मील 2 से 6	4735
केथून थाना हेड़ा रोड मील 19 से 22	4704

जी हां, दिनांक 28-12-68 को 95684 रु. की वसूली का केस प्रस्तुत किया था जिसमें पैनल्टी और ठेकेदारों को ऊंची दरों पर दिये गये ठेकों की रकमों का अन्तर भी शामिल था।

जी नहीं।

95684 रुपये बाकी है। शेष सूचना झालावाड़ खंड से प्राप्त होने पर प्रेषित कर दी जावेगी।

(11.58 म. पू.)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने अजमेर जिले के नसीराबाद में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री नन्दालाल, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री प्रेमसिंह सिघवी, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री बृज बल्लभ बोहरा, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कोटा जिले में ओला वृष्टि से फसल को हुई क्षति का उल्लेख किया गया है ।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सुग्रालाल चौधरी, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने पंचायत समिति दूदू क्षेत्र में बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर जिले से आए पशुओं को हानि पहुँचाने तथा इनके मालिकों द्वारा ग्रामीणों के साथ लूट खसोट करने आदि का उल्लेख किया है ।

चौथे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मदनसिंह दांता, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है । इस प्रस्ताव में ग्राम डासरोली में आये दिन सशस्त्र लोगों का आना और घरों में जाकर चोरी करना और बन्दूक चलाकर जनता को भयभीत करने का जिक्र किया गया है ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों में जिन मामलों का उल्लेख किया गया है, वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान उठाए जा सकते हैं इसके अतिरिक्त यह मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं । अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

(12 मध्यान्ह)

इनके अतिरिक्त चार स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई हैं । ये स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं:–

श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री जुझार सिंह, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री बृज बल्लभ बोहरा व श्री महेन्द्र सिंह सदस्य विधान सभा द्वारा चंबल की मुख्य नहर से मध्य प्रदेश को पानी देने से कोटा जिले की नहरों में पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के बारे में राज्य सरकार के उत्तर में यह कहा गया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक समझौता हुआ है और उसी के अनुसार पानी नहर में दिया जाता हैं परन्तु राजस्थान में रबी की फसल में पूरा पानी दिया गया है तथा इस समय राजस्थान के भाग में सिचाई हेतु जितना पानी प्रयोग में लिया जा रहा है, वह सिचाई हेतु पर्याप्त हैं । इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान में इस मामले को उठाया जा सकता था ।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य विधान सभा से बीकानेर शहर में स्वर्णकारों को पुनर्वास के नाम पर ऋण वसूली में ज्यादतियां करने व स्वर्णकारों द्वारा भूख हड़ताल करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी । राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें यह

(श्री अध्यक्ष)

बतलाया गया है कि स्वर्णकारों से ऋण वसूली की कार्यवाही जिलाधीश, बीकानेर द्वारा नियमानुसार की जा रही है तथा इसमें किसी प्रकार की ज्यादती नहीं की जा रही है। भूख हड़ताल, दिनांक 18-1-70 को समाप्त हो गई है।

तीसरा स्थगन प्रस्ताव श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ, श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल, श्री नत्थी सिंह व श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने भरतपुर, कोटा, भीलवाड़ा आदि जेलों में सत्याग्रहियों को रिहा करते समय उनके खाने व उन्हें घरों तक न पहुंचाने का उल्लेख किया था। राज्य सरकार से जो जानकारी मिली है उसमें सत्याग्रहियों के लिये कुछ आवश्यक प्रबन्ध किये जाने का उल्लेख किया गया है।

चौथा स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने उदयपुर विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा उपकुलपति के प्रति असन्तोष के बारे में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार के उत्तर में यह बताया गया है कि जो मेमोरेन्डम उदयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को दिया गया है उस सम्बन्ध में पूछताछ कर जांच पड़ताल हो रहा है तथा अध्यापक परिषद् के किसी भी अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त विश्व-विद्यालय एक स्वायत्त संस्था है।

राज्य सरकार से प्राप्त उपरोक्त जान-कारी की दृष्टि में इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। सदन की मेज पर रखे जाने वाले ······ नहीं।

सवाई माधोपुर की सीमेंन्ट फैक्ट्री में हड़ताल से सम्बन्धित विषय की ओर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में हड़ताल संबंधी

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में जो गत 22 दिसम्बर से हड़ताल चल रही है उसके सम्बन्ध में मैं श्रम मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय ······

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है जिनका ध्यान आकर्षित करना है वे स्वयं इस समय सदन में उपस्थित नहीं है।

श्री भैरोसिंह : जो उनके स्थान पर उपस्थित हैं उनका कभी ध्यान आकर्षित होता ही नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): उनका ध्यान है ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : हम सुन रहे हैं बहुत ध्यान पूर्वक।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): ध्यान आकर्षित कहां हुआ है? मेरे ख्याल से सदन में मंत्री महोदय को उपस्थित

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

होना चाहिये । मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं तो यह सदन का अपमान है और भद्दी परम्परा है ।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की जानकारी के लिए यह सूचना दें दूं, मंत्री महोदय ने अनुपस्थित रहने की आज्ञा मांगी है । अनुपस्थित रहने का कारण है, खान अब्दुल गफ्फार खां कोटा में है । विवशतापूर्वक उन्हें वहां रहना पड़ा है । ऐसी स्थिति में दायित्व दूसरे मंत्री को दिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह काल अटेन्शन नोटिस किसी मंत्री महोदय का ध्यान ड्रा करने का है, राज्य सरकार का नहीं । अनुपस्थिति में गवर्नमेंट का जवाब कौन देगा ? श्री शोभारामजी जवाब दे नहीं सकते और भीखा भाई के बस की बात नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिये और फिर उसके बारे में हमें कुछ कहना चाहिए कि सेटिसफैक्टरी है या नहीं कि श्रम मंत्री या मुख्य मंत्री की जरूरत पड़ेगी । वह सब अलग बात है ।

श्री अध्यक्ष : यह आप कर लें आपस में समझौता । स्टेटमेंट दिलाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है । वह स्टेटमेंट दे देंगे ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

आॅर्डर, आॅर्डर ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, तो मैं सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के बारे में ध्यान आकर्षित कर रहा था । अब आप अधिकार-पत्र लेकर खड़े हुए हैं तो ठीक है ।

श्री भीखा भाई (स्वायत्त शासन मंत्री) : स्टेटमेंट दे दिया जायगा वैसे मैं निवेदन करूं, आवश्यकता अभी इस बात की नहीं है (कई माननीय सदस्यों की आवाज में, अश्रव्य)....सवाल ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : कहां अध्यक्ष महोदय का सवाल पैदा होता है । अभी व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है··

श्री अध्यक्ष : अभी कोई व्यवस्था····

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था की अभी कोई बात ही नहीं आई है····

श्री हरि बल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं····

श्री अध्यक्ष : क्या है यह ?

श्री हरि बल्लभ शर्मा : वह यह है कि एक काल अटेन्शन के प्रश्न को लेकर सदन में चर्चा होने वाली है । उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो श्रम मन्त्रीजी से सम्बन्धित हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जो गृह मन्त्रीजी से सम्बन्धित है और कई मुद्दे ऐसे हैं जो मुख्य मन्त्री से सम्बन्धित हैं । तीनों ने मिलकर भीखा भाई को पावर दे दिये भीखा भाई के सिवाय मुख्य मन्त्रीजी मौजूद हैं ।

Page No 45

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मुख्य मन्त्रीजी से ..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था सवाई माधोपुर फैक्ट्री में 22 तारीख से हड़ताल चल रही है लगभग दो हजार मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, वे हड़ताल पर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच हजार।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : परमानेंट फैक्ट्री में काम करने वाले अस्थायी अलग हैं। फलौदी में 1600 हैं बाकी और लेबर हैं। सभी मिला कर लगभग पांच हजार मजदूर पिछले 22 दिसम्बर से लगातार हड़ताल पर हैं। अध्यक्ष महोदय, इन मजदूरों की जो मांगें हैं वह कुल मिलाकर 25 मांगें हैं। प्रमुख 7 मांगें हैं। 300 मजदूरों को हटाया है, उनको वापिस लिया जाय जिनको दो साल पूर्व निकाला था। 28 जो दूसरे मजदूर हैं, उनको वापिस लिया जाय, जो फलौदी में काम करते थे। मैनेजमेंट ने उनको निकाल दिया था। फलौदी में कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है जैसी कानून के अनुसार होनी चाहिये-वहां डॉक्टर की व्यवस्था की जाय। अध्यक्ष महोदय, चौथे मजदूरों को फिल्टर्ड वाटर सप्लाई किया जाय। मजदूरों को और मजदूरों के परिवारों को गन्दा पानी सप्लाई किया जाता है, छना हुआ पानी साफ करके उनको मुहैया किया जाय। बोनस की 20 प्रतिशत की व्यवस्था की जाय, केजुअल की पूरी व्यवस्था की जाय, पुराने लोगों को वापिस लिया जाय, तीनों जगह मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाये जायें। इस तरह कुल मिलाकर 25 मांगें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, सवाई माधोपुर सीमेण्ट फैक्ट्री में 22 दिसम्बर से चल रही हड़ताल को आज लगभग 40 दिन हो गये हैं। खेद का विषय है कि राजस्थान की हुकूमत ने पाँच हजार मजदूरों की वाजिब मांगों को मानने से, मैनेजमेंट को मजबूर करने के बजाय उस फैक्ट्री के एरिया में धारा 144 और लागू की है। मजदूरों पर आतंक छा रहा है। वहां पर 500 पुलिस के जवान उपस्थित हैं। मजदूरों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। धारा 144 के नाम पर गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं समझता हूं आज अध्यक्ष महोदय, एशिया में सवाई माधोपुर सीमेण्ट फैक्ट्री का सबसे बड़ा कारखाना है। पांच हजार मजदूर 40 दिन से हड़ताल पर हैं और राज्य सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। अध्यक्ष महोदय, उनके ऊपर धारा 144 लगाकर उस क्षेत्र के अन्दर मजदूरों पर मुकद्दमे चलाये जा रहे हैं। 147, 151 के मुकद्दमें लगाये जा रहे हैं इससे ज्यादा खेद का विषय क्या हो सकता है?

श्री भैरोंसिंह : वहां पुलिस राजस्थान सरकार की नहीं है साहू जैन की पुलिस है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : वहां हुकूमत साहू जैन की है, सुखाड़िया जी की सरकार वहां नहीं है। सुखाड़िया जी की सरकार साहू जैन के पैसों पर बनी हुई है। मुझे भरोसा नहीं है कि सुखाड़िया की सरकार मजदूरों को न्याय दिला सकेगी। आज सवाई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माधोपुर सीमेण्ट फैक्ट्री के मजदूरों का गला काटा जा रहा है। अभी इस हुकूमत ने बंबई में सात दिन प्रस्ताव पास हुए नहीं हुए उसकी स्याही नहीं सूख पाई कि सवाई माधोपुर के मजदूरों पर इस प्रकार राजस्थान की सरकार ने प्रहार किया। राजस्थान की सुखाड़िया सरकार ने इस प्रकार का अपना परिचय दिया है।

अध्यक्ष महोदय, यह आम धारणा है कि जब तक श्री साहू जैन सुखाड़िया जी की पीठ पर है और जब तक साहू जैन ने सुखाड़िया जी की हुकूमत कायम रख रखी है, जब तक साहू जैन ने थैलियों का मुंह खोल रखा है, सरकार को और कांग्रेस को और सुखाड़ियाजी को जब तक मालोमाल कर रखा है तब तक सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री की हड़ताल के बारे में राजस्थान की हुकूमत कोई कार्यवाही करने वाली नहीं है। न तो लेबर डिपार्टमेंट ही कोई कार्यवाही करता है और होम डिपार्टमेंट तो उल्टे मुकद्दमें चलाता है। धारा 144 लगा रखी है और पुलिस के 500 आदमी पटक रखे हैं और नयी नयी भर्तियां करके मजदूरों को डरा धमका कर अशांति और अराजकता की स्थिति पैदा कर रखी है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पर अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए जो सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री में जो रवैया राजस्थान सरकार का आज सेठ साहू जैन के सामने घुटने टेक रवैया इस राजस्थान की सरकार का रहा है यदि यही रवैया रहा तो यह आग सारे राजस्थान में भड़केगी। एक तरफ गंगानगर में आग भड़की है और दूसरी तरफ कोटा धधकता जा रहा है, मजदूरों का गला घोंटा जा रहा है और समाजवाद का नारा लगाते हैं इससे ज्यादा लज्जा की और क्या बात हो सकती है? चाहिये तो यह था कि मंत्री महोदय को यहां सदन में वक्तव्य देना चाहिये, स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहिये था। लेकिन खेद का विषय है कि आज तक राजस्थान की सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की।...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री भैरोंसिंह : कार्यवाही की है। साहू जैन को जो रकम कर्ज के रूप में दी थी और वह जिस समय में चुकानी चाहिये थी उसमें एक्सटेन्शन दे दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे ज्यादा लज्जाजनक और क्या कार्यवाही हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि राजस्थान सरकार प्रभावी कदम उठाएगी और निश्चित नीति की घोषणा करेगी, धारा 144 हटायेगी और जो झूठे मुकदमें चलाये गये हैं उनको वापिस लेने के सम्बन्ध में, पुलिस को तुरन्त हटाने के संबंध में, आतंक और भय का राज्य जो कायम कर रखा है, उसको समाप्त करने की राजस्थान सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को स्टेटमेंट दे देने दीजिये फिर मैं आपको मौका दे दूंगा।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, सीमेंट वर्क्स कर्मचारी संघ, सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 21-11-69 को एक मांग-पत्र जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर के

Page No 47

(श्री भीखा भाई)

के प्रबंधकों को प्रस्तुत किया। मांग-पत्र में 24 मांगें थीं न कि 25 जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है ···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बड़ा पॉइन्ट पकड़ा है।

श्री भीखाभाई : मांग–पत्र के द्वारा दिनांक 15-12-69 से हड़ताल करने का भी नोटिस दिया गया। मांग-पत्र पर समझौता अधिकारी प्रादेशिक सहायता श्रम आयुक्त, भरतपुर ने दोनों पक्षों को समझौता वार्ता के लिये दिनांक 3-12-69 को आमंत्रित किया। परन्तु दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हुए ······

श्री मदनसिंह: Were you there ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह झूठ है।

श्री अध्यक्ष : आप सुनते रहें।

श्री भीखाभाई : ······ अतएव दिनांक 8-12-69 को वार्ता संयुक्त श्रम आयुक्त के समक्ष जयपुर में रक्खी गई ······

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी दूसरे को पढ़ने की अनुमति दे दी जाये।

श्री अध्यक्ष : आप (श्री भीखाभाई) धीरे धीरे पढ़िये।

श्री भीखाभाई : ······वार्ता में दोनों पक्षों ने भाग लिया। प्रबंधकों की ओर से श्री इन्द्रराज के नेतृत्व में कार्य कर रही कार्यकारिणी के सदस्यों से वार्ता करने पर आपत्ति उठाई ······

श्री भैरोंसिंह : आप ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन दूसरे को अनुमति दे दी जाये पढ़ने की।

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा संभल संभल कर बुलन्द आवाज में पढ़ दें।

श्री भीखाभाई :····· दिनांक 13 व 14-12-69 को श्रममंत्री के समक्ष वार्ता भी असफल रही। परन्तु श्रममंत्री के हस्तक्षेप के कारण यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल जो 15-12-69 से होने को थी एक सप्ताह के लिए सरका दी। जबकि एक माह के लिए स्थगित करने के लिए कहा था वहां एक सप्ताह के लिए सरका दी।

दिनांक 21-12-69 की अर्द्धरात्रि से श्रमिक हड़ताल पर गये। हड़ताली श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय कायम नहीं की जासकी क्योंकि हड़ताल के साथ साथ कारखाना भी निरन्तर कार्य करता रहा। श्रम विभाग द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि केवल ग्रेड ए. बी. सी. के ऑपरेटिव्स तथा सेमी स्किल्ड श्रमिक अधिकांश हड़ताल पर थे। आफिसर्स सुपरवाइजरी स्टाफ, क्लर्क्स, स्किल्ड ऑपरेटिव्स तथा कुछ अनस्किल्ड श्रमिकों की सहायता से कारखाना चालू रखा गया। क्वेरी के बारे में भी विभिन्न मान्यतायें थीं। परन्तु क्वेरीज पर भी लगभग 50 प्रतिशत श्रमिक हड़ताल पर थे चूंकि क्वेरीज केन्द्र के क्षेत्र में आती है अतः राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत सूचना देना सम्भव नहीं है ·····

श्री कृष्णकुमार गोयल : सफेद झूठ है।

श्री भीखाभाई : आप बाद में पूछ लीजिए, पहले मैं अपना स्टेटमेन्ट समाप्त कर दूं।

सुरक्षा की दृष्टि से फैक्ट्री एरिया के आस पास प्रारम्भ में जिला अधिकारियों द्वारा पुलिस एक्ट की धारा 30 का प्रयोग किया गया पश्चात् 8-1-70 से धारा 144 लगाई गई।

सामान्यतः हड़ताल शांतिपूर्ण ढंग से चली। हड़ताल को चलते हुए लगभग 38 दिन हो चुके हैं। इस बीच श्रम विभाग तथा केन्द्रीय इन्टक के प्रयत्न समझौता कराने में निरन्तर चालू थे। मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि कल, दिनांक 27-1-70 को दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रबंधकों तथा संघ के केन्द्रीय इन्टक के प्रधान श्री गुलजारीलालजी नन्दा के सद्प्रयत्नों तथा सहयोग से समझौता संपन्न हो गया है तथा दिनांक 29-1-70 के 4 बजे शाम से हड़-ताल समाप्त करने का निश्चय किया गया है। समझौते के विस्तृत विवरण की जानकारी पर उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है और अंत में जो समझौते की बात कही है इस प्रकार के प्रयत्न मालिकों की तरफ से एक ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट दिया गया और उस पर मजदूरों के साइन कराने की पिछली 23 तारीख को भी प्रयत्न किये गये हैं लेकिन लोकल यूनियन जो बाकायदा इलेक्टेड है उन्होंने इन्कार कर दिया और क्योंकि वह एग्रीमेन्ट कोई एग्री-मेन्ट न होकर केवल सरेण्डर था उसकी मेरे पास भी कापी है और अभी जो टेलीफोन पर सूचना मुझे मिली है उसके अनुसार वहां पर हड़ताल जारी है वहां पर मजदूरों के एग्रीमेन्ट के बारे में कोई सूचना नहीं है और जो पहले का एग्रीमेन्ट था उस एग्रीमेन्ट के बारे में वहां के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मेरे सामने यह घोषणा की थी कि जो भी पहले किसी तरह की वार्ता चालू थी वह वार्ता खतम हो चुकी है और इस तरह से कोई वार्ता नहीं है। अभी जो अखबारों में भी समाचार पढ़ा है और मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया उसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि जो यूनियन है उनके पदाधिकारियों ने उस एग्रीमेन्ट पर साइन किये हैं इसलिए यह एग्रीमेन्ट हुआ है या नहीं, मजदूर उसको मानेंगे या नहीं, स्ट्राइक वापिस होगी या नहीं यह बात अभी भविष्य के गर्भ में है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा खासतौर पर जो मुद्दे इस सदन में उठाये गये हैं कि 21 तारीख को हड़ताल का नोटिस दिया गया और श्रममंत्री और गृहमंत्री भूतपूर्व थे नन्दाजी, जो आज इन्टक के चेयर-मैन हैं...उनके हस्तक्षेप से एक हफ्ते के लिए यह स्ट्राइक पोस्टपोन हुआ।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर चुनाव हुए यूनियन्स के। एक यूनियन में मैं समझता हूं कि कुछ पदाधिकारी चुने गये और उस यूनियन को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक ने मान्यता दी। उसकी प्रतिलिपि गवर्नमेंट को भी भेज दी, मालिकों को भी भेज दी, लेकिन मालिकों ने उस चुनाव को जिसको इन्टक की तरफ से मान्यता दी गई थी और उनकी देख-रेख में कराये गये, उसको मान्यता देने से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि हम इन से बात नहीं करेंगे। वह यह चाहते हैं कि हमारे पिट्ठू चुने जायं,

Page No 49

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिसको हम चाहें वह प्रधान बने और जिसको हम चाहें वह मंत्री बने और उनसे बातचीत करने से इन्कार किया। अध्यक्ष महोदय, यह बातचीत का जो प्रयत्न किया गया इसमें उन्होंने उनसे बातचीत करने से इन्कार किया। उस यूनियन से जिसको इन्टक ने रिकग्नाइज किया हैं, नन्दाजी ने रिकग्नाइज किया है बातचीत करने से इन्कार करते हैं। हम इनको रिकग्नाइज नहीं करते हैं। उनसे बातचीत करने से इन्कार किया। इसलिए जो डिमाण्ड्स हैं, जो मांगें हैं 24 उन पर बातचीत शुरू नहीं हुई और इसकी वजह से हड़ताल शुरू हुई है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 21 तारीख को हड़ताल का नोटिस दिया। हड़ताल शुरू होनी थी 15 दिसम्बर को, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वहां पर एस. पी. श्री गुमानसिंहजी ने एक चिट्ठी वहां की यूनियन के प्रेसीडेन्ट श्री इन्दर राज को लिखी 24 तारीख को, तीन दिन बाद और उसमें लिखते हैं :—

Shri Inder Raj Sharma,
Clerk C/o The Jaipur Udyog
Ltd. Sawai Madhopur.

Please refer to your notice No. CKS/SW/M/223/69, dated 21st Nov., 1969 addressed to the Chief Executive (Works) the Jaipur Udyog Limited Sahunagar, Sawai Madhopur and a copy to the undersigned.

In this notice, you have threatened to resort to strike on 15th December. 1969 at zero hours. In this respect it is intimated that if you resort to such uncalled for strike or any disorder which is likely to affect the breach of peace and tranquility, you will naturally be held responsible for such breach and you shall also be liable to consequences which are likely to occur by your such illegal action.

Hope you will abide by the provisions of the law and will not do such thing which is likely to affect law and order situation in the Factory premises as well as Factory colony area.

Sd. Guman Singh
Supdt. of Police.

Copy to the Chief Executive (Works) Jaipur Udyog Ltd. Sahunagar Sawai Madhopur.

अध्यक्ष महोदय, स्ट्राइक का केवल नोटिस देने पर यह लैटर लिखा और एस. पी. ने इसकी कापी वहां के चीफ एक्जीक्यूटिव वर्क्स, जयपुर उद्योग लिमिटेड साहूनगर, सवाई माधोपुर को भेज दी। कोई घटना नहीं हुई, केवल नोटिस दिया और एस. पी. साहब कहते हैं कि तुम इल्लीगल अनकाल्ड फार स्ट्राइक कर रहे हो। उनको थ्रेटन करते हैं और उसकी मालिकों को कापी भेजते हैं। यूनियन की तरफ से अध्यक्ष महोदय, जवाब दिया जाता है कि क्लर्क

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं हूं पर बाकायदा चुना हुआ प्रेसीडेन्ट हूं और इन्टक ने रिकग्नाइज किया है तो उसका जवाब यह एस. पी. साहब देते हैं 1-12 को Shri Inder Raj Sharma C/o M/s Jaipur Udyog Ltd. Sawai Madhopur.

फिर वही कहते हैं -

With referance to your letter No. CKS/SWM/231/69/dated 29-11 69, it is intimated that you might be Lord of Lords but I recognise you as a Law Breaker when you have issued such notice.... .. ....

श्री अध्यक्ष : I recognise as a ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : As a Law Breaker.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : As a Law Breaker.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्होंने कहा था कि क्लार्क नहीं हूं बल्कि चुना हुआ प्रेसीडेन्ट हूं और एक कापी इन्टक की साइन्ड कि मैं इस तरह से रिकग्नाइज्ड हूं।

श्री अध्यक्ष : वह आपने फर्मा दिया आगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I recognise you as a Law Breaker when you have issued such notice for resorting to strike which is likely to cause breach of peace and tranquility thereby endangering lives.

बाद में लिखते हैं -

Now you are once again warned that if you resorted to causing damager to any property or put obstructions to any person or did any other unlawful action which is likely to cause breach of peace and to endanger the lives of the persons and safety of the property, you will have to meet the consequences.

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के हस्तक्षेप करने की कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। मैं यह जानना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि आया यह जो एस. पी. का ऐक्शन था उसके लिए गवर्नमेंट के इस प्रकार के आॅर्डर्स थे या उसने यह जो ऐक्शन लिया है वह एस० पी० ने खुद ने लिया हैं ? अगर एस० पी० ने इस तरह से इन्टरवेंशन किया जब कि कोई घटना नहीं हुई। केवल नोटिस दिया वह भी लीगल नोटिस। अगर स्ट्राइक होगा तो लीगल होगा। अगर इल्लीगल स्ट्राइक है तो वह लेबर डिपार्टमेंट डिक्लेयर करेगा, गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि यह इल्लीगल है। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं किया तो यह बात सही है कि एस० पी० ने यह किया है, वह मालिकों के कहने से किया है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

एक माननीय सदस्य : वह डी. आई. जी. हो गये।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस कारनामे के कारण उनको प्रोमोशन दिया गया होगा। लेकिन जब तक हड़ताल खत्म नहीं करवा देंगे तब तक वे वहीं रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी को हड़ताल शुरू हो जाती है और वहां पर नन्दाजी के प्रयत्नों के बावजूद वह हड़ताल शुरू होती है और नन्दाजी 1 तारीख को वहां पर आते हैं। उससे पहले मालिकों की तरफ से तार दिया जाता है नन्दाजी को कि यहां पर मजदूर उग्र हो गये हैं और आग लगने वाली है, आप इस चीज को रोकें। इस प्रकार की उन्होंने विज्ञप्ति 27 तारीख को निकाली जयपुर उद्योग की तरफ से और उसमें मजदूरों पर इस तरह से आरोप लगाये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, 1 जनवरी को वहां पर नन्दाजी स्वयं आये और उन्होंने वहां पर भाषण दिया। उसके कुछ अंश जिसके बारे में जो गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि कितने लोग हड़ताल पर थे और उनकी तरफ से शान्तिपूर्ण बात चलाई जा रही है, गवर्नमेंट ने भी इस बात को कहा है कि हड़ताल शान्तिपूर्ण चली। हड़ताल अगर शान्तिपूर्ण चली तो, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि वहां के एस० पी० ने पुलिस एक्ट की धारा 30 के तहत वहां पर जलसा करने पर, उनको जुलूस निकालने पर पाबन्दी लगाई और उस पाबन्दी के तहत, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह नोटिस निकाला 26-12-69 को, हड़ताल के चौथे दिन के बाद–

"चूंकि मुझे विश्वास हो गया है और सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर, में चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड नायक महोदय, सवाई माधोपुर की आज्ञा के अनुसरण में यदि जुलूस पर नियन्त्रण नहीं किया गया तो स्थिति गम्भीर हो सकती है। अतः दफा 30 (2) पुलिस एक्ट में एतदर्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं गुमानसिंह, जिला अधीक्षक, आरक्षी विभाग, सवाई माधोपुर, इस विज्ञप्ति के जरिये आदेश देता हूं कि सीमेंट फैक्ट्री और फलौदी क्वेरीज के एरिये में कोई भी किसी प्रकार का जुलूस मुझसे लाइसेन्स प्राप्त किये बिना नहीं निकाला जायगा।"

तो, अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हड़ताल होने के चौथे दिन के बाद भी कोई घटना नहीं हुई किसी प्रकार की तो भी इस प्रकार की पाबन्दी पुलिस की तरफ से लगाई गई है जब कि अधिकार हमारे कांस्टीट्यूशन में मिला हुआ है मजदूरों को प्रदर्शन करने का, जुलूस निकालने का, मीटिंग करने का और शान्तिपूर्ण तरीके से पिकेटिंग करने का···

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पर आइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने (श्री नन्दाजी ने) कहा है कि "बम्बई के अधिवेशन में श्रीमती इन्दिराजी और सुखाड़ियाजी ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि देश में सच्चे रूप से समाजवाद लाया जाय। आपकी यह कार्यवाही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए इस बात की कसौटी है। हमें यह देखना है कि देश में सच्चे रूप में समाजवाद लाने में कौन कितना प्रयत्नशील है।"

उन्होंने कहा, "मैं यहां पर आया तो मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई है कि मजदूर कितनी शान्ति से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां पर प्रशासन के रवैये को देखकर बड़ा दुःख हुआ है जब कि कहने को तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कहते हैं कि जब तक एक एक नागरिक का जीवन-स्तर नहीं उठाया जायगा तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता है। इनको पूंजिपतियों की कठपुतली बनकर नहीं चलना चाहिए। वे जनता के हितों और न्याय की रक्षा के लिए बनाये गये हैं। इनको चाहिए कि वे सच्चाई को देखें। मजदूर पिकेटिंग कर सकते हैं, काम पर जाने वाले मजदूर साथियों को समझा सकते हैं, उसका प्रयत्न कर सकते हैं, गांव गांव में जाकर लोगों को समझा सकते हैं और उसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर इसमें आपको पुलिस रोके तो इसका मतलब यह होगा कि वह कानून नहीं जानती है।"

अध्यक्ष महोदय, फिर उन्होंने कहा है, "सरकार को चाहिए कि वह देखे कि स्ट्राइक क्यों हुई ? इसमें किसकी गलती है ? अगर मजदूरों के पास में पैसा नहीं होता है तो हड़ताल नहीं करेंगे। या तो मजदूर क्रोध में आकर, या बहकावे में आकर या विनाश पहुंचाने के लिए हड़ताल करता है, लेकिन यह हड़ताल क्रोध में आकर, बहकावे में आकर या विनाश पहुंचाने के लिए नहीं की गई है, बल्कि यहां पर हो रहे जुल्म और अन्याय का मुकाबला करने के लिए की जा रही है। आपकी यह हड़ताल न्याय-संगत और वाजिब है और इसको अवश्य कामयाब होना चाहिए।"

अगर इन मजदूरों की मांगों का कोई निर्णय नहीं किया गया और प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला तो हो सकता है कि बंगाल की तरह यहां भी घेराव करने की परिस्थिति पैदा करनी पड़ेगी पूज्य बापू के सिद्धान्त थे अन्याय के आगे नहीं झुकना चाहिये। इन्सान आदर्शों से बड़ा होता है, जुल्मों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : रिलेवेन्ट पोर्शन हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अन्त में उन्होंने कहा "हड़ताल कितनी सफल रही। इसके बारे में आपको बताऊँ कि फैक्ट्री में 2100 में से 134 और फलोदी-में 1800 मजदूरों में से 80 आदमी काम पर जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि बहुमत स्ट्राइक पर है। उन्होंने कहा यहां जो आग लगाने की वारदातें हुई हैं ये सब मेनेजमेंट ने करवाई हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उन को पहले ही कैसे मालूम हो गया कि यहां पर आग लगने वाली है। जैसा उन्होंने तार द्वारा मुझे पहले ही ...."

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से नोटिस देने के तुरन्त बाद पुलिस द्वारा हस्तक्षेप कर दिया गया। पुलिस द्वारा इस प्रकार से हस्तक्षेप करना उनके डेमोक्रेटिक राइट्स पर कुठाराघात है। उन को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि यह सरकार की मर्जी से, सरकार की सलाह मशविरा से किया गया है। 22 तारीख से हड़ताल शुरू होती है। 23 तारीख को या 24 तारीख को, किसी एक दिन में एक तारीख को गृह मंत्री श्री दामोदरलाल व्यास वहां पर जाते हैं। वे वहां जा कर मजदूरों से नहीं मिलते हैं। इन्टक की यूनियन होते हुए भी उनसे बातचीत नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करते हैं। पुलिस बीच में हस्तक्षेप करती है तो भी मजदूरों के प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं करते हैं। रात्रि को बुलाते हैं राठीजी को और एस. पी. को बुलाते हैं और उनको सख्ती से कार्यवाही करने को कहते हैं और उनको पुलिस की सहायता दी जाती है। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, दफा 31 में यह नोटिस जारी होता है। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, 8 जनवरी को एस. डी. एम. दफा 144 लगा देते हैं यानि मजदूर मीटिंग नहीं कर सके। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, वहां पर दफा 144, 8 तारीख की रात को लगाई गई जब मजदूर मिल गेट के सामने बैठ कर पिकेटिंग कर रहे थे, भजन वगैरह कर रहे थे और इधर से धारा 144 रात्रि के दो बजे घोषित की जाती है और वहां रात्रि के दो बजे लाठीचार्ज वहां बैठे हुए मजदूरों पर कर दिया जाता है। उनको कोई टाइम नहीं दिया जाता है और मजदूरों पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। मिल के अन्दर से, मालिकों की तरफ से गुंडों को छोड़ा जाता है और वे मजदूरों पर हमला करते हैं। एस. पी. उनको कुछ नहीं कहता और इसके ऊपर से वे मजदूरों को गिरफ्तार कर लेते है। एस. पी. कहता है फसाद का कारण तुम लोग हो। तुम लोग गेट पर आकर क्यों बैठते हो, मिलते हो और मजदूरों को क्यों खिलाफत सिखाते हो? अध्यक्ष महोदय, एक नहीं, 34 मजदूर लीडर्स को, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर तरह तरह के झूठे मुकदमे चलाये गये। वहां पर उन लोगों को तरह तरह से पिटवाने की कोशिशें की गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि वहां किस तरीके से, वहां पर पुलिस के जरिये, प्रशासन के जरिये इतना ही नहीं बल्कि उन ट्रकों के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, जिसको अनफेअर प्रेक्टिस ट्रेड यूनियन में कहा जाता है, हड़ताल के दौरान में अनफेअर कहा जाता है जब कि तमाम स्थाई मजदूर हड़ताल पर थे, 95 पर्सेन्ट मजदूर हड़ताल पर थे, दूसरे टेम्प्रेरी लेबर को ट्रकों के अन्दर लाना और उनकी भर्ती करना अनफेअर काम है। यह धारा 144 इसलिये नहीं लगाई गई थी कि वहां अशान्ति थी बल्कि इसलिये लगाई थी कि वहां पर मजदूर नहीं रहे और उनको पिकेटिंग नहीं करने दिया जाये। मजदूर अपने साथियों को नहीं समझा सकें और फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री के लिये नई भर्ती कर सकें। पुलिस ने अपने ट्रकों में, जीपों में नई भर्ती भरने में मालिकों का साथ दिया। इन ट्रकों में, जीपों में लोगों को लाया गया और मालिकों का साथ देकर उन लोगों को इनके जरिये फैक्ट्री के अन्दर पहुंचाया गया। इस तरह जो कुछ आदमियों द्वारा काम करने की बात कही जाती है वह टेम्प्रेरी लेबर द्वारा काम करने की बात कही जाती है, जो ट्रेड यूनियन में एक अनफेअर प्रेक्टिस है। जो लेबर अन्दर रह गई उनको वहीं रोक दिया गया, ऊपर रोक दिया गया, जो कुछ आदमी, 80 आदमी थे उनको क्वेरी की पहाड़ी पर रोक दिया गया। पुलिस के अफसर अपनी जीपों में दो-दो आदमियों को बिठाकर ले गये और उनको अन्दर छोड़ कर आये। उन लोगों को जीपों के अन्दर इस तरह से बिठाया मानो वे पुलिस की कस्टडी में हों, गिरफ्तार हों। इस तरह से पुलिस की तरफ से मालिकों को मदद दी गई। पुलिस की मदद से यह सारी कार्यवाई की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करना चाहूंगा, जैसा माननीय श्री सतीश चन्द्रजी ने वहां कहा, वहां पर मजदूरों ने 21 मांगें रक्खीं। इसके बारे में मजदूरों में जबर्दस्त असन्तोष था। पिछले साल भी वहां पीने का पानी नहीं मिला था। तेजा नामक मजदूर वहां पर पानी के लिये तड़फ तड़फ कर मर गया। इस पर जब यूनियन ने असन्तोष जाहिर किया तो यूनियन और मैनेजमेंट में झगड़ा हुआ और बाद में मैनेजमेन्ट ने यूनियन के 22 पदाधिकारियों को सबके सब को निकाल दिया, सर्विस से टर्मीनेट कर दिया। स्ट्राइक में इसके बारे में भी एक मांग है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक पैकिंग विभाग है, डिपार्टमेंट है जिस में सीमेन्ट कट्टों में भरी जाती है, उनके 250 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। इसके अलावा वहां पर बोनस का मामला चल रहा है। पिछले कई सालों से बोनस का पेमेन्ट नहीं किया गया है। वेजेज एक्ट के तहत 30 पर्सेन्ट मजदूरों के वेजेज का उनको मिलना चाहिए बोनस के रूप में। वह उन को अभी तक नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहिये, माननीय सदस्य।

श्री रामानंद अग्रवाल : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सवाई माधोपुर में जाइये। आज सवाई माधोपुर का आम आदमी इस बात को जानता है कि यहां पर राज्य कांग्रेस का नहीं है। यहां पर राज्य साहू जैन का है। यहां पर राज्य राठीजी का है। वहां पर कोई कलेक्टर, एस. डी. एम. या कोई एस. पी. या कोई दूसरा अफसर राठी जी नहीं चाहें तो नहीं रह सकता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य। एक ही बात पर रहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। जयपुर उद्योग के एक एक्जीक्यूटिव लाइजन आफिसर हैं श्री के. एल. जैन जो कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के बहुत निकट सम्बन्धी बने हुए हैं। सुना है कि उन्हें श्रीमती सुखाड़िया ने अपना धर्म भाई बना रखा है···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये श्री के. एल. जैन चाहें जो ऑर्डर साहू जैन के लिये, जयपुर उद्योग के लिये इस सरकार से निकलवा सकते हैं (समय समाप्ति-सूचक घंटी) चीफ सेक्रेटरी भी के. एल. जैन के ऑर्डर को सुखाड़ियाजी का ऑर्डर मानते हैं·······

श्री अध्यक्ष: विषय पर रहिये, माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कांग्रेस समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहती है। बम्बई के अधिवेशन में उसने यह डिक्लेयर किया है कि देश के अन्दर जो मोनोपोलिस्ट हैं···

श्री अध्यक्ष : आप भाषण कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि इस कांग्रेस ने अपने बम्बई अधिवेशन में यह घोषित किया है कि देश के अन्दर जो मोनो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पोलिस्ट्स हैं, देश पर इन मोनोपोलिस्ट्स ने कब्जा कर रखा है, उन हिन्दुस्तान के 75 मोनोपोलिस्ट्स में से एक यह साहू जैन है और यह साहू जैन देश के 5000 मजदूरों का शोषण करता है और ये मजदूर जब हड़ताल पर जायें तो सरकार इसके अन्दर बीच बचाव नहीं करे-यह आश्चर्य की बात है। यह जन कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। जब मजदूरों के पदाधिकारी सुखाड़ियाजी से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। आप इसमें हस्तक्षेप करिये और समझौता कराइये। मालिकों के बजाय मजदूरों को बढ़ावा दीजिये। सुखाड़ियाजी कहते हैं अपनी ही इन्टक के यूनियन के पदाधिकारियों से—आप दोनों पहलवान हैं, जो जीते वह मेरे पास आ जावे। मैं जानना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि क्या जिम्मेदार सरकार का, जो समाजवाद की बात करती है, उसके मुख्य मंत्री का यह कहना उचित है?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस पर मजदूरों ने उनसे यह मांग की कि आप पुलिस को वहां से हटा लें। हमें बराबरी का मौका दें। हम विश्वास दिलाते हैं वहां कोई अशान्ति नहीं होगी। लेकिन यह पुलिस हस्तक्षेप कर के हड़ताल को नाकामयाब करने की कोशिश करती है लेकिन सुखाड़ियाजी ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इसकी चर्चा को जो बार बार रोका जा रहा था, जो डिले किया जा रहा था, जो मंत्रीजी ने यह घोषणा की है बड़े तपाक के साथ कि उनमें एग्रीमेंट हो गया है, हड़ताल खत्म हो गई है, अध्यक्ष महोदय, कोई मजदूरों की मांगों को माना जाकर एग्रीमेंट हो, हड़ताल खत्म हो तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन अगर सरकार मालिकों की तरफदारी करके पुलिस के बल पर मजदूरों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करे, पुलिस के बल पर उनसे सरेन्डर कराने की कोशिश करें, पुलिस के बल पर मजदूरों के घुटने टिकाने की कोशिश करे, पुलिस के बल पर मजदूरों से जबर्दस्ती दस्तखत कराने की कोशिश करे और इस प्रकार एग्रीमेंट करा कर खुशी जाहिर करे तो मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़े मोनोपोलिस्ट्स की सरकार ही ऐसा कर सकती है। मैं समझता हूं, इस सरकार ने इस तरह का रवैया अपनाकर अपने असली चेहरे को सामने रख दिया है कि यह सरकार बम्बई कांग्रेस से गाइडेड सरकार नहीं है, वरन वही पुरानी सिंडीकेट की सरकार है; बड़े बड़े पूंजीपतियों को बचाने और मजदूर विरोधी नीति अपनाने के रास्ते पर चलने वाली सरकार है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सदन के माननीय सदस्यों को कि इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी मुकर्रर करके उसे वहां पर सवाई माधोपुर के अन्दर भेजा जाय, वह वहां पर मजदूरों से इस प्रकार की पूरी जानकारी करे, इन सारे हालात की जानकारी करे कि किस तरह से गवर्नमेंट का रवैया रहा है और वह सब जानकारी करके वह जो रिपोर्ट दे वह इस सदन में पेश कर दी जाय। इस गवर्नमेंट को फौरन कहा जाय, जैसा यह गवर्नमेंट भी कह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रही है कि सब कुछ शांतिपूर्ण है, इसलिए यह अपनी पुलिस को वहां से फौरन हटा लें, पुलिस के हस्तक्षेप को हटा लें, पुलिस ने जो कार्यवाही की है उसके लिए उसके खिलाफ ऐक्शन लें और जो मजदूरों के खिलाफ केसेज चल रहे हैं उन केसेज को फौरन वापिस लिया जाय। इसके साथ ही जो उन मजदूरों की मांगें हैं उन मांगों के सम्बन्ध में मालिक को मजबूर किया जाय कि मालिक मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बातचीत करके फैसला करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, अब तक जो बातचीत की है वह बोगस है, फेक है और मजदूरों के ऊपर दबाव डालकर सारा काम किया गया है। अब असलियत क्या है, वह सामने आयेगी एक दो दिन में। लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि फौरन गवर्नमेंट अपनी पुलिस को विथड्रा कर ले और इस हाउस की कमेटी बना कर उसके द्वारा सारी चीजों की इन्क्वायरी कराकर उसकी रिपोर्ट इस हाउस के सामने पेश करे, इस गवर्नमेंट के एटीट्यूड पर।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। यह जो एग्रीमेंट हुआ है इस पर इन्द्रनाथ के हस्ताक्षर हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: दिल्ली में जो हुआ है उसके लिए कह रहे हैं।

श्री भीखाभाई: पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों में से सैक्रेटरी भी कर सकता है, चेअरमैन भी कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह: कौन है ?

श्री भीखाभाई: हस्ताना।

श्री भैरोंसिंह: इन्द्रनाथ के नहीं हैं ?

श्री भीखाभाई: हस्ताना के हैं।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस हड़ताल में पुलिस का किस प्रकार मालिक के प्रति योगदान रहा है – उसका उल्लेख किया है। मैं उस सम्बन्ध में कुछ न कह कर यह कहना चाहूंगा कि मजदूरों ने जो मांगें उठाई हैं उनकी बुनियाद क्या है ? अध्यक्ष महोदय, आज के एक वर्ष पहले तेजा नाम का एक मजदूर बवेरीज पर पीने के पानी के अभाव में मर गया। उसके मरने की सूचना मजदूरों को मिली। मजदूरों ने उस सम्बन्ध में मांग की कि हमारे यहां पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ झगड़ा हुआ और उस झगड़े को लेकर इन्टक के 22 अधिकारियों को सस्पेन्ड किया गया। यह तो एक तथ्य है जिसको सरकार भी स्वीकार करती है। लेकिन एक तरफ तो मजदूरों पर इस बात का मुकदमा चल रहा है कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों के साथ मारपीट की। लेकिन उन व्यक्तियों को सस्पेन्ड नहीं किया जो व्यक्ति निर्दोष थे, झगड़े से जिनका किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था, इन्टक के उन पदाधिकारियों को सरकार के इशारे पर मिल मालिक ने सस्पेन्ड किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की जानकारी करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से, और सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि आज के कुछ वर्ष पहले पानी के संकट का निराकरण करने हेतु राजस्थान सरकार ने साहू

(श्री भैरोंसिंह)

जैन को दस लाख रुपये का ऋण दिया। दस लाख का जिस समय ऋण दिया, उस समय सरकार ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के अनुसार वहां एक वाटर वर्क्स की स्थापना होगी-इस बात का उल्लेख उसमें किया गया, वहां पर एक फिल्टर प्लान्ट लगेगा-इस बात का भी उल्लेख उसमें था। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि दस लाख रुपये के लोन का कम्प्लीट युटिलाइजेशन हुआ या नहीं? इस बात को देखने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की थी या मजदूरों की थी? अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान की सरकार ने इस पाइन्ट पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण मजदूरों को गन्दा पानी पीने के लिए मिलने लगा, वहां पर पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया तो मजदूरों ने इस सम्बन्ध में अपनी आवाज उठाई कि सरकार से जो पैसा लिया है उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो, मजदूर पीने के पानी के अभाव में मर गया, तो भी इस सरकार की पुलिस ने वहां जाकर मजदूरों के ऊपर लाठी चलाई। यह इस बात का द्योतक है कि जो सरकार का पैसा है, उस पैसे के सदुपयोग के लिए मजदूर डिमाण्ड करते हैं तो उन पर लाठी चलाई जाती है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी पहले फारेस्ट मंत्री थे, जो आज उत्तर देने के लिए यहां बैठे हैं, उन्होंने वजरापुरा और भैंरूंपुरा के फारेस्ट इन दो फारेस्ट और दो माइन्स के कान्ट्रेक्ट इन सेठ साहू जैन को दिये थे, उस समय की उनको जानकारी होगी, उस फारेस्ट को काटने का एग्रीमेंट नहीं था, उस एग्रीमेंट में, जो एग्रीमेंट इन्श्यूस किया गया था। उस एग्रीमेंट के अनुसार जितना पैसा राज्य सरकार को मिलना चाहिए था, वह नहीं लेकर उसमें रिलेक्सेशन किया गया। उसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, सेठ साहू जैन द्वारा वह सारा जंगल साफ कर दिया गया इस सेठ साहू जैन से राज्य सरकार को एक कौड़ी भी नहीं मिली। यह दूसरा पक्षपात राज्य सरकार के द्वारा सेठ साहू जैन के साथ किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो बिल्डिंग स्टोन है, जो बिल्डिंग स्टोन मकान बनाने के लिए आम आदमी लेता है तो उसके लिए उसको ज्यादा रॉयल्टी देनी पड़ती है। उस बिल्डिंग स्टोन की क्वेरी सेठ शांति प्रसाद जैन को दे दी जाय, और वह क्वेरी कन्सेशनल रेट पर दी जाय-मैं समझता हूं इतने बड़े अन्याय का और केस राजस्थान भर में नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, माइन्स एक्ट और फैक्टरी एक्ट में इस प्रकार का प्रॉवीजन है कि जहां पर माइन्स का या फेक्टरी का काम चल रहा हो, जहां पर मजदूर काम कर रहे हों-वहां पर मजदूरों को मैडिकल एड मिले, वहां पर डॉक्टर हो, वहां अस्पताल हो, वहां कम्पाउन्डर हो और वहां पर एम्बूलेंस हो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मजदूरों ने फलोदी के वजरापुरा और भैंरूपुरा में यह मांग की कि यहां पर डाक्टर की नियुक्ति की जाय, मैडिकल एड मजदूरों को प्रोवाइड की जाय, अगर किसी मजदूर के चोट आ जाय तो उसको अस्पताल तक ले जाने की कन्वीनियेन्स के लिए एम्बूलेन्स वहां पर रखी जाय यह क्या उनकी अनुचित डिमान्ड थी? यह अनुचित डिमान्ड नहीं थी। इसके अलावा बोनस का प्रश्न आता है। मजदूर कहते हैं कि उनको चार पर्सेन्ट

(श्री भैरोंसिंह)

के हिसाब से बोनस मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज फैक्टरी में बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में जो हमारी सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनके सम्बन्ध में कई बार इस विधान सभा में प्रश्न खड़ा हुआ है कि सरकार की ओर से कम्पनी में जितने बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में सरकार के प्रतिनिधि मेम्बर हैं वह विजिलेन्ट नहीं रहते हैं, इसी कारण से जो बेलेन्सशीट बनाई जाती है उसमें अतिरिक्त खर्चा बता कर बोनस किस प्रकार से कम दिया जाय इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी का डिस्पेच ज्यादा हो रहा है, सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री की आमदनी ज्यादा बढ़ रही है फिर कौनसा कारण है जिस कारण से जो बोनस चार पर्सेंट से बढ़ाकर बीस पर्सेंट मजदूरों को मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं दिलाया जाय ? यह इस बात का षड्यंत्र है क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, सेठ शांति प्रसाद जैन कांग्रेस पार्टी को चन्दा देते हैं···

श्री मूलचन्द डागा: गलत है। कांग्रेस का क्यों नाम ले रहे हैं ? आपको दे रहा है

श्री भैरोंसिंह: मैं बताऊंगा कि···

श्री मूलचन्द डागा: आपकी बात बिलकुल गलत है। मैं समझता हूं, जनसंघ को ज्यादा दे रहा है चन्दा।

श्री भैरोंसिंह: इस बात को गलत मत कहिये। यह बात इस हाउस में आई हुई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस सदन में जय नारायण व्यास ने यह बात कही है।

श्री मूलचन्द डागा: साहू जैन हमारी पार्टी को चन्दा नहीं देते।

श्री मदनसिंह: पाली की तरफ नहीं पूगा होगा।

श्री भैरोंसिंह: आपको ध्यान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जय नारायण व्यास ने इसी सदन में यह चार्ज लगाया था···

श्री शंकरलाल: यह पहले की बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: बेलेन्स शीट में लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह: बेलेन्सशीट में लिखा हुआ है कन्ट्रीब्यूशन के खाते में कांग्रेस को इतना पैसा दिया। बैलेन्सशीट गलत नहीं है. वहां पर जो सरकारी आफिसर हैं उनके दस्तखत हैं, वह सरकारी आफिसर तो आपके मातहत हैं, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में उनकी नियुक्ति आपके मार्फत होती है। अब प्रश्न आता है, अध्यक्ष महोदय, कि यह बेलेन्स शीट देखने वाले नहीं हैं, इसी कारण से मालिक का कितना खर्चा होता है, बम्बई में वह कितना खर्चा करता है सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर, दिल्ली में कितना खर्चा करता है इस सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी के नाम पर, जयपुर में कितना खर्चा करता है इस सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी के नाम पर, कन्ट्रीब्यूशन में कितना खर्चा किया जाता है इस सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी के नाम पर, और अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि थैले छोटे बना कर सवाई माधो-

(श्री भैरोंसिंह)

पुर सीमेंट फैक्टरी सीमेंट कम भर कर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर पैसा कमाती है— उसको राजस्थान की सरकार जानती नहीं है। लेकिन जो मुनाफा आता है वह मजदूरों को मिलता नहीं है— यह प्रश्न गम्भीर है। जितनी भी सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी की बेलेन्स शीट है, जितनी भी बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट है— उनके सम्बन्ध में आवश्यकता इस बात की है कि जहां आप आज बड़े बड़े सेठों की जांच कराने के लिए तैयार हैं, वहां मैं राजस्थान की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन बेलेन्सशीट की जांच करने के लिए एक जुडिशियल इन्क्वायरी अपाइन्ट की जाय, एक कमीशन अपाइन्ट किया जाय तो पता लगेगा कि राजस्थान की सरकार के इशारे से, राज्य सरकार से मिल कर सेठ शांति प्रसाद जैन ने सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी के नाम पर कितना बड़ा बंगलिंग किया है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी, जिस वक्त डालमिया ग्रूप की जांच हुई, उसमें सेठ शांति प्रसाद जैन भी थे, लेकिन उनका क्लेरीफिकेशन देने के बाद भी सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी का स्पष्टीकरण नहीं कर सके। वह चार्ज आज भी है। मैं कहना चाहूंगा राजस्थान सरकार ने साठ लाख का कर्जा इस सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी को दिया है, उस कर्ज का आज तक भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन उसको इस राजस्थान सरकार ने बीस लाख का कर्जा और दे दिया है। उसकी किश्त का इन्स्टालमेंट ड्यू था, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। आज राजस्थान की सरकार गंगानगर में और बाकी की जगहों के किसानों पर इसलिए डण्डे मार रही है कि वह लगान नहीं देते हैं। इस सरकार ने आर्डिनेन्स जारी करके आन्दोलन करने वाले लोगों को जेलों के सींखचों में डाल दिया है, लेकिन इस सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है कि सेठ शांति प्रसाद जैन से इन्स्टालमेंट समय पर वसूल किया जाय। सरकार द्वारा उससे जुर्माना वसूल करने का सवाल नहीं है, इस बात की चिन्ता है कि टाइम का एक्सटेन्शन दिया जाय। एक गरीब आदमी टाइम पर पैसा नहीं दे सके तो कोई चिन्ता नहीं, लेकिन जो मजदूरों का शोषण करते जाय, सरकार के कोष में कितना ही घाटा क्यों न हो, उनको समय पर पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है। यहां जिस व्यक्ति का नाम लिया गया था श्री इन्दरराज का, नन्दाजी ने इन्दरराज को रिकोग्नाइज्ड यूनियन का अध्यक्ष माना है और यह लिखा है कि इन्दरराज के माध्यम से समझौते की बात की जाय। लेकिन आज स्थिति यह है कि बृज सुन्दरजी और नन्दाजी एक तरफ हैं और सुखाड़ियाजी, दुर्गावतजी और सेठ साहब एक तरफ हैं, ये चाहते हैं कि इन्दरराज को इग्नोर किया जाय। इन्दरराज समझौता करने के लिये तैयार होते हैं उससे पहले दुर्गावतजी वहां जायं और कहते हैं कि दुर्गावतजी, सुखाड़ियाजी और सेठ साहब जिस यूनियन को रिकोग्नाइज करते हैं उसकी मार्फत समझौता किया जाय। इसलिये मजदूर समझौता नहीं चाहते हैं कि सरकार ने अपना समर्थन सेठ को दे रखा है। अपनी मांगों के समर्थन में मजदूर हड़ताल का हथियार लेकर चलते हैं तो मजदूरों पर पुलिस द्वारा अत्याचार किये गये। पुलिस ने जो मजदूरों के साथ ज्यादती की है, उसकी जांच करवा कर जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाई जाय, जिन मजदूरों को इस

(श्री भैरोंसिह)

हड़ताल के कारण सस्पेन्ड किया गया है उनको वापिस नौकरी पर लिया जाय, जिन मेडिकल एड आदि सुविधाओं के मजदूर मुस्तहक हैं, वह सारी फैसिलिटीज उनको दी जायं, उनकी पानी की सुविधा के लिये जो पैसा दिया है उसको युटिलाइज किया जाय, मजदूरों को बोनस दिलाये जायं, इस सारे मामले को जांच के लिये एक जांच कमीशन मुकर्रर किया जाय, यह मांगे मैं सरकार के समक्ष रखता हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसमे जो बिजली का 20 लाख रुपया है, बकाया वह भी वसूल किया जाय ।

श्री मूलचन्द डागा : किससे ?

श्री रामचन्द्र आर्य : शान्ति प्रसाद जैन से ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर । मंत्री महोदय ।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

आॅर्डर आॅर्डर…

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाई माधोपुर क्षेत्र में यह सीधी सी धारणा बनी हुई है कि जिला सवाई माधोपुर और खासतौर से सवाई माधोपुर तहसील आजादी से पहले जिस प्रकार का उपनिवेश था, उसी प्रकार से उपनिवेश बना हुआ है, वह पहले भी गुलाम था और आज भी सेठ का गुलाम बना हुआ है । मोहनलाल राठी और मोहनलाल सुखाड़िया नाम एक हैं, व्यवहार एक है। अभी 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस मनाया गया पिछले साल वहां गणतन्त्र दिवस मनाया गया तो मैं तो देखकर हैरान हो गया । मैं जन प्रतिनिधि होकर भी कौने में बैठा, मोहनलाल राठी को आते ही कलेक्टर ने जो कि उसकी अध्यक्षता करने के अधिकारी थे, उन कलेक्टर ने राठी को अपनी जगह पर बैठाया ।

वहां बाकायदा अफसर, अधिकारी, कर्मचारी सलामी करते हैं, वहां कोई फरक नहीं दिखाई देता कि जिला प्रशासन और सीमेंट फैक्टरी के मैनेजमेंट में क्या फरक है ? साथ ही राज्य सरकार का वरदहस्त सीमेंट फैक्टरी और सीमेंट फैक्टरी के मालिकों पर है, वहां मजदूरों को क्या आशा हो सकती है । मैं कह सकता हूं कि वहां मजदूरों की ऐसी बदतर दशा है कि वैसी शायद ही हिन्दुस्तान की किसी और फैक्टरी के मजदूरों की होगी।

वहां मजदूरों ने अपनी मांगों को मंजूर करवाने के लिये आन्दोलन किया । अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बुनियादी फरक वहां यह चल रहा है कि वहां सेंटर इन्टक के चुनाव नंदाजी के सुपरविजन में कराये गये । सेन्टर के असिस्टेन्ट सक्रेटरी मुकर्जी वहां पर आये और उन्होंने इलेक्शन सेंटर इन्टक का करवाया । जिसका बहुमत था उस बहुमत से इन्दरराज को अध्यक्ष बनाया गया और मुकर्जी ने अपने चुनाव परिणामों को लेकर कमिश्नर, असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर, कलेक्टर जिला प्रशासन अधिकारी को भेजे, पर मैनेजमेंट उसे रिकोग्नाइज नहीं करता है, जब मुकर्जी ने इलेक्शन करवाये तो दुर्गावत साहब जिनके बारे

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

में यहां व्याख्या हो चुकी है, जो राजस्थान में ऐसे मामलों में नामी गिरामी हैं, वे वहां पहुंचते हैं और एक कमरे में बैठकर कार्यकारिणी की घोषणा करते हैं। 134 लेबर अन्दर थे बाकी सब बाहर। फलौदी क्वेरी के 1800 मजदूरों में से केवल 80 परमानेंट लेबर उनके साथ थे बाकी सब उनके खिलाफ।

बैलेट लिया गया तो 1600 मजदूर स्ट्राइक के पक्ष में थे और विपक्ष में केवल 13 आये वास्तव में मजदूरों पर होल्ड रखने वाली जो संस्था है, चुनावों के बाद भी मैनेजमेंट उसे रिकोग्नाइज नहीं करता है। 100-50 मजदूर जो कि मालिक की मर्जी के हैं उनकी यूनियन बना ली जाय और उसको मैनेजमेंट रिकोग्नाइज कर लेता है, इसको मैं तो सरकार की कमजोरी मानता हूं मैं इसे सरकार के श्रम विभाग की कमजोरी समझता हूं। वह उनको बाध्य नहीं कर सकता कि वास्तव में जिस यूनियन का नंदाजी के सुपरविजन में चुनाव हुआ है, उस यूनियन को रिकोग्निशन दे। दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में इन्दरराज को यहीं बात करने के लिये बुलाया गया और सैक्रेटरी आये तो उन्होंने इन्दरराज के साथ एक टेबल पर बैठने से इन्कार कर दिया। यह स्थिति है आज सरकार की और लेबर डिपार्टमेंट की।

आज वर्षों से मजदूरों के बोनस का मामला चलता आ रहा है। फर्स्ट वेज बोर्ड ने फैसला किया था, सेकिन्ड वेज बोर्ड ने फैसला किया था उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, केवल 4 परसेन्ट बोनस मजदूरों को दिया गया जबकि बोनस 20 परसेन्ट से कम नहीं होता है। बैलेंस शीट में अनाप-शनाप खर्चा बताया जाता है, 66–67 में 12 लाख का खर्चा परचेज आफ जीप एण्ड मोटर पार्ट्स का बताया गया। अभी लेबर में बोनस का मामला चला तो यह साबित हुआ कि 12 लाख में 60 जीपें खरीदी गई थीं उनमें से एक भी काम में नहीं आई, पूछा गया कि कहां गईं तो कहा गया कि चुनावों के लिये दे दी, केवल यही नहीं लेबर का अनाप-शनाप पैसा चन्दे के रूप में दे दिया जाता है, 16 लाख की चन्दे की रकम बैलेंस शीट में बताई गई है, 15 लाख 67 में चन्दे के रूप में बैलेंस शीट में बताया गया। इसमें किसी को शक हो तो बैलेंस शीट देख लें। जो रुपया मजदूरों को बोनस के रूप में मिलने वाला था उसको कम करने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। वास्तव में आज मैनेजमेन्ट सरकार पर छाया हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम चन्दे के रूप में कांग्रेस को देता है......

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब वार्ता भंग हो गई तो मजदूरों के पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं था कि स्ट्राइक पर जायें। बैलट ले लिया गया, रेजोल्यूशन की कापी आपके पास भेजी पर मैनेजमेंट की सांठ-गांठ वहां के जिला प्रशासन और राज्य सरकार के साथ है, इसका प्रत्यक्ष सबूत श्री रामानन्दजी ने पढ़कर सुनाया। जो रेजोल्यूशन पास किया, उसमें जिलाधीश लिखते हैं इन्दरराज क्लर्क, नन्दाजी तो इन्दरराज को अध्यक्ष लिखते हैं और जिलाधीश उनको

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

क्लर्क लिखते हैं, इससे पता चलता है कि वहां आज सत्ता जिला प्रशासक की नहीं, सवाई माधोपुर फैक्टरी के मैनेजमेंट की है मैनेजमेंट जिला प्रशासन पर हावी है। सवाई माधोपुर से फ्रंटियर में बैठने के लिये गृह मंत्रीजी और दूसरे मंत्री गये थे, 25 तारीख को न मालूम उनके साथ क्या बातचीत हुई कि 26 तारीख को पुलिस एक्ट की दफा 3 के तहत वहां जलसे आदि पर बान लगा दी। 7 तारीख से दफा 144 लगा दी, उसके शब्दों को पढ़ें जिससे पाबन्दियां लगाई हैं तो उससे साफ पता चलता है कि जैसे मजदूरों को उनके घरों में ही बन्द कर दिया गया। घर के बाहर दो आदमी साथ नहीं जा सकते, साथ में पैन नहीं लेजा सकता, कुछ भी बोल नहीं सकता, इस प्रकार की पाबन्दियां मजदूरों पर लगा दी गईं।

(1 म. प.)

तो जब इस प्रकार का सवाल आता है, ट्रेड यूनियन्स एक्ट के तहत कुछ फंडामेंटल अधिकार दिए हुए हैं कि जब हड़ताल होती है तो मजदूरों के क्या क्या अधिकार हैं, जुलूस निकालने का अधिकार है, मीटिंग करने का अधिकार है, सब पर पाबन्दी लगा दी। जहां राज्य सरकार सुने नहीं, मीटिंग्स पर पाबन्दी हो······

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर एक महीने तक शांतिप्रिय रहे·······

श्री रामनारायण चौधरी : 7 तारीख को क्या किया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 7 मार्च को सरकार ने जयपुर में गोली चलवाई, 7 जनवरी को सांगरिया में गोली चलाई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

(शोरगुल)

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 7-8 बजे जब गरीब लोग काम कर रहे थे तो एक आदमी आया और वार किया। एक मजदूर की नाक से खून निकला और बेहोश पड़ गया। उस पर मजदूरों में उत्तेजना होना स्वाभाविक था। मजदूरों ने मांग की थी कि उसको गिरफ्तार किया जाय, वह अन्दर फैक्टरी में भाग गया। उन्होंने कहा कि हम जरूर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और गिरफ्तार करेंगे। 7 बजे सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, न केस रजिस्टर किया गया। 8 तारीख को एस० पी० वहां पहुंच गये और उनसे भी कहने लगे कि आपको ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना चाहिए, आपकी आंखों के सामने बेहोश रहा, आप उस आदमी, जिसने ऐसा अपराध किया, को गिरफ्तार क्यों नहीं करते ? कुछ भी जवाब नहीं दिया। मजदूरों ने नारे लगाए कि गिरफ्तार कराकर रहेंगे, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। तो शांति भंग हो गई, 7 तारीख की रात को 2 बजे एकदम धारा 144 ·····

श्री रामनारायण चौधरी : पाइप लाइन को तोड़ डाला।

(व्यवधान कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आगे आगे तो अनाउसमेंट करते जा रहे थे और पुलिस के ट्रक भरे हुए थे, एकदम ······

(शोरगुल लगातार घंटी)

Page No 63

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर में वैसे तो सीमेंट फैक्टरी एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है लेकिन जो हालात हैं, जो इस प्रकार की पोलिसी बना रखी है····

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसे मामलों में सरकार का समर्थन करता हूं।

आप ····

(शोरगुल / अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। स्थान ग्रहण करें। पर्याप्त हो चुका।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह साहू जैन की तरफ से वकालात करते हैं·······

श्री अध्यक्ष : समाप्त हो चुका। मैं भाषण एलाउ नहीं करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य देश की संपत्ति की रक्षा को मानते हैं और वह ऐसी कार्यवाही को प्रोत्साहन दें तो ·······

श्री भैरोंसिंह : हम तो आपको आज तक समाजवादी मानकर चले थे।

(शोरगुल)

श्री मदनसिंह : आप इस सरकार को डुबोना चाहते हो?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है राजस्थान में। अगर कानून व व्यवस्था भंग होती है तो सरकार का कर्त्तव्य है कि ··

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : आप सरकार को डुबोना चाहते हो।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार रक्षा नहीं करेगी?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : शांति व व्यवस्था के लिए धारा 144 लागू की जाती है····

श्री रामनारायण चौधरी : बिल्कुल ठीक है, की जानी चाहिए थी। एन्फोर्स करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। (श्री हरिबल्लभ शर्मा से) अगर आप समाप्त नहीं करेंगे तो मुझे समाप्त करना पड़ेगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : धारा 144 इसलिए लागू की गई थी कि······

(व्यवधान कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि हम क्या करें?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहली बार बोले जीप, दूसरी बार बोले ड्राइवर, तीसरी बार बोले पैट्रोल, इतनी चीजें तो मिल गई।

(शोरगुल)

श्री हरिबल्लभ शर्मा : उसका कारण यह था कि जब मिल बंद हुई तो मजदूर कलेक्टर के पास गए···

अध्यक्ष : आर्डर।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जीपें भर भर कर मजदूरों को अन्दर प्रवेश कराया, इसलिए धारा 144 लागू की गई।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको मालूम है कि वहां एस० पी० पीटा गया ? पानी की पाइप लाइन तोड़ी गई ?

(शोरगुल)

श्री हरिवल्लभ शर्मा : एक को तो मेरे सामने गिरफ्तार किया......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें, पर्याप्त हो चुका। मंत्री महोदय।

(शोरगुल)

स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जो गिरफ्तार शुदा मजदूर हैं, उनके मुकदमें वापस ले लिए जायें। या तो भीखाभाई खड़े होकर कहें कि फलां मांग नावाजिब है, वरना सारी की सारी मांगें वाजिब हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

(श्री हरिवल्लभ शर्मा के बोलते रहने पर) दो मिनट लेते हैं, तीन मिनट लेते हैं, चार मिनट लेते हैं.....

मेजर श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : ये इस क्षेत्र के पड़ौसी हैं, उनको अधिकार है बोलने का.....

श्री अध्यक्ष : डिबेट का अधिकार नहीं है, फिर भी मैं लिबरल हो गया हूं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : राज्य सरकार को देखना चाहिए कि जो नाजायज काम जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किये हैं, वे इस रवैये को बदलें, मजदूरों की वाजिब बातों की तरफ ध्यान दें......

(शोरगुल)

दोषी है तो निश्चितरूप से मुकदमें चलायें लेकिन यह नहीं कि धारा 144 का बहाना लेकर मजदूरों को पकड़ कर जेल में ठोंसें। जेल में 14 मजदूरों को इस सर्दी में एक कम्बल भी ओढ़ने को नहीं था। जो समझौते की बात है, समझौता नहीं हुआ है। मांग में फंडामेंटल चीज यह है कि जो चुनाव कराकर कार्यकारिणी बनी, उसको रेकग्नाइज किया जाय पहली मांग है, तो आगे समझौता हो।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, जो सीमेंट का कारखाना है, वह एक बहुत बड़ा उद्योग है और महत्वपूर्ण उद्योग है। हड़ताल के इस झगड़े को लेकर राष्ट्रीय क्षति हो रही है, उस पर हम सभी को चिंता है। इस कारखाने को राज्य सरकार द्वारा कई लाखों रुपए की एक बड़ी धनराशि का लोन दिया हुआ है, कई प्रकार के कन्सेसन्स का यह कारखाना उपभोग करता रहा है, लेकिन इस सदन में इस कारखाने को लेकर कई तरह के प्रश्न कई बार उपस्थित हो चुके हैं, बारबार यह इल्जाम लगाया जाता है कि जो रुपया राज्य सरकार से जिस काम के लिए दिया गया उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ। इस बात का सबूत था कि पानी के रुपए जो दिए गए, वह पानी पर खर्च नहीं किये गये और एक मजदूर प्यास के मारे मर गया। यह कोई कम गंभीर बातें नहीं हैं।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

इस तरह बैलेन्स शीट को लेकर जो बातें कही जाती हैं, वह भी अत्यन्त गंभीर हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान और मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि जो इस तरह की उनकी बैलेन्स शीट्स हैं, हिसाब हैं, उनकी पूरी तरह से जांच की जाय, न उनको बोनस मिलता है, न डॉक्टरी व्यवस्था है। इस समाजवादी युग में हजारों लोगों को तकलीफ हो और एक व्यक्ति अनाप-शनाप मुनाफा ले, यह बर्दास्त नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि उन मजदूरों को लाभ पहुंचाया जाय।

श्री मदनसिंह : यह समाजवाद की आवाज है।

एक माननीय सदस्य : इन्डीकेट सिन्डीकेट का झगड़ा है।

(1.10 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में विशेष निवेदन नहीं करना है लेकिन इतना कहे बिना नहीं रह सकता कि इस बहस की वास्तविकता बहुत कुछ घट गयी है। सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुपस्थिति में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को एड्मिट करना और बहस करना वह अवास्तविक बहस है, अनरियल डिस्कशन इस सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ हो यह अनुभव करता हूं। मुझे विशेष तो निवेदन नहीं करना है। माननीय सदस्य जिन्होंने ध्यान आकर्षित किया है वे मेरे दल के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जो कुछ बात कही उसके प्रति पूर्ण सहानुभूति है। जब मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, जब वहां पीने के पानी की व्यवस्था न हो, जब मजदूरों को साधारण सुविधायें भी न दी जायं और जो धनराशि दी गयी हो उसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी न की जाय तो मेरे ख्याल में यह सरकार इस तरफ बिलकुल बहरी होकर बैठी रहती है और प्रशासन पर गम्भीररूप से ऐसे आरोप लगाये जायं कि सीमेन्ट फैक्टरी के कर्त्ताधर्त्ता को हर तरह की मदद और सहानुभूति निश्चित रूप से दी जा रही है, मेरे ख्याल से यह समाजवाद की अवहेलना की पराकाष्ठा ही नहीं, किन्तु सामान्य न्याय की अवहेलना हुई स्पष्टतया प्रदर्शित हो रही है यह कहे बिना नहीं रह सकता। इतना ही निवेदन करूंगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विशद्रूप से प्रकाश डालेंगे और जो माननीय सदस्यों के द्वारा मांग की गयी है कि ये सब समस्यायें ऐसी हैं जो मोहताज जांच हैं, उन पर जुडीशियल इन्क्वायरी होकर सरकार व्यवस्था करने को तत्पर हो।

श्री मदनसिंह : माननीय सभापति महोदय ... ...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : विरोधी पक्ष के नेता ने कहा मैं उन्हें एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : चीफ व्हिप।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप और आपकी पार्टी सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों ने मांगें रखी हैं, उनको स्वीकार करते हैं क्या और उन पर विश्वास करते हैं क्या? आपकी पार्टी के लोग कारखाने चला रहे हैं क्या वहां भी आपने इसमें विश्वास किया है कि मजदूरों की मांगें वाजिब हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मुख्य सचेतक महोदय, एक बात बता दूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

(शोर गुल)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं तो विरोधीदल के नेता महोदय से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं क्या आपकी पार्टी उन सिद्धान्तों में विश्वास रखती है ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल : हम तो स्वागत कर रहे हैं उन बातों का।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय

This is not a question between the opposition and the Mantri......

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो सामान्य न्याय का तकाजा है। क्या मजदूर स्वतन्त्र पार्टी के नहीं हैं ? क्या उनकी मांगों की स्वतन्त्र पार्टी अवहेलना करती है ? बड़े से बड़ा पैसा खा जाय तो क्या स्वतन्त्र पार्टी

(व्यवधान, शोरगुल)

उसका समर्थन कर सकती है ? यह सामान्य न्याय है और सामान्य न्याय को मानते हुए मेरे ख्याल में जो देश में समाजवाद के द्वारा सामान्य न्याय किया जा सके, इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन गरीब और अमीर के बीच में, तो उसके बीच में स्वतन्त्र पार्टी हरगिज नहीं आवेगी और उसका समर्थन करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं मुख्य सचेतक महोदय से पूछना चाहता हूं......

श्री सभापति : आप निवेदन कर चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे कम से कम मजदूर नेता भी हैं, वे कम से कम भूलें नहीं, आप विरोध में बोलिये या पक्ष में बोलिये, हम जानना चाहते हैं कि इस आन्दोलन में सरकार का जो रवैया रहा है उसको दुरुस्त समझते हैं क्या ? क्या मजदूरों की मांगें न्यायपूर्ण नहीं हैं ? इन्द्रराज जी चुनाव में जीते, उन्हें मान्यता दी, उसको स्वीकार करते हैं या नहीं ? आप मुंह बंद किये क्यों बैठे हैं ? आपको तो मजदूर नेता होने के नाते इन बातों को लेकर उठाना चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री भीखा भाई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं मांगों का समर्थन करता हूं। मैंने तो जानकारी चाही थी कि क्या स्वतन्त्र पार्टी का रुख

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बदल गया है ? ये समाजवाद और मजदूरों की मांगों का समर्थन स्वतन्त्रपार्टी कब से करने लग गयी है ? करोड़पति और बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनके कारखानों के मजदूरों की मांगों का समर्थन भी कभी करवाया है ? वरना हमारी तो मजदूरों से पूर्ण सहानुभूति और समर्थन है। हम उनकी हर मांग के लिए लड़ेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि दुरुपयोग करेंगे तो स्वतन्त्रपार्टी विरोध करेगी। यदि कोई कम्युनिस्ट है और पैसे वाले हैं तो जो व्यवस्था है उसमें उनको पैसा रखने का अधिकार है और स्वतन्त्रपार्टी को यदि गवर्नमेंट धन का सदुपयोग करती है तो कोई विरोध नहीं है लेकिन आप ...

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके बड़े बड़े पूंजीपति सदस्य हैं। आपने और उन्होंने तो आज तक नहीं कहा कि मजदूरों का समर्थन करते हैं उनकी मांगों का ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बार बार कहा।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल व्यास : आज तक सहयोग नहीं दिया। आपकी पार्टी के बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स सदस्य हैं आपको चाहिये उनको इस प्रकार की शिक्षा देकर मजदूरों के हितों की रक्षा करें।

श्री भैरोंसिंह : सचेतक महोदय, एक बात बता दें किस बात का समर्थन स्वतन्त्र-पार्टी नहीं कर रही है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि मजदूरों को अपनी न्यायोचित मांगों के लिए न्याय नहीं मिलता है, उनको सहूलियतें नहीं मिलती हैं तो उसके लिए बराबर स्वतन्त्र पार्टी पहल करेगी और मजदूरों के जन्म-सिद्ध अधिकारों को प्राप्त कराने के लिए बराबर प्रयत्न करेगी। मुझे यह पता नहीं कि इन्डीकेट और सिन्डीकेट के पचड़े में पड़ कर आपकी नीति क्या है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारी नीति तो स्पष्ट है। हम इन्दिरा गांधी के समर्थन में बराबर चल रहे हैं। आप सिन्डी-केट में विश्वास करते हैं आपके विचार बदल गये हैं क्या ?

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज

श्री गिरधारीलाल व्यास : सिन्डीकेट तो खिसक रही है, आपको भी खिसकना पड़ेगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : न सिन्डी-केट न इन्डीकेट। हम हर चीज की उचित राय जाहिर करेंगे।

एक माननीय सदस्य : डुप्लीकेट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सिन्डी-केट और इन्डीकेट के पचड़े में आप पड़ चुके हैं और आप बदतर से बुरी दशा को प्राप्त करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हम तो सिन्डीकेट से निकल चुके हैं।

Page No 68

श्री जयनारायण सालोदिया : आप तो पूरे दलबदलू हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपका अस्तित्व आज भी खत्म हो रहा है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो पुलिस का रवैया रहा है, शान्तिपूर्ण हड़ताल चली उसमें पुलिस और एस. पी. का हस्तक्षेप रहा, धारा 30 लगाई, धारा 144 लगाई। गिरधारीलाल जी व्यास मजदूरों के नेता हो आप क्या कहते हो ? क्या इन्डीकेट शान्ति-पूर्ण हड़ताल चल रही थी उसमें पुलिस से दखल कराये यह वाजिब है ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह दांता।

श्री मदनसिंह : इस सारे डिस्कशन में करीबन करीबन सब की यह राय रही है कि एक कमेटी बननी चाहिये और उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करानी चाहिये। और इन्क्वायरी से मालूम होगा कि क्या क्या अन्याय हुआ है ?

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मदनसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की जानकारी है कि पुलिस ने अन्याय किया है। पुलिस ने फोन किया तब मैं मन्त्री महोदय श्री बृजसुन्दर के पास था

श्री सभापति : आप मौके पर थे !

श्री मदनसिंह : मैं उनके टेलीफोन के पास था।

श्री मोहनलाल मोदी : आप क्या करने गये थे ?

श्री मदनसिंह : मैं आपकी जड़ काटने गया था। मैं वहां मौजूद था।

श्री मोहनलाल मोदी : (शोरगुल में अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : एस. पी. का टेलीफोन आया तो बृजसुन्दरजी ने कहा कि आंदोलन को मत एक्साइट करो। आन्दोलन वालों का हक है वे मांगों के लिये बैठ सकते हैं और आखिर में कहा कि···

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं वह कहिये। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री मदनसिंह : राजस्थान में जितने शांतिपूर्ण आंदोलन होते हैं, वह पुलिस के द्वारा भड़काये जाते हैं। एक अच्छे ढंग से आंदोलन होता है तो पुलिस हस्तक्षेप करके इस प्रकार की बात पैदा करती है। इस तरह की बात होती है आई एम लॉर्ड आफ लॉर्ड्स। गुलजारीलालजी नन्दा, होम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कह सकते थे तो उनमें और मजदूरों में क्या फर्क है ? गरीब आदमियों का आंदोलन होता है तो पुलिस से भड़का कर इस तरह का वातावरण बनाया जाता है इसकी जांच होनी चाहिये कि किसके द्वारा आंदोलन भड़काया गया।

श्री सभापति : माननीय भीखाभाई।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री): सभापति महोदय, अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने··

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मैंने इस बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है····

श्री रामचन्द्र आर्य : हम उसका जवाब मुख्यमन्त्री जी द्वारा सुनना चाहते हैं सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। जो भीखाभाई कहते हैं बिलकुल सही नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी के मुंह से कहलवाया जाय।

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर··

श्री रामचन्द्र आर्य : दूसरे मंत्रियों को बुलवाया जाय ये तो भीखाभाई हैं भीख के ही पात्र हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, ये पावरलेस मन्त्री हैं। इसका जवाब गृहमंत्री, या मुख्यमंत्री से दिलवाया जाय ··

एक माननीय सदस्य : यह बिलकुल गलत बात है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं सही कह रहा हूं जो भी ये कहेंगे उसके कोई मानी नहीं होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है उनमें श्री श्रवणलालजी का भी स्थगन प्रस्ताव है अतः इनको बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : श्री श्रवणलालजी बहुत ही संक्षेप में आप कहेंगे। वेरी ब्रीफ।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : सभापति महोदय, माननीय भीखाभाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी तो वैसे ही पोजीशन खराब हो रही है, ये क्या जिम्मेदारी से जवाब देंगे। ये कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते इसलिये इसका जवाब मुख्यमंत्री जी से दिलवाया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री बृजसुन्दर शर्मा इसीलिये नहीं आये हैं कि उनको धमकी दी गई है कि अगर हाउस में उन्होंने मजदूरों की मांगों का समर्थन किया तो उनसे लेबर का पोर्टफोलियो छीन लिया जायगा। इसीलिये वे सदन में मौजूद नहीं हैं। जो बृजसुन्दर शर्मा अपने को लेबर लीडर मानते हैं वे इसीलिये सदन में मौजूद नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : उनको तो 29 तारीख को जवाब देने का था।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : सभापति महोदय, सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी की हड़ताल गत दिसम्बर की 21 तारीख से चल रही है ····

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है, इन मंत्रीजी से यह मामला संबधित नहीं है श्रममंत्री सदन में उपस्थित नहीं है। यह बड़ा गम्भीर मामला है इसमें भीखाभाई का कुछ भी कहना कोई महत्व नहीं रखता इसलिये अन्य मंत्रियों को बुलाया जाय और इसका उत्तर मुख्य मंत्री जी से दिलवाया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री सभापति . ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसी सरकार के सामने ऐसी ही व्यवस्थाओं के प्रश्न हुआ करते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह ऑर्डर नहीं तो डिसआर्डर जरूर है।

श्री श्रवणलाल : वहां के मजदूरों ने 21 दिसम्बर की रात से हड़ताल शुरू की है, उन्होंने अपनी 24 मांगों को लेकर हड़ताल प्रारम्भ की थी ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य इस मामले पर काफी प्रश्न डाल चुके हैं। आप जानकारी चाह सकते हैं, भाषण मत दीजिये।

श्री श्रवणलाल : वहां के मजदूरों को अपनी मांगों के बारे में किस प्रकार से कुचला जाता है। हमारी सरकार की यह नीति रही है कि एक पूंजीपति को प्रोत्साहन दिया जाय जिस पूंजीपति के बल पर आज की यह सरकार चल रही है। वहां के अधिकारीवर्ग ने उनके साथ मिलकर मजदूरों का जो दमन किया है, वह बहुत दुखप्रद है। सेठों के बल पर कूदने वाले...

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारें में स्टेटमेंट हो चुका है इसके बाद इस सम्बन्ध में जो कुछ प्रश्न करने हों वे किये जा सकते हैं। माननीय सदस्य जो भाषण कर रहे हैं केवल पूंजीपति की बातें कर रहे हैं इस हड़ताल के सम्बन्ध में न तो यह कोई प्रश्न है। अतः इनसे यह कहा जाय कि अपना भाषण न कर केवल प्रश्न ही पूछें।

श्री मदनसिंह : यह तो उधर से ही शुरू किया है क्या जरूरत थी इसमें स्वतन्त्र पार्टी के क्या सिद्धान्त है यह बात लाने की''

श्री भैरोंसिंह : श्री गिरधारी लाल व्यास ने ''

श्री सभापति : अभी पोइण्ट ऑफ आर्डर एक चल रहा है। चीफ व्हिप ने जो बात कही है वह ठीक है। आप केवल जानकारी चाह सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो कोई पोइण्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है यह कैसे आ गया।

श्री सभापति : आप अपने कथन को सिर्फ जानकारी तक ही सीमित रक्खें।

श्री श्रवणलाल : मैंने स्थगन प्रस्ताव में सारी बातों का उल्लेख किया है। उस पर अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि जिस समय इस प्रश्न पर डिबेट होगी उस समय मुझे मौका दिया जायगा।

सभापति महोदय, मुझे अधिकार है मैं अपने विचार इस बारे में रक्खूं। इस संदर्भ में मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। शान्त वातावरण में और शान्तिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल चल रही थी उसको वहां के अधिकारियों ने किस प्रकार से उग्र बनाया। इसके लिये वहां के पुलिस अधिकारियों ने षड़यन्त्र रचा। किस प्रकार से भोले भाले मजदूरों को गिरफ्तार किया गया और उनकी किस तरह से पिटायी की गई। जिस सेठ के पैसे के बल पर यह सरकार चल रही है, जिसके पैसे के बल पर आप नाच रहे हैं, उसी को संरक्षण देने के लिये आपके पुलिस अधिकारियों ने क्या क्या कारनामें किये हैं वे मैं बताये बिना नहीं रह सकता। लोगों को हवालात में ले जाकर बन्द किया बगैर

(श्री श्रवणलाल)

किसी कसूर के उन पर मुकदमे लगाये गये। हिन्डौन गोलीकाण्ड का जो सी० ओ० था उसको वहां लगाया गया, जिसने हिन्डौन की जनता पर गोली चलायी वहां के विद्यार्थियों पर गोली चलायी, उसको बुलाकर कहा गया कि सीमेण्ट फैक्टरी की जो हड़ताल चल रही है इसको किसी न किसी प्रकार से फेल की जाय। वह वहां कहता फिरता था कि मैं हिन्डौन का सी० ओ० हूं जिसका वहां की जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकी आप मेरा क्या कर लेंगे ? मैं आपको उसी प्रकार से तबाह कर दूंगा। उसी सी० ओ० को इन्चार्ज बना कर वहां के हड़ताली-मजदूरों को आपने तबाह करने की कोशिश की। वहां के एस० डी० ओ० को वहां लगाया गया, मजदूरों को परेशान करने के लिये। काफी मजदूर हड़ताल पर थे फिर भी कुछ मजदूरों को अन्दर रखकर जिनकी संख्या 80 से ज्यादा नहीं थी उनको अन्दर ही बन्द रखा गया और पुलिस की निगरानी में उनसे काम लिया गया। जिस फैक्टरी में 1800 मजदूर काम करते हों और उनकी जगह केवल 80 मजदूरों को कारखाने में बन्द कर काम कराया जाय तो वह काम किस प्रकार से हो सकता है ? उन 80 मजदूरों से पुलिस के संरक्षण में वहां रात दिन काम लिया जाता था। 80 आदमियों को बन्द रखा जाता था उनको किसी भी प्रकार से बाहर आने की छूट नहीं थी। उनको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं थी, नीचे आने के लिये।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : सीमेन्ट फैक्टरी में मजदूर हड़ताल कर रहे थे। जो मजदूर अन्दर रह गये थे उनको किसी प्रकार की छूट बाहर आने की नहीं थी। न घरवालों को मिलने दिया जाता था। पुलिस फोर्स के जोर से उनको अन्दर बन्द करके जबर्दस्ती से काम लिया गया। उनके स्वास्थ्य की किसी को चिन्ता नहीं, उनके जीवन के साथ यह मैनेजमेन्ट और सरकारी पुलिस मिलकर खिलवाड़ कर रही है। उनकी हड़ताल शान्ति के साथ चल रही थी। शान्ति भंग का कोई खतरा वहां नहीं था। उस पर भी धारा 144 लगा दी गई। वे कोई शान्तिपूर्वक प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, आमसभा तक नहीं कर सकते। तो पुलिस का इतना संरक्षण साहू जैन को मिल रहा था।

मैं तो यह कहूंगा कि सवाई माधोपुर में ही नहीं, राजस्थान में साहू जैन का इस प्रकार का ठप्पा पूजा जा रहा है कि साहु जैन के पैसे के बलबूते पर बनी हुई यह सरकार है, वह मजदूरों के हित में उस साहू जैन के खिलाफ क्या ऐक्शन ले सकती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैंने कई बार जिक्र किया, जटपुर खान के खून के बारे में, प्यास के मारे मजदूर मर गये उसका मामला है जबकि भूमिहीनों की भूमि अलाट की हुई उन्होंने हड़प ली। उनको अपनी जमीनों पर कब्जा नहीं करने देंगे कह रहे हैं कि यह सीमेन्ट फैक्टरी में आया हुआ हमारा एरिया है। तुम्हारा नहीं हो सकता। इसका फैसला सरकार कराना नहीं चाहती। ऐसे एक नहीं इस तरह के पक्षपात के अनेकों उदाहरण हैं। यह सरकार तो साहू जैन के हाथ में बिकी हुई है। यह सरकार उन साहू जैन को लोन के रूप में जल योजना के रूप में लाखों

(श्री श्रवणलाल)

करोड़ों रुपया लुटा सकती है, पर गरीबों को जमीन नहीं दिला सकती। सीमेन्ट फैक्टरी के लिये 300 बीघा जमीन दी जाती है, अलॉट की जाती है और किसके नाम पर ? नेहरू उद्यान के नाम से। पर मैं पूछता हूं आज उस जमीन का क्या हो रहा है ?

श्री सभापति : जमीन के अलॉटमेन्ट पर बोल रहे हैं या विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री श्रवणलाल : साहू जैन के खिलाफ बोल रहा हूं और स्पष्ट इल्जाम लगाते हुए कह रहा हूं कि इस साहू जैन को हमारी यह सरकार हर प्रकार का संरक्षण दे रही है और उसके हाथों मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित करा रही है। यह सरकार जनता के खून से तो होली खेलती है, पर साहू जैन के पैसे खाकर उसको संरक्षण दे रही है।

श्री सभापति : साहू जैन अण्डर डिस्कसन नहीं है।

श्री श्रवणलाल : वही तो सब कुछ है। इस तरह के जितने अनैतिक काम होते हैं, उसको संरक्षण देने के लिये होते हैं क्योंकि उसी के बलबूते पर उसी के चन्दे पर यह सरकार और इसके ये मिनिस्टर कायम हैं और उसी के दबाव के कारण यह सब कुछ हो रहा है। यह सरकार उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले सकती। एस. पी. कलेक्टर, एस. डी. ओ. उसके गुलाम हैं वे अपने मालिक साहू जैन के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले सकते। यह राज्य सरकार भी उनकी गुलाम है। यह सरकार भी उनकी गुलाम है।

श्री मदनसिंह : गुलाम शब्द सहन कर लिया आपने ?

श्री श्रवणलाल : मैं कह रहा था यह सरकार उनके टुकड़ों पर पली हुई है। सरकार का अमला जब कभी वहां जाता है, ये मन्त्री जब जब जाते हैं तो उसके सर्किट हाउस में ठहरते हैं, शराब पीते हैं, रंग रेलियां मनाते हैं और न जाने क्या क्या कुकर्म करते हैं। (शेम शेम) और इसी कारण वह जिस प्रकार के अत्याचार अन्याय मजदूरों के साथ कर रहा है यह सरकार चुपचाप देख रही है, बल्कि उल्टे उसका संरक्षण कर रही है। क्यों नहीं करे आखिर। हर मन्त्री उससे दबा हुआ है उसके हाथ में बिका हुआ है। उसकी हर मन्त्री खुशामद करता है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह लेबर मिनिस्टर भी उनके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकता। मैं चाहूंगा सभापति महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से कि मजदूरों की मांगों को मानते हुए जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है और मजदूरों को जिस तरह से हैरेस किया गया है उसकी जूडीशियल एन्क्वायरी कराई जावे। और देखा जावे कि इसने किस-किस प्रकार के गलत कारनामे आज दिन तक किये हैं और मजदूरों के साथ किस किस प्रकार की ज्यादतियां और अन्याय किया है।

श्री सभापति : श्री भीखाभाई।

श्री दौलतराम सारण : मैं दो तीन सूचनाएं चाहूंगा। अच्छा होगा पहले मन्त्री मेरी बात सुन लें और फिर उत्तर दें तो उनके लिये और हमारे लिये भी आसानी रहेगी।

सभापतिजी, चाहिये तो यह था कि सरकार इतने बड़े मसले पर अपनी तरफ से स्वयं सदन में वक्तव्य देती।

श्री सभापति : आप सरकार को सलाह देते हैं या सूचनाएं चाहते हैं।

श्री दौलतराम सारण : सभापतिजी, यह बड़े दुख की बात है कि कानूनी, सवैधानिक अधिकारों के अन्तर्गत राज की जनता, मजदूर अपनी मांगें प्रस्तुत करते हैं, पर राज्य सरकार अपने दायित्व को समझ कर उनको कानूनी संरक्षण प्रदान करने को तैयार नहीं है। बल्कि अपने दायित्व को भुलाकर अपनी सीमाओं से भी बाहर जाकर अपनी घोषित नीति और कार्यक्रम और उद्देश्यों के विपरीत जाकर राज्य सरकार उन निहित स्वार्थ वाले पूंजीपतियों को संरक्षण दे रही है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : कोई आर्डर का सवाल नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा दो तीन चार मुद्दों पर।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह बात कटु अवश्य है, पर सत्य है बिलकुल।

श्री सभापति : मेहरबानी करें। आप इन्टरप्ट न करें।

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय, आपको बेचैन करने वाली बातें हैं ये, तो भी आप सुनें ध्यान से और शान्ति से। यह आसन कांग्रेस का नहीं है। सारे सदन का है। स्पष्ट बातें कहने से आप मत रोकिये। सभापतिजी, मैं यह कह रहा था कि राज्य सरकार अपनी घोषित नीति और उद्देश्यों और कार्यक्रमों के विपरीत जाकर निहित स्वार्थ वाले मैनेजमेन्ट की मदद कर रही है।

श्री सभापति : कैसे कर रहे हैं निहित स्वार्थ की मदद ? यह नहीं बताया। भूमिका नहीं बांधिये। अपने प्रश्न स्पष्ट रखिये।

श्री दौलतराम सारण : वही बता रहा हूं। पांच हजार वहां के मजदूर अपने कानूनी अधिकारों की मर्यादा में रहकर सरकार से कानूनी संरक्षण की मांग कर रहे हैं। उनकी 24 मांगें हैं। इसमें उनके स्वास्थ्य की रक्षा की मांग है, चिकित्सा सुविधाओं की मांग है, बोनस की मांग है। और मांगें हैं। अपनी मांगें रखने का उनका कानूनी अधिकार है। इसके लिये जब वे प्रतिवेदन प्रस्ताव द्वारा मांग करते हैं तो सुनवाई नहीं होती। फिर तो सिवाय हड़ताल का नोटिस देने के और क्या जरिया है? और जब हड़ताल का नोटिस दिया तो कर्त्तव्य तो सरकार का यह था कि उनकी बातों को सुनकर मैनेजमेन्ट से बात करती। और उनकी वाजिब बातों को मनवाने के लिये उस पर दबाव डालती और कानूनी संरक्षण मजदूरों को दिया जाता। पर यह करना तो बहुत दूर रहा, उल्टे वहां पुलिस भेजकर मजदूरों के शान्त प्रदर्शन पर जुलूस पर और उनके बोलने तक पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उनको हर तरह से दबाया गया और धारा 144 लगाकर पुलिस की ताकत प्रयोग में लाकर मजदूरों का मुंह बन्द करके मैनेजमेन्ट की मदद करने की साजिश की गई। इस तरह से सभापतिजी, मैं कहना चाहता हूं मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह उसका कर्त्तव्य नहीं था कि मजदूरों को संरक्षण दिया जाता। मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करती। पर यह तो नहीं किया। सरसरीतौर पर यहां जब दबाव डालते हैं तो लीपापोती करने का

(श्री दौलतराम सारण)

वक्तव्य दे दिया जाता है। आप यह बताते कि ये मजदूरों के अधिकार थे। यह किस बात का श्रम विभाग है, किस प्रकार की सरकार है ? सरकार के बिना लोग जी सकते हैं। सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती है, सरकार लोगों को विकास का अवसर नहीं दे सकती, सरकार लोगों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकती, सरकार अपने निहित स्वार्थ में लगी हुई है, सरकार अपने बनाये हुये कानूनों की व्यवस्था नहीं कर सकती-फिर किस प्रकार की यह सरकार है ? इस सदन को सबसे बड़ी चिन्ता है, जो विधि यह सदन बनाता है उस विधि को यह सरकार मानने से इन्कार करती है, उससे गुरेज करती है और उससे विपरीत जाकर निहित स्वार्थों में खेलती है। इसलिये सदन इस मसले पर उग्रता कर रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं इस मामले में मालिक के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की, जो मजदूरों की मांगें थीं उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार कहां है ? भीखाभाई को तीनों मंत्रियों ने टारगेट बना कर रखा है। यहां है ही नहीं सरकार अध्यक्ष महोदय की कुर्सी पर आपको बैठाकर वे भी गये। इस तरह से काम नहीं चलेगा।

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज।

(शोरगुल, अश्रव्य)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय रामचन्द्रजी आर्य ने जो कुछ कहा उस सम्बन्ध में आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय श्री भीखा भाई को मैं निवेदन करना चाहूंगा यह एक पूर्व नियोजित षड़यन्त्र है। उसके प्यादे आप क्यों बने हुये हो ? आसन पर भी......

(शोरगुल, अश्रव्य)

आप अपने आपको कह दें, मैं नहीं पड़ना चाहता इसमें यह तो आपके लिये विशेष शोभनीय होगा। बिल्कुल आपका ताल्लुक नहीं है। उसके उपरान्त भी आप सरकार की वकालत करने पर क्यों खड़े हुये हो ?

श्री मदनसिंह (दांता) : यह पहले नम्बर के......

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज। प्रो० केदार।

श्री प्रो० केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति महोदय, यह बतायें इस हड़ताल के दौरान सरकार ने कब कब इन्टरवीन किया ? क्या यह सही है कि माननीय भीखा भाई जी......

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : बाई जी ?

प्रो० केदारनाथ : कब कब मालिक के नुमाइन्दे और यूनियन के पदाधिकारी निगोशियेशन कैम्प में जाने से इन्कार कर गये ? क्या यह सही है कि मजदूरों के नुमाइन्दों की तरफ से एग्रीमेंट के लिये आर्बीट्रेटर को मान लिया था और मालिक पक्ष ने

(प्रो० केदारनाथ)

इन्कार कर दिया ? सभापतिजी, एक बात और है–क्या यह सही है कि जो मेमोरेन्डम-ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार किया गया था उसे मालिक की तरफ से और यूनियन के पदाधिकारियों ने मानने से इन्कार कर दिया ? कब धारा 144 लगाई और दमन के तरीके अपनाये। पुलिस एक्ट की धारा के अनुसार कब तोड़-फोड़ की, कब मारपीट की और कब वायोलेंस हुआ ? धारा 144 लागू करने से आपका क्या वायोलेंस हुआ ? धारा 144 को कितने लोगों ने तोड़ा और कितने मजदूरों पर उनके तोड़ने के केसेज हुये ? हड़ताल के दौरान कितने परमानेन्ट स्टाफ को निकाला गया और कितने टेम्परेरी रूप से हटाये गये ?

श्री भैरोंसिंह : आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। सभापतिजी, भीखा भाई को सरकारी पक्ष की ओर से जवाब देने को चाहे आप अनुमति दे दें लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्री भीखाभाई इस हड़ताल के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं इसलिये नहीं दे सकते हैं कि भीखाभाई ने बहुत बड़ा साहू जैन के साथ पक्षपात किया है और भीखा भाई को उनके प्रति बड़ी हमदर्दी है। भीखा भाई जब फारेस्ट मिनिस्टर थे उस समय सवाई माधोपुर के डी. एफ. ओ. ने वहां पर जो नया एरिया लीज के रूप में था उसे फारेस्ट के वेल्यूएशन के हिसाब से एक लाख दस हजार का रखा था– भीखाभाई भी इस बात को स्वीकार करेंगे। जब यह प्रश्न आया तो भीखाभाई ने दस हजार में उनसे एक लाख की छुट्टी देकर केवल दस हजार में समझौता कर लिया। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि भीखा भाई को साहू जैन से बड़ी हमदर्दी है।

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मंत्री) : कोई हमदर्दी नहीं है ...

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : हमदर्दी नहीं हैं तो मैंने साफ कहा हैं ....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री भीखाभाई : हमदर्दी की कोई बात ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप नाराज क्यों हो गये ?

श्री मूलचन्द डागा : आप बात ही ऐसी कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : फैक्ट्स सही हैं, यह बात आप एडमिट करते हैं।

श्री भीखाभाई : जो ज्यूडीशियली ठीक होगा वह किया गया होगा। हमदर्दी की वजह से किया जाता है यह बात नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदय......

श्री सभापति : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय भीखाभाई ने स्वीकार कर लिया कि डी. एफ. ओ. ने एक लाख दस हजार का वेल्यूएशन दिया था

श्री भीखाभाई : मैंने यह कब कहा।

Page No 76

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। मैं आपके पाइन्ट ऑफ ऑर्डर को समझ गया हूं। माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। आपके पाइन्ट ऑफ ऑर्डर को समझ गया हूं। सरकार की तरफ से माननीय भीखाभाई को उत्तर देने का पूरा अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह : यह स्पष्ट कर दें एक लाख 10 हजार की डी. एफ. ओ.- सी. सी. एफ. की रिकमन्डेशन थी उसके अगेंस्ट में 10 हजार माना और 10 हजार ही साहू जैन से वसूल किया गया।

श्री भीखाभाई : मैंने वसूल नहीं किया है। जो ज्यूडिशियली ठीक लगा होगा उस को एग्जामिन करके, परीक्षण करके जजमेंट किया होगा। मुझे इस प्रश्न पर जवाब देने के लिए असमर्थ न बनायें।

श्री सभापति : ऐसा प्रश्न विचारार्थ नहीं है। उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री भीखाभाई : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य····

(शोरगुल)

श्री सभापति : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य आप काफी बोल चुके हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है। भीखाभाई इस समय स्वायत्त शासन मंत्री हैं और नोटिफाइड एरिया कमेटी सवाई माधोपुर ने 13 एकड़ आबादी की जमीन गुलाबवाड़ी सीमेंट फैक्टरी को दे दी– क्या यह बात सही नहीं है ?

श्री सभापति : यह कोई पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 13 एकड़ आबादी की जमीन नोटिफाइड एरिया की आपने स्वीकृति दी या नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वे मना कर रहे हैं। बार बार क्या पूछ रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : वह तो सी. एम. के आदेश थे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर।

श्री भीखाभाई : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और कई माननीय सदस्यों ने···

श्री विजयसिंह : सुनते ही नहीं किसी की। अगर जवाब देने में ही इतनी धांधली करेंगे तो...

श्री भीखाभाई : बहुत से प्रश्न उठाये हैं। हड़ताल का प्रश्न था वह तो गौण हो गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को यह कह दिया जाय कि वे यहां (टेबिल पर) खड़े हो जायं तो सुन लिया जाय। सुनाई नहीं देता।

श्री भीखाभाई : सवाई माधोपुर के मजदूरों के साथ किस प्रकार की उदारता-पूर्वक नीति अपनाई है यह बात हुई है और मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय सदन के समक्ष जो प्रश्न उपस्थित हैं वह यह नहीं है कि साहू जैन और सरकार के बीच में क्या क्या लेन देन की बात हुई है

(शोरगुल अश्रव्य)

(श्री भीखा भाई)

उस प्रकार का सवाल नहीं है अभी जो सवाल है वह यह है कि ·······

श्री रामचन्द्र आर्य :

श्री भीखा भाई : (एक साथ बोलते रहने पर, अश्रव्य)

प्रो० रामानन्द अग्रवाल : उस लेन-देन की वजह क्या है।

श्री भीखा भाई : ······ वाटर वर्क्स से कितना रुपया लेना है; अभी यह समय नहीं है। मैं बताऊं कि उसके कितने कैपीटल शेयर हैं? अथवा वाटर वर्क्स के लिये कितना रुपया दिया गया वह प्रश्न गौण है। आज तो प्रधान प्रश्न है वह है हड़ताल। इसलिये सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सारे माननीय सदस्यों का ध्यान मूल प्रश्न से विचलित होकर दूसरे प्रश्नों पर चला गया है। वही बात मैं निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि किस प्रकार हड़ताल समाप्त हो, किस प्रकार शांतिपूर्वक हड़ताल समाप्त की जाय लेकिन आज उग्रतापूर्वक भाषण देकर यदि जो समझौता का वातावरण दिल्ली में बना–सवाई माधोपुर में नहीं बना है, उसको समाप्त कर दिया जाय, तो मैं समझता हू उससे दुर्भाग्य और अधिक नहीं हो सकता है इसलिये मैं निवेदन करूंगा तो शान्तिपूर्वक तरीके और समाधान का वातावरण दिल्ली में चल पड़ा है उसको मेंटेन करने के लिए माननीय सदस्य सहयोग दें तो बहुत मदद मिलेगी। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज जो इन्सीडेन्टल बात है उस पर ही रहा जाय और जो दूसरे मामले जुड़े हुए हैं उन पर चर्चा न की जाय तो ज्यादा अच्छा है। अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा···

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कुछ सरकार से लेन देन की बात करके सदस्यों के बीच में सन्देह पैदा कर दिया है। इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि इसका क्या अर्थ है? इस बात को मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

भैरोंसिंह : इसमें सन्देह नहीं है, तथ्य है।

श्री विजयसिंह : लेनदेन की वजह से 22 एम. एल. ए. मिले हैं।

श्री भीखाभाई : ···सरकार से उनको कितना लोन मिला, वाटर वर्क्स के लिए कितना दिया है और कितना युटिलाइज हुआ है उसी के बारे में मैंने कहा है और उसी को साफ करना चाहता हूं। अभी यह विचारने का विषय नहीं है कि चुनावों में कितनी मदद दी। सवाल यह है यहां पर हड़ताल हुई···

श्री मदनसिंह : जहां लेनदेन होता है वहां ऐसा ही होता है जैसा मोदीजी ने कहा।

श्री मोहनलाल मोदी : यह तो आप के और मेरे बीच की लेनदेन की बात है।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि हम समझौते के वातावरण में समझौते के तरीके से बात करें। समझौता जब चल गया है दिल्ली में तो हम पुरानी बातों को उखाड़

(श्री भीखाभाई)

कर यह कहना चाहें तो मैं समझता हूं कि जो समझौते का वातावरण बना है उसमें क्षति पहुंच सकती है। तो अभी जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि समझौते का वातावरण नहीं बना और पुलिस राज्य बन गया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वक्तव्य को ठीक तरह से पढ़ा जाये। मैंने निवेदन किया है कि जिस दिन से हड़ताल का नोटिस मिला है उस दिन से लगातार श्रम विभाग की ओर से जागरूक होकर इस बात के कदम उठाये गये हैं कि किसी तरह से समझौता हो। मैंने कहा था कि पहले पहल जब नोटिस मिला तो 3-12-69 को जो हमारे प्रादेशिक समझौता अधिकारी हैं उन्होंने कार्यवाही की, लेबर कमिश्नर ने कार्यवाही की और उनसे नहीं हुआ तो हमारे श्रम मन्त्रीजी ने बात की और यह बात मैंने साफ कही है लेकिन उन्होंने कहा कि इस यूनियन को नहीं मानते हैं। मैंने कहा कि मैं किसी की वकालात करने को नहीं खड़ा हुआ हूं। मजदूरों की तरफ से जो बात हुई थी उस पर आपत्ति उठाई थी मैनेजमेन्ट ने उसके लिए, मैंने साफ कहा है और यह बात मैंने अपने वक्तव्य में कही है। मैं आपसे निवेदन करूं कि 3 तारीख को समझौते पर चर्चा हुई, 8 तारीख को चर्चा हुई, 3 तारीख को समझौते पर चर्चा हुई 14 तारीख को भी समझौते पर चर्चा हुई और जाकर के यह तय हुआ कि एक महीने के बाद हड़ताल होगी। लेकिन वह हड़ताल 7 दिन तक चली। हमारे श्रम मन्त्रीजी ने बहुत प्रयत्न किये लेकिन हड़ताल उससे आगे सरका नहीं सके। मैं निवेदन करूं कि पहले समझौता हुआ, पहले पहल श्री नन्दाजी 1 तारीख को गये थे, उसके बाद में 17 तारीख को द्रविड़ साहब ने फैसले की बात की। जिस प्रकार से श्री रामानन्द जी कह रहे हैं कि 17 तारीख को बात हुई थी उसमें मैनेजमेन्ट की गलती नहीं थी— उस समय यूनियन ने आपत्ति उठाई कि हम नहीं करना चाहते हैं। हम पुरानी बातों को याद करके अच्छी बातों को भुला दें तो यह ठीक नहीं होगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि श्रम विभाग की तरफ से लगातार प्रयत्न होते रहे और श्री मदनसिंहजी ने भी कहा है वह तो आपकी ही तरफ के माननीय सदस्य हैं कि हमारे श्रम मन्त्री ने बारबार बातें की हैं। इसलिए यह कहना कि सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी यह ठीक नहीं है।

मांगों के सम्बन्ध में मैं अभी नहीं कहना चाहता हूं और न उनको मैरिट्स पर कुछ कहना चाहता हूं। मैं पहले श्रम मन्त्री रहा हूं उस समय भी बहुत सी मांगें थीं और बहुत सी मांगें उस समय से चली आ रही हैं इसमें कुल 24 मांगें हैं उसमें से 8 मांगें तो सोशियल वैलफेयर से सम्बन्धित हैं। इन्डस्ट्रियल एक्ट लागू नहीं होता। 4 मांगें सबजुडिस हैं जिनमें बोनस की बातें आती हैं। 2 मांगें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है। अभी यूनियन की तरफ से 4 मांगें रखी गयी हैं उसमें ग्रेचुटी का मामला है और यह मांग 1965 में नामन्जूर कर दी थी। 3 मांगें और हैं जो फैक्टरी एक्ट, माइन्स एक्ट और वर्कमेन्स कम्पन्सेशन एक्ट से सम्बन्धित है और उनके सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही हो सकती है। उनको इस

(श्री भीखाभाई)

समय यहां रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से मैंने निवेदन किया कि ऐसी मांगें हैं। मैंने कहा है कि जो भी समझौता होगा उसका सारा विवरण मैं सदन के पटल पर रख दूंगा। इसलिए इस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। अभी कहा गया कि वाटर वर्क्स के लिए रुपया दिया गया है जयपुर उद्योग को। मुझे सूचना आई है कि वाटर वर्क्स पूरा हो गया है और लाइनें पड़ गयी हैं और सवाई माधोपुर को वाटर की सप्लाई का काम शुरू हो गया है। इसलिए सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हड़ताल की बात लेकर दूसरी बातें जो इस समय में डाइरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं उनके ऊपर यदि हम बहस मुबाहसा करें तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी उन बातों को कह सकते हैं, बजट के समय भी कह सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से जो समझौता हो रहा है और उसका वातावरण भी बना है उस को हम सुदृढ़ बना सकें उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैं अपने वक्तव्य में इतनी बातें जोड़ने के बाद अपनी बातों को समाप्त करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, यह समझौते की बात करते हैं। एग्रीमेन्ट पर साइन होने की बात 24 तारीख को यह समझौता मालिकों की तरफ से एस० पी० साथ में थे, एस० डी० एम० साथ में थे और मजदूर कहते थे कि हम साइन नहीं करेंगे और उनको पकड़ कर कहते थे कि इस पर साइन करो, समझौता करो। सभापति महोदय, मैं 24-तारीख को गया था। वहां के अध्यक्ष हैं श्री इन्दरराजजी शर्मा और मैं उनसे मिला था। वहां से वह 2 घन्टे के बाद एस० पी० और एस० डी० एम० से पीछा छुड़ाकर आये थे। उन्होंने एग्रीमेंट की कापी मुझे दी और वह कहते थे कि यह जबरदस्ती हम पर दबाव डाल रहे हैं कि ऐग्रीमेन्ट करो। सभापति महोदय, मुझे सन्देह है और श्री शर्मा अभी भी कह रहे हैं कि साइन नहीं किये। अब किसी और को पकड़ करके जबरदस्ती किसी के साइन कराये हों वह बात अलग है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं लेकिन मंत्रीजी से जो प्रश्न पूछे थे डाइरेक्टली जिनका ताल्लुक गवर्नमेन्ट से है उनका उन्होंने एक का भी उत्तर नहीं दिया कि क्या श्रमिक इस हड़ताल के अन्दर शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहे थे? श्रम विभाग ने इस हड़ताल को गैरकानूनी करार देने की नहीं कही? श्रमिक शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे थे और वहां पर पुलिस आई और पुलिस ने हस्तक्षेप किया धारा 30 के तहत पाबन्दी लगाई, धारा 144 के तहत पाबन्दी लगाई। यह पाबन्दी क्यों लगाई? इस पाबन्दी को लगाने के लिए क्या स्थिति पैदा हुई थी इसके बारे में यहां पर श्रम मंत्रीजी ने कुछ भी नहीं कहा। मुख्य मंत्रीजी या गृह मंत्रीजी मैं समझता हूं कि वह अभी भी कार्यवाही श्रम मंत्रालय से पूछकर नहीं करना चाहते। यह ज्वाइन्ट रेस्पान्सीबिलिटी केबीनेट की हो जाती है। एक डिपार्टमेंट से संबंध है, श्रम मंत्रालय से संबंधित है तो श्रम मंत्रालय बताये कि क्या पुलिस श्रम विभाग से कन्सल्टेशन करके भेजी गयी? क्या इनकी सहमति से भेजी गयी या बगैर सहमति के भेजी गयी? मेरी

(श्री रामानंद अग्रवाल)

जानकारी के अनुसार इनकी असहमति के बावजूद पुलिस वहां पर भेज दी गयी। यह श्रम मंत्रालय कह रहा है कि श्रमिक ठीक तरह से हड़ताल कर रहे हैं। कोई वजह नहीं है कि उसको ओवररूल करके अपनी दोस्ती निभाने के लिए पुलिस को भेजी गयी और इस तरह से हस्तक्षेप किया...

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरीके से वहां पर गृह मंत्री जी गये। उसके बाद में जो रवैया बदला, जो 144 धारा की पाबन्दी लगाई गयी इससे मैं यह समझता हूं कि इन बातों को भीखाभाई बिलकुल उड़ा गये।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आप बहस शुरू कर रहे हैं यह.......

श्री जयनारायण शालोदिया : गवर्नमेन्ट ने उनके प्रश्नों का जवाब ही नहीं दिया है।

(2 म. प.)

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न उठाये थे उनका उत्तर भीखाभाई बिल्कुल उड़ा गए हैं। पुलिस का जो रवैया रहा है उनके बयान के मुताबिक उसकी कोई सिचुएशन नहीं थी, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था! हड़ताल शान्तिपूर्वक सब तरीके से चल रही थी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पुलिस का हस्तक्षेप श्रम मंत्रालय की सहमति से हुआ है उनकी सलाह पर हुआ या उनकी सलाह के खिलाफ हुआ ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बात को बतायें। क्या श्रम मंत्रालय इस तरह के हस्तक्षेप को मजदूरों के हितों का हनन मानता है ? उनको जो शान्तिपूर्ण पिकेटिंग करने का अधिकार है, उनको जो जुलूस निकालने का अधिकार है, परचों के जरिये अपनी बात कहने का अधिकार है, मीटिंग करने का अधिकार है जिसको माननीय नन्दाजी भी मानते हैं। माननीय नन्दाजी सभापति महोदय, आप खुद जानते हैं कि वे लेबर लीडर भी हैं और गृहमंत्री भी रहे हैं। यहां के गृह मंत्रीजी ने मैं समझता हूं.......

श्री गिरधारीलाल व्यास : दुबारा वही बात रिपीट कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिपीट नहीं कर रहा हूं। इसका आप उत्तर दें।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, वापिस वही की वही बात रिपीट कर रहे हैं। सवाल पूछना है तो वह पूछें।

श्री सभापति : आपके भाषण की पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस के हस्तक्षेप के बारे में बताएं ।

श्री सभापति : भीखाभाई, ऑर्डर प्लीज । माननीय मंत्रीजी, ऑर्डर प्लीज । (श्री हरिवल्लभ शर्मा से) आप भी कह दें । श्री हरिवल्लभ शर्मा ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आप उत्तर दे दें तो सवाल बार बार उठाने की बात नहीं रहेगी । मेरे दो प्रश्न हैं आप नोट कर लें ।

प्रश्न नं० 1 यह है कि आपने यह कहा है कि बारबार वार्ता के लिए राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों ने प्रयास किया, तो क्या यह बात सही है कि वार्ता शुरू इसलिए नहीं हुई कि इन्दरराजजी से मैनेजमेंट वालों ने बात करना मन्जूर नहीं किया ?

श्री भीखाभाई: वह मैंने अपने वक्तव्य में बताया है ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेरी खबर यह है कि बिल्कुल इसीलिए वार्ता भंग हुई है । नं० 2, दूसरी बात यह है कि फैक्टरी एक्ट के तहत मेडिकल सुविधाएं और जो दूसरी मांगें हैं वे सुविधाएं देना अनिवार्य हैं फैक्टरी चलाने वालों के लिए फैक्टरी चलाने वालों ने क्या इस प्रकार की सुविधाएं वहां पर रखीं ? फलौदी में कई वर्ष से होस्पिटल नहीं है और कोई मेडिकल सुविधा नहीं है...

श्री सभापति : आपका प्रश्न है या भाषण है ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा: क्या यह सही है कि यह फैक्टरी एक्ट के तहत यह एक आफेन्स बनता है, जुर्म बनता है और जुर्म बनता है तो आजतक मालिक का चालान क्यों नहीं किया गया ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण करें ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । ऑर्डर प्लीज । आप भाषण दे रहे हैं ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : भाषण थोड़े ही है । मैं तो उनको समझा रहा हूं । वे समझते ही नहीं हैं ।

श्री सभापति : आप समझा नहीं सकते हैं ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा: फैक्टरी एक्ट के तहत उनको वहां पर हॉस्पिटल रखना पड़ेगा, वहां पर रोगी-वाहन रखना पड़ेगा, मेटरनिटी सेन्टर खोलना पड़ेगा । फैक्टरी एक्ट के तहत यह अनिवार्य है । तो प्रश्न यह है कि उन्होंने इसकी अवहेलना की है तो फैक्टरी के मालिकों का चालान क्यों नहीं किया गया ? फलौदी में आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं है ।

इसी प्रकार से फलौदी में एक भी प्राथमिक शाला बच्चों के लिए उनको पढ़ाने के लिए फैक्टरी की तरफ से नहीं खोली गई है इन 16 वर्षों में । क्या यह भी फैक्टरी एक्ट की अवहेलना है या नहीं ? यदि अवहेलना है तो इसके कारण अब तक उनका चालान क्यों नहीं किया गया ? ये सारी बातें हैं ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, मैं खास-खास दो-तीन ही प्रश्न पूछना चाहूंगा. माननीय मंत्रीजी से । आपने, मंत्री महोदय ने यह कहा कि समझौता हो गया और उसके थोड़ी देर के बाद ही आपने मुकर कर कहा कि समझौता नहीं हुआ, और समझौता हो रहा है और समझौते की आशा की जा रही है ...

श्री भीखाभाई : यह मैंने नहीं कहा है । मैंने जो कहा है वह यह कहा है कि यह समझौता हो गया है कि हड़ताल 29 तारीख को बन्द होगी । यह बात तय हुई है । मैंने यह कहा है कि समझौते का वातावरण हो रहा है और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह उसके हक में नहीं जा रहा है । समझौते के मायने ऐग्रीमेंट हो गया है और ऐग्रीमेंट के अनुसार जैसा कि मैंने वक्तव्य में कहा है कि वह निश्चित तारीख रखी है । अगर माननीय सदस्य कोई बात करेंगे तो उसके अगेन्स्ट में जायेगी ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : माननीय सभापति महोदय, समझौते का अर्थ किस डिक्शनरी या कोष के आधार पर माननीय मंत्रीजी ने बतलाया है ऐग्रीमेंट ?

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, मेरे दो सवाल हैं । पुलिस की जो एट्रोसिटीज हुई हैं ।

श्री सभापति : माननीय नेता, प्रतिपक्ष, बोल रहे हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने समझौता हुआ या नहीं इस संबंध में प्रकाश डाला उस विषय में मुझे उनकी बुद्धि पर दया आती है । विशेष मुझे कोई नहीं कहना है ।

मैं यह जानना चाहूंगा कि मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं हुआ ? आज आधुनिक युग के अनुसार क्या मजदूरों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी— समुचित व्यवस्था चिकित्सा, शुद्ध पेय-जल के सम्बन्ध में वह व्यवस्था वहां पर उपलब्ध थीं या अनुपलब्ध थी, इस संबंध में प्रकाश डालें । और रात को 2 बजे 144 धारा जो लगाई गई तो क्या सरकार उस धारा को लगाना उचित समझती है, इस संबंध में भी कृपया प्रकाश डालें ।

श्री मदनसिंह : माननीय सभापति महोदय, दो सवाल ही माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं । एक तो मंत्री महोदय, मंत्रीजी, माननीय मंत्री महोदय...

श्री सभापति : आप कहिये ।

एक माननीय सदस्य : आप सभापति जी को एड्रेस करिये ।

श्री मदनसिंह : मेरे दो सवाल हैं । एक तो पुलिस की जो एट्रोसिटीज हुई हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं ? पुलिस ने जो कुछ एक्शन लिया उसके बारे में आपके क्या विचार हैं ?

एक सभापति महोदय, यह है कि जो उनकी मांगें थीं उनके संबंध में मैं समझता हूं कि ये मांगें ठीक नहीं थीं कि इतनी मांगें दे दीं । तो पुलिस एट्रोसिटीज के बारे में जांच कमेटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए । इसके संबंध में गवर्नमेंट की क्या मन्शा है । यह दूसरा सवाल है ।

श्री केदारनाथ : मैंने एक सवाल किया था आर्बीट्रेशन के बारे में कि उसके बारे में क्या मालिकों ने ऐतराज किया है, लेकिन भीखाभाई ने पढ़कर अपना भाषण दे दिया तो समझ में नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह : पेन्ट-बेन्ट ऊंची कर लें।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा कि वहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी, और लॉ एण्ड ऑर्डर को सिचुएशन के कारण से किसी प्रकार से पुलिस एक्ट की धारा 30 को लागू किया गया अथवा धारा 144 का किस प्रकार से प्रयोग किया गया ? उसके बारे में मैं समझता हूं कि मैंने अपने वक्तव्य में उसका पासिंग रेफरेन्स किया है, परन्तु मैं यह ठीक ढंग से नहीं बता सकता हूं, क्योंकि लॉ एण्ड ऑर्डर का सारा काम कोई भी प्राब्लम हो, चाहे वह कोलोनाइजेशन की प्राब्लम हो, चाहे इरिगेशन की समस्या हो, चाहे लेबर ट्रबल हो, चाहे कोई भी ऐसा हो लेकिन जब वह सिचुएशन आगे पहुंच कर लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है तो उसमें उसका बेस्ट जज होता है वह जिला अधिकारी होता है और उसके अनुसार मुझे जो सूचना मिली है कि 23, 24 व 25 तारीख को वहां पर कुछ पाइप लाइन्स की तोड़-फोड़ की गई और उसके बाद में मार-पीट के कुछ मामले हुए। इसी कारण से पुलिस एक्ट की धारा 30 लगाई गई। इसके साथ साथ चूंकि हम जानते हैं कि फैक्टरी एक इन्डस्ट्रियल युनिट है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसकी हिफाजत करने की आवश्यकता है। यह बात हो सकती है कि अधिक मजदूर फैक्टरी में काम कर रहे थे लेकिन अधिक मजदूरों के काम करने के बावजूद भी कुछ मजदूर बाहर हो सकते हैं और जो जाने वाले मजदूर हैं उनको विक्टिमाइज कर सकते हैं अथवा यह भी हो सकता है कि उस वक्त ब्रीच आफ पीस का मामला हो जाय। इसलिए उनको यह डर लगा हो और इन्हीं तथ्यों के आधार पर उन्होंने लगाया होगा।

माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने कहा है कि 95 परसेन्ट हड़ताल पर थे, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि 19-12-69 को जो इन्सपेक्टर आफ फैक्टरीज के सामने जो हाजरी ली गई थी तो उस हाजरी के अन्दर जो स्थिति थी तो नोर्मल रोल पर कितने थे और प्रेजेन्ट कितने थे उसके हिसाब से जैसा कि बताया गया है सुपरवाइजरी स्टाफ में 157 में से 157 मौजूद थे ...... क्लेरिकल स्टॉफ में से 194 में से 184 मौजूद थे, कोआपरेटिव सेक्शन में 144 में से 46। इस के बाद सेमी-क्लेरिकल्स में 518 में से 154, सेमी टेक्नीकल में 427 में से 56 और अनस्किल्ड लेबर में से 981 में से 783 मौजूद थे। इस प्रकार से ज्यादा लोग काम पर थे, काम कर रहे थे और यही स्थिति फलोदी क्वेरी पर थी और इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह संख्या आपने फैक्टरी के अफसरों की बताई है या मजदूरों की ?

श्री भीखाभाई : यह फैक्टरी, गवर्नमेंट के फैक्टरी कानून के अन्तर्गत आती है और वहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इ. एस. आई. की सुविधा वहां मौजूद है। हमारे

(श्री भीखाभाई)

फैक्टरी इन्सपेक्टर जाकर के इसकी सारी बातों को देखते हैं। वहां सभी प्रकार के वैलफेयर सेन्टर मौजूद हैं और इस प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि उनके मन्त्रालय श्रम विभाग से राय ली गई थी वहां पुलिस हस्तक्षेप करने के बारे में ? क्या आपने इनकी सहमति दी थी ?

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। आॅर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्यों ने मंत्री महोदय से जो प्रश्न किये थे उनका उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न यह था कि जो मजदूरों ने अपनी मांगें रखी हैं उन मांगों के सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय की क्या राय थी ? क्या उनकी ये मांगें उचित हैं या गैरवाजिब हैं ? यह प्रश्न सभी माननीय सदस्यों ने यहां दोहराया है और मंत्रीजी ने इसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री भीखाभाई : मैंने यहां समझा दिया है। काफी समझाने के बाद भी आप नहीं समझ सके हैं। आप सुनें। उनकी 24 मांगें हैं और इन 24 मांगों पर हमारे डिपार्टमेंट ने, श्रम विभाग ने इनको एग्जामिन किया है। सभापति महोदय, उनकी यह एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। उसने यह माना है कि उनकी कुछ मांगें सबजुडिस हैं, कुछ मांगों का फैसला हो चुका है और कुछ विचाराधीन हैं। इस प्रकार से मैंने निवेदन किया है।

श्री भैरोंसिंह : आप मांगों के सम्बन्ध में बता दें कि हमारे श्रम मंत्रालय ने यह राय दी है। आया कितनी मांगें सबजुडिस हैं, कितनी मांगे विचाराधीन हैं ?

श्री भीखाभाई : आप यह क्या कहते हैं ? हमारा श्रम विभाग क्या करता है ? इसका एक प्रोसीजर है। माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है। यह नहीं समझते कि क्या प्रोसीजर है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न।

आॅर्डर, आॅर्डर माननीय सदस्य।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : सभापति महोदय, मजदूरों ने जो मांगे रखी हैं, उसका समझौता हो रहा है। वह आरबीट्रेशन के जरिये हो रहा है। एक टेबुल पर दोनों पक्ष बैठे हुए हैं और उसका नतीजा एक दो दिन में सब के सामने आने वाला है। आज या कल में पता लग जायेगा। कल से हड़ताल बंद है और ऐसी उम्मीद है कि समझौता हो जायेगा। अब इस में अगर मंत्रीजी यहां यह कहें कि मजदूरों की फलां मांग वाजिब है और फलां गैरवाजिब है या फलां मांग मजदूरों की इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं आती है तो यह कहना मजदूरों के ऊपर कुठाराघात होगा...

श्री भैरोंसिंह : नहीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जरूर होगा। मंत्री महोदय नहीं कह सकते हैं कि मजदूरों की यह मांग वाजिब है और यह मांग अनुचित है या यह इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट में नहीं

(श्री गोकुलप्रसाद)

आती है। यह कहना मजदूरों के हितों के विपरीत है। उन के साथ दगा करना होगा। आप समझौते के दौरान इस तरह की बात सदन में मत करिये।

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज।

श्री भीखाभाई : मैंने यह कहा था कि जो मांगे हैं उसके बारे में मेरिट्स के आधार पर बातचीत की जायेगी। किस प्रकार की मांगे हैं और उसका क्या औचित्य है ? और यह बात कही थी कि इसके बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिये।

श्री भैरोंसिह : जो रिपोर्ट को रेफर किया है, उस रिपोर्ट में से कहिये।

श्री भीखाभाई : रिपोर्ट का मैंने नहीं कहा। मैंने यह कहा कि कुछ सबजुडिस मांगें हैं और कुछ विचाराधीन हैं और उस पर समझौता अधिकारी आर्बिट्रेशन कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिह : जो रिपोर्ट हाथ में लेकर कहा उसमें से कहिये।

श्री भीखाभाई : रिपोर्ट कहां है। यह तो मांगों का ब्यौरा है। ये तो मांगें हैं।

श्री भैरोंसिह : श्रम मन्त्रालय की रिपोर्ट आपने देखी हैं या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मेरे ख्याल से ये मजदूरों की बात नहीं समझते ?

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने गवर्नमेंट की तरफ से जो उत्तर दिया है वह बिलकुल असन्तोषजनक है और जो मुख्य मांगें हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बारे में उत्तर देने से अवोइड किया है। सरकार की ओर से मुख्य मंत्री और गृह मंत्री ने उत्तर नहीं दिया है और इस प्रकार उन्होंने खुलेतौर पर साहू जैन के साथ पक्षपात किया है। यह सरकार खुले तौर पर साहू जैन से बंधी हुई है और उसके पैसे पर टिकी हुई है। इसने मजदूरों के हितों के विपरीत साहू जैन का पक्ष लिया है। मजदूरों के साथ अन्याय किया है और हस्तक्षेप करके, पुलिस के जरिये दमन कर के जिस तरह से एग्रीमेंट की बात की जा रही है वह मजदूरों के विपरीत मालिकों से मिल कर और मजदूरों को जबर्दस्ती सरेण्डर करा कर की जा रही है। यह वह फैसला है जिस के ऊपर यह कोशिश की जा रही है उस में मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलने वाली है। मजदूरों से उनकी स्ट्राइक का अधिकार छीना जा रहा है। उनका विक्टीमाइजेशन किया जा रहा है और इस सब के बारे में चुप है। किसी एक भी मांग के बारे में कोई बात मंत्रीजी ने नहीं कही है।

श्री भीखाभाई : यह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जानता हूं कोई एक भी बात आप मंजूर नहीं करने वाले हैं। यह एग्रीमेंट, यह सब जो किया जा रहा है वह पुलिस के एस. पी., एस. डी. एम. के जरिये दबाव डालकर दस्तखत कराये जा रहे हैं इस एग्रीमेंट पर।

श्री भीखाभाई : यह सरासर गलत है

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं भी ज्यादा जोर से बोलना जानता हूं। मैं यह कह रहा था...

श्री भीखाभाई : यह गलत है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह कह रहा था सभापति महोदय कि दस्तखत ग्रण्डर कोअर्सन कराये जा रहे हैं ।

(शोरगुल और श्री गिरधारी लाल व्यास जोर से बोलने लगे)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । ग्रार्डर प्लीज ।

(श्री गिरधारी लाल व्यास और श्री रामानन्द अग्रवाल के एक साथ जोर से बोलने के कारण अश्रव्य-शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस के द्वारा वहां ज्यादती की गई है । सरकार की इस मजदूर विरोधी नीति, सिन्डीकेट नीति के खिलाफ और इस तरह से साहू जैन का पक्षपात किये जाने के खिलाफ मैं सदन का बायकाट करता हूं ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, माननीय सदस्य रुष्ट होकर बाहर चले गये हैं । मैं यह निवेदन कर रहा था और शुरू में ही यह कहा था कि समझौता....

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको बलि का बकरा बनाया गया है मंत्री महोदय । जवाब देने वाले सामने ही नहीं ग्राते हैं ।

श्री भीखाभाई : दिल्ली तक तय किया गया है । दिल्ली में बैठ कर ये दोनों समझौते किये गये हैं जिस पर कि यूनियन ने इन्कारी कर दी थी । एक समझौता द्रविड़ साहब ने जो हिन्दुस्तान के माने हुए मजदूर नेता हैं ने कराया और दूसरा नंदाजी ने कराया दिल्ली में । नंदाजी कितने बड़े नेता हैं यह सब जानते हैं ? तो यह समझौता दिल्ली में हुआ और यहां यह कहते है कि पुलिस के जरिये करवाया जा रहा है । यह कैसे हो सकता है ? यह मैं कहना चाहता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैंने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था और उसमें जितने मुद्दे उठाये थे वे काफी महत्वपूर्ण मसले थे ग्रौर इस को छुट्टियों से पहले सदन में उठाया था ग्रौर जिसके लिये अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इस सारे प्रश्न पर विचार 27 तारीख को सदन में किया जा सकेगा । 28 तारीख है आज ग्रौर 27 तारीख निकल गई । 27 तारीख को यह मसला इसलिये नहीं उठाया जा सका क्योंकि मंत्री महोदय अनुपस्थित थे । ग्राज इस मसले को लिया गया है । इस सवाई माधोपुर की हड़ताल के सम्बन्ध में सारे मुद्दे वाद विवाद में यहां उठाये गये हैं । इन सारे प्रश्नों का, मुद्दों का भीखाभाई उत्तर नहीं दे सकते हैं, यह उनके ग्रधिकार में नहीं है और न उनमें इतनी क्षमता है । खेद इस बात का है कि यह इतना बड़ा मसला है, 5000 मजदूरों ने 40 दिन तक हड़ताल की, 21 दिसम्बर से उनको वेतन नहीं मिल रहा है और इस हड़ताल को आज तक इस सरकार ने इल्लीगल डिक्लेग्रर नहीं किया है ग्रौर वहां पुलिस द्वारा धारा 144 लगाई गई, पुलिस के जरिये ग्रातंक फैलाकर लोगों को डराया गया और इस सब के बावजूद मुख्य मंत्रीजी सदन में उपस्थित नहीं हैं, श्रम मंत्री यहां नहीं हैं ग्रौर सभापति महोदय, यह 37 आदमियों की फौज जिस पर 40 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया जा रहा है, हमारे किस काम की है ? केवल 2½

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मंत्री आज यहां सदन में बैठे हैं। इससे अधिक लज्जा की बात और क्या हो सकती है ? सभापति महोदय, हमें बड़ा खेद है कि यहां पर यह सारा मामला उठाया गया और उस सारे मामले को भीखाभाई ने उठा कर ताक में रख दिया। 12 लाख रुपया वाटर वर्क्स के लिये दिया गया। 60 लाख का लोन दिया गया। इसका कोई जवाब नहीं ? सभापति महोदय, हिन्दुस्तान सन् 47 में आजाद हो गया था, लेकिन राजस्थान में एक टुकड़ा ऐसा है, जहां पर आज भी एक कालोनी है, एक प्रकार से सामन्तवाद और पूंजीवाद की कालोनी बनी हुई है और वह कालोनी मान टाऊन बनी हुई है, जो कि सीमेन्ट फैक्ट्री का एरिया है जहां पर आज भी साहू जैन का राज्य है, जहां पर लोग सुखाड़िया के शासन को नहीं मानते हैं, जहां पर राजस्थान की पुलिस की हुकूमत नहीं चलती है···

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, इस सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में हमने बहुत सारे प्रश्न उठाये, उन प्रश्नों के संबंध में माननीय मंत्रीजी यह कहें कि उनमें रिलेवेन्सी नहीं है, वह सारे प्रश्न पैदा नहीं होते हैं। सही बात तो यह है कि भीखाभाईजी उनका जवाब नहीं दे सकते हैं। हमने साढे तीन सौ बीघा जमीन का मामला उठाया, हमने तेरह एकड़ जमीन का मामला उठाया, यह प्रश्न उठाये कि साहू जैन को राजस्थान की सरकार ने किस तरह से पनाह दी है, साहू जैन को राजस्थान की सरकार ने किस तरह से पनपाया है, और किस तरह से राजस्थान की सरकार पर और राजस्थान की पुलिस पर साहू जैन का प्रभाव छाया हुआ है और इन सारे प्रश्नों को उठा कर, सभापति महोदय, यहां पर जुडिसियल इन्क्वायरी की मांग की गई, साहू जैन के खिलाफ जांच की मांग की गई। बम्बई अधिवेशन में प्रस्ताव पास करने वाले, समाजवाद की बात करने वाले, मजदूरों के हित की बात करने वाले मैं कांग्रेस के बन्धुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक भी शब्द क्यों नहीं बोले हैं इन मोनोपोलिस्ट्स के खिलाफ, उनकी एक्टीविटीज के खिलाफ, उनके द्वारा मजदूरों के शोषण के खिलाफ, उनकी कान्सप्रेसी के खिलाफ ? सभापति महोदय, आज इस सदन के अन्दर जब इस सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी के मजदूरों की मांगों पर चर्चा हो, उस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और श्रम मंत्री उपस्थित नहीं हों, अधिकांश मंत्रिमण्डल के मंत्री उपस्थित नहीं हो और माननीय मंत्री जी हमारे प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और भीखाभाई के बारे में तो सारी दुनियां जानती है कि वह केवल हनुमान चालीसा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं·······

श्री भैरोंसिंह : वह भी कपड़े पहन कर नहीं पढ़ सकते, लंगोटी लगा कर पढ़ सकते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूं कि यह सही बात है जो इन्होंने कही है, इन्होंने कहा कि भीखा भाई को तो बली का बकरा बनाया गया है।

मुख्य मंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है, उनमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि जब इस विषय में इस सदन में चर्चा हो तो वह इस सदन में उपस्थित हो कर··· ···

श्री गोकुल चन्द (खैरथल सु.) : वह आवश्यक काम से बाहर गये हुए हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसा आवश्यक काम है ?

श्री गोकुलचन्द : बादशाह खां लौट कर आ रहे हैं, उनको रिसीव करने के लिए गये हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बादशाहखां तो चले गये ।

श्री मदनसिंह : कौन आ रहे हैं ? बादशाह खान । उनको रिसीव करने के लिए गये हैं, वह इस विषय में क्या कहेंगे ? वह यही कहेंगे कि तुम जुल्म कर रहे हो, तुम अन्याय कर रहे हो, तुम गांधीवाद की हत्या कर रहे हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खान अब्दुल खां तो चले गये । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए गये हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह सब जानते हैं.........

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज अनावश्यक रूप से, मैं समझता हूं, इस मसले पर चर्चा हुई क्योंकि मुख्य मंत्रीजी.......

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । आप बोल चुके हैं. माननीय सदस्य ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने प्रस्ताव रखा है ...

श्री सभापति : जो ध्यान आकर्षण करना था वह हो गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने काल अटेंशन नोटिस रखा है, मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित इस विषय में किया है । सभापति महोदय, मुझे अफसोस है और यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं ऐसे मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं.......

श्री सभापति : ध्यान आकर्षित हो गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं .....

श्री मोहनलाल मोदी : ध्यान तो आकर्षित हो चुका है ।

श्री भैरोंसिंह : ध्यान भी उस मंत्री का आकर्षित कर दिया जिस मंत्री के दिमाग के अन्दर हमारी बातें घुसी नहीं ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है .....

श्री सभापति : चर्चा समाप्त की जाती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी के मजदूरों ने चालीस दिन से हड़ताल कर रखी है, पांच हजार मजदूरों ने हड़ताल की, उसको सरकार ने इल्लिगल डिक्लेयर नहीं किया. मजदूरों को इक्कीस दिन की पगार नहीं दी गई है, मजदूरों के ऊपर पुलिस आतंक जमाया गया है लेकिन राजस्थान सरकार के मंत्रीमण्डल के मंत्री हैं उनको किसी भी प्रश्न का सही

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उत्तर देने का साहस नहीं है। चाहे कितने भी सवाल पूछे जायं लेकिन यह कांग्रेस की हकुमत है, यह साहू जैन के सहारे पर बनी है, चुनाव में साहू जैन से गाड़ियां लेकर, जीप लेकर ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है। गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जीती है, है इसलिए किसी प्रकार से साहू जैन के खिलाफ कोई कदम उठाने का साहस इस हकुमत में नहीं है, उसके लिए यह कांग्रेस की हकुमत तैयार नहीं हो सकती। सभापति महोदय, प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिले नहीं, इस सदन में मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और श्रम मंत्री उपस्थित नहीं हो— इसलिए हम अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए, मजदूरों की मांगों का समर्थन करने के लिए और सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा बहिगमन)

श्री हरिबल्लभ शर्मा : सभापति महोदय, सारे सदन का यह अनुभव है....

श्री हीरा भाई : सभापति महोदय, सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था...

श्री हरिबल्लभ शर्मा : जो भी प्रश्न इस सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में उठाये गये उनका सही उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया है...

श्री हीरा भाई : यह सरकार पूंजीपितयों के सहारे बनी हुई है....

श्री हरिबल्लभ शर्मा : मैंने जो प्रश्न उठाये....

श्री हीरा भाई : इस सरकार के द्वारा मजदूरों का शोषण किया गया है......

श्री हरिबल्लभ शर्मा : उनका उत्तर नहीं दिया गया....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री हीरा भाई : सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में यहां पर वाद-विवाद हुआ, उसमें हम यह आशा लेकर चल रहे थे कि कांग्रेस वालों ने बम्बई अधिवेशन में यह कहा था, उनका यह नारा भी था कि गरीबी को मिटाना है। यह नारा उन्होंने खुल कर दिया था। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ यह सुनना पड़ रहा है कि यह सरकार साहू जैन की दलाली कर रही है, उनकी वकालत कर रही है....

कई माननीय सदस्य : गलत है। गलत है।

श्री हीरा भाई : मजदूरों के जो हक हैं उनको सही मायने में नहीं पूरा कर पा रही है। मजदूरों की जो मांग थीं उनके लिए नहीं कह रही है कि उनकी मांग सही थीं या गलत थीं...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कोई भाषण नहीं होगा।

श्री हीरा भाई : मजदूरों के हकों के सम्बन्ध में यह सरकार इस तरह का

(श्री हीराभाई)

व्यवहार रखना चाहती है, तो फिर बम्बई के अधिवेशन में दिया गया इनका नारा बिल्कुल झूठा है, और दिखावटी है, समाजवाद का नाम लेकर जनता को धोखा देने वाला है। यह सरकार साहू जैन को पनाह दे रही है, और उनको पनाह देकर मजदूरों के हक है वह सही हक या नहीं— यह नहीं बता रही है, और अंधेरे में रख कर मजदूरों का शोषण कराना चाहती है, और उनकी समस्या को हल नहीं करना चाहती है, और उनकी मांगों के बारे में सही जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हम सरकार की इस नीति के विरोध में अपना असंतोष प्रगट करके इस सदन से वाक आउट करते हैं।

(संसोपा के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय, मुझे बहुत खेद है कि लोकतंत्र और समाजवाद का नाम लेने वाली सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के आधार पर अपने हकों की मांग करने वाले लोगों की उपेक्षा करती है और चन्द अपने स्वार्थ वाले लोगों की मदद करती है। राज्य की शक्ति, राज्य की जनता के विरुद्ध, चन्द लोगों की मदद में लगाई जा रही है। चाहे गंगानगर का प्रश्न हो, वहां के किसान आन्दोलन का प्रश्न हो, भादरा-सांगरिया और चूरू के गोली काण्ड का प्रश्न हो, चाहे सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल हो लेकिन यह सरकार किसी भी वाजिब मांग को सुनने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तैयार नहीं है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : यह सरकार कानूनी संरक्षण संवैधानिक आधार पर किसानों और मजदूरों को नहीं देकर, उनके जो अधिकार हैं ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : उनका हनन कर रही है...

एक माननीय सदस्य : आप भी पधारो।

श्री दौलतराम सारण : मजदूरों को कानूनी संरक्षण देने से गुरेज कर रही है, और फैक्ट्री के मालिक के साथ में मजदूरों के खिलाफ साजिश कर रही है। इसका मैं विरोध करता हूं। और मैं और मेरा दल इस सरकार के गैर वाजिब, अप्रजातांत्रिक रुख के विरोध में, मजदूरों की मांगों के समर्थन में बहिर्गमन करते है और सभापति महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दें।

(भारतीय क्रान्तिदल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस तरह की झूठी बात कह कर इस सदन को गुमराह करना चाहती है। चौबीस तारीख को मैं वहां पर उपस्थित था.........

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, इस सरकार के सामने वाक आउट करना गुलामी है, सारे दलों की कमजोरी है। मैं नहीं चाहता कि हम इस प्रकार से वाक आउट करें बल्कि इनको मजबूर करें

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लेकिन हमारी मजबूरी है दल के जो नेता हैं इनकी भी नीति कमजोर है । इसलिए मैं इनकी भी आलोचना करता हूं और सरकार की भी आलोचना करता हूं क्योंकि यह सरकार हत्यारी है । इस सरकार को यहां रहने का अधिकार नहीं है । जब तक यह सही बात का सही जवाब नहीं दे, और इस कुर्सी पर बैठ कर सही बात नहीं कहे तब तक इन्हें इस कुर्सी में रहने का अधिकार नहीं है । प्रजातंत्र की बात करते हैं लेकिन प्रजातंत्र की इन्होंने हत्या की है, प्रजातंत्र को यह मार रहे हैं और इसलिए मैं तो इस सरकार को लानत देता हूं ।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, सरकार की जो बात होती है उसमें वजन होता है, परन्तु दुःख की बात है कि सरकार ने जो कुछ कहा वह गलत कहा । मैं इसे मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार नही मानता न इस सरकार को कांग्रेस की सरकार मानता हूं, यह साहू जैन की सरकार है इसके···

कई माननीय सदस्य : गलत है । गलत है ।

श्री विजयसिंह : पैसों से खरीदी हुई सरकार है । उसके पैसों से, दस लाख रुपये से बाइस एम.एल.ए. खरीदे गये हैं...

(शोर गुल)

यह साहू जैन के लड्डू बोल रहे हैं, यह साहू जैन के रसगुल्ले बोल रहे हैं । यह साहू जैन के चमचे हैं···

कई माननीय सदस्य : गलत है । गलत है ।

श्री विजय सिंह : इन्हें डूब कर मर जाना चाहिए । (शोरगुल) इस प्रकार जो यह चिल्लाते हैं इससे किसी को दबा नहीं सकते हैं । सरकारी पक्ष से इस प्रकार सही बात करके दबाना चाहते हैं सो आप दबा नहीं सकते हैं । अगर इस प्रकार दबाना चाहेंगे तो हमको दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा···

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप सही बात को गलत क्यों कहते हैं ? गलत बात कह रहे हैं ।

श्री विजय सिंह : मैं जानता हूं, आप किसके घमण्ड में फिरते हो । आपको जो यह अठारह सौ रुपये मिलते हैं यह फोकट में नहीं मिलते हैं······

श्री गिरधारी लाल व्यास : गलत है ।

श्री विजयसिंह : यह जो मजदूर हैं यह हिन्दुस्तान के अंग हैं इनके लिए आपको सोचना पड़ेगा । मजदूरों ने सही बात की मांग की है, मजदूरों ने कोई अन्याय नहीं किया है । आप चौबीस तारीख की बात कहते हैं कि मजदूरों ने इस तरह से हो हुल्लड़ किया । मैं वहां पर था, वहां किस प्रकार का हो हुल्लड़ नहीं हुआ । मजदूर बिल्कुल शांत थे । लेकिन एकदम यहां नोटिस आता है कि वहां पर हो हुल्लड़ होने को है । मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी साहू जैन के इशारे पर चलते हैं । साहू जैन के लिए राठीजी मुख्य मंत्री को अपने इशारे पर चलाना चाहते हैं और मजदूरों को दबाने के लिए इस प्रकार से यह

(श्री विजयसिंह)

कांग्रेस की सरकार आतंक का वातावरण बनाती है। इस तरह का आतंक कभी सहन नहीं होगा। यह जुल्म कभी सहन नहीं किया जायगा। मैं इतनी बात कह कर नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि बाकी बात वह कहें।

एक माननीय सदस्य : वाक आऊट नहीं किया क्या।

श्री जयनारायण सालोदिया : करेंगे साहब तरीके से करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया कि यह बहस अवास्तविक है। उसका सच्चे रूप से जवाब देने का अगर किसी को अधिकार था तो वह सम्बन्धित मंत्री को था। मैं स्वागत करता हूं खान अब्दुल गफ्फार खां यहां आवें, वे हम सब के आदर के पात्र हैं पर सारी की सारी केबिनेट, सब का सब मंत्रिमंडल कोटा जाय उनको विदा, रूखसत करने के लिये और इस सदन की कार्यवाही अवास्तविक रूप से हो, एक महत्वपूर्ण मसले के सम्बन्ध में माननीय श्री मीखाभाई को उत्तर देने के लिये उत्तरदायित्व दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या भीखा भाई मंत्री नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं यह सर्वथा इस सदन का अपमान है। जिस सरकार के अन्दर मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, जहां आधुनिक युग के अन्दर मजदूरों को सामान्यतया जो सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए वे अनुपलब्ध हों और उसके सम्बन्ध में यहां सदन में स्थगन प्रस्ताव आयें और उस समय बहस हों, उस का जवाब भी बिल्कुल लाएतलाली से दिया जाय तो मैं अनुभव करता हूं कि यह आज की सरकार कोई प्रगतिशील सरकार नहीं, यह कोई समाजवादी सरकार नहीं, यह तो एक प्रतिक्रियावादी सरकार है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। माननीय सदस्य (सदन के अन्दर गेट के पास श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता की ओर इंगित करते हुए) यहां खड़े हैं हमें ध्यान से नहीं सुनने दे रहे हैं, इनको या तो बाहर जाने के लिये कहा जाय या सीट पर बैठने के लिये कहा जाय।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इन्होंने वाक आऊट किया है और यहां खड़े हुए हैं तो क्या अपनी पार्टी का विरोध कर रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह सरकार एक लाठी, गोली और टीयर गैस की सरकार है, इस सरकार ने जनता जनार्दन की इच्छा की अवहेलना की है, इस सरकार ने कानून को बिल्कुल बलायेताक रख दिया है, इस सरकार ने जनतंत्र के मौलिक सिद्धान्तों की अवहेलना की है, इसलिये मजदूरों के प्रति••••••

श्री मूलचन्द डागा : मैंने प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया था, उस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सहानुभूति प्रकट करने के लिये हमारे सामने सिवाय इसके इस स्थिति में और कोई चारा नहीं रहता कि•••••

श्री सभापति : इनका पाइन्ट आफ आर्डर है······

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करें। अब पोइंट ऑफ आर्डर हो।

(स्वतन्त्र पार्टी द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री जयनारायण सालोदिया : यह पाइन्ट आफ डिसआर्डर है (जाते जाते)

श्री विजयसिंह : (सदन से बहिर्गमन करते हुए) हम भी सदन से इसके विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं इससे यह साफ जाहिर है कि शान्तिप्रसाद जैन के चमचे ही सदन में रह गये हैं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री की ओर से) : सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी की ओर से निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कोरपोरेशन लिमिटेड का छट्ठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1962—63

(2) नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कोरपोरेशन लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1963-64

(3) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कोरपोरेशन लिमिटेड का आठवा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, 1964-65

(4) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कोरपोरेशन लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, 1965-66

(5) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कोरपोरेशन लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, 1966-67

श्री दौलतराम सारण : यह क्या रामायण पढ़ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप रामायण कहकर इस प्रकार रामायण का अपमान कर रहे हैं।

श्री सभापति : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद।

श्री शीशराम

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय, चूरू के मामले में मेरा स्थगन प्रस्ताव है···

श्री शीशराम : माननीय दौलतराम जी आप बैठ जायं।

श्री सभापति : आर्डर। माननीय दौलतरामजी ने जो बात उठाई है, उसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष बाद में बतायेंगे।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय ने तो व्यवस्था दे दी कि स्टेटमेंट दिया जावेगा, मैं जानना चाहूंगा कि वह वक्तव्य कब दिलाया जावेगा ?

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय ने तारीख फिक्स नहीं की है, तारीख अब तय करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : यह अजीब तमाशा है। अध्यक्ष महोदय ने कल व्यवस्था दे दी कि स्टेटमेंट दिया जावेगा।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय ने "वक्तव्य दिया जावेगा" यह व्यवस्था दी थी पर यह व्यवस्था नहीं दी कि कब दिया जावेगा ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद विवाद

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : सभापति महोदय, मैं गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार प्रगट करने के लिए खड़ा हुआ हूं । गवर्नर महोदय के भाषण में बहुत सारी बातें रह गई हैं । जो मैं आपके द्वारा सरकार के समक्ष पेश करना चाहता हूं । आशा है सरकार उसे मान्यता देगी । सभापति महोदय, मैं एक ऐसे क्षेत्र व जिले से आया हूं जो हरियाणा की सीमा से लगता है । जब वहां के विकास कार्यों को मेरे क्षेत्र के लोग देखते हैं खासतौर से सिचाई के लिए विद्युत्तीकरण । तो उनके दिमाग में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है क्योंकि हरियाणा की तुलना में इस क्षेत्र में बिजली किंचित मात्र भी नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): आन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

यह बिजनेस की लिस्ट दी है इसमें प्रश्नों के बाद आईटम नं. 2 में मेरा काल अटेन्शन नोटिस है, वह हो गया है, उसके बाद आईटम नं. 3 में हैं—

श्री सभापति : रख दिए ।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आप बाहर थे···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पीछे से रख दिए, कर दिया कबाड़ा ।

श्री शीशराम ओला : सभापति महोदय, वहां हरियाणा में हरियाणा की सरकार द्वारा बिजली बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं कि अमुक अमुक गांवों में बिजली देनी होगी, यदि खम्भे नही हो तो दरख्तों पर तार लगाकर, जो किसान कुए खोद लेते हैं उन्हें बिजली दी जावे । सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र हरियाणा से मिला हुआ है । वहां हम जहां भी देखते हैं यही देखते हैं कि हरियाणा में किसानों को बिजली मिली हुई हैं पर उनके आस पास ही रहने वाले हमारे इलाके के राजस्थान के किसान की हरियाण में रहने वाले उनके पड़ौसी किसानों को बिजली मिल जाती है और हमें बार बार लगातार मांग करने पर भी बिजली नहीं मिलती है । एक तरफ तो हरियाण की सरकार है । और दूसरी तरफ हमारी राजस्थान की सरकार हैं । हमारे यहां किसान कुए खोद लेते हैं, किसान को कुए पर बिजली मिले इसके लिए एप्लीकेशन दे देता है । मोटर ले आता है फिर भी बिजली नहीं दी जाती अगर बिजली दे भी दी तो ट्रान्सफोर्मर इतने छोटे लगाए कि ट्रान्सफोर्मर जल जाते हैं, ट्रान्सफोर्मर छोटा लगाया, ज्यादा कुओं को कनेक्शन दे दिए उससे कितनी ही मोटरें जल जाती हैं, नुक्शान केवल मोटरें जलने का ही नहीं है, किसान की फसल बरबाद हो जाती है । किसान को दोहरा नुक्शान हो जाता है और बिजली विभाग आराम से बैठा देखता है । यह राजस्थान की जनता के साथ राजस्थान का बिजली विभाग बड़ा खिलवाड़ कर रहा है । मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान दे । मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार किसानों की इस दिक्कत को समझे और किसानों को बिजली देने का एक टार्जेट

(श्री शीशराम)

फिक्स करे। राजस्थान के लिए बिजली की इस तरह की योजना बने जिससे योजना बद्ध कार्य हो और बिजली किसान को प्राथमिकता देकर देनी चाहिये। एक तरफ जो किसान को बिजली मिलती हैं उसको उससे तेहर चौदह पैसा प्रति युनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं दूसरी तरफ उद्योग से 6 पैसे चार्ज किये जाते हैं। आप देखिये कितना बड़ा फर्क है, किसान अगर खेती नहीं करे तो उद्योग नहीं चल सकता, जो उद्योग का जन्मदाता है। जिसके जरिये सारे उद्योग पनपते हैं उससे 13–14 पैसे प्रति युनिट के लेना और उद्योग से 6 पैसे लेना यह काश्तकार के साथ न्याय नहीं है, यह दुराचरण है। यही नहीं किसान को बिजली देने के लिए आखिर में नम्बर रखा है जबकि उद्योगों और दूसरे सब धन्धों को किसान से पहले बिजली मिलती है। आज राजस्थान में आये दिन अकाल पड़ता है और यहां मिट्टी की तरह पैसा बहाया जाता है, उस राज्य में योजना बद्ध तरीके से प्लान बनाकर बिजली की व्यवस्था न की जाए और हमेशा के लिए अकाल का हल न निकाला जाए यह अच्छी बात नहीं है, बुद्धिमानी की बात नहीं हैं।

इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि बिजली की व्यवस्था सरकार करे। सरकारी अधिकारियों द्वारा किसान को तंग किया जाता है और जहां बिजली की कमी हैं, वहां पर व्यवस्था करके किसान को प्रथम स्थान दिलायें। आसानी से उसको बिजली मिले, यही नहीं ऐसा क्षेत्र भी राजस्थान का है जहां पर या तो जमीन में पानी नहीं है अथवा स्माल होल्डींग्स है जहां पर कुआ खोदकर बिजली लेना लाभप्रद नहीं है और वह तभी हो सकेगी जब बिजली वहां दी जाए जहां पानी प्रर्याप्त मात्रा में है। इसके लिए झूंझनूं जिला सर्व प्रथम है क्योंकि झूंझनूं जिले में पानी की कोई कमी नहीं है। ऐसा होने से किसानों को लाभ मिलेगा राजस्थान के सामने प्रश्न की अकाल की और चारे की आये दिन समस्या रहती है वह भी हल हो सके।

इसी प्रकार राजस्थान में विकास के के नाम पर पैसा खर्च होता है वह समान स्तर पर होना चाहिए, एक तरफ गंगानगर, कोटा और बूंदी और दूसरी तरफ जोधपुर, कोटा बूंदी के पास नहर है, और जोधपुर में अकाल के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। इस सारे का मुआवजा जयपुर अजमेर डिवीजन को देना पड़ता है। हमारे यहां न स्कूल खोला जाता है, लड़के नौकरी के लिये जाए तो नौकरी नहीं मिलती, विकास का कार्य नहीं हो पाता क्योंकि इस डिविजन में धन के अभाव में हर विकास के कार्य. को रोक दिया जाता है यह इसलिये होता है कि बजट का संतुलन ठीक नहीं है, उसका बटवारा ठीक नहीं है। या तो बेहद गंगानगर में नहर पर दिया जाता हैं या बेहद पैसा कोटा बूंदी में दिया जाता हैं या अकाल के नाम पर जो पैसे खर्च होते हैं और राज्य सरकार पर 58 करोड़ रुपये तक का ओवर ड्राफ्ट हो जाता है। आखिर यह व्यवस्था कब तक चलती रहेगी ? आखिर इस सब डिविजन के लोगों ने ऐसा गुनाह क्या किया हैं कि उनके विकास के लिये कुछ नहीं हो पाता ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : बोलते नहीं हो।

श्री शीशराम ओला: इसलिए राजस्थान में पैसे का बटवारा समानस्तर पर हो और हमारे यहां नहर नहीं आ सकती तो युद्ध स्तर पर किसानों को बिजली दी जावें जहां बांध की व्यवस्था हो सके वहां बांध बनाना चाहिए। जहां बांध का स्कोप न हो तो बिजली आनी चाहिए, बिजली का स्कोप न हो तो दूसरी तरह से उस क्षेत्र के प्राकृतिक साधनों को दृष्टि में रखते हुए विकास की व्यवस्था होनी चाहिए। मगर राजस्थान में समान विकास हो, समान पैसा खर्च हो।

तीसरी बात सरकार ने केवल हरिजनों व जन जाति के लिए भूमि के अलोटमेन्ट का प्रावधान रखा है। मैं इस पर सहमत हूं मगर मिलिट्री परसोनेल कहीं भी इससे अच्छी हालत में नहीं हैं। एक लम्बे समय तक वे आर्मी में रहते हैं और पीछे से उनकी जमीन जिसको वे काश्त के लिए बतलाते हैं वो हड़प लेता है इसलिए जब वह फौज से वापस आता है तो भूमिहीन के रूप में बैठ जाता है। वे बेचारे आज इस कड़ाके की सर्दी में, कड़ाके की धूप में, अपने बच्चों को छोड़कर सीमा पर हम सबकी रक्षा करते हैं। उनका इस भूमि आवंटन में जिक्र तक नहीं किया गया है। हरिजनों व जन जाति के साथ मिलिट्री परसोनेल को भी जोड़ा जाए और हरिजनों व जन जाति को जैसे भूमि मिलती है वैसे मिलिट्री परसोनेल को भी मिले। सरकार ने केवल 15 बीघा रखा है यह न रखकर 25 बीघा दे क्योंकि 15 बीघा जमीन कम है उससे कोई परिवार अपना निर्वाह नहीं कर सकता।

चौथी समस्या छात्र आन्दोलन की है। सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया कि आखिर छात्र आन्दोलन क्यों करते हैं, क्या बात है? ठीक है, वे राष्ट्र के हित में गलत कर जाते हैं जैसे तोड़ फोड़ करते हैं, कई गलत कार्य करते हैं, बसों को तोड़ते हैं, मगर आखिर वे बच्चे हैं। हो सकता है उनमें समझ न हो उन्होंने गहराई से न सोचा हो, आवेश में भावावेश में आते हों लेकिन इसके पीछे उनको बहुत बड़ी निराशा है उस पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि इस तरह की व्यवस्था वे स्वंय नहीं करना चाहते। मैं निवेदन करूंगा कि जैसे आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए रिजर्वेशन रखा है उसी प्रकार से देहाती क्षेत्र के नाम से कम से कम नौकरियों में 50 प्रतिशत रूरल परसन्स होने चाहिए ताकि गांवों के लड़के अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो बेकार बैठ जाते हैं और इस सरकार के प्रति और स्वयं के प्रति निराश हो जाते हैं और यही नहीं प्रथम श्रेणी प्राप्त जो इंजिनियर आज सड़क पर रोड मास्टर होकर फिरते हैं उनके तक भी नौकरी की व्यवस्था नहीं होती मैं समझता हूं एक गरीब का बच्चा जहां बाप ने जमीन बेचकर और मां ने जेवर बेचकर शिक्षा प्राप्त की है, आज उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो इससे बड़ा उनके साथ कुठाराघात, दुर्व्यवहार, अत्याचार और अन्य नहीं हो सकता तो रिजर्वेशन की बड़ी आवश्यकता है, देहाती क्षेत्र के नाम से किसी भी जाति का हो, 50 प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए।

गांवों में आप देखेंगे कोई आफिसर नहीं मिलेगा जो आफिसर पहले बना हुआ है। एक परम्परा हो गई है, उन्हीं के परीवार के लोग ऑफिसर्स बनेंगे, उनका बच्चा

(श्री शीशराम ओला)

पब्लिक स्कूल और इसी प्रकार की दूसरी शिक्षण संस्था में पढ़ सकता है, उनका रहन सहन व वातावरण अच्छा है, मगर किसान का गांव में रहने वाला बच्चा, वह न अच्छे वातावरण में पला है, न अच्छी शिक्षण संस्था में पढ़ा है। एक गांव के स्कूल का बच्चा और पब्लिक स्कूल का बच्चा, दोनों का स्तर कभी भी एक नहीं हो सकता या तो सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को तुरन्त बन्द करदे या गावों में ऐसी शिक्षा प्रणाली शुरू करे ताकि कम्पीटीशन में आगे चल कर बैठ सकें और पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए बच्चे के मुकाबले में परीक्षा में टिक सके और नौकरी प्राप्त कर सके। जब तक सरकार इस तरह की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तब तक सरकार को चाहिए की यह 50 प्रतिशत रिजर्वेशन देहाती लड़कों के लिए करदें, हर सर्विस में ताकि वे अपने आपको पिछड़ा हुआ मानते हैं वे उनके बराबर आजाए, राजस्थान में तो क्या भारत में शिक्षा प्रणाली एक हो तो मैं समझता हूं कि उनके दिमाग में आज जिस प्रकार का भेदभाव और निराशा नहीं रहेगी ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 50 प्रतिशत कम पड़ता है ।

श्री शीशराम ओला : जो भी हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 50 प्रतिशत रिजर्वेशन से शिक्षा में सुधार हो जाएगा?

श्री शीशराम ओला : आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार हो जाएगा। तब गांव के लोग दूसरे स्कूलों में अपने बच्चों को बिठाने में समर्थ होंगे। आज गांवों की स्थिति क्या है ? 20 वर्ष पहले गांव में तार पढ़ने वाला नहीं था, नजदीक के शहर में जाते थे। आज इस सरकार ने स्कूल खोले, लेकिन उन स्कूलों में शहर की स्कूलों के मुकाबिले में प्रर्याप्त शिक्षा नहीं जितनी कि पब्लिक स्कूलें आदि में हैं। गांवों के स्कूलों में इक्वीपमेंट नहीं हैं, बिल्डिंग्स नहीं हैं, कोई सामान नहीं हैं अच्छा मास्टर वहां नहीं जा पाता है, क्योंकि मोटर नहीं जाती है, अस्पताल नहीं, मास्टर के लिए आवास व्यवस्था नहीं है, पहले तो गांव में बच्चा पढ़ता नहीं था। शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, और आज नाम मात्र की शिक्षा की व्यवस्था हुई तो उनके नाम पर असर आया कि आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी नौकरी मिलेगी, उधर उन्होंने सारा रुपया खर्च कर दिया। उनके माता पिता ने जो थोड़ी पूंजी थी वह भी इस पर खर्च कर दी और नतीजा क्या हुआ निरर्थक। आज सरकार और हम सदन में बैठने वाले इस बात की अवहेलना करते हैं कि गांव के बच्चों की शिक्षा है वह कोई खास बात नहीं है। खास तौर से अधिकारी अवहेलना करते हैं कि तुम्हारे बाद में कोई गांव का व्यक्ति आ जाय। वही अधिकारी गांवों के बच्चों के मुकाबिले में अपने दोस्त और रिश्तेदारों के बच्चों को लगाना चाहेगा। जब आजादी के पहले गांवों में शिक्षा नहीं थी तब भी उनकी अवहेलना होती थी और आज जब कि गांव गांव में शिक्षा है तब भी इस प्रकार की अवहेलना है। आज गांवों की उन शिक्षण संस्थाओं के बालकों को वह शिक्षा नहीं मिल पाती है जो शहर की शिक्षण संस्थाओं में मिल पाती है। इसलिए यदि 50 प्रतिशत रिजर्वेशन उन बच्चों के लिए करने में समर्थ हैं तो वह कर दीजिये यदि इससें भी सरकार अपने आपको असमर्थ पाती है तो 30 प्रतिशत तो

Page No 98

(श्री शीशराम ओला)

निश्चित ही कर दीजिये। अगर सरकार इसके लिए रिजर्वेशन नहीं करेगी तो एक अच्छी व्यवस्था का रूप नहीं होगा। आपने हरिजन, जन जाति और अनुसूचित जन जाति को रिजर्वेशन दिया है तो उनको भी रिजर्वेशन दिया जावे क्योंकि हरिजनों के रहन सहन व आवास में उनसे कोई अन्तर नहीं है। न तो आज उनके पास ऐसे कपड़े हैं, न चिकित्सा और न आवास का प्रबन्ध है और न ही यातायात की व्यवस्था है। इस दृष्टि से जरूरी है कि यदि हम समाजवाद में एक जैसी व्यवस्था चाहते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप उनके बच्चों के लिए भी व्यवस्था करें। एक समान अधिकार देना चाहते हैं तो उनके लिए भी रिजर्वेशन करके शहरी लोगों के परम्परागत उच्च अधिकारियों एवं साधन सम्पन्न परिवारों के समकक्ष लाने के लिए विशेष ध्यान दें। यह मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है।

इसके साथ साथ इन्डस्ट्रीज की आज राजस्थान में जो एक कमी है और समस्या है उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यदि इन्डस्ट्रीज बढ़ेगी तो देश का प्रोडेक्शन बढ़ेगा और अनएम्पलोयमेन्ट फैला हुआ है वह रुकेगा। लोगों को एम्पलोयमेन्ट मिलेगा। इसलिए राजस्थान में छोटी और बड़ी इन्डस्ट्रीज बढ़ाई जाय। उसके लिये उपयुक्त वातावरण हो। आज राजस्थान के लोग दूसरी जगह ज्यादा से ज्यादा इन्डस्ट्रीज लगाए हुए हैं। वे यहां आना भी चाहते हैं, इसलिए एक प्लान बना कर योजनाबद्ध तरीके से इन्डस्ट्री को अपने यहां पर प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए वातावरण ऐसा पैदा करना चाहिए ताकि इन्डस्ट्री लगाने वाला यह महसूस करे कि यहां मेरी रकम और इन्डस्ट्रीज को कोई खतरा नहीं है। तो आसानी से वह यहां पर इन्डस्ट्री लगा सकेगा। मैं चाहूंगा कि राजस्थान में इन्डस्ट्री ज्यादा से ज्यादा बढ़े जिससे राजस्थान के लोगों की गरीबी और बेरोजगारी दूर हो और राजस्थान में खुशहाली पैदा हो। यदि सरकार इस समस्या का हल निकालना चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितना ही पानी नदियों और पहाड़ों का बेकार जाता है। अकाल पर ज्यादा पैसा खर्च न करके वहां के पानी को रोका जावे और किसानों के लिए व्यवस्था की जावे तो अकाल की समस्या और बेकारी समस्या हल होगी। आज भूमि पर सीलिंग लागू होने जा रहा है यह गवर्नर महोदय के अभिभाषण में भी है। गवर्नर महोदय ने अच्छा किया। मैं उनके भाषण का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं मेरी बात को शामिल करते हुए। आजादी के पहले किसान के पास पहनने को कपड़ा नहीं होता था, एक कमरी कमीज नहीं मिलती थी केवल धोती ही अपने शरीर पर रखता था और नंगे शरीर काम करता था, हालत कमजोर थी। आज 22 वर्ष के शासनकाल में ज्यादा से ज्यादा दे पाये हैं तो उसको कुर्त्ता दे पाये हैं। मकान नहीं दिया। वह कुर्त्ता आप सीलिंग लगा कर छीनना चाहते हैं। शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग नहीं लगाते और उसकी लिमिट हो तो हम समझेंगे कि गांव और शहर के लिये सरकार एक ही दृष्टि से सोचती है। सीलिंग की 30 एकड़ की जो सीमा है उसे बढ़ाया जावे। जितना उसको बढ़ाया जावेगा उतना ही काश्तकार प्रोडेक्शन दे पायेंगे और यदि कम जमीन हुई तो कम दे पायेंगे। कम जमीन होने से न तो किसान को फायदा है और न ही देश को।

(श्री शीशराम ओला)

इसलिए मैं चाहूंगा कि जमीन का सीलिंग कम नहीं रख कर ज्यादा रखा जाय। 30 स्टैंडर्ड एकड़ रखा है उसके बजाय 50 स्टैंडर्ड एकड़ किया जावे तो ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि 30 एकड़ में किसान अपना निर्वाह नहीं कर सकता, बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता और न ही आधुनिक जीवन रख सकता।

सभापति महोदय, मैं खास तौर से झुंझनूं जिले के बहादुर लोगों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, वे बहादुर लोग इस सर्दी के मौसम में देश की सीमाओं पर तैनात हैं उनके बच्चों के लिए न अच्छी शिक्षा है और न ही होस्पीटल व यातायात की सहूलियत कर पाये हैं। आज अगर आंकड़े देखे जाय तो कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां 50 प्रतिशत फ्लू और अन्य बीमारियों से लोग पीड़ित न हों डाक्टर को इत्तला नहीं दे पाते और अगर दे पाते है तो यातायात के अभाव में डाक्टर वहां पहुंचता ही नहीं है। इसलिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए कि हर दस मील की दूरी पर अथवा 5 मील की दूरी पर एक होस्पिटल हो और वह सड़क से जुड़ा हो ताकि आने जाने में दिक्कत न हो और वहां पर टेलीफोन की व्यवस्था भी हो ताकि मरीजों को सवारी की व्यवस्था न हो तो टेलीफोन के जरिये डाक्टर को काल कर सकें। खास तौर से उस जिले में जहां वीर बहादुर सेना में तैनात हों, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सके और उनकी चिकित्सा की कोई व्यवस्था न हों, तो आगे आने वाले जमाने में किस प्रकार उनको सेनानी बना सकेंगे। इसलिए उचित है कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा और चिकित्सा का प्रबन्ध करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गवर्नर साहब के भाषण का समर्थन करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

(3 म. प.)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। अगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को देखा जाय तो, सभापति महोदय, उसको देखने से स्पष्ट लगता है कि वह अभिभाषण किसी अभिप्राय से नहीं था बल्कि एक संवैधानिक परम्परा निभाने मात्र के लिये था। वह केवल संवैधानिक परिपाटी पूरी करने के लिये कराया गया था।

सभापति महोदय, संविधान संशोधन बिल को पास करना आवश्यक था और उसके लिये विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाना जरूरी था। जब नये साल में विधान सभा का सत्र बुलाया जाता है तो यह आवश्यक होता है कि उसके पहले अभिभाषण राज्यपाल का करवाया जाय। मुझे समझ में नहीं आता आज राजस्थान प्रदेश की जो भिन्न भिन्न स्थितियां हैं उनके बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं था। आज प्रदेश के अन्दर पढ़ा लिखा वर्ग है उसके अन्दर जिस प्रकार का असन्तोष दिखाई दे रहा है, जो उनमें बेकारी की समस्या है इस ओर न कोई इशारा है और न कोई उसके समाधान का उपचार ही किया गया है।

इसी प्रकार से सभापति महोदय, राजस्थान के उद्योगीकरण के बारे में बातें कही जाती हैं, इस बारे का न इशारा है और न

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मजदूरों के संबन्ध में कोई इशारा है। आज प्रदेश के अन्दर अपराधों की मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है उसको रोकने में सरकार अपने आपको बिल्कुल असमर्थ पा रही है उस ओर भी किसी दिशा का संकेत इसमें नहीं है। आज इस अभिभाषण के माध्यम से हमारे मुख्य मंत्री सारे देश के अन्दर वाह वाही लेना चाहते हैं। पहली बार यह घोषणा की गई थी राजस्थान पहला प्रदेश है जहां पंचायत राज की स्थापना हुई है। इस अभिभाषण को देखने से पता चलता है कि जो भी घोषणायें इसके द्वारा की जाती हैं उनका पालन करने में यह सरकार उतनी ही ढिलाई बता रही है। आज इस अभिभाषण में बम्बई अधिवेशन के तुरन्त बाद सबसे पहले घोषणा करती है सीलिंग के बारे में। सीलिंग को कड़ाई के साथ लागू किया जायगा। यह समाजवाद की दिशा दिखायी है और कहा गया है कि जो एग्जेम्प्शन्स दिये गये हैं वे हम विथड्रा करते हैं। यह घोषणायें बहुत अच्छी हैं लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सीलिंग को लागू करने से आपको रोका किसने था? समय समय पर बहाने बना कर इसको लम्बा खीचते रहे कहते रहे कि इसमें पेचीदगियां है आदि आदि। और अब एक दम आपने नारा दे दिया हम सीलिंग को कड़ाई से लागू करेंगे। लेकिन निश्चित तारीख तय की गई हो ऐसा नजर नहीं आता। जहां सीलिंग के एग्जेम्प्शन को विथड्रा करने वाली बात है राजस्थान सरकार इसको अच्छी तरह से जानती है कि जो हमने आंकड़ों के आधार पर लोगों को अधिकार दिये हैं उसके अनुसार ये घोषणायें कानून सम्मत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कोन्स्टीट्यूशन में अमेण्डमेण्ट न हो। यह सरकार अच्छी तरह जानती है। सरकार की केवल घोषणायें ही हैं, यह हाई कोर्ट में जाकर नल एण्ड वोइड होने वाली है। इसमें काफी पेचीदगियां हैं जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं जो एग्जेम्प्शन आप विथड्रा करने जा रहे हैं सीलिंग कानून के तहत तो सरकार ग्रोवलेण्ड के बारे में क्यों चुप है बाग बगीचे के नाम से जो जमीन है उनके बारे में क्यों चुप है इनको एग्जेम्प्शन विथड्रा करने की घोषणा नहीं की। ग्रोवलैण्ड और बाग बगीचों पर एग्जेम्प्शन्स आप रखना चाहते हैं इसमें सौदेबाजी करके आप उनको वहीं पर बसाये रखना चाहते हैं। सरकार इस बात की घोषणा करे कि ग्रोवलैण्डस पर एग्जेम्प्शन्स विथड्रा करने के लिये विचार किया है। जो आपने एग्जेम्प्शन्स की घोषणा की है उसके बारे में विधि विभाग से परामर्श लिया है या किसी स्तर पर कानूनी सलाह ली है? इसका सरकार जवाब नहीं देगी। सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं यह केवल नारा है, जनता को गुमराह करने का नारा है। बम्बई में जिस समाजवाद की घोषणा की थी उसको ढकने का, जनता को गुमराह कर उनकी आखों में मिर्च डालने का यह षड़यन्त्र है, एक धोखा मात्र है।

सभापति महोदय, जगह जगह इस बात का जिक्र होता है . . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): माननीय सदस्य की पार्टी का एग्जेम्प्शन्स के बारे में क्या रुख है

श्री कृष्णकुमार गोयलः आरम्भ से ही हमारी पार्टी ने सीलिंग का समर्थन किया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है, सिलिंग की सीमा पर विवाद हो सकता है। हम जहां सीलिंग को मन्जूर करते है वहां एग्जेम्पशन्स किसी भी सिद्धांत पर वाजिब नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: (बाढमेर): जो केटल ब्रिडिंग फार्म के लिये छोड़ा है उसके बारे में क्या नीति है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल: जहां हम एग्जेम्पशन्स के विरोधी हैं वहां यह केटल ब्रिडिंग आदि के लिये जो फार्म छोड़े हैं वह केवल फ्राड है, धोखा है। जहां सीलिंग के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं वहां पर हम एग्जेम्पशन्स देते हैं तो वह तो धोखा मात्र है जो चल नहीं सकता।

श्री रामकिशन (बैर): आपकी सीलिंग की सीमा के बारे में क्या राय है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल: इसके बारे में स्पष्ट धारणा है, सभापति महोदय, हम स्पष्ट हैं ...

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना): आपके दल में महारानी शिवकुमारीजी भी हैं, उनकी भी राय आपके समान है क्या ?

श्री कृष्णकुमार गोयल: दल हमेशा व्यक्ति से ऊपर होता है। दल किसी व्यक्ति को सामने रखकर अपनी नीति नहीं बनाता है ...

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): अगर दल की नीति महारानीजी को पसन्द नहीं होगी तो वे दल छोड़ देंगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल: सीलिंग की सीमा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश के अन्दर सत्तर प्रतिशत जनता खेती का काम करती है। आज जिस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अन्तर्गत पंच सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, विधायक और पार्लियामेंट के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। इस समाजवादी व्यवस्था में आप सीलिंग की सीमा निर्धारित करना चाहते हैं तीन स्टेण्डर्ड एकड़ की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक किसान जिसके पांच बच्चे हैं उसके पास 30 स्टेण्डर्ड एकड़ जमीन है वह किसान इतनी सी जमीन से अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण कर पायगा और उसके बाद क्या बचत कर पायगा जिससे वह इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव लड़ सके। क्या वह भविष्य की वह कल्पना भी कर सकेगा क्योंकि वह या उसके बच्चे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव के खर्च होते हैं वह वहन कर मुख्य मंत्री बन सकेगा।

श्री मदनसिंह: यह कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वह केवल खेती ही करे दूसरा बिजीनेस भी कर सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: आप घोषणा के नाम पर घोषणा को छोड़ दीजिये। क्या आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि से वह अपने पांच बाल बच्चों के परिवार का भरन पोषण कर कुछ चुनाव के लिये बचा सकता है ? कभी नहीं बचा सकता। ऐसी हालत में होगा क्योंकि किसान का बच्चा लोकसभा या विधान सभा में आ नहीं पायगा। प्रधान तक का वह चुनाव नहीं लड़ पायगा। हम इस बारे में बिलकुल स्पष्ट हैं। हमारी आय का साधन इतना अवश्य होना चाहिये जिस आय से कम से कम पांच बाल बच्चों का भरन पोषण हो सके और वह कुछ भविष्य के लिये

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

बचा भी सके। जिससे सालाना बीस हजार रुपये की आय हो इतने साधन अवश्य होने चाहिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : फिर लैण्डलेस टीनेन्स का क्या होगा ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप एग्जेम्पशन्स को विथड्रा कर लेते हैं, हटा देते हैं तो उससे ही आपको काफी जमीन मिल जायगी। वह जमीन लेण्डलेस को दी जा सकती है। किसानों को केवल इस नारे पर कि उनको जमीन देनी है उनको पागल बना देने के अलावा कुछ नहीं। इससे समाज के अन्दर समानता आने वाली नहीं है। एक तरफ जिसके पास आजीविका के पूरे साधन हैं, उनसे छीनकर दूसरों को देकर आप समाज में किसी प्रकार भी तरक्की नहीं कर पायेंगे। आज यह सरकार घोषणायें जरूर करती हैं, समाजवाद की बातें जरूर करती हैं लेकिन लोकतंत्र है कहां पर ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आपने जैसा कहा कि बिना पैसे के कोई मुख्य मंत्री नहीं बन सकता,तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी राज्य सरकार बनती है वह क्या पैसे से बनती है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सीधा और अच्छा प्रश्न आपने किया है। पर लोगों की राय जानने के साधन, राय जानने के लिये कैनवेसिंग के साधन जो आज महंगे हो गये हैं, खर्चीले हो गये हैं इससे आंख नहीं मींची जा सकती। सिद्धान्त की बातें की जा सकती हैं, पर वास्तविकता जो आज चुनावों के लिये कैनवेसिंग वगैरह की है, उससे आंख मींच कर नहीं चला जा सकता। एक्सेप्शन हो सकते हैं।

आज लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कही जाती है। मैं पूछता हूं किस लोकतांत्रिक समाजवाद की वे बात कर रहे हैं। किसका ढिंढोरा पीटकर वे कहते हैं कि हम समाजवाद चाहते हैं लोकतंत्र चाहते हैं। राजस्थान में टोंक चौथे आम चुनाव से लेकर आज तक अभागा रहा कि उसका प्रतिनिधित्व आज तक यहां पर नहीं हो सका। यह इनके लोकतंत्र की निशानी है। चौथा आम चुनाव हो चुका। आज 70 में हम यहां बैठे हैं तीन साल हो गये, पर तीन साल के बाद भी आज उस क्षेत्र का प्रतिनिधि यहां नहीं है। नगरपालिकाओं के चुनाव के लिये कितनी बार घोषणायें की गई। सदन को गुमराह किया गया। पर आज तक उनका चुनाव नहीं कराया गया। यही हाल पंचायतों के चुनावों का है। बार बार आर्डिनेन्स और एक्टों का सहारा लेकर पंचायतों के चुनाव सरकाये जा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या बताती है ? क्या इसी तरह लोकतंत्र में आस्था रखने वाले ये लोग ईमानदारी से उसका पालन करना चाहते है? और राजस्थान की तो हालत कुछ अजीब है। इस लोकतंत्र का गला घोंटने के लिये जिस तरह का षडयंत्र यहां किया जा रहा है, मैं समझता हूं, देश में दूसरे किसी प्रदेश में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। यह सरकार कैसे बनी ? इसकी काफी विस्तार से यहां चर्चा हो चुकी है। दुबारा इसका जिक्र नहीं करना चाहता। लोगों को गोलियों से कैसे भूना गया, यह सब जानते हैं, काफी चर्चा हो चुकी है। साहू जैन की थैलियां कैसे खुलीं इसका भी जिक्र मैं नहीं करूंगा। प्रश्न उठता है विधान सभा में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कि सरकार की तरफ से मंत्री जाते हैं, घोषणा करते हैं, ये विरोधी दल के विधायक का क्षेत्र है, इसलिये इसमें विकास का काम नहीं होगा। क्या यही लोकतंत्र में आस्था का आपका नमूना है ? आज सारे राजस्थान भर में जगह जगह सूबेदार बना दिये गये हैं। कोटा जिले के सूबेदार मथुरादासजी माथुर नियुक्त किये गये हैं। फलां जिले के फलां मंत्रीजी। आज केबिनेट स्तर के मंत्रियों को सूबेदार बनाया है।

श्री रामकिसन : सूबेदार नहीं, जिलेदार।

श्री कृष्णकुमार गोयल : और इन सूबेदार या जिलेदारों का काम क्या है ? वे सोचें कि यहां कोई कुआ खुदवा दिया जाय, यहां कोई विकास का काम कराया जाय, यह नहीं हो सकता। इन सूबेदारों और जिलेदारों का काम यह है कि किसी चपरासी का तबादला करा दिया, तो किसी पटवारी का तबादला एक जगह से दूसरी जगह कर दिया, इस बी.डी.ओ. का तबादला वहां कर दिया, यानी छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक किसका तबादला किस जगह कराया जाय किसको लाकर कहां लगाया जावे यह सारी जिम्मेदारी जिलेदार पर है और वे दिन भर इसी में लगे रहते हैं। कभी कभी तो एक एक ट्रान्सफर को चार चार और पांच पांच बार इधर से उधर किया जाता है। ऐसी स्थिति इन जिलेदारों और सूबेदारों ने बना रखी है। क्या यही लोकतन्त्र में आपकी आस्था का नमूना है ? इसी आधार पर आप लोकतन्त्र में आस्था बना कर कहना चाहते हैं कि हम लोकतन्त्र के हामी हैं ? सभापतिजी, आप आश्चर्य करेंगे कोटा की तो इन्होंने यह हालत बना रखी है कि कोटा का पत्थर भी अगर कोई हो तो उसके लिये कह देंगे कि यह जनसंघी है।

श्री मोहनलाल मोदी : सारे राजस्थान में ही क्या, ये पत्थर तो सारे हिन्दुस्तान में लगे हुए हैं।

श्री मदनसिंह दांता : तो उन सब में जनसंघ के कीटाणु होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो फोबिया हो गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो चाहे छोटे लेवल के कर्मचारी हों या बड़े, अगर किसी का तबादला करना हो या कराना हो तो सीधा और सबसे सरल उपाय यह है कि उसके बारे में यह कह दिया जाय कि यह जनसंघी है। उसका फौरन तबादला हो जावेगा। जो कोई भी छोटा कर्मचारी हो, व्यापारी हो या छोटा आदमी हो, अगर चाहे कि इसका तबादला हो जाय तो एक ही बात कह दे कि यह जनसंघी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन बातों के आधार पर ही आप राजस्थान का नव निर्माण करना चाहते हैं। इन्हीं तरीकों से लोकतन्त्र में आस्था बना कर रखना चाहते हैं ? आपकी इन हरकतों से लोकतन्त्र स्वस्थ नहीं होने वाला है। लोकतन्त्र की बात वह कहें जो उस पर अमल करे। आपके आज तक के काले कारनामों को देखकर तो आज लोकतन्त्र में लोगों को शंकाएं उत्पन्न होने लग गई हैं। आप तो इन कारनामों से अब देश में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं ला सकते। कभी नहीं ला सकते। इसकी सारी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जिम्मेदारी आप पर है। बुद्धिजीवी वर्ग आज विचार करने को बाध्य हो गया है कि क्या लोकतन्त्र के आधार पर देश की तरक्की कर पावेंगे। लोकतन्त्र के आधार पर परिवर्तन ला पावेंगे, जनता की गरीबी दूर कर पावेंगे। यह शंका वे लोग आज करने लग गये हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी और दल पर नहीं, बल्कि कांग्रेस दल की है, राजस्थान की सरकार की और केन्द्र में कांग्रेसी सरकार की है।

समाजवाद की बात की जाती है। समाजवाद का इनका नमूना विधान सभा में हम देख रहे हैं। सवाई माधोपुर में कई दिनों से मजदूरों की हड़ताल चल रही है। 38 दिनों से चल रही है। पर सरकार कानों में तेल डालकर बैठी है। चुप ही होकर नहीं बैठी है, बल्कि इसका दमन करने का षड़यन्त्र कर रही है। उसका दमन कराया जा रहा है। मैं कह देना चाहता हूं इस सरकार से कि मजदूर कभी भीख नहीं मांगता। मजदूर कभी हाथ नहीं जोड़ा करता। अपने अधिकारों को, अपनी मांगों को, संघर्ष के द्वारा लेना जानता है। वहां का मजदूर विश्वास नहीं करता कि मामला ट्रिब्यूनल में जावे और तीन चार साल तक लटकाता रहे। वह दो तीन साल के लिये मामले को उलझाना नहीं चाहता। वह तो कलेक्टिव बारगेनिंग के आधार पर अपनी शक्ति के आधार पर, पूंजीपतियों से अपनी मांगों को मनवाने की स्थिति में है। लेकिन आज हम उल्टे मजदूर को रोक रहे हैं। कम से कम यह सरकार उस पूंजीपति की कठपुतली न बने और फरजी मुकद्मे मजदूरों पर बनाने में सहयोग न दे। 144 लगाकर झूठे मुकद्मों में फंसाने के षडयंत्र में यह सरकार भागीदार बनती जा रही है और पूंजीपति की सहायता कर रही है. इससे विरत हो। मैं भी इसलिए कह रहा हूं। समाजवाद का ढोल पीटा जा रहा है और इसकी आड़ में स्वार्थ साधा जा रहा है। अपनी सत्ता को षड़यन्त्रों से टिकाये रखने का प्रयत्न किया जा रहा है।

समाजवादी सरकार की प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी कोटा पधार रही हैं 9 फरवरी को। समाजवाद की नई हवा देने के लिये, उन खिड़कियों से नई हवा लाने के लिये वह आ रही हैं? नहीं तो, फिर क्यों आ रही है? सभापतिजी, आप आश्चर्य करेंगे कि वे राणा प्रतापसागर का उद्घाटन करने के लिये आ रही हैं, यह कहा जा रहा है। यह तो ढोंग है। राणा प्रतापसागर बांध का उद्घाटन कभी का हो चुका, कभी से बिजली का उत्पादन वहां से किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। अब कोई उद्घाटन उसका बाकी नहीं रह गया है। दस पांच लाख खर्च करवाना है। इसके लिये 60-70 हजार की लेबोरेटरी को डिसमेन्टल करके बराबर करने के लिये उसे बुलाया जा रहा है। और फिर बुलाया जा रहा है उनको अपने प्रदेश में कांग्रेस को पनपाने वाले, उसके चन्दे में थैली देने वाले पूंजीपति डी. सी. एम. कन्र्सन के फरटीलाईजर फेक्ट्री का उद्घाटन करने के नाम पर।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसमें क्या ऐतराज है? इसमें नुकसान क्या है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : खाद के इस कारखाने को चालू हुए काफी अरसा हो

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

चुका। उद्घाटन उसका कभी का हो चुका, प्रोडेक्शन जारी है, फिर आज कौनसा उद्घाटन आगया उसका ? केवल मात्र यह पूंजीपति प्रधान मन्त्री को अपनी ट्रेप में लेकर वहां पर उनकी खुशामद और खुश करने का प्रयास करे, केवल इस आड़ में उद्घाटन की बात कही जा रही है। वरना यह कांग्रेस पार्टी इस डी. सी. एम. फैक्टरी के नाले से जो जहरीली वस्तुएं निकल कर वहां के पहाड़ी नाले को जहरीला बना रही है, जिसके कारण सैकड़ों मवेशी मर चुके हैं, पानी उस नाले का जहरीला हो चुका है उसके खिलाफ आन्दोलन कर चुकी है।

तीन दिन पहले कोटा में इस कांग्रेस ने डी. सी. एम. फैक्टरी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। एक तरफ समाजवाद का नारा लगाया जावे, और दूसरी तरफ असन्तुलन को देश में बढ़ाया जावे ताकि पूंजीपति पूंजीपति बनता चला जावे और गरीब गरीब बनता जावे। केवल नारे की आड़ में ये भी गरीबी को बहकाना चाह रहे हैं। केवल इस दृष्टिकोण से समाजवाद की आड़ में शिकार खेला जा रहा है।

आज केवल यही उद्योगपति नहीं है अकेला जिसको करोड़ों रुपया कर्जा दिया गया है। अनेकों को करोड़ों रुपया दिया गया है और यह जानते हुए कि उसका समय पर उपयोग नहीं किया गया है। डी. सी. एम. है, जे. के. इन्डस्ट्रीज है, साहू जैन को देख लीजिये। सारे पूंजीपति पनप रहे हैं सरकारी सहयोग और समर्थन से। आज इनको भूमि के मामलों में सारी सुविधाएं, बिजली में सुविधाएं और रियायतें राज की गरीब जनता के टेक्सों की कीमत पर, सब बातों में सुविधा। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से कि बड़े बड़े कारखानें इन्होंने लगाये हैं, क्या सरकार यह समझती है कि इसके कारण से सरकार के खजाने में पैसा आवेगा, यहां के लोग पनपेंगे मजदूर खुशहाल होंगे ? सभापतिजी, आप आश्चर्य करेंगे कि कोटा नगर में जितने ऐसे उद्योग हैं उनके किसी के सेल डिपो राजस्थान में नहीं है। हैड आफिस सारे राजस्थान के बाहर हैं। डी. सी. एम. का दिल्ली में जे. के. का कानपुर में। सेलटेक्स वे अदा नहीं करते क्योंकि सारा सेल हैड आफिस से होते हैं और इसी प्रकार से इन्कम टैक्स का हाल है। स्टेट को जो हिस्सा मिलना चाहियें वह भी नहीं मिलता। वह भाग मिलता है दिल्ली या उत्तर प्रदेश को। कोटा को कहां जाता है कि वह राजस्थान का कानपुर है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि करोड़ों और अरबों रुपये इन पर आप खर्च कर रहे हैं पर आप को मालूम है इनमें अधिकांशतः मजदूर जो काम कर रहे है वे भी राजस्थान से बाहर के हैं। मैं कह सकता हूं 30 प्रतिशत भी राजस्थान के नहीं है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ की बात छोड़िये पर राजस्थान के भी 30 परसेन्ट नहीं है। क्या सरकार ने इस पर विचार किया ? जो उद्योग राजस्थान में लग रहे हैं, उनमें मजदूर अगर खपे तो राजस्थान के खपे। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़ के दस परसेन्ट मजदूर भी इनमें नहीं हैं। जहां तक दूसरे क्लेरिकल मिनिस्टेरियल और टैकनिकल स्टाफ का सवाल है उनकी हालत तो और भी आश्चर्यजनक है, 90 प्रतिशत से भी अधिक लोग बाहर के हैं ऐसे उद्योग हमारे यहां लगाये जा रहे हैं। दूसरी तरफ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कच्चे माल के कोटा के अभाव में राजस्थान

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

में दम तोड़ रहे हैं। सूख रहे है। आज से 90 प्रतिशत के करीब ठप्प पड़े है। तो मैं समझता हूं एक या दो कारखाने लघु उद्योग के काम कर रहे होंगे, बाकी पर ताले पड़े हुए हैं या कच्चा माल आता है उसको ब्लैक में बेच देते हैं। इसके अलावा और कोई उनके लिये रास्ता भी नहीं है। उनको उत्पादन के लिये कच्चा माल नहीं मिल पाता और वहां पर बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों के बीच तारतम्य भी नहीं है। वहां पर जो उद्योग हैं वे सारा सामान बाहर से मंगवाते हैं और उनके सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी बाहर जाते हैं। कोटा के अन्दर ही उन बड़े उद्योगों के जो बाइ प्राडक्ट्स है और वेस्ट प्राडक्ट्स हैं उनसे कोई वहां पर लघु उद्योग चलाया जाये ऐसी व्यवस्था भी नहीं है।

आज सरकार नारा देती है कि राजस्थान में प्रगति बढ़ रही है, यह केवल नारा ही है। वास्तव में इसके पीछे चन्द पूंजीपतियों को ही राजस्थान में बढ़ावा दिया जा रहा है और जो लघु उद्योग पनपने चाहिये थे वे सिसक रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं बन्द पड़े हुए हैं।

सभापतिजी, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के द्वारा गंगानगर आन्दोलन के बारे में कुछ घोषणाएं करवाई गई हैं। घोषणाएं अधूरी ही है। वे घोषणाएं गंगानगर आन्दोलन को स्थगित करवाने के लिये, उसको खत्म करवाने के लिये की गई है। वे केवल उन आन्दोलन कारियों को चकमा देने के लिये कार्रवाई की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों की बातों को लेकर, मेटरमेंट लेवी को लेकर और अन्य सवालों को लेकर जो घोषणाएं करवाई गई हैं, अगर उसमें सारे राजस्थान का ध्यान रखा जाता तो ठीक होता। लेकिन सारे राजस्थान का ध्यान नहीं करके केवल गंगानगर के आन्दोलनकारियों को हतोत्साहित करने के लिये झूठी घोषणाएं करवाई गई हैं।

सभापतिजी, मैं प्रारम्भ से कहता रहा हूं कि अब तक जितना भी विकास हुआ है वह अधिकतर शहरों में ही हुआ है। अधिकतर पैसा शहरों में ही लगाया गया है। लेकिन राज्य सरकार ने कभी भी उन शहरों के बारे में, चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे कॉलेज खोलने का सवाल हो चाहे और कोई सुविधा देने का सवाल हो, कभी भी शहरवालों से बेटरमेंट लेवी लेने का प्रश्न राज्य सरकार ने नहीं उठाया। आज इन्जीनियरिंग कालेजेज खुले हैं मेडीकल कालेजेज खुले हैं, तो जिन जगहों पर और जिन शहरों में वे खुले हैं और उन शहरों को जो दूसरी सुविधाएं प्राप्त हैं उसके लिये कभी आपने बेटरमेंट लेवी लगाई? लेकिन आज चम्बल से जिन गांवों को बिजली जाती है वहां पर खर्चे के नाम से आपने बेटरमेंट लेवी की बात की है। कभी शहरों में बेटरमेंट लेवी लेने की आपने बात नहीं की, और मैं समझता हूं करनी भी नहीं चाहिये। विकास हो रहा है तो उसके साथ लोगों की प्रासपरिटी भी बढ़ती है लेकिन कभी बेटरमेंट लेवी उन लोगों से नहीं जाती। नहर का पानी देकर अगर यह कहा जाये कि किसान को लाभ हुआ है और किसान पर टैक्स लगनी चाहिये तो यह बहुत ही अनुचित है। जो किसान आज से बीस साल पहले निम्न कमेटी का समझा जाता था, जो बहुत गरीब था, आज अगर उसकी माली

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हालत कुछ सुधरी हैं तो सरकार कहती है कि हमने तुमको नहर का पानी दिया है, इसलिये हम तुमसे बेटरमेंट लेवी लेंगे। यह कहां तक उचित है ? बेटरमेंट लेवी आज इस सरकार के लिये कलंक है, और आप गरीब किसान से बेटरमेन्ट लेवी लेना चाहते हैं। गंगानगर की, भाखरा की बात की गई, लेकिन जहां तक बेटरमेंट लेवी लेने का सवाल है वह मांग अभी तक ठुकरा रहे है। कोटा में चम्बल बांध को लेकर बार बार सरकार इस प्रकार की घोषणा करती है कि जैसे वहां पर बहुत पानी है और उसकी वजह से आसपास के गांवों में खुशहाली बढ़ी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल धोखा है। चम्बल बांध के अन्दर जो पानी है उस पानी के अन्दर इतनी क्षमता नहीं कि उन फसलों को पानी पिला सके। और इसके अलावा उस पानी के कारण वहां पर वाटर लोगिंग और सीपेज की समस्याएं और बढ़ी हैं और कई खेत बेकार हुए हैं। इन दोनों चीजों को देखते हुए राज्य सरकार को उस इलाके से बेटर-मेंट लेवी वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है।

चम्बल नहर का राईट बैंक कैनाल है जो 80 मील तक जाकर पार्वती नदी में मध्य-प्रदेश में पानी देता है। इसकी जो क्षमता है वह 6,656 क्युसेक्स है और इसकी डिजाइन इस प्रकार की ही बनाई गई थी, लेकिन आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि आज इस राइट बैंक कैनाल में 6,656 क्युसेक्स के बजाय केवल 3,250 क्युसेक्स पानी दिया जा रहा है। और यह इसलिये नहीं कि कोई पानी की कमी है, स्वयं चम्बल बांध की क्षमता इससे अधिक है। और इन 3,250 क्युसेक्स में से भी 2000 क्युसेक्स पानी मध्य प्रदेश को दे दिया जाता है। अगर इन 2000 क्युसेक्स को निकाल दिया जाये तो केवल 1250 क्युसेक्स पानी ही राइट बैंक केनाल में कोटा जिले की जमीनों को पिलाने के लिये रह जाता है, और इस 1250 क्यु-सेक्स में से भी 500 क्युसेक्स पानी को लासेज में और सीपेज में कम हो जाता है। तो इसको निकालने के बाद तो केवल 760 क्युसेक्स पानी ही रह जाता है इस नहर में कोटा जिले की जमीनों के लिये। अब इस 750 क्युसेक्स पानी के लिये सरकार कहना चाहती है कि हमारे पास बहुत पानी है और मध्य प्रदेश को पानी देने के बाद भी हमारे पास पानी की कमी नहीं आई।

स्वयं टेक्नीकल एक्सपर्ट्स द्वारा, जब यह डिजाइन बनाया गया था, यह माना गया था कि एक हजार एकड़ भूमि को पानी देने के लिये 6 क्युसेक्स पानी की आवश्यकता पड़ती है। आज सरकार यह कहती है कि राइट बैंक मेन कैनाल से 2,15,446 एकड़ भूमि को पानी मिल रहा है। तो अगर इन सारे 2,15,446 एकड़ भूमि को केवल ये 750 क्युसेक्स पानी ही दिया जा रहा है तो वह कैसे पर्याप्त है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आवश्यकताओं से आधे से भी कम है। आज जहां 6,656 क्युसेक्स की डिजाइन थी वहां पर उसके खिलाफ केवल 750 क्युसेक्स ही मिल रहा है और 2,000 क्युसेक्स हम मध्य प्रदेश को दे रहे हैं, उसके बाद 500 क्युसेक्स लासेज और सीपेज में चला जाये और फिर 750 क्युसेक्स जो बाकी बचता है उसके लिये सरकार यह कहना चाहती है कि कोटा जिले के अन्दर पानी

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

पिलाने के लिये हमारे पास काफी पानी है, यह सर्वथा अनुचित है।

सभापतिजी, इस समय काम चल रहा है, लेकिन स्वयं राजस्थान सरकार के द्वारा जो लासेज के आंकड़े दिये गये हैं उनमें इस कैनाल के केपेसिटी फैक्टर है :

अक्टूबर	.9
नवम्बर	.8
जनवरी	.5
फरवरी	.5
अप्रेल	.4
जून	.6
जुलाई	.2
अगस्त	.2
सितम्बर	.5

यह है केपेसिटी फैक्टर। 6 क्यूसेक्स से एक हजार एकड़ पर इस प्रतिशत से भिन्न भिन्न महीनों में मिलनी चाहिये। जनवरी में पाइन्ट 5, पांइन्ट पांच पानी का मतलब आधा पानी ही मिलता है। पाइन्ट 6 हो जाय, पाइन्द 7 हो जाय, पाइन्ट 8 हो जाय तो पानी खेती को कहां से पिलाया जायगा। कहां से आयेगा पानी? नहर की केपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकती। आज भी राजस्थान सरकार का कहना है 3,250 क्यूसेक्स पानी जो छोड़ा जा रहा हैं वह रिस्क लेकर छोड़ा जा रहा है। कभी भी ब्रेक हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। मैं जानना चाहूंगा आज राजस्थान सरकार चम्बल क्षेत्र में किस प्रकार कहना चाहती है कि पानी अधिक है और वह बेटरमेंट लेवी के अधिकारी हैं। सभापति महोदय, एक चीज और अहम की है, यह जो आंकड़े बताये हैं यह केवल तीन पानी देने के हैं। जो वहां देशी गेहूं, फार्मी गेहूं है उसको तीन पानी दिया जाय तो पर्याप्त है लेकिन आज तीन पानी से काम नहीं चलता। आज, सभापति महोदय, खेती में मेक्सिकन गेहूं बोया जा रहा है। इसको 6 बार पानी देना चाहिये किन्तु 6 बार पानी नहीं मिल रहा है खेती में पानी की कमी है, खेती पानी के बिना सूख रही है। हाई ब्रीड की कोई कीमत नहीं है।

यह सरकार स्वयं मानती है कि कोटा के अन्दर हमने जो यह पानी दिया है इस पानी के कारण वहां पर सीपेज और लोगिंग की स्थिति बिगड़ी है। आज वहां पर वाटर लागिंग है। खेत बेकार होते जा रहे हैं। सभापति महोदय, 2,15,446 एकड़ में आज यह सरकार कहती है हम सिंचाई दे रहे हैं। दो लाख 15 हजार एकड़ में एक लाख 8 हजार एकड़ वाटर लोगिंग से अफेक्टेड है। 50 प्रतिशत से अधिक जमीन आज वाटर लोगिंग के कारण बेकार है और स्वयं सरकार मानती है कि इस नहर के कारण धीरे धीरे पानी का भराव है। वह ऊपर चला आ रहा है। एक लाख 8 हजार है वह धीरे धीरे दो लाख से भी अधिक देने वाली है। आज इन नहरों के कारण दाईं मुख्य नहर का वाटर लोगिंग बढ़ रहा है, जमीनें बेकार होती जा रही हैं और पूरा पानी खेती को पिलाने के लिये मौजूद नहीं है। यह सरकार किस आधार पर बेटरमेंट लेवी की बात करती है। बेटरमेंट लेवी की बात करना किसान के साथ धोखा है।

सभापति महोदय, जब कभी सरकारी लोग जाते हैं या कहीं बैठने का मौका

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मिलता है, तो कहा जाता है किसान को क्रोप का पेटर्न बदलना चाहिये क्रोप पेटर्न बदलने का मतलब किसान अपने खेत में पेडी बोये, गन्ना पैदा करे। मैं पूछना चाहता हूं केवल धान छोड़कर अपने खेत में चावल पैदा करे। अपने खेत में गन्ना पैदा करे तो क्या 10 बार पानी पिलाने के लिये मौजूद है ? गन्ने को 10 पानी चाहिये और जो तीन पानी का आंकड़ा है वह तो अपने आपको भी खेती का पानी नहीं मिला रहा है। खेत सूख रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं मुख्य मंत्री जी इस आधार पर विचार करेंगे। यह केवल किसी एक जिले का सवाल नहीं है, सारे जिलों का प्रश्न है। बेटरमेंट लेवी का सवाल है, वाटर का सवाल है, सीलिंग का सवाल है। सारे प्रश्नों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये। मुझ से पहले रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार सीलिंग के बारे में रखे हैं। मैं उसका अधिक विवेचन नहीं करना चाहता हूं और मैं इस सदन में एक सवाल रखता हूं। जो वाटर लोगिग की हालत बताई, जो पानी की कमी की बात बताई इस आधार पर कोई विचार कर सकते हैं। कोटा में काली मिट्टी का उत्पादन और गंगानगर का मतलब है उसे ज्यादा होगी। आज कोटा के अन्दर 22 एकड़ सिंचाई की दृष्टि से नहरी इलाका और गंगानगर में 30 एकड़ में, यह कौनसा मापक है ? यह किस आधार पर सीलिंग तय किया गया है। मैं कहना चाहूंगा लोगों ने सीलिंग की व्यवस्था की लोगों ने सीलिंग के लिये अपने अपने खेत बेच कर, अपने अपने रकबे को बेचकर उसको बचा लिया है। सभापति महोदय, सही ढंग से सीलिंग पर विचार करना होगा। सीलिंग कानून ताकत के साथ लगायें लेकिन ऐसा न हो कि पक्षपात हो। इस दृष्टि से सरकार को विचार करना होगा।

सभापति महोदय, आज कोटा के अन्दर हालत क्या है। कोटा के जिले के मंत्री होते हुये भी कोटा जिले की हर प्रकार से उपेक्षा की जा रही है।

(3.35 म. प.)

(श्री केदार नाथ, सभापति, पदासीन)

कोटा, बूंदी, झालावाड़ की पूरी उपेक्षा की गई है। आज बृज सुन्दर जी बूंदी क्षेत्र से हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कोटा में क्या विकास किया गया है ? आज कोटा में एक भी फैक्टरी नहीं लगाई गई है। आज कोटा, बूंदी तरस रहा है। सन् 46-47 में जो हालत थी वही हालत आज है, वही हालत आज झालावाड़ की है। कोटा को हाड़ोती का केन्द्र कहते हैं लेकिन उसमें एक ग्रेड हास्पिटल नहीं है। हास्पिटलों में पूरी शैयायें नहीं है। बार बार मांग करने पर भी (ए) ग्रेड हास्पिटल नहीं खोला जा रहा है, कहीं जिले में (ए) ग्रेड हास्पिटल नजर नहीं आता है। हाड़ौती का केन्द्र है लेकिन वहां के कालेज में एम.एस.सी. में फिजिक्स नहीं है मैथेमेटिक्स नहीं है। आज छात्र वहां मैथेमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। वहां के छात्र कोई नये कालेज की मांग नहीं करते हैं किन्तु वहां दूसरी क्लासेज खोलना चाहिये। मेडीकल कालेज की मांग नहीं कर रहे हैं। हम कोई औद्योगिकरण नहीं चाहते हैं लेकिन छात्र

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जो एम. एस. सी. पढ़ना चाहते हैं उनको एम. एस. सी. पढ़ाई जानी चाहिये, एम. काम. की क्लासेज चाहते हैं लेकिन सरकार उनके लिये क्लासेज भी नहीं खोल रही है। यह हमें नहर का वरदान मिला है। मैं कहता हूं कोटा प्रोपर के लिये नहर एक अभिशाप बन गई है। कोटा नहर के किनारे बसा हुआ है। कोटा में लोग घाटों पर स्नान करते थे। आज भी 50 प्रतिशत से अधिक उसी चम्बल पर स्नान करते हैं। वहां के घाट टूट गये हैं बल्कि उन घाटों के अन्दर मौतें हो गई हैं। उन घाटों को आज सरकार ठीक कराना नहीं चाहती है। कोटा जिले के अन्दर सड़कें टूटी फूटी हुई पड़ी हैं। सड़कों के लिये कोई मरम्मत नहीं है। सरकार कहती है नई सड़कों के लिये पैसा नहीं है, डामर के लिये पैसा नहीं है किन्तु टूटी हुई सड़कों की भी सरकार मरम्मत नहीं करा रही है। ग्रेनरी की सड़क कटी हुई है। सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कोटा का सारा क्षेत्र ग्रेनरी से जुड़ा हुआ है किन्तु उस सड़क की हालत बहुत ही खराब है। गेहूं, गन्ना पैदा होता है जो नहर का सरसब्ज इलाका है आज उस क्षेत्र में सड़कें ऐसी नहीं हैं जिसमें बारह महीने यातायात चल सके। जहां न कोई पुलिया है न कोई सड़क की मरम्मत पर ध्यान है। बारां से हाड़ौती जो सड़क जाती है उसको नेशनेलाइज करने की बात करते हैं लेकिन सभापति महोदय, वह जगह जगह से टूटी हुई है और कहते हैं हमारे पास फन्ड में पैसा नहीं है। आज सरकार इस प्रकार की उपेक्षा उस क्षेत्र की कर रही है और फिर कहती है हमने मंडी बनाई है, चम्बल क्षेत्र में मंडी कमेटी बनाई है। मंडी कमेटी में पंचायतों के अधिकार ले लिये, म्युनिसिपेलिटीज के अधिकार ले लिये लेकिन आज वहां बिजली नहीं है। कोटा में राणा प्रताप सागर बान्ध, गान्धी सागर बान्ध आदि कई हैं लेकिन वहां पर बिजली नहीं है जबकि कोटा ऐसी जगह पर बसा हुआ है, उसमें बिजली नहीं। आज हैड क्वार्टर दीगोद, पीपलदा, ईटावा सारा इलाका बिजली से महरूम है। कोटा नगर और कुछ शहर जहां से बिजली जायगी, पानी जायगा लेकिन आज मंडी का क्षेत्र बिजली के लिये तरसे। वहां पर धारीवाल जी जीते हैं, रिखबचन्द जी धारीवाल जो उद्योग मंत्री थे। किन्तु खेद है ऐसे क्षेत्र में आजतक बिजली नहीं है। आज यह उपेक्षा किन कारणों से है? मै मानकर चलता हूं, न मैं ऐसी बातें करना चाहता हूं कि हम किसी प्रकार से क्षेत्रों की बात जोड़े। लेकिन इस पर गम्भीरता से सोचना होगा कि एक क्षेत्र की कीमत पर दूसरे क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता सभापतिजी, आप आश्चर्य करेंगे कि राणाप्रताप सागर जिसको रावत भाटा कहते हैं और कोटा से सीधा रेल के द्वारा और सड़क के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन केवल इसी राजनैतिक विषमताओं के कारण मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि रावत भाटा चित्तौड़ से जोड़ रखा है। भगवान न करे कोई ऐसी बात हो जाये तो क्या चित्तौड़ दौड़कर आयेगा रावत भाटा के ऊपर। रावत भाटा सीधा रेल से जुड़ा हुआ है। क्या दिक्कत है कि रावत भाटा चित्तौड़ जिले से जोड़ा जाता है और कोटा से नहीं। लेकिन सरकार को चिन्ता नहीं है। तो हमने सभापतिजी, स्पष्ट घोषणायें की हैं सारी मांगों को लेकर—वह चाहे बैटरमेंट लेवी

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

का सवाल हो, चाहे सीपेज का सवाल हो। चाहे सरचार्ज का सवाल हो, चाहे कामर्शियल क्राप्स का सवाल हो। जो कोटा की मुख्य २ मांगें हैं उनके लिए जनता चुप नहीं रह सकती। जनता की भी कोई सीमा होती है बरदाश्त करने की। हमने घोषणा की है कि सरकार इन मांगों को तुरन्त माने और इन मांगों को मानकर इनका सरकार निवारण करे। अगर सरकार ने इन मांगों को नहीं माना तो 9 फरवरी को इन्द्रा गांधी के आगमन पर कोटा के अन्दर प्रदर्शन होगा। कोटा और बून्दी जिले में 11 तारीख से आन्दोलन और सत्याग्रह करके जेलें भरी जायेंगी। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं सदन के द्वारा सारे माननीय सदस्यों को कि अहिंसा के सम्बल पर यह आन्दोलन होगा और मैं इतनी और घोषणायें करना चाहता हूं कि अगर हिंसा हुई तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। हिंसा नहीं होगी, आंदोलन होगा शांतिपूर्वक और सारी जेलें भरी जायेंगी और सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा। इसीलिए अभी समय है और समय रहते ही चेतो। आज यह दुर्भावना है जो लोगों में असन्तोष की भावना बल पकड़ती जा रही है, विद्यार्थी वर्ग उत्तेजित है नौकरी के लिए, भविष्य उनका अन्धकार में है। मैं कहता हूं मत छेड़िये इस वर्ग को, प्रोत्साहन मत दीजिए इस प्रकार के आन्दोलनों को और समस्याओं का निवारण कीजिए और उन पर गम्भीरता से विचार कीजिए और इन समस्याओं का समाधान कीजिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय ....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय...

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री मोहनलाल मोदी : किसका नम्बर है।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत जी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं.........

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, नम्बर मेरा आ रहा है फिर चूण्डावत जी को कैसे नम्बर दिया गया ?

श्री सभापति : आपका भी नम्बर आ जायेगा।

श्री माधोसिंह (उपमन्त्री) : सभापति महोदय, श्रीमती चूण्डावत नहीं कहा जाये इनको श्रीमती राठौड़ कहें। ये मेरे भाई साहब की पत्नी हैं।

श्री सभापति : यह मेरे लिए विवाद नहीं है आपके लिए हो सकता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : समाप्त कीजिए इस चर्चा को।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय को जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करती हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो घोषणायें कीं उन घोषणाओं का मैं स्वागत करती हूं।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

राज्यपाल महोदय ने जो सीलिंग लागू करने के लिए घोषणा की उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूं और भी नये जो प्रोग्रेसिव कदम उठाने की घोषणा की है उनका हम सभी स्वागत करते हैं। हालांकि यह बात सही है कि इनमें से कोई घोषणा नयी नहीं है। पहले ही इनके ऊपर विचार कर लिया गया था और स्वीकृत थी। लेकिन अब इस घोषणा में हमें इम्पलीमेंटेशन की इच्छा नजर आती है इसलिए मैं इसका समर्थन करती हूं। हालांकि इनके ऊपर जितना अमल किया जायेगा इसकी एक आशा बंधी है लेकिन धुन्धली सी आशा है। सभापति महोदय, यह बड़े बड़े फार्म्स को एग्जम्प्ट किया गया है इसके लिए मैं राज्यपाल महोदय को बधाई दिये बिना नहीं रह सकती। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न है कि जब इन बड़े बड़े फार्मों को एग्जम्प्शन से रहित कर दिया गया तो जो हमारे बड़े बड़े बगीचे हैं, आरचर्ड हैं उनको किस वजह से एग्जम्प्ट नहीं किया गया? जितने बड़े बड़े फार्म थे यह सत्य है कि किसानों का उनके ऊपर कब्जा नहीं था। ज्यादातर ऐसी प्रवृत्ति चल गई थी कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स का एक फैशन सा हो गया था कि अपना एक एक फार्म वे रखें बल्कि यह फैशन सा नहीं रह गया बल्कि उन्होंने अपने फायदे के लिए बड़े बड़े फार्म उन्होंने बनाये और उनका एक मकसद था कि जो ब्लैक का पैसा है उसको वह व्हाइट करके दिखा सकें। जिस फार्म से एक लाख की आमदनी होती थी तो ऐसे उद्योगपति उसकी आमदनी दुगनी और तिगुनी करके आंकड़े बता देते थे ताकि उनका जो ब्लैक का पैसा है वह सफेद किया जा सके। इसलिए यह जो कदम उठाया गया है मैं उसका स्वागत करती हूं क्योंकि किसानों के नाम पर उद्योगपति इसका लाभ उठाते जा रहे थे। सभापति जी, जब ऐसा कदम उठाया गया तो मैं सोचती हूं कि कई बातें ऐसी हैं कि जिनमें हम समाजवादी दृष्टिकोण इधर नहीं देख रहे हैं और इसके लिए मैं आपका ध्यान आपके सिंचाई विभाग की ओर दिलाना चाहती हूं। जो कुछ हम अपने नियम बनायें उसमें एक सामाजिक जस्टिस का दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए कि गरीब से गरीब तबके को हम ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकें। तो सिंचाई विभाग की ओर जब हम नजर डालते हैं तो बहुत बड़ा भेद नजर आता है। मिसाल के तौर पर जैसे कुंए की जमीन है तो कुंए की जमीन के ऊपर काफी लगान लगाया जाता है। जब हम कुए के लगान की तरफ देखते हैं तो जिन कुओं को एक किसान अपनी मेहनत से बनाता है, अपने पसीने से बनाता है, अपनी जेब से खर्च करता है और उस कुए की जब पिलाई की जाती है तो उसमें बहुत परिश्रम की जरूरत होती है। किसान अपना खर्चा भी लगाता है, उसे बैलों को रखना होता है, हल को रखना होता है और कई खर्चे होते हैं, चड़स और लाव के खर्चे होते हैं। लेकिन उन कुओं के ऊपर लगान लगाया जायेगा बहुत ज्यादा नहर के मुकाबले में। जबकि नहर से पानी लगाया जाता है तो उसमें कम खर्च होता है, आदमी को परिश्रम कम करना पड़ता है। जबकि सरकार नहर से एक बीघा के ऊपर लगान लेती है 2 रुपया $2\frac{1}{2}$ रुपया और 3 रुपया और जहां किसान का कुआ है उसके ऊपर उसको इतना खर्च करना पड़ता है। उसके पास छोटी सी जमीन है लेकिन उसके

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

ऊपर लगान लिया जाता है 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का। माननीय मंत्री जो सोचें कि कितना बड़ा भेद है। नहर से दिये जाने वाले पानी का लगान $2\frac{1}{2}$ रुपया और कुए से वहां सिंचाई की जाती है उसके ऊपर लगान है 15 रुपये तक। यह एक सामाजिक इन्साफ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह आप तालाब और नहर की कम्पेरेटिव स्टडी करते हैं तो उसमें भी जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। भाखरा भी एक प्लान का लाभ है और मेजा और खारी का तालाब है वह भी प्लान है लेकिन सिंचाई की दरों की ओर ध्यान दिया जाये तो कितना जबरदस्त फर्क है। जबकि नहर से गन्ने की पिलाई की जाती है तो उसके ऊपर 21 रुपया चार्ज किया जाता है लेकिन उसी प्लान तालाब से जो कि मेजा और खारी से पिलाया जायेगा उसको गन्ने के उपर चार्ज होगा 27 रुपया। होना यह चाहिए कि जिसके पास प्लान तालाब के नीचे छोटी छोटी जमीनें हैं उनसे कम लिया जाये और जिनके पास कम जमीन है उस गरीब किसान से लगान कम लिया जाये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): 152 रु० लेती है गवर्नमेंट लिफ्ट इर्रीगेशन से।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: हमारी तरफ 5 रुपये से लेकर 15 रुपया बीघा तक चार्ज करते हैं जब कि कुए से पिलाई होती है। किसान को बैल रखने पड़ते हैं, मजदूर रखना पड़ता है, चड़स पर खर्चा करना होता है।

राज्यपाल महोदय ने और मुख्य मंत्री जी ने खुशहाली कर से 3 एकड़ तक के लिए मुक्त किया है। उसका स्वागत करते हुए कहना चाहती हूं कि 3 एकड़ तक का न करके इसको 5 एकड़ तक का कर दिया जाये। 3 एकड़ में कितनी कम आमदनी होती है यह आप स्वयं सोच सकते हैं। इसलिए 5 एकड़ तक कम से कम यह मुक्त रखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक तरफ और भी राज्य सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगी कैटल फार्मिंग के लिए जमीन ली गयी है उसको भी एग्जम्प्शन दिया गया है। सभापति महोदय, मेरे दिमाग में प्रश्न पैदा हो रहा है कि यह जमीन जो कैटल फार्मिंग में थी यह सरकार के कब्जे में आयेगी तो उसको किस प्रकार से उपयोग किया जायेगा। यह एक अपने अपने सोचने का प्रश्न है। क्या इसके टुकड़े टुकड़े करके लोगों को दे दिया जायेगा या इसका और ही उपयोग होगा? यदि आज हमारी सरकार कैटल फार्मिंग के नीचे आने वाली जमीन के टुकड़े टुकड़े कर देती है तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं हमारे यहां मवेशियों के चरागाह की कमी पर। आज आप किसी भी गांव में चले जाइये तो सब से पहले सवाल पैदा होता है कि मवेशी ज्यादा हैं और चरणोंट की जमीन कम है। मवेशियों को पूरा घास नहीं मिलता है। जब कैटल फार्मिंग सरकार के कब्जे में आते हैं तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि अच्छे से अच्छे ढंग से इस जमीन का उपयोग किया जा सके। इसका उपयोग दो ही ढंग से हो सकता है। या तो सरकार अपनी डेयरी फार्मिंग कायम करे या को-आपरेटिव की तरह से इस तरह से डेयरी फार्मिंग पर मवेशियों को रखा जाय जिसमें मवेशियों की नस्ल सुधारी जा सके। या

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

सरकार यह सोचती है कि जिन गांवों में चरणोट की कमी है, मवेशियों के लिए घास नहीं है तो भी हम उम्मीद करें कि नोमेडिक लाइफ की तरह घूमता हुआ कोई भी व्यक्ति अपने मवेशियों की नस्ल सुधार सकता है या अच्छे मवेशियों से दूध पैदा कर सकता है, तो यह नितान्त असम्भव है। उस जमीन का या तो को-आपरेटिव की तरह से या गवर्नमेंट के तौर पर उनका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि उनको घास पैदा करने के लिए रिजर्व करें। आज हम देखते हैं कि बार बार हमारे यहां अकाल पड़ता है अकाल के वक्त में मवेशियों के घास के लिए बहुत बड़ी जटिल समस्या पैदा हो जाती है। कभी मध्य प्रदेश से घास आती है, कभी पंजाब से घास आती है, और एक बड़ी विकट समस्या हो जाती है। तो क्यों नहीं सरकार चरागाहों से जो कैटल के लिए जमीन रखी गई है उनसे घास लेकर घास को प्रिजर्व करें और बागरों की तरह से उसको रखा जाय। आज से कुछ वर्षों पहले गांव गांव में जिले-जिले में, इस तरह की घास की बागरें लगी रहती थी। उन बागरों के लगाने वाले होते हैं और ऐसे अच्छे ढंग से लगाये जाते थे कि 20-20 साल तक घास नहीं बिगड़ती थी। दूसरे माननीय सदस्य भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इतनी विशाल बागरें लगाई जाती हैं कि बरसात होने पर भी 20-30 साल तक खराब नहीं होता था, और जब ऐसा दुष्काल होता था तो बागरें खोलकर मवेशियों की रक्षा की जा सकती थी लेकिन इन वर्षों में बार बार अकाल पड़ जाता है और हमारे पास कोई घास होता नहीं है और जब अकाल पड़ता है उस समय सरकार सोचती है कि घास का इन्तजाम करें। फिर बाहर से मंगाया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, रेल के ऊपर अनाप-शनाप खर्च किया जाता है फिर भी वक्त पर मवेशियों के लिए घास मुहैया पूरा नहीं किया जा सकता है, और वह घास मवेशियों के मालिकों के लिए इतना महंगा पड़ जाता है कि वे अपने मवेशियों को जिलाना चाहते हैं लेकिन उनकी कमर टूट जाती है। इस प्रकार की बागरें लगाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। जब पहले वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी तब भी 20-30 साल के लिए प्रिजर्व रखा जा सकता था, तो जब आज के वैज्ञानिक युग में घास को अच्छे तरीके से रखने वाले कई प्रकार के तरीके हैं और निकाले जा सकते हैं तो अच्छे ढंग से घास को रखा जाना चाहिए।

जब हमारे सामने सीलिंग का प्रश्न आता है, सभापति महोदय तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में पैदा होता है। जब दूसरे विरोधी सदस्य यह सवाल उठाते हैं कि जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे तो मैं सोचती हूं कि इस प्रश्न में कुछ वजन जरूर है, और इस नजर से वजन जरूर है कि आज किसी व्यक्ति के पास 30 एकड़ जमीन है और उसके 5 लड़के हो जाते हैं तो उनके प्रत्येक के हिस्से में 6 एकड़ जमीन आती है। यदि 6 एकड़ जमीन बच जाती है तो उस किसान की आगे क्या आर्थिक परिस्थिति होगी? 6 एकड़ जमीन बहुत कम हो जाती है। दूसरा प्रश्न यह आता है कि इतनी कम जमीन के मालिक को अपनी जमीन के लिए न तो अच्छा बीज मुहैया हो सकता है और न आधुनिक ढंग से वह खेतीकर सकता है, और किटाणु नाशक दवाइयों का प्रबन्ध

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत) ।

करना छोटे छोटे खेत वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि यह सरकार यह सोचती है कि हम सीलिंग करके जो हमारी आज यह समस्या भूमिहीनों की है उसको सोल्व कर लेंगे, तो मैं सोचती हूं की इस प्रकार से सोल्व नहीं हो सकेगी। इसमें कई तरह की बाधाएं आयेंगी। यदि इसका कोई उपाय हो सकता है तो एक ही हो सकता है इन छोटे छोटे टुकड़ों की एक को-आपरेटिव संस्था बना दी जाय। यदि को-आपरेटिव तरीके से खेती नहीं करेंगे तो छोटे खेतों के जो मालिक हैं, छोटे किसान हैं न तो ठीक ढंग से चल सकेंगे और न इनके द्वारा वैज्ञानिक यन्त्रों से खेती की जा सकेंगी। इसलिए यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर सरकार बहुत सोच विचार करके इसके प्राज एण्ड कान्स को देखकर कदम उठाये क्योंकि आज हम जिस समस्या को सुलझाने जा रहे हैं मुमकिन हो कि आगे जाकर यह और अधिक उलझ जायगी।

सभापति महोदय, छोटे किसानों के लिए बैंकों को गारन्टी देने के लिए राज्यपाल महोदय ने घोषणा की है, उसका स्वागत मैं ही नहीं सभी लोग करेंगे। यह एक बड़ा स्तुत्य कदम है, लेकिन इसके साथ ही सवाल यह आता है कि इसका इम्प्लीमेन्टेशन कितना होगा और कैसे होगा? जब हम इसके इम्प्लीमेन्टेशन की ओर देखते हैं तो कई तरह की शंकाएं दिमाग में पैदा होती है। यही नहीं, अगर इसको ठीक ढंग से, ठीक तरीके से काम में नहीं लेंगे तो मुमकिन है कि किसान का एक्स्प्लायटेशन हो। कोई भी एजेन्सी पैदा हो जाती है जो कि इसके बीच में फायदा उठाने लगेगी। हमने देखा है कि पंचायत समितियों से जब किसानों को ऋण दिया जाता था और बैंकों की मारफत दिया जाता था तब इस प्रकार की एजेन्सियां बीच में पैदा हो गई थी, क्योंकि किसानो का बैंको में खाता नहीं होता है और वे बैंको से रुपया लेने का तरीका नहीं जानते हैं, तो गांवो में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो कहे कि तुम्हारा चैक हमें दे दो उसको अपने खाते में जमा कराके रुपया दे देंगे, लेकिन उसके बदले में उनको 5-5, 10-10 रुपया देना पड़ता था। तो इस प्रकार के प्रवन्ध करते वक्त सरकार को सावधान रहना पड़ेगा कि इस प्रकार के बीच के लोग किसानों को एक्स्प्लायट करने के लिए न आ जायं। बी० डी० ओ० और पंचायत समिति के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए। नहीं तो इससे सारे किसानों का नुकसान होगा और जो आस्था बैंकों में होनी चाहिए वह आस्था टूट जायगी, और नये प्रकार का करप्शन पैदा हो जायेगा। तो बैंकों से जो फायदा होने वाला है वह कहीं अलग रहेगा, और लोंगो में कई गलत धारणाएं इसके बारे में चल जायंगी।

पास बुक्स देने के लिए गवर्नर महोदय ने कहा है। उसका जल्दी से जल्दी हो जाना नितान्त आवश्यक है......

श्री झुझारसिंह : तीन साल तो हो गये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत : यदि पासबुक नहीं बनेगी तो पटवारी का मुहं ताकना पड़ेगा, और पटवारी किस तरह से तंग करते हैं, किस तरह से परेशान करते हैं वह आप से छिपा हुआ नहीं है। गंगानगर जिला इसका सबसे बड़ा दृष्टान्त है जहां पर पटवारी लोग लखपति बने हुए घूमते हैं।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

इसलिए इस विषय पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार ने जो घोषणाएं की हैं तो एक नहीं अनेक बार घोषणाएं हुई हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होने की वजह से हमें बराबर शंकाएं होती हैं कि राज्यपाल महोदय ने अनुसूचित जातियों के लिए जो घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं पहले के बजट में हमारे वित्त मंत्रीजी भी कर चुके थे लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दूसरा बजट सत्र आ गया, लेकिन उन्होंने जो घोषणाएं की थी उनमें से शायद एक भी घोषणा अभी तक अमल में नहीं लाई गई।

कई माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष): बिल्कुल ठीक है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: अनुसूचित जातियों के लिए कह रही हूं।

अनुसूचित जातियों के लिए इन्होंने बड़े गर्व के साथ में यह घोषणा की थी कि राजस्थान भर में किसी भी म्युनिसिपैलिटि में किसी महतर को मैला ढोने की जरूरत नहीं होगी। यह बन्द कर दिया जायेगा। आज साल भर हो गया लेकिन किसी भी म्युनिसिपैलिटी में इस बात पर अमल नहीं हुआ है। वह बात उनकी घोषणा हुई और हवा में बहकर चली गई। हमें इस प्रकार की घोषणाओं के ऊपर भरोसा नहीं है....

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी): सरकार पर भी भरोसा है कि नहीं।

(4 म० प०)

श्री लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: इसी तरह वित्त मन्त्री जी ने जो घोषणा की थी। हरिजनों को मकान के लिये ऋण दिया जायेगा। पिछले बजट सत्र में यह घोषणा हुई थी और यह फिर चालू हो गया है। मैं बार बार समाज कल्याण अधिकारी जी से पूछती रहती हूं और बार बार यह जवाब मिलता है अभी तक रूल्स नहीं बने है। रूल्स बनने के लिये भेजे गये हैं। अब यह जवाब मिलता है कि फार्म छपने के लिये भेजे जा रहे हैं। क्या जब हरिजनों के लिये मकान बना कर देना है तो क्या साल भर तक रूल्स बनने में और फार्म छपवाने में लगता है? घोषणा इतनी बड़ी की जाती है और वह अन्दर से इतनी ही खोखली होती है। हमारे राजस्थान में एक कहावत है...

खोद्यो मगरो और निकल्यो ऊंदरो

इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगी कि केवल आपकी इन घोषणाओं को, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, कि वह इन्हें सुन कर बैठी रहेगी। सभापति महोदय, दूसरी घोषणा की गई अनुसूचित जातियों के लिये। अनुसूचित जातियों को फ्री प्लाट दिये जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौनसी नई घोषणा की गई है। जब से कानून बना है तब से यह कहा गया है। मै प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आज तक कितने अनुसूचित जाति वालों को गांव में फ्री प्लाट दिये गये हैं। बहुत कम दिये गये हैं। कहीं तो दिये ही नहीं गये हैं। आखिर फिर इन घोषणाओं में सार क्या है? हम ने देखा है घोषणाएं हो जाती हैं और उस के ऊपर इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है। सभापति महोदय, यह गांधी शताब्दी वर्ष है और इसमें घोषणाओं की बाढ़ आ गई है। एक के बाद एक घोषणाएं की जा रही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सारा भाषण इन खाली कुर्सियों को सुनाने के लिये किया जा रहा है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सा. नि. मन्त्री) : मैं बैठा हुआ हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप को क्या शर्म आ रही है । आप वहां क्यों नहीं बैठते हैं । आप तो हंस रहे हैं ।

श्री जयनारायण खालोदिया(निवाई): नवाब साहब तो नोट कर के फाड़ देते हैं ।

श्री देवीदत गाड़िया : सभापति जी, यहां गांधी शताब्दी वर्ष की चर्चा हो रही है, आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि गांधी शताब्दी समारोह के अन्तर्गत, गांधी के नाम पर 10 रुपये का महात्मा गांधी का नया सिक्का स्टेट बैंक से मंगाया गया और इसका आधार यह दिया गया कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को वितरित करना है । इस प्रकार से 100 सिक्के मंगाये गये और आप को यह जान कर ताज्जुब होगा कि एक भी सदस्य को यह दस रुपया का सिक्का नहीं दिया गया है और एक किसी व्यक्ति ने चीफ केशियर से मिल कर सौ के सौ सिक्के हड़प लिये जब कि विधान सभा के किसी अधिकारी द्वारा यह मंगाया गया था । सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं गांधी शताब्दी समारोह के नाम पर, गांधी जी के नाम पर यह दस रूपया का सिक्का आया और वह भी कोई एक व्यक्ति हड़प गया.........

श्री मूलचन्द डागा : Point of order Sir.

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर ।

माननीय सदस्य । आप बैठिये ।

श्री देवीदत गाड़िया : . . . और यह दस रुपया का सिक्का बाजार में 13-14 रुपये में ब्लैक में बिक रहा है ।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर ।

माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत गाड़िया : इस मामले की जांच की जानी चाहिये । यह गांधी के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है ।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर !

माननीय सदस्य श्रीमती लक्ष्मी कुमारी जी ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार बीच में बोल कर भाषण दे दें यह यह कहां तक उचित है ?

श्री देवीदत गाड़िया : इस विधान सभा के सदस्यों के........ ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत गाड़िया : और चोर बाजारी में यह बिक रहा है ।

श्री मूलचन्द डागा : ये अनुशासन हर वक्त भंग किया करते हैं इसलिये इन को रोका जाना चाहिये ।

श्री देवीदत गाड़िया : सभापति महोदय, गांधी के नाम पर.........

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर ।

माननीय सदस्य ।

श्री गाड़िया बैठिये ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मेरा निवेदन है कि इन को ही आज्ञा दे दी जावे। प्रायः ये बड़े उत्साही हैं।

श्री सभापति : आप भाषण समाप्त करें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : बीच इन्ट्रप्शन हो जाता है।

श्री जयनारायण खालोदिया : आप बहुत अच्छा बोल रही है। आप बोलें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : सभापति महोदय, भूमिहीन जो अनुसुचित जाति के लोग हैं उन को भूमि देने के लिये राज्य सरकार के बड़े स्पष्ट नियम बने हुए हैं। जब पंचायत समिति से किसी को जमीन दी जाती है, सब से पहले अनुसूचित जाति को दी जाती है और उस के बाद मिलिटरी वालों को और उसके बाद दूसरे लोगों को सभापति महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र के अनुसुचित जाति के लोगों को जो अधिकतर भील हैं। उन को जमीन का एक टुकड़ा नहीं दिया गया है वे बिना जमीन के घूम रहे हैं। उन के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है। उनसे कहा जाता है कि तुमने वक्त पर समय पर दरख्वास्त नहीं दी। वे बिचारे तो पहाड़ों पर, जंगलों पर रहते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं चलता है कि किस तरह के कायदे, नियम हैं। दूसरी तरफ सवर्ण लोग पटवारी से मिल कर नाजायज तरीके से अपनी दरख्वास्त लगवा देते हैं और उन की दरख्वास्तों को रुकवा देते हैं। इस का परिणाम यह निकलता है कि उनको भूमि नहीं मिलती है। इसलिये राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश होने चाहिये, ऐसी आज्ञा जारी होनी चाहिये कि अब जो जमीन है वह इतनी थोड़ी रह गई है वह किसी दूसरे व्यक्ति को न दी जाकर पहले अनुसूचित जाति के लोगों को दी जावे, गरीबों को पहले दी जावे और उसके बाद में किसी दूसरे को दें।

श्री मूलचन्द डागा : ऐसे नियम बने हुए हैं और उनकी पालना भी हो रही है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : सभापति महोदय, मैं यह कह रही थी कि ऐसे नियम बना दिये जायं जिससे जमीन सवर्णों को न मिले और जमीन अपने आप अनुसूचित जाति के लोगों को मिले।

श्री दौलतराम सारण : कांग्रेस के सैक्रेटरी डिस्टर्ब करते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : आप मुझे डिस्टर्ब न करें।

अभी माननीय डागा जी ने यहां कहा कि इस सम्बन्ध में आज्ञा जारी हो गई है और उसकी पालना भी हो रही है। परन्तु इसका मैं खण्डन करती हूं उनके साथ अन्याय हो रहा है। यह गलत बात है। हरिजनों को, अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन नहीं दी जा रही है। ऐसे नियमों के बारे में कि इनका पालन हो रहा है या नहीं समाज कल्याण मंत्रीजी को देखना चाहिये। समाज कल्याण मंत्री के पद पर वे बैठे हैं तो इनके कल्याण की बात को उन्हें देखना चाहिए वे क्या करते हैं? आज तक उन्होंने इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा है कि यदि कानून बनाया गया है तो उसका बाकायदा पालन हो रहा है? उस पर अमल किया जारहा है।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। हमारे मंत्री मंडल में केबिनेट रेंक के इस जाति के कई मंत्री बने बैठे हैं परन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। वे अपने भाइयों की तरफ नहीं देखते हैं ? हालांकि उनको यह जगह उनकी वजह से मिली हुई है। और इसी कारण से वे मंत्री मंडल में लिये गये हैं कि वे इन लोगों का ख्याल रखेंगे अन्यथा उनको यह स्थान किसी हालत में भी नहीं मिलता ·····

श्री जयनारायण खालोदिया : चपरासी की जगह भी नहीं मिलती।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : इस स्थान पर वे किसी हालत में नहीं होते। समाज कल्याण विभाग जब भीखा भाई के पास था उन्होंने भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो समाज कल्याण मंत्री हैं और जब विशेष कर यह विभाग अनुसूचित जाति और ट्राइब्स के जनकल्याण के लिए है उन्हें विशेष रूप से इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं विशेष समय न लेकर एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस साल केवल तीन या चार विषयों को ही छुआ गया है। इनके अलावा दूसरी जो हमारे सामने ज्वलन्त समस्यायें हैं उनके ऊपर न तो रोशनी डाली गई है, न कहा गया है। ऐसी कई समस्यायें हो सकती हैं। मैं केवल एक समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। वह है, राजस्थान नहर। राजस्थान नहर राजस्थान के लिये एक जीवन और मरण का प्रश्न है। अगर राजस्थान नहर बन जाती है तो हमारे राज्य की बहबूदी बढ़ती है, इसके द्वारा हम अकाल के चंगुल से निकल सकते हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है राजस्थान कैनाल, आर्थिक रूप में भी है और हमारी सामरिक रक्षा की दृष्टि से भी है। लेकिन उस राजस्थान कैनाल के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा गया जब कि हम इस सम्बन्ध में बार बार कह चुके हैं। इस सदन में एक बार नहीं पच्चीसों बार यह प्रश्न आ चुका है कि उधर पोंगडेम बनने जा रहा है, जब पोंग में पानी इकट्ठा हो जायगा और हमारे यहां की नहर पूरी नहीं बनेगी तो वह पानी हमें नहीं मिलेगा। वह पानी मिलेगा पंजाब को। यदि एक दफा वह पानी पंजाब ने ले लिया तो राजस्थान पानी के अपने हिस्से से वंचित रहेगा। मुझे रत्ती भर उम्मीद नहीं कि एक बार पंजाब के पास पानी पहुंचने के बाद राजस्थान सरकार की यह हिम्मत होगी कि वह उस पानी को अपने यहां ला सके। आज भी हमारे गंगनहर का हिस्सा, पानी का हमारा हिस्सा पंजाब खा रहा है, और हम बैठे बैठे मुंह देख रहे हैं। एक दफा कैनाल का पानी वहां चला गया तो राजस्थान कैनाल की हमारी जो योजना है, जिसके ऊपर राजस्थान के दो करोड़ आदमी आशा लगाये हुए बैठे हैं, वह योजना धंस जायगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार को, हमारे इस सदन के माननीय सदस्यों को, और मैं तो कहूंगी कि राजस्थान की सारी जनता को अपनी पूरी ताकत लगाकर आवाज उठानी चाहिए। हम जानते हैं कि राजस्थान कैनाल के आने से ही हमारे राज्य की बहबूदी होगी लेकिन अगर हम वक्त पर इसे पूरा नहीं कर सकें और इतनी कम रकम से, इतने छोटे से फंड से काम को चलाते रहें तो हमारा राजस्थान कैनाल का काम समय पर पूरा नहीं हो सकेगा। इसके सम्बन्ध में अभी मैं एक प्रश्न और सदन के सामने लाऊंगी।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

जो जैसलमेर के लोग हैं, उनको राजस्थान कैनाल पर भेजने का निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया था, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, इस निर्णय के खिलाफ अनशन किये और उपवास किया, मैं उनके इस कार्य की भर्त्सना करती हूं। हमारे मुल्क की बहबूदी को बनाने के लिए इधर से लोगों को वहां जाना चाहिए और उन्हें जाना पड़ेगा। क्या हम आज इतनी सी तकलीफ नहीं झेल सकते ? आर्थिक रूप में अपना पेट भरने के लिए ही सही, लेकिन इतने बड़े निर्माण कार्य के लिए हम वहां नहीं जा सकते ? क्या हम मुल्क को बनाने लिए कुछ नहीं कर सकते ? यह हमारा फर्ज हो जाता है कि हम वहां पर जायं। जो दूसरे प्रगतिशील मुल्क हैं, हम उनका इतिहास देखते हैं, वह अपने देश को बनाने के लिए कितनी जबर्दस्त दिक्कत झेलते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। आज हम जैसलमेर से बीकानेर जाने में लोगों को रोके हुए बैठे हैं। आज उनकी मांग को स्वीकार करके राज्य सरकार द्वारा 10 रुपया प्रति व्यक्ति जैसलमेर के इलाके में दिया जा रहा है। मैं कहती हूं कि यह दस रुपया प्रति व्यक्ति घर पर बैठे हुए देना एक तरह से भिक्षा वृत्ति को प्रोत्साहन देना है। जो राजस्थान का मारेल है, जो राजस्थान का करेक्टर है, उस करेक्टर पर इससे कुठाराघात हुआ है। वैसे भी अकालग्रस्त राजस्थान के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इस बीकानेर, इस जैसलमेर, इस बाड़मेर के अन्दर हर दूसरे तीसरे, चौथे साल अकाल पड़ता आया है। जब जब अकाल पड़ा तो वहां के लोग बाहर जाते रहे, चाहे मऊ में जायं, चाहे सिंध में जायं, चाहे मालवा में जायें। यह परम्परा रही है, कोई नई बात नहीं है वहां जाने की। साथ ही यह इतना सुन्दर और स्वर्णिम संयोग है, राजस्थान कैनाल पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, उस राजस्थान कैनाल पर हमारी लेबर काम करती है तो उसका काम शीघ्रता से समाप्त हो सकता है। इसलिए सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि हमारे यहाँ के जन प्रतिनिधि हैं, उन्होंने गलत रवैया अपनाया है और सरकार ने भी गलत रवैया अपनाया है। मैं आशा करती हूं कि अकाल मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं, वह किसी तरह से कोई रास्ता निकाल पायेंगे···

श्री झुमारसिंह : अकाल मंत्री नहीं, अकाल सहायता मंत्री हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत : आज कल अकाल मंत्री हैं। अकाल मंत्री हो गया।

वह कोई ऐसा रास्ता निकालें, जो अकाल पर बड़ी राशि खर्च हो रही है वह राजस्थान कैनाल पर खर्च की जाय। हालांकि इस बार सिंचाई के कामों को भी अकाल राहत कार्य में शामिल किया है, उसके लिए तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगी। जिस ढंग के इन तालाबों को, जहां जहां छोटे छोटे तालाबों की जरूरत है, उसको तो पूरा किया जाय क्योंकि एक चीज पूरी होती है। मैं यह जरूर कहूंगी कि अकाल राहत मंत्री जी परिश्रम के साथ और माननीय दृष्टिकोण के साथ अकाल के लिए जिस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी मैं तारीफ करूंगी, लेकिन साथ ही राजस्थान कैनाल के लिए भी पूरी शक्ति लगा सकें तो हमारे देश की और राजस्थान की जो बहुत बड़ी चीज है वह पूरी हो सकेगी।

श्री सभापति : श्री मोदी। इसके बाद रामानन्दजी, आपका नम्बर।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है मैं उस पर धन्यवाद देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के अन्दर जो तेईसवां संशोधन किया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए बीस वर्ष से तीस वर्ष की अवधि बढ़ाई गई है, वह इसलिए बढ़ाई गई है ताकि पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाय। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी सही ढंग से व्यवस्था की जाय। क्या आप चाहते हैं कि वास्तव में जो लोग मंत्री बने हुए हैं उनको आप जमीन दें? उनके जो बच्चे हैं उनको ही आप छात्रवृत्ति दें? उन्हीं के बच्चों को आप सरकारी नौकरी दें? वास्तविक रूप से आप इन पिछड़ी जातियों का उत्थान करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह सर्वथा गलत है। मेरा निवेदन है कि जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं।

(4-15 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत सभानेत्री, पदासीन)

उनको और सुविधायें देनी चाहिएं। जो जमीन का एलॉटमेन्ट है जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन का एलॉटमेंट करना चाहिए। जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, जो वाकई पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए न कि उन बड़े लोगों को जो बड़े हो गये हैं, जिनके महल बन गये हैं, जिनके बंगले बन गये हैं। मैं समझता हूं कि यह जो बड़े लोग हैं उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में से निकाल देना चाहिए, उनको यह फायदा नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही साथ दूसरे वर्गों में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

दूसरी बात, जो सूखे की स्थिति है हमारे सामने, उसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, पाकिस्तान बनने से पूर्व इस इलाके के लोग–यह इलाका आप जानते हैं, हमेशा से अकालग्रस्त रहा है, इसमें एक वर्ष वर्षा होती है और चार वर्ष वर्षा नहीं होती है तो पाकिस्तान बनने से पूर्व इस इलाके के लोग जो सिंध का हिस्सा था, हरामरा सिंध वहां यह लोग जाते थे, जिस वक्त अकाल पड़ता था उस समय यह वहां धन्धा करते थे, वहां अपने मवेशी ले जाते थे और खुद भी अपना निर्वाह करते थे। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान बना और यह इलाका सिंध का पाकिस्तान में चला गया, उस वक्त हमारी राज्य सरकार, राजस्थान सरकार ने यह बात नहीं सोची कि यह सिंध का इलाका पाकिस्तान में जाने से इस हमारे इलाके की क्या स्थिति होगी उस वक्त चाहिए था कि इस इलाके के साथ साथ जो इलाका लगा हुआ है, उस इलाके में हरियाली का प्रबन्ध करते, पानी के साधन पहुंचाते, उस बराबर के इलाके को सरसब्ज करते ताकि अकाल की विभीषिका के अन्दर जो अठावन करोड़, पचास करोड़ रुपये साल के हम खर्च करते हैं वह खर्च नहीं होते। आज अकाल का सब से ज्यादा सामना हम लोगो को, पूर्वी राजस्थान के लोगों को करना पड़ता है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि इस पश्चिमी राजस्थान में जब भी अकाल पड़ता है तो सारी प्रगति पूर्वी राजस्थान की रुक जाती है। जब भी

(श्री मोहनलाल मोदी)

किसी काम के लिए किसी मंत्री को कहा जाता है तो उनका यही उत्तर होता है कि धनाभाव है। आज ही प्रश्नोत्तर काल में एक डेढ़ मील की पाइप लाइन के लिए हमारे मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया कि धनाभाव के कारण अब तक स्वीकृत नहीं हो सकी, जब कि अभी सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए आपने लाखों रुपये पाइप लाइन और योजना के लिए दिये हैं। मैं समझता हूं यह व्यवस्था बड़ी गलत है। मैं इसमें निवेदन कर रहा था कि हमारे पूर्वी राजस्थान के लोगों को इस अकाल का इतना बड़ा सामना करना पड़ता है। अकाल पड़ता है पश्चिमी राजास्थान में और इसका मुकाबला करना पड़ता है हम लोगों को। हमारे जिले को, मेरे को तीन वर्ष इस सदन में आये हुए हो गये, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीन वर्ष के समय में मेरे क्षेत्र में नीम के थाना क्षेत्र में जिस क्षेत्र से बीस वर्षों से हम लोग बराबर कांग्रेस टिकट पर कामयाब होकर आते रहे हैं इस क्षेत्र में पन्द्रह साल में, आपको ताज्जुब होगा यह जान कर, केवल बारह मील की सड़क बनी है। वहां पर आठ साल हो गये हैं बिजली पहुंचे लेकिन केवल एक गांव में बिजली पहुंची है। विद्युत के साधनों की आप ऐसी व्यवस्था करिये कि जिससे राजस्थान आगे बढ़े मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिजली विभाग का तो भगवान मालिक है ? इससे कैसे काम चल सकता है। हमारी सरकार है, उसको यह मालूम है कि बिजली से अधिक अन्न मिल सकता है और अन्न की समस्या बिजली से हल हो सकती है, लेकिन उसकी क्या हालत है। आज बिजली का वितरण होना है, किसी गांव के विद्युतिकरण के लिए प्रश्न आता है, तो जो सरकारी मशीनरी काम करती है, वही मालिक है उसके सम्बन्ध में मंत्री और उप-मंत्री महोदय, जो बिजली विभाग के हैं उनके लिए मैं कह दूं कि वह XXX हैं, तो भी नाकाफी रहेगा··· ·······

श्री मूलचंद डागा (पाली) : यह शब्द निकाल दिया जाय।

श्री रामानंद अग्रवाल : नो प्रोटेस्ट।

श्री मूलचंद डागा : यह शब्द निकाल दिया जाय, यह अनपार्लियामेन्ट्री है।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : मंत्री महोदय इसको स्वीकार करते हैं।

श्री मूलचंद डागा : इसको निकाल दिया जाय, यह क्या शब्द कहा हैं, क्या गलत बात कह रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : यह एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, इस विभाग में उनका कंट्रोल नहीं है। इस विभाग में चेयरमैन महोदय बैठे हुए हैं, इस विभाग में इतना करप्शन है कि जो पैसा देगा, जो रुपया देगा, 'जहां मर्जी है वहां काम चल सकता है। जो काम लिस्ट

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाला गया।

(श्री मोहनलाल मोदी)

में नहीं है, जो सेंक्शन्ड विलेज नहीं है, उन विलेजों में भी बिजली दे दी जाती है। बिना सेंक्शन्ड गांवों को बिजली दे देते हैं। मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि नीम का थाना क्षेत्र के अन्दर चार कूओं के लिए वहां के जो ए. ई. एन. हैं सांवड़ी विलेज है उसके अन्दर बिजली दी है, दूसरे मेरे क्षेत्र में भूदोली और सिरोही गांव है, उन सेंक्शन्ड गांवों में एक कुए में भी बिजली नहीं दी है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, अमरसर के किसी साथी को बिजली के लिये डिमांण्ड नोट दे दिया, उसने मोटर फिट करली, उसके कुए तक खम्भे लगा दिये, तार भी खींच दिये पर बिजली नहीं दी गई, कह दिया गया कि दो हजार रुपये दो तो बिजली आ सकती है वरना नहीं मिल सकती। मन्त्री महोदय से मिले, मैंने मन्त्री महोदय से कहा कि डिमाण्ड नोट दे दिया, खैर उसको यह कह दिया कि पैसे जमा करा दो उसने पैसे जमा करा दिये, मोटर फिट कर दी, फिर क्यों नहीं कनेक्शन देते? मन्त्री महोदय ने आदेश दिया पर चेयरमैन महोदय ने उसे कूड़े में डाल दिया। उस साथी को कह दिया गया है कि बिजली लेनी है तो दो हजार रुपये दो ए. ई. एन. के पास जितने सेंक्शन्ड विलेजेज की एप्लीकेशंज हैं वहां हम पहले बिजली देंगे बाद में दूसरों को देंगे। यह इस विभाग में करप्शन बढ़ाने का तरीका है। आज आप कनेक्शन चाहें तो रिश्वत का पैसा देकर ले सकते है पर वैसे नहीं मिल सकता। जहां बिजली दी गई है वहां 50 के. वी. के ट्रान्सफारमर लगे हैं, लेकिन वहां इतना अधिक बिजली का लोड दे देते हैं कि फसलों को समय पर पानी नहीं मिलता है, जो लोग बिजली विभाग के अधिकारियों को पैसे दे देते हैं उनको पानी मिल जाता है, जो पैसे नहीं देते हैं उनको पानी नहीं मिलता है और उनकी फसल बरबाद हो जाती है। श्री माधोपुर तहसील के किसान यहां आये थे और वे लोग कह रहे थे कि हमारी फसलें जल रही हैं, हमें बिजली दी जाय। आज किसान बिजली मांग रहे हैं पर उनको बिजली नहीं दी जा रही है। आज के युग में विद्युत से राजस्थान की तरक्की हो सकती है ...

श्री मदन सिंह : (दांता रामगढ़): आप की कान्स्टीट्यूएन्सी में 6 ट्रान्समीटर चले गये एक साथ 6 चले गये.......

श्री मोहनलाल मोदी : दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी की बात भी अभी रखूंगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्षेत्र में 62 में बिजली आ गई। बिजली विभाग में एक अधिकारी आपके सम्बन्धी हैं, रिश्तेदार हैं इसलिये आपके क्षेत्र के 25-30 गांवों में बिजली आ गई है, मेरे क्षेत्र के एक गांव में भी नहीं है।

श्री मदनसिंह : न खेतसिंह जी मेरे रिश्तेदार हैं, न बरकतुल्लाखां साहब मेरे रिश्तेदार हैं और न पृथ्वीसिंह जी मेरे रिश्तेदार हैं.......

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु०): विरोधी दल के एक सदस्य के रिश्तेदार से काम हो जाता है और आप इस सरकार में बैठे हैं, फिर भी अपना काम नहीं करवा सकते तो यह आपकी कमजोरी है, आप बोलिये पर मैं तो आपकी हिम्मत और हौसले की बात कह रहा हूं.......

श्री मोहनलाल मोदी : आप कानोता के गढ़ में बैठे थे तो आपकी हिम्मत को तो हमने पस्त कर दिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : फिर आप अपने दुख क्यों रोते हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : दुख तो कहने ही पडते हैं। मेरे क्षेत्र से हरियाणा का क्षेत्र लगा हुआ है, मेरे यहां से एक फर्लांग की दूरी पर हरियाणा के एक किसान का खेत है, उसके वहां पर बिजली लगी हुई है और मेरे यहां नहीं है, तो अपने पड़ौसी के यहां बिजली देख कर आज हमारे यहां का किसान महसूस करने लगा है कि आज हम राजस्थान में होने की बजाय हरियाणा में होते तो हमें बिजली मिल जाती। जो जो हमारे यहां के किसान हरियाणा के बोर्डर के आसपास रहते है, उनका यह मानस बनता जारहा है कि हम राजस्थान की बजाय हरियाणा में होते तो कहीं अच्छा रहता। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको इस प्रकार के साधन वहां पहुंचाने चाहिये कि लोगों के दिलों में इस प्रकार की भावना पैदा न हो। आपको यह योजना बना कर मुस्तैदी के साथ चलना चाहिये कि हमें गांव गांव में बिजली देनी है, हर किसान के कुए पर बिजली देनी है। मेरे क्षेत्र में 21 गांवों का ऐसा बैल्ट है, मैंने पहले भी इस सदन में कहा था, 21 गांवों का ऐसा बैल्ट है जिसे पाटनवाटी कहते हैं, वहां कुओं के अन्दर इतना पानी है कि दो-दो इंजिन लगा रखे हैं, फिर भी पानी नहीं टूटता है। मैंने पिछली दफा भी कहा था अगर वहाँ बिजली सप्लाई कर दी जाय तो ये 21 गांव सारे सीकर जिले को अन्न की सप्लाई कर सकते हैं, पर हमारी सरकार में बैठे हुए लोगों को क्यों नहीं सुनाई पड़ता है, क्यों नहीं उनका ध्यान इस ओर जाता है अमेरिका से अन्न मंगवाते हैं, पर जब अपने यहां पर अन्न का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, अपने यहां अन्न की उपज बढ़ाने की क्यों नहीं सोचते ?

अब मैं किसानों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आज सरकार की ओर से किसानों को ऋण देने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ऐलान कर दिया पर ऋण देने की आज किस प्रकार की पद्धति है ? किसान सबसे पहले पटवारी के पास जायगा और ऋण के लिये फार्म भरवायेगा, इसमें ही उसे सौ, दो सौ रुपये खर्च करना पड़ेगा। फिर वह किसान तहसीलदार के पास जायेगा, वहां उसे पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर उसे बैंक में कागज देने पड़ेंगे। हमारे यहां स्टेट बैंक बीकानेर की शाखा का एजेन्ट है, वह जब तक भूमि का मौका नहीं देख लेता है तब तक ऋण के कागजों को फोरवर्ड नहीं करता है। सप्ताह में एक दिन जब अदीतवार की छुट्टी होती है तभी वह मौका देखने के लिये जाता है, कोई किसान ऋण के कागज लेकर उसके पास जाता है तो वह कहता है कि जीप ले कर आवो तो मौका देखने चलूं। किसान उसके लिये जीप का प्रबन्ध करता है। तब वह मौका देखता है फिर किसान के कागजों को फोरवर्ड करता है। सप्ताह में बैंक के एजेंट को एक दिन ही मौका देखने का समय मिलता है तो इससे किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पडता है, सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि बैंक इस काम के लिये अपना अलग आदमी रखे, उसके पास सारे साधन हों, सब प्रकार की सुविधाएं हों, जिससे कि किसानों

(श्री मोहनलाल मोदी)

को खर्चा न उठाना पड़े और दिक्कतों का सामना न करना पड़े । इसके साथ ही साथ किसान को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, इसके लिये बैंक के वकील को 15 रुपया उसे देना पड़ता है यह रुपये भी बैंक से दिलाना चाहिये, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि किसान को खर्चा नहीं करना पड़े ।

सरकार ने पासबुक देने की घोषणा की है, यह अच्छा है पर मैं समझता हूं 1976 में जाकर सब किसानों को पास बुक्स मिल सकेंगी । हमारे सीकर जिले में 10 हजार पासबुक्स भेजी हैं जबकि हमारे यहां चार पांच लाख पासबुक्स चाहियें । जहां 4–5 लाख पासबुक्स की आवश्यकता हो वहां पर 10 हजार पासबुक्स से क्या हो सकता है । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को जल्दी से जल्दी पास बुक्स मिल जायं इस प्रकार की सरकार शीघ्र ही व्यवस्था करे और बैंक के चेयरमैन से बात करके इस प्रकार की व्यवस्था करे कि जिससे किसानों को खर्चा नहीं करना पड़े और जल्दी ही उन्हें ऋण मिल सके ।

अकाल के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों पर जितना रुपया खर्च किया जाता है, अकाल राहत मंत्रीजी काफी लगन से काम करते हैं लेकिन इस व्यवस्था के सम्बन्ध में कई बार सदन में जिक्र हुआ है कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है । अब इस व्यवस्था को अच्छी बनाने के लिये दो एजेंसीज मुकर्रर कर दी है । पी. डब्लू. डी. वाले नाप करते हैं पर इसमें भी शिकायतें हैं कि पी. डब्लू. डी. वाले नाप सही नहीं करते जिनके साथ रियायत होती है उनका नाप ज्यादा कर देते हैं और जिनकी रियायत नहीं होती है उनका कम कर देते हैं । तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिये समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये ।

मेरे जिले में 18-20 गांव हैं, जहां अकाल है कलेक्टर ने वहां अकाल घोषित करने के लिये लिखा है, वहां जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिये । प्रश्नोत्तरकाल में एक सड़क का जिक्र आया था, उप-मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे, रामगढ़ वाली इम्पोर्टेन्ट सड़क को पूरा करवाने के सम्बन्ध में प्रश्न था, पत्थर रोड़ी सब पड़े हैं, केवल डामर डालना है, पर मंत्रीजी ने जवाब दिया कि धन का अभाव है । जहां पर 6 लाख रुपये लगे हुए हैं वहां मुश्किल से 50-60 हजार रुपए खर्च हों और इतनी महत्वपूर्ण सड़क जो दूसरे जिलों से मिलाती है । आज अगर आप गंगानगर या बीकानेर जाते हैं तो आपको उस सड़क से जाने में 20–30 मील का चक्कर बचेगा । पिछले अकाल के समय जिन सड़कों का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, उनको अब पूरा करना चाहिए । अगर अकाल नहीं है तो भी उन कामों को पूरा करना चाहिए ताकि पिछली बार अकाल में जो पैसा लगा है वह व्यर्थ नहीं जाय ।

5 एकड़ से 15 एकड़ वाले किसानों के ऋण की गारंटी देने की सरकार ने घोषणा की है, यह स्वागत योग्य है लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि किसान के पास जब जमीन है तो उसको गारंटी क्यों नहीं माना जाता है, दूसरे लोगों की गारंटी ली जाती

(श्री मोहनलाल मोदी)

है। इस प्रथा को हटाना चाहिए और किसान के पास जो जमीन है उसकी कीमत है और आप समझते है कि किसान जमीन में पैदावार करके आपको भी पैसा देगा तो ऋण देते समय यह गारंटी सिस्टम खतम करना चाहिए और बैंक गारंटी लेती है सारे काश्तकारों की गारंटी सरकार को देनी चाहिए।

बेरोजगारी के बारे में निवेदन है कि राजस्थान में बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। आज जो बच्चों के आंदोलन होते हैं, उसका मुख्य कारण यह बेरोजगारी भी है। जो लड़के पढ़ लिखकर तैयार होते हैं उनको रोजगार नहीं दे सकते हैं। आपने पिछली बार विधान सभा में जो इंजीनियर्स व ए. ई. ओज हैं बेकार हैं, उनको आपने गंगानगर जिले में जमीन देने के बारे में बात की थी लेकिन आज तक आपने किसी एक ए. ई. ओ. या इंजीनियर को जमीन एलाट नही की है, खाली घोषणा करने से फायदा नहीं है। इजिनीयर्स को जो जमीन देने की घोषणा की है, वह आप को देनी चाहिए। राजस्थान में डाक्टर्स की स्थिति भी यही होने वाली है। यहां से 500 लड़के हर वर्ष डाक्टर होकर निकलते हैं और पिछले दिनों मंत्रीजी ने कहा था कि हमारे पास सिर्फ 300 जगह हैं, उन 300 जगहों के बाद डाक्टर्स का क्या होगा, यह आपको सोचना चाहिये। या तो मेडीकल कॉलिजों में स्थान कम कर दें या उनके लिये व्यवस्था करें लेकिन अगर यही हालत जैसे इंजीनियर्स की हो रही है, डाक्टर्स की हुई तो देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। माता-पिता किन मुसीबतों का सामना करके अपने बच्चों को डाक्टर या इंजीनियर बनाते हैं, उसके बाद बेकार फिरते रहते है तो माता पिता की क्या हालत होती है ? जो इंजीनियर्स व ए. ई. ओज. बेकार हैं, उनको कुछ न कुछ काम देना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था आपको करनी चाहिए, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को किस प्रकार से धंधे में डाले या नौकरी दें.........

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप सिंडीकेट में हैं या इंडीकेट में ?

श्री मोहनलाल मोदी : पहले सिंडीकेट में था अब इंडीकेट में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किस कारण से हुए ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : इसका मतलब आप हवा के साथ सिंडीकेट होते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : हरएक आदमी हवा के साथ चलता है। आज आप समाजवाद की बात करते हैं जिसको आप जानते नहीं, जिसको देखा नहीं, जिसको आप समझ सकते, आप भी उन बातों को करते हो यह हवा का .....

श्री विजयसिंह : हमारे 400 वर्ष के राज्य के अन्दर गोली नहीं चली और आपके सुखाड़िया साहब के तीन वर्ष के अन्दर 19 बार गोली चली।

श्री मोहनलाल मोदी : अब मैं सहकारिता के बारे में निवेदन करता हूं। राजस्थान में राज्यपाल महोदय ने भ्रष्टाचार को खतम करने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है, राजस्थान में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो सरकार नहीं रहेगी।

श्री मोहनलाल मोदी : सबसे ज्यादा आपके यहां हैं। भूमि बंधक बैंक ने एक रतनाराम नामक किसान को ऋण दिया था.........

श्री विजयसिंह : उसमें आपको क्या आपत्ति हुई ?

श्री मोहनलाल मोदी : रतनाराम जाट को 20 हजार रुपये मन्जूर किये गये। 12-4-68 को ऋण मन्जूर होता है। 28-6 को बैंक चैक जारी करती है जो रतनाराम 12 वर्ष पहले मर चुका है उसके नाम से 20 हजार का चैक इश्यू होता है और वह चैक एक शेखावाटी मशीनरी स्टोर्स को दिया जाता है। न ट्रेक्टर ही खरीद होता है। दो साल बाद जब लड़कों के नाम नोटिस जाता है पैसा वसूल होने के लिए तो उस समय मालूम होता है कि हमने ऋण कभी नहीं लिया, मेरे बाप को मरे हुए 12 वर्ष हो गए। ऐसी व्यवस्था है। चैक इश्यू होने से पहले जमीन का नामांतरण लड़कों के नाम हो गया। यह 20 हजार का मामला ही नहीं है, गहराई में जायं तो इस एक गांव में 3 लाख लोन दिया गया है और तीन लाख में से 2 लाख रुपये शायद इसी तरह से निकलेंगे। इसकी जांच कराएं और इसके अन्दर जो लोग दोषी पाये जायं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलायें......

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या इस संबंध में सहकारी विभाग के उपमंत्री ने आदेश दिए हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : उपमंत्री को मालूम है और उन्होंने आदेश जारी किए हैं पुलिस के द्वारा केस दर्ज करने के बारे में...

श्री रामानन्द अग्रवाल : लोन मिलने के आदेश जारी किए थे ?

श्री मोहनलाल मोदी : तो मैं निवेदन कर रहा था कि भूमि बंधक बैंक से इस प्रकार से लोन दिया जाता है, सही माइने में जिसको लोन मिलना चाहिए, ऋण नहीं मिलता और जैसा मैंने उदाहरण दिया है उसमें यह कर्ज किसके घर गया, किसके पास यह रुपया रहा, ट्रेक्टर किसके नाम से लिया अगर लिया गया है तो रजिस्ट्रेशन किस नाम से है यह मालूम करना चाहिए। मंत्री महोदय को कार्यवाही कराने में जल्दी करनी चाहिये।

साथ ही विद्युत मंडल के बारे में निवेदन मैं कर रहा था। दो बातें और बताना चाहता हूं। यह जो चेयरमैन आप लगाते हैं, उसमें क्यों नहीं गैरसरकारी सदस्य लगाते हैं ताकि हम लोगों को उनसे मिलने की पूरी सुविधा हो, अपनी तकलीफ बताने में सुविधा हो। तीन वर्ष की अवधि आपने रखी है और एक वर्ष का एक्सटेन्शन और कर दिया और एक वर्ष एक्सटेन्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक्सटेन्शन नहीं देना चाहिए। जिन चेयरमैन महोदय के कार्यकाल में बिजली के मामले में इतनी अनियमितताएं चलती हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है, घोटाले होते हैं तो कम से कम एक्सटेन्शन उनको नहीं दिया जाय, गैरसरकारी सदस्य चेयरमैन बनाया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गैरसरकारी और गैरराजनैतिक।

श्री मोहनलाल मोदी : मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है। विद्युत मंडल में एक राजकुमार है, ए. ई. एन. जिसको नवम्बर, 1969 में एक्स. ई. एन. बना दिया है, वह पंजाबी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सिंधी है।

श्री मोहनलाल मोदी : इसको प्रोमोशन देने का स्टंट है। यह डिप्लोमा होल्डर है इनकी 9 साल की सर्विस है जबकि नियम बना हुआ है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वह जब तक 12 वर्ष की सर्विस पूरी न करे तब तक एक्स. ई. एन. नहीं बनाया जाय लेकिन इसको एक्स. ई. एन. बनाने के लिए आदेशों को रोका गया। कहा गया कि दिसम्बर में आदेश लागू होंगे। नवम्बर में इसको एक्स. ई. एन. बना दिया। 6 महीने पहले कम से कम यह आदेश गवर्नमेंट की सेंक्शन के लिए गया था। उनकी जानकारी में था कि ऐसा आदेश करना है। लेकिन जान-बूझ कर उनको फायदा पहुंचाने के लिए एक्स.ई.एन. बनाया। जब कि डिप्लोमा होल्डर को 12 साल की सर्विस पहले नहीं बनाया जाना चाहिये था।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

दो मिनट का समय और चाहिये।

एक श्री छगनलाल को एक्स.ई.एन. से एस. ई. बनाया जबकि एक श्री जी. के. गुप्ता का नम्बर था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप गलत कह रहे हैं। सीनियर श्री छगनलाल जी हैं जबकि उनको नहीं बनाया और गुप्ता जूनियर है उनको बनाया।

श्री मोहनलाल मोदी : ऐसा है। जिसके नीचे नम्बर था उनको बना दिया गया और जो सीनियर थे उनको नहीं बनाया गया। उनको इग्नोर किया गया। इस प्रकार की व्यवस्था है उनके विभाग में।

दो मिनट का समय और लूंगा।

मेरे यहां किसानों के सामने बड़ी दिक्कत है। सारा इलाका कुओं से सिंचाई करता है, हमारे यहां नहरों आदि से सिंचाई नहीं होती है जैसी राजस्थान के दूसरे हिस्सों में नहरों से और बिजली के माध्यम से सिंचाई होती है। मेरे क्षेत्र में चाहे जमीन पर पन्द्रह रुपये बीघा तक लगान है बैलों से कूओं के द्वारा सिंचाई की जाती है और 60 रुपया प्रति एकड़ सिंचाई का लगता है। गंगानगर वगैरह में चार से छः रुपया प्रति एकड़ सिंचाई का लगता है और चार रुपया प्रति एकड़ का लगान लगता है जब कि मेरे क्षेत्र में 60 रुपया प्रति एकड़ सिंचाई का लगता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सरचार्ज टैक्स का आपने समर्थन किया और आपके इलाके में सबसे ज्यादा सरचार्ज लगता होगा।

श्री मोहनलाल मोदी : आपको सारे राजस्थान को साथ लेकर चलना चाहिये। अकेले गंगानगर जिले के लिये यह एजीटेशन नहीं करना चाहिये और सारे राजस्थान को दृष्टि में रखते हुए विचार करना चाहिये। सारे राजस्थान का पैसा एक नहर बनाने में लगा दिया जाय, फिर भी लगान कम हो ··

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको मालूम होना चाहिये कि गंगानगर सारे राजस्थान

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जितना सेल्स टैक्स देता है और टैक्स देता है। आंकड़े उठा कर देख लो।

(घंटी)

श्री मोहनलाल मोदी : आपको आंकड़ों की जानकारी नहीं है। आपको तो केवल एजीटेशन की जानकारी है बाकी की नहीं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : देश की सुरक्षा का सवाल आया तो दो दो बार प्रधान मंत्री को सोने से तोला है। आप भूल गये।

श्री मोहनलाल मोदी : एक निवेदन करना चाहता हूं। वहां के लोग खुशहाल हैं, वहां काफी पैदावार होती है इसलिये सोने में तौल सकते हैं। हमारा जैसा इलाका...

श्री विजयसिंह : आपको मालूम होना चाहिये कि सुखाड़िया साहब ने धान कहीं नहीं बिका तो 50 में गंगानगर वालों को दिया।

श्री मदनसिंह : सीकर डिस्ट्रिक्ट में लगान ज्यादा लग रहा हो तो आपको क्या दिक्कत है ?

कई माननीय सदस्य : कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : 60 रुपये प्रति एकड़ का सिचाई का खर्चा आता है और 15 रुपया बीघा लगान का है, किसान को कुंआ बनाना पडता है, उसमें पांच दस हजार रुपया लगाना पड़ता है; आपको उस इलाके का भी ध्यान रखना चाहिये। हम टैक्स देते हैं, रेवेन्यू देते हैं और आप उधर नहरें बनाने में खर्चा कर देते हैं......

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरे सदस्यों को एक एक घंटा दिया गया है। मुझे बोलने का थोड़ा समय चाहिये।

तो मैं आपसे इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड रेवेन्यू हम देते हैं, टैक्सेज हम देते हैं, सेल्स टेक्स देते हैं और सारा रुपया पश्चिमी इलाके में अकाल को रोकने में लग जाय और नहर बनाने में लग जाय, न हमारे यहा इन्डस्ट्री बनती है, न सड़कें बनती हैं, न बिजली लगती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारे राजस्थान को साथ लेकर चलना होगा। केवल गंगानगर के एजीटेशन को लेकर वहां के लोगों को राजी रख कर ही चल नहीं सकेंगे बल्कि सारे राजस्थान का खयाल रखना होगा। चार रुपया पर एकड़ पानी के लिये देना पड़ता है वहां पर और दूसरी तरफ 15 रुपया लगान का लिया जाता है और 60 रुपया पर एकड़ सिंचाई का बैठता है उनके लिये उपाय कोई न कोई करना पड़ेगा। नहर हमारे यहां नहीं ला सकते तो पहाड़ी क्षेत्र होने से छोटे 2 बांध तो आप बना सकते हैं जिससे वे सिचाई के काम में आ सकते हैं और उससे कुओं में भी पानी हो सकता है। मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं आप और कोई साधन नहीं दे सकते हैं तो छोटे 2 बांध बना सकते हैं और ऐसा करके आप उस इलाके की तरक्की कर सकते हैं।

इन्डस्ट्री के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। कई दिनों से निवेदन कर रहा हूं कि सीकर में ऊन की इन्डस्ट्री अच्छी लग

(श्री मोहनलाल मोदी)

लग सकती है। उस इलाके में अच्छी ऊन पैदा होती है वह अधिक होती है और वह बाहर जाती है। कई बार निवेदन किया लेकिन इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार को वहां ऊन की इन्डस्ट्री लगाना चाहिये।

30 स्टेन्डर्ड एकड़ की जो सीलिंग रखी है इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। सीलिंग स्वागत योग्य है। मेरे क्षेत्र में तो तीस एकड़ काफी है। मेरे क्षेत्र में तो एक आध किसान आवेगा। इस सीमा को सोच कर करना चाहिये एक तरफ तो आप बाहर से ट्रेक्टर मंगाते हैं। कितने ही ट्रेक्टर राजस्थान में आ रहे हैं उनका यूज किस प्रकार करेंगे? तीस स्टेन्डर्ड एकड़ में कैसे चलेगा? मशीनरी से खेती की बात करते हैं। तीस स्टेन्डर्ड एकड़ में क्या मशीनरी से खेती करवा सकेंगे। इसलिये तीस स्टेन्डर्ड एकड़ की सीमा को आगे बढ़ा दें। मेरे क्षेत्र के किसानों को तो कोई ओबजेक्शन नहीं है। हमारे क्षेत्र में तीस स्टेन्डर्ड एकड़ के किसान हैं ही नहीं। सारे राजस्थान की हालत को देखते हुए 30 स्टेन्डर्ड एकड़ के बारे में पुनर्विचार करें।

अंत में मैं राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री विजयसिंह : क्रिटिसाइज करके।

श्री मोहनलाल मोदी : कोई हरज नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द : समय कम है।

श्रीमती सभानेत्री : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदनकौर (पंचपदरा) : मैं यह निवेदन कर दूं कि मुझे अपना भाषण समाप्त करने देंगे?

श्रीमती सभानेत्री : पूरा करने दिया जावेगा जब तक आप बोलेंगीं।

श्री विजयसिंह : मुझे तो भाषण पूरा नहीं करने दिया।

श्रीमती सभानेत्री : आपकी बात और है।

श्रीमती मदनकौर : सभानेत्री महोदया, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में, हमारी राज्य सरकार ने गत साल जो अकाल का सामना केन्द्रीय सरकार की सहायता से किया उसकी चर्चा की और मौजूदा अकाल की भीषणता को देखते हुए उसका सामना करने सम्बन्धी कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला। मैं भी इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि हमारी आर्थिक सहायता करके इस राज्य के मनोबल को बनाये रखा। मैं राज्य सरकार की भी प्रशंसा करूंगी कि ऐसी प्राकृतिक विषम स्थिति के समय मानवीय रुख को सामने रख कर जो साधन जुटाये जा सकते थे उससे उस अभाव ग्रस्त क्षेत्र की सहायता की है। ऐसे अभाव की उपस्थिति में भी उस क्षेत्र में कोई चोरी डकैती जैसी अप्रिय घटनायें नहीं घटीं इसके लिये उन लोगों का धैर्य भी वास्तव में सराहनीय है।

सभापति महोदया, मरुस्थल का देहात रूढ़िवादी है, अंधविश्वासी, सामाजिक

(श्रीमती मदन कौर)

कुरीतियों का दास है। वह पहले से ही कर्ज से दबी हुई थी। स्वतन्त्रता से पहले जागीरदारों के शोषण के कारण वह ऊपर नहीं उठ सकी और स्वतन्त्रता के बाद उस क्षेत्र की उपेक्षा के कारण उसका उद्धार नहीं हो सका और निरन्तर अभाव और अकाल की स्थिति ने तो उसकी कमर ही तोड़ दी है। आज उस क्षेत्र का किसान दर दर का भिखारी बन गया है। जिस बालोतरा और बाड़मेर में भिखारी दिखते ही नहीं थे आज हजारों की सख्या में सड़कों पर किसानों के बच्चे भीख मांगते फिर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कांग्रेस की ही देन है।

श्रीमती मदन कौर : ग्रामीण अपने बच्चों को गलियों में छोड़ कर चले गये हैं। अधिकतर लोग भूख प्यास और बीमारी से तड़प रहे हैं। सरकार समय रहते जागे और सक्रिय बने वरना इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। सभापति महोदया, जहां एक ओर भूख, प्यास और अभाव है वहां दूसरी ओर बहुतायत है। ऐसी परिस्थिति में अमन चैन बना रहना कठिन हो जावेगा। उस क्षेत्र की सर्वांगीण विकास में संतुलन बना रहेगा और इसका राज्य की आर्थिक स्थिति पर साल दर साल कुप्रभाव पड़ता रहेगा। इसलिये मैं राज्य सरकार के सामने दो कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहूंगी। पहला तो इसके द्वारा उस अभाव क्षेत्र के प्रभावित लोग इस तात्कालिक संकट में उस भूख, प्यास और बीमारी का मुकाबला कर सकें और दूसरा उन लोगों के पुनर्वास का है। बार-बार अकाल के पड़ने से उस क्षेत्र के पशु धन की भारी क्षति हुई है। पशु–पालकों के जीवन निर्वाह का साधन ही समाप्त हो गया है। काश्तकार के पास बीज और बैल नहीं रहे इस कारण वहां का काश्तकार कर्ज से दब गया है। इस तरह से वह वास्तव में, सही मायने में विस्थापित है। उनके पुनर्वास का काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये ताकि वे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें और स्वावलम्बी बन कर देश को सशक्त और सबल बनाने में अपना योगदान दे सकें।

सभापति महोदया, राज्य सरकार ने तत्कालीन संकट की समस्या को सुलझाने के लिये राज्य सरकार ने हाल ही में दस रुपये मासिक प्रतिव्यक्ति देना तय किया है। मैं चाहती हूं कि इस व्यवस्था में प्रशासन में तेजी लाई जावे। इसके वितरण में जो विलम्ब हो रहा है उससे बड़ा अनर्थ हो रहा है। इस व्यवस्था में ईमानदारी का तत्व बहुत महत्वपूर्ण है राज्य सरकार को चाहिये कि वह इस तरफ विशेष गौर करे। अनाज आदि के मूल्यों को देखते हुए यह दस रुपया सहायता देने का प्रावधान किया है वह बहुत कम है। मैं चाहती हूं कि राज्य सरकार इस मासिक भत्ते को बढ़ा कर 15 रुपये करे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : आप 15 रुपये ठीक समझती हैं क्या ?

श्रीमती मदनकौर : आप शांत रहिये। मैं बोल रही हूं इन पन्द्रह रुपयों में 10 रु. अनुदान और पांच रुपया कर्ज होना चाहिये। इसके साथ-साथ राज्य सरकार

(श्रीमती मदन कौर)

से निवेदन कर देना चाहती हूं कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में भत्ता देने के साथ-साथ सरकारी मोटे अनाज का पर्याप्त मात्रा में भण्डार रखा जाय। नहीं तो अनाज के भाव बढ़ जायेंगे और इस तरह से ये पन्द्रह रुपये भी कम पड़ेंगे। इसके अलावा इस धनराशि को केवल ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित न रखा जाय। बाड़मेर बालोतरा नगरपालिकों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काश्त पर निर्भर करते हैं उनके लिये भी पन्द्रह रुपये का भत्ता स्वीकार किया जाय। मेरी राय में यह भत्ता केवल बच्चों, बूढ़ों और अपाहिजों को ही दिया जाय। जो लोग सबल हैं और काम कर सकते हैं, उनको दस रुपयों का भत्ता देना उनके स्वाभिमान और उनके मानस को गिराना है। इसलिये मैं चाहूंगी कि राज्य सरकार जो लोग काम कर सकते हैं उनको तो काम ही दें। मैं राज्य सरकार के इस मत से सहमत नहीं हूं कि अभावग्रस्त क्षेत्र में उपयोगी और उत्पादक कार्यों का अभाव है। गत वर्ष जिन सड़कों का काम हाथ में लिया गया था आज भी वे अधूरी पड़ी हैं। कॉनक्रीट और गिट्टी इकट्ठी की हुई पड़ी है राज्य सरकार को चाहिए कुछ महत्वपूर्ण सड़कों को पक्की करने का काम अपने हाथ में ले पश्चिमी राजस्थान में बहुत संख्या में ट्रेक्टर बेकार पड़े हैं, अत: कंक्रीट और गिट्टी की ढुलाई का काम ठेकेदारों को न देकर इन ट्रेक्टर मालिकों को दिया जाय ताकि इन्हें भी कुछ राहत मिले और इसी प्रकार कृषि भूमि पर मेड़ बन्दी खड़ीन आबादी आदि के काम ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पर हाथ में लिये जा सकते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनाई रखी जा सके। इसके साथ में पहाड़ी क्षेत्र में चरागाहों का विकास, खार की जो भूमि है उसको ठीक करने का काम बड़े पैमाने पर लिया जा सकता है।

इसके साथ-साथ खादी बोर्ड द्वारा ऊन और सूत की कताई बुनाई के काम की व्यवस्था की जाय तो काफी संख्या में लोगों को घर बैठे काम मिल सकेगा।

सभापति महोदया, राजस्थान नहर या अन्य किसी भी स्थान पर इस क्षेत्र के लोगों को अगर आप और सुविधाओं का प्रोत्साहन दें तो काफी संख्या में लोग मजदूरी के लिये जाने को तैयार हो जायेंगे। क्योंकि ये लोग हमेशा मजदूरी के लिये बाहर जाते रहे हैं, जाने के आदी हैं इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि लोग नहीं जायेंगे, केवल उनको भेजने की व्यवस्था करने का प्रश्न है। इन कार्यों के सम्पादन से ये लोग कर्ज से बच सकेंगे और इसके साथ-साथ इस क्षेत्र का भी स्थाई विकास भी हो सकेगा।

गत दो वर्षों में हमारे अभावग्रस्त क्षेत्र में नलकूपों का काम बड़ी तेज गति से चल रहा है। इस वर्ष भी 100 नलकूप खोदने का प्रस्ताव है। केवल नलकूपों के खोदने से ही मरुस्थल के पानी की समस्या का समाधान नहीं हैं। इसके साथ-साथ और भी प्रश्न जुड़े हुए हैं। नलकूपों के लिये बिजली देना, नलकूपों के आस पास के गांवों को जोड़ना, पम्पिग सेट लगाना, आसपास की जमीन पर हरा चारा तैयार करना आदि ऐसे कई प्रश्न हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार को चाहिये कि इन प्रश्नों के बारे में भी तुरन्त निर्णय लें और उसको क्रियान्वित करें।

(श्रीमती मदन कौर)

यहां यह कह देना भी उचित समझती हूं कि बिजली देने के मामले में उद्योगों के मुकाबले नलकूपों के लिये बिजली देने में सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए और जिस तरह से उद्योगों के लिये रियायती दर पर बिजली दी जाती है उसी प्रकार रियायती दर पर नलकूपों के लिये भी बिजली दी जानी चाहिए । इसके साथ-साथ बाड़मेर, जोधपुर जिलों में फ्लू, निमोनिया आन्तशोध की बीमारियां व्यापक रूप से फैली हुई हैं उसके उपचार की तुरन्त व्यवस्था की जाय और इसके साथ-साथ बच्चों के लिये दूध का पाउडर विटामिन की गोलियों का वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए । इसके साथ साथ मैं यह भी बता दूं कि इस क्षेत्र में गतवर्ष से भी अधिक मौतें हो रही हैं। मुझे भय है कि राजस्थान सरकार यदि उपचार में ढिलाई बरतेगी तो महामारी की आशंका बन सकती है ।

सभापति महोदया, पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हमारी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राहत कार्यों के लिये जो धनराशि व्यय होती है उसका 75 प्रतिशत अनुदान रूप में दिये जाने की अपील की है उसकी मैं सराहना करती हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार को चाहिये कि मरुस्थल के सर्वांगीण और स्थायी विकास के कार्य-क्रम जो विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किये जा रहे हैं उसके लिये भी उसी आधार पर धन राशि प्राप्त करें और उन कामों को तुरन्त ही हाथ में लें ।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की अनुमति से सदन का समय जब तक आपका भाषण समाप्त नहीं होता है तब तक के लिये बढ़ाया जाता है ।

(5 म० प०)

श्रीमती मदनकौर : इसके लिये धन्यवाद । हमारे पश्चिमी जिले जो अभाव-ग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में स्थायी विकास के अन्तर्गत भूमि विकास, चरागाह विकास शुष्क भूमि के लिये उत्तम बीज का वितरण पशु सुधार, ऊन सुधार और इसके लिये मार्केट की व्यवस्था की जाय तो इस क्षेत्र का काफी विकास हो सकता है। इसके साथ-साथ कुछ लघु उद्योग चमड़ा, सींग, ऊन और हड्डियों पर आधारित हो, इस क्षेत्र में लगाये जांय तो इस क्षेत्र का विकास होने में सहायता मिलेगी और जिन लोगों के जीवन यापन के साधन इन दो तीन वर्षों के अकाल में समाप्त हो चुके हैं, उनका तो राज्य सरकार को चाहिए अनिवार्य रूप से राजस्थान नहर पर भूमि आवंटित करके पुनर्वास किया जावे ।

इसके साथ ही एक निवेदन यह भी है कि नर्मदा जल विवाद का प्रश्न काफी समय से पड़ा हुआ है। उसको आरबिटरेटर के सामने राज सरकार को चाहिये कि हमारे पक्ष पूरी तरह से अध्ययन कराकर एक सुयोग्य व्यक्ति के द्वारा हमारे पक्ष को उसके सामने रखा जावे । मेरा विश्वास है कि हमारा दावा सही है और देश हित में है ।

इसके अलावा अभी जो "गंगा कावेरी कड़ी" का जिक्र श्री सुब्रह्मण्यम् ने हाल ही के बम्बई अधिवेशन में किया उस पर भी अध्ययन करके मालूम किया जावे कि इससे हमारे राज्य को क्या लाभ मिल सकता है ।

Page No 134

(श्रीमती मदन कौर)

सभापति महोदया, ये दो अकाल हमारे राज्य के लिये संकट के काल रहे हैं और अभावग्रस्त क्षेत्र के लोग एक कठिन दौर के पश्चात् दूसरे और कठिन और भीषण दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इन संकट की परिस्थितियों ने सरकार, विभिन्न संस्थाओं और विद्वानों का ध्यान उस अभागे क्षेत्र की ओर आकर्षित किया है। इसके फलस्वरूप यदि उस क्षेत्र का स्थायी विकास हो सके, तो इस संकट को एक गुप्त दान की परिभाषा दी जा सकेगी।

अन्त में सभापति महोदया, मैं एक अनुरोध और करना चाहती हूं कि आज हमारे पास काम है, और बेकार मजदूर बहुत संख्या में हैं। पढ़े लिखे लोग भी हैं, ओवरसीयर, इन्जीनियर और कृषि स्नातक बड़ी संख्या में नौकरियों की फिराक में हैं। और प्रचुर नहीं तो पर्याप्त मात्रा में धनराशि भी है। मैं आशा करती हूं कि राज सरकार उन सब उपलब्ध साधनों को युद्धस्तर पर जुटाकर इस संकटकालीन स्थिति का सामना करने में समर्थ हो सकेगी।

हमारी सरकार समाजवादी व्यवस्था में आस्था रखती है अतः इस मरुस्थल के पिछड़े क्षेत्र के स्थायी विकास के लिये कोई कसर नहीं उठा सकेगी ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसका पूर्णतया समर्थन करती हूं।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्नोत्तर 5 बज कर 3 मिनिट पर बुधवार, दिनांक 29-1-70 के प्रातः ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

मंत्रियों के भवनों पर कार्य करने वाले माली

181. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर में बागात विभाग के कितने कितने माली किन किन मंत्रियों के भवनों में काम करते हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार का ऐसा आदेश है कि सरकारी माली मंत्रियों के निजी भवनों पर काम नहीं करेंगे ?

उत्तर

सूची (अ) प्रस्तुत है ।

जी नहीं ।

(सूची अ)

सरकारी भवन

क्रम सं०	नाम	बंगला नं०	नाम कर्मचारी (माली.
1.	श्री मोहन लाल जी सुखाड़िया	8 सिविल लाईन	श्री मोती
2.	श्री बरकतुल्ला खां जी	49	श्री अलादीन
3.	श्री भीका भाई जी	11	श्री मोहम्मद
4.	श्री भीमसैन जी	20	श्री भोमा
5.	श्री चौधरी गंगाराम जी	48	श्री गोविन्दा
6.	श्री हीरालाल जी देवपुरा	8	श्री साज्जू
7.	श्री वी. एन जोशी	5ए	श्री रामू
8.	श्री कन्हैयालाल जी	382	श्री लक्ष्मीनारायण
9.	श्री रामप्रसाद जी लड्ढा	50	,, पांचू
10.	श्री परसराम जी मदेरणा	13	,, रामानन्दा
11.	श्री माधोसिंह जी	613	,, गोकुल
12.	श्री नारायणसिंह जी मसूदा	18	,, महादेव
13.	श्री शिवचरण जी माथुर	384	,, रामसहाय
14.	श्री मुलक राज जी	1ए	,, ओंकार
15.	श्रीमती प्रभा मिश्रा	3	,, इसमाईल
16.	श्री प्रद्युम्नसिंहजी	8 बी	,, महादेव
17.	श्री रामचरणसिंहजी	4ए	श्री छीतर
18.	श्री रामदेवसिंहजी	20	,, कल्याण

क्रम सं०	नाम	बंगला नं०	नाम कर्मचारी (माली)
19.	श्री रावत हरि सिंह जी	383	श्री चोथू
20.	श्री जय कृष्ण शर्मा	2	,, रमणी
21.	श्री शोभाराम जी	47	,, शंकर
		निजि भवन	
1.	श्री अमीनुदीन अहम्मद	सिविल लाईन	श्री कल्याण
2.	,, बृजप्रकाश जी	राम बाग सर्किल	,, मिट्ठू
3.	,, जसराज जी	न्यु कालोनी	,, सुभान
4.	,, हरदेव जी जोशी	खातीपुरा	,, घीस्या
5.	,, खेतसिंह जी	भगतसिंह मार्ग	,, मालचन्द
6.	,, मनफूलसिंह जी	अजमेर रोड़	
7.	,, मथुरादास जी माथुर	मालविया मार्ग	,, रणजीता
8.	,, राव धीर सिंह जी	देवी मार्ग बनीपार्क	,, रामप्रताप
9.	,, समरथलाल जी	सुभाष मार्ग	,, रामसहाय
10.	,, शिवचरणसिंह जी	अशोक मार्ग	,, बशीर
11.	श्रीमती सुमित्रा सिंह	थाना अशोक नगर	,, जुम्मा
12.	श्री दामोदर लाल व्यास	होस्पिटल रोड़	,, ग्यारसा
13.	,, रामकिशोर जी व्यास	,,	,, अखतर अली
14.	,, अमृतलाल यादव	अशोक नगर	,, सोहन
15.	,, बृजसुन्दर शर्मा	अशोक मार्ग	,, रामगोपाल

जिला जालोर में हुए जुर्मों की संख्या

182. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालोर में पिछले छः माह में कितने किस प्रकार के जुर्म किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि पिछले छः माही के मुकाबले इस छःमाही में जुर्म कम दर्ज हुए हैं अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? अगर नहीं, तो दोनों का अनुपात क्या है ?

(3) जिला जालोर में पिछले छः माह में जो जुर्म दर्ज हुए हैं उनमें से कितनों के चालान किये गये हैं एवं कितने जेर तफतीश व कितने मामलों में हकनामी दी गई है ? इन जुर्मों में चोरी, लूट व डकैती के कितने जुर्म हैं ? इनमें अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में झूठे मुकदमात दर्ज होने का अनुपात सालों साल बढ रहा है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस बारे में क्या सोच रही है ? अगर नहीं तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

(5) संगीन जुर्मों में निर्दोष व्यक्ति आपसी रंजिश से अव्वल इत्तिला में न दर्ज हो, इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी, अगर किसी कारण से कोई निर्दोष शख्स अव्वल इत्तिला में दर्ज कर दिया गया हो तो पुलिस द्वारा अदालत में चालान न किया गया, इस बारे में विभाग द्वारा भविष्य में क्या क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(6) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में पिछले एक दो माह में काफी चोरियां हुई हैं ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? चोरियों के रोकने के लिए पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

1. जिला जालोर में पिछले 6 माह (दि॰ 1-7-69 से 31-12-69) में कुल 314 अपराध पंजीबद्ध हुए जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. पिछली छः माही यानी 1-7-69 से 31-12-69 तक 314 जुर्म पंजीबद्ध हुए जबकि इससे पिछले छः माह (1-1-69 से 30-6-69) में कुल 380 जुर्म पंजीबद्ध हुए। अतः यह सत्य है कि इस 6 माही में (1-7-69 से 30-6-69) के मुकाबले में जुर्म कम दर्ज हुए जो करीब करीब 5:4 के अनुपात में हैं।

3. पिछले 6 माह में कुल 314 मुकदमात में से 123 का चालान हुआ, 106 में फाइनल रिपोर्ट दी गई व 85 जेर तफतीश हैं। इन 314 मुकदमात में से चोरी व लूट व डकैती के मुकदमात का विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

4. जी नहीं। यह गलत है। सन् 67 में 229 सन् 68 में 190 तथा सन् 69 में 161 झूठे मुकदमें दर्ज कराने वालों के खिलाफ 182/211 ता॰ हि॰ की कार्यवाही की गई।

Page No 139

उत्तर

5. रंजिश से नाम दर्ज कराने की कार्यवाही रोकी तो नहीं जा सकती लेकिन ऐसे निर्दोष व्यक्तियों का नाम इत्तिला अव्वल में होते हुए भी तफतीश से सही हालात मालूम कर निकाल दिया जाता है। और अदालत में उनके खिलाफ चालान पेश नहीं किया जाता है।

6. सन् 69 के माह नवम्बर दिसम्बर में कुल मिला कर नकबजनी और चोरी के 16-16 मुकदमात दर्ज हुए हैं जबकि सन् 68 में इन्हीं महीनों में नकबजनी के 17 व चोरी के 29 मुकदमात दर्ज हुए हैं। अतः यह कहना गलत है कि पिछले दो माह से ज्यादा चोरियां हुईं। चोरियों के मुकदमों का दर्ज होना साधारण अनुपात में ही है।

मुकद्दमात 1-7-69 से 31-12-69 तक जिला जालौर

नं०	जुर्म	रिपोर्ट	अदम वकुआ	157 बी जा०फौ०	अदम पता	अदम सबूत	गैर तफतीश	चालान	सजा	रिहा बरी	राजीनामा	पेंडिंग अदालत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	डकैती	4	2	—	—	—	1	1	—	—	—	1
2.	कत्ल लूट	13	4	—	—	1	2	6	—	—	—	6
3.	कत्ल	13	2	—	—	—	3	8	—	—	—	8
4.	इकदाम कत्ल 307 ता. हि.	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2
5.	304 ए. ता. हि.	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2
6.	बलवा	26	8	—	—	1	8	9	—	—	1	8
7.	457/380 ता.हि. बरगलरी विथ थैपट	60	2	—	25	1	14	18	2	—	—	16
.	8454/457 ता.हि. बरगलरी विदाउटथैपट	12	2	—	2	—	—	8	1	—	—	7
9.	324/327 ता.हि.	7	1	—	—	—	2	4	—	—	—	4

10. 325/326 ता.हि.	7	2	—	—	—	2	3	—	—	1	2
11. केटल थेफ्ट 379 ता.हि.	21	6	—	3	—	6	6	1	—	1	4
12. अदर थेफ्ट 379 ता.हि.	41	7	—	9	2	5	18	1	—	—	17
13. 363/366 ता.हि.	10	4	—	—	—	4	2	—	—	—	2
14. 406/409 ता.हि.	9	2	—	—	—	5	2	—	—	—	2
15. 419/420 ता.हि.	14	2	—	—	—	9	3	—	—	1	2
16. 353/332 ता.हि.	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
17. 337 ता.हि.	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1
18. 435/436 ता.हि.	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
19. 428/429 ता.हि.	7	2	—	—	1	1	3	—	—	—	3
20. 447/448 ता.हि.	30	5	—	1	1	5	18	—	—	6	12
21. मिसलेनियस	13	2	—	2	—	5	4	—	—	—	4
योग ता.हि. केसेज	300	55	—	42	7	78	118	5	—	10	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ई.सी. एक्ट	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
2.	9 अफीम एक्ट	7	—	—	—	1	1	5	3	—	—	2
3.	25 आर्म्स एक्ट	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
4.	2 आर.पी.सी.ए. एक्ट	3	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	योग	14	1	—	—	1	7	5	3	—	—	2
	कुल योग	314	56	—	42	8	85	123	8	—	10	105

मुकद्मात 1-1-69 से 30-6-69 तक जिला जालोर

नं०शु०	जुर्म	रिपोर्ट	अदम वकूआ	157बी जा० फौ.	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफतीश	चालान	सजा	रिहा बरी	राजीनामा	पेंडिंग अदालत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	डकैती 395 ता० हि०	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	लूट 392/394 ता० हि०	27	16	—	—	1	3	7	—	—	2	5
3.	कत्ल 302/304 ता० हि०	9	2	—	—	—	1	6	—	—	—	6
4.	307/308 ता० हि०	5	—	—	—	—	2	3	—	—	—	3
5.	411 ता० हि०	4	2	—	—	—	1	1	—	—	—	1
6.	304 ए० ता० हि०	4	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1
7.	बलवा 147/148	27	10	—	—	1	1	15	1	—	4	10
8.	नकबजनी मयमास	50	4	—	30	—	—	16	6	—	—	10
9.	नकबजनी बगैर माल	23	6	—	—	—	2	15	1	—	1	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10. फरारी 363/366		13	7	—	—	2	—	4	—	—	—	4
11. सरका मवेशी		33	7	—	7	1	1	17	—	—	1	16
12. सरका सादा		50	13	2	11	6	—	18	2	2	4	10
13. 406/409 ता० हि०		14	5	—	2	2	3	2	—	—	1	1
14. 419/20 ता० हि०		4	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15. 326/325 ,,		8	—	—	1	—	—	7	1	—	4	2
16. 324/327 ,,		13	1	—	—	1	—	11	—	—	9	2
17. 353/332 ,,		2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
18. 337 ता० हि०		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
19. 435/436 ता० हि०		6	1	—	2	1	—	2	—	—	—	2
20. 428/429 ,,		19	7	—	1	—	—	11	—	—	5	6
21. 447/448 ..		34	12	—	—	1	—	21	—	—	—	15

22. 328 ता: हि.	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
23. 489 डी ,,	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
24. विविध	12	6	—	—	2	—	4	1	—		3
25. मीजान	362	105	2	54	23	16	162	12	2	37	111
26. ई. सी. एक्ट	1	—	—		—	—	1	—	—	—	1
27. एक्साइज एक्ट	4	1	—	—	1	—	2	2	—	—	7
28. अफीम एक्ट	8	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
29. आर्म्स एक्ट	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1
30. पी. सी. एक्ट	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
31. यू. टी. एक्ट	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
32. मीजान	18	1	—	—	1	1	15	2	1	—	14
33. कुल मीजान	380	106	2	54	24	17	177	14	3	37	125

कोटा जिले में अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि का अलाटमेंट

183. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांधी जयन्ती के उपलक्ष में कोटा जिले के किस किस ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितनी कितनी भूमि अलोट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन लोगों को भूमि अलोट की गई उसके पट्टे उसी दिन दे दिये गये थे ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्वीमिंग पूल का निर्माण

184. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर नगर में नगर सुधार न्यास एक स्वीमिंग पूल बनाने जा रहा है ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस पर करीब 3 लाख रुपये खर्च होंगे ?

(3) क्या इसके लिये कोई स्थान निश्चित हुआ है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि जसवंत कॉलेज का स्वीमिंग पूल, चौपासनी स्कूल, स्टेट होटल, रातानाड़ा पैलेस व उम्मेद भवन में बने स्वीमिंग पूल पिछले कई वर्षों से पानी के अभाव के कारण बेकार पड़े हैं ?

(5) क्या यह सत्य है कि पिछले 2 वर्षों से व वर्तमान समय में जोधपुर में पानी का भीषण अभाव है ?

(6) क्या यह सत्य है कि पानी व पैसे के अभाव में सड़क सुधार व निर्माण का कार्य, गट्टर आदि योजनायें बन्द पड़ी हैं ? यदि हां, तो इस अवस्था में उपरोक्त नये तरण तारण (स्वीमिंग पूल) का निर्माण कहां तक उचित है ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर न्यास में फिलहाल स्वीमिंग पूल बनाने की कोई योजना नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(5) जी हां।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा संचालित उद्योग

185. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कितने उद्योग संचालित किये जा रहे हैं और उन पर राज्य सरकार की कितनी निधि लगी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गत 3 वर्षों में किन किन उद्योगों में राज्य सरकार को हानि या लाभ रहा एवं कितना कितना, उसका विवरण भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या यह सत्य है कि इस हानि का मुख्य कारण संचालन अव्यवस्था, अपव्यय एवं कुशल व्यक्तियों का अभाव है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

राजकीय उपक्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित उद्योगों व उनमें निहित राजकीय निधि व गत तीन वर्षों के हानि व लाभ की सूची

उद्योग का नाम	उद्योगों में निहित राजकीय पूंजी रुपये लाखों में	हानि व लाभ के आंकड़े लाखों में — वर्ष 66–67		67–68		68–69		
		हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	
1. राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर।	66.00	—	—	—	—	—	0.60	11 अप्रेल, 68 को मिल चालू की गई
2. नमक स्रोत डीडवाना व पचपदरा।	6.32	—	4.82	—	11.80	—	13.95	
3. सोडियम सल्फेट वर्क्स डीडवाना।	(-) 1.11	—	5.49	—	13.01	—	7.35	
4. पलाना खान पलाना।	21.00	8.05	—	6.29	—	5.65	—	÷ वर्ष 68–69, में माल की बिक्री कम होने से आय कम हुई बचे हुए माल की अगले वर्षों में बिक्री होने पर आय अधिक होगी।
		आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय	
5. सोडियम सल्फेट प्लान्ट, डीडवाना।	39.00	12.29	5.10	13.50	5.29	÷.83	5.39	
6. सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री डीडवाना।	1.97	—	1.97	1.88	4.40	2.50	2.28	इनके प्रोफार्मा अकाउण्ट्स तैयार नहीं किये जाते अतएव आय व्यय का ब्योरा दिया गया है।
		हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	
7. श्री गंगानगर शूगर मिल, गंगानगर।	18.23 गवर्नमेंट शेयर	—	6.56	—	5.94	—	1.62	
8. हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लि०।	7.97	4.58	—	—	0.18	आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं।		

Page No 148

श्री गंगानगर जिले में भूतपूर्व तथा भूमिहीन सैनिकों को भूमि का अलॉटमेंट

186. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला श्री गंगानगर में भूतपूर्व सैनिकों व भूमिहीन सैनिकों को भूमि अलॉट हुई है ? यदि हां, तो कुल कितने सैनिकों को भूमि अलोट हुई है ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि काफी सैनिकों को भूमि अलोट करने के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कुल कितने प्रार्थना-पत्र हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सैनिकों के लिये कुछ रकबा राजस्थान केनाल एरिया में रिजर्व किया गया है ? यदि हां, तो कितना रकबा कौन कौन से चक में रिजर्व किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि सैनिकों को भूमि अलोट की गई है ? वह अधिकतर सैनिक अधिकारियों को की गई है ? यदि हां, तो कितने अधिकारियों व कितने सोल्जरों को कितना कितना रकबा अलोट किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, जिला गंगानगर में भाखरा व गंग कैनाल क्षेत्र में 268 भूतपूर्व सैनिकों को रकबा अलाट किया गया है। जो जानकारी उपलब्ध हो सकी उसके आधार पर उन व्यक्तियों तथा तहसील, ग्राम चक वाइज सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) गंग कैनाल व राजस्थान नहर परियोजना में भूमि आवंटन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं हैं। भाखरा क्षेत्र में चार प्रार्थना पत्र सैनिकों के विचाराधीन हैं। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी हां। 10,000 एकड़ रकबा रिजर्व किया गया था। चकवाइज सूची जो रकबा आरक्षित किया गया, सदन की मेज पर रख दी है।

(4) जी नहीं। जो भूमि अलोट की गई है वह अधिकतर सोल्जर्स को की गई हैं अपेक्षित सूचना प्रश्न के खण्ड (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत सूची में उपलब्ध है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर नगर मे पानी के कनेक्शन्स

187. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1966 – 67 तथा 67-68 में जयपुर नगर में कुल कितने पानी के कनेक्शन्स दिये हुये थे तथा प्रतिवर्ष उपभोक्ताओं से कितनी आय होती थी ?

(2) सारे नगर में कितने मीटर विभागीय हैं तथा कितने मीटर प्राईवेट हैं ?

(3) उपभोक्ताओं से पानी का व्यय किस दर से लिया जाता है और 24 घण्टे

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

में कितनी देर पानी वितरण किया जाता है ?

(4) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष से पानी के नलों के बजाय केवल हवा ही आती है और काफी देर हवा आने पर यदि पानी खुले तो पानी आता है ?

(5) क्या यह सच है कि पानी के नहीं आने पर भी हवा के प्रेशर से मीटर चलता है ?

उत्तर

(1) वर्ष कनेक्शनों की संख्या आय
66-67 28,852 रु० 35,24,342.46
67-68 30,665 रु० 37,83,470.71

(2) 24705 विभागीय मीटर 6474 प्राइवेट।

(3) 40 पैसे प्रति हजार लीटर पर प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक सायंकाल 5 बजे से 8.30 तक

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

काटन-कन्ट्रोल ऑर्डर के तहत मामले

188. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिलाधीश अजमेर की ओर से केकड़ी खण्ड मण्डलाधीश श्री प्रवीणचन्द्र जैन द्वारा "कोटन कन्ट्रोल आर्डर" के तहत कितने मुकदमें दिये गये ?

(2) जो मुकद्दमें दिये गये उनकी एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उन पर क्या कार्यवाही की गई और कब कब की गई ? उसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) मामले किस स्टेज पर हैं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

भूमि सुधार के संबंध के लिये गये निर्णय

189. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन मे लिये गये निर्णयों के अनुसार भूमि सुधार के सम्बन्ध में राज्य में क्या क्या कदम उठाये गये हैं, तथा क्या क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

(2) उक्त निर्णय के अनुसार पूर्णतया भूमि सुधार कब तक हो जायेगा और इसका अन्तिम रूप क्या होगा ? इसका राज्य की अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर

(1) मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों का विवरण अभी तक भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है प्राप्त होने पर ही उत्तर दिया जा सकता है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

जैसलमेर म्याजलार सड़क का कार्य

190. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर–म्याजलार सड़क का काम कितने ठेकेदारों को दिया गया ? प्रत्येक ठेकेदार को कितनी लम्बी सड़क का निर्माण कार्य किन किन शर्तों पर दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किस किस ठेकेदार को आज तक कितनी कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदारों ने ठेके की अवधि में कार्य नहीं किया है ? अगर हां, तो विभाग ने आज तक इसके लिए क्या कार्यवाही की ?

(4) अगर ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि खुडी से म्याजलार की तरफ 6 मील सड़क अकाल राहत से बनी हुई थी और उसका भुगतान अकाल राहत में भी हुआ और ठेकेदार को भी किया गया ? अगर हां, तो एक ही सड़क का दो बार भुगतान करने के क्या कारण हैं ठेकेदार को किस दर पर भुगतान हुआ ? प्रति मील सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, चार ठेकेदारों को।

विस्तृत विवरण सूची (क) संलग्न है

(2) सूची (ख) संलग्न है

(3) (4) जी हां, अचलसिंह एण्ड कम्पनी को इस सड़क के निम्न प्राथमिकता में आने के कारण काम बन्द करने के आदेश दिये गये और मेसर्स भँवरलाल बोहरा ने काम निर्धारित समय में पूरा कर दिया अतः उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। बाकी ठेकेदारों को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नोटिस दे दिये हैं और कार्यवाही जारी है।

(5) ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई है जो उत्तर नं० 3 में बताई गई है वही है। खुड़ी, जैसलमेर खुड़ी म्याजलार सड़क पर मील 28 से 29 मील के बीच में स्थित है। खुड़ी से म्याजलार की ओर 6 मील सड़क अकाल राहत कार्य में नहीं बनी। यह कार्य परियोजना के अधीन निम्न ठेकेदारों को उनके आगे दिखाई गई दरों पर दिया गया।

(1) मील 24 से 32 श्री खजान सिंह एण्ड सन्स जोधपुर, जो शिड्यूल से अधिक 45% (अबाउ)।

(2) मील 32 से 39 मेसर्स भँवरलाल बोहरा एण्ड सन्स बाड़मेर, जो शिड्यूल से अधिक 50% (अबाउ)।

इस कार्य का दो बार भुगतान होने का प्रश्न ही नहीं उठता प्रत्येक ठेकेदार को प्रत्येक मील में जिस दर से कार्य दिया गया वह सूची (ख) में दिखलाई गई है।

सूची (क)

क्र.सं.	ठेकेदार का नाम	सड़क की लम्बाई	कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि	शर्तें
1.	मेसर्स अचलसिंह एण्ड कम्पनी।	0 से 8 मील	9 माह	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुबन्ध के अनुसार
2.	,,	8 से 16 मील	9 माह	,,
3.	मेसर्स रमेशचन्द्र जैन एण्ड कंपनी	16 से 24 मील	6 माह	,,
4.	मेसर्स खजानसिंह	24 से 32 मील	6 माह	,,
5.	मेसर्स भँवरलाल बोहरा एण्ड ब्रादर्स बाड़मेर।	32 से 39 मील	6 माह	,,
	,,	39 से 46 मील	6 माह	,,
	,,	46 से 53 मील	6 माह	,,
	,,	53 से 60 मील	6 माह	,,

सूची (ख)

क्र.सं.	ठेकेदार का नाम	मील	धनराशि	दर
1.	मेसर्स अचलसिंह एण्ड कम्पनी	0 से 8 मील	2,81,844/–	29 %
2.	,,	8 से 16 मील	86,234/–	28.97%
3.	मेसर्स रमेशचन्द्र जैन एण्ड कंपनी	16 से 24 मील	3,24,639/–	47 %
4.	मेसर्स खजानसिंह	24 से 32 मील	1,42,271/–	45 %
5.	मेसर्स भँवरलाल बोहरा एण्ड ब्रादर्स बाड़मेर।	32 से 39 मील	1,15,171/–	41.50%
	,,	39 से 46 मील	1,59,165/–	41.25%
	,,	46 से 53 मील	1,66,286/–	39.25%
	,,	53 से 60 मील	1,66,866/–	39.25%

पट्टा होल्डर्स को खातेदारी हक

191. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व इन्दौर स्टेट के सुनेल टप्पा में लोगों को इस शर्त पर टेम्परेरी पट्टे जारी किये गये थे कि जरूरत पड़ने पर वह उपरोक्त जमीन को गांधी सागर के विस्थापित कृषकों को बसाने हेतु खाली कर देंगे ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सुनेल टप्पा अब राजस्थान के झालावाड़ जिला में मिला दिया गया है और टेम्परेरी पट्टेवाली जमीन पर विस्थापितों को बसाने का प्रश्न अब सरकार के सामने नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त पट्टा होल्डर्स को तहसील व जिला प्रशासन अभी तक ट्रेसपासर्स मानता चला आया है और उन पर पेनल्टी व जुर्माने भी किये जा रहे हैं जैसा कि ग्राम कांदलखेड़ी (हलका चंचलान) घांटा खेडी आदि में किया गया है यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इन पट्टा होल्डर्स को मुस्तकिल खातेदारी हक देने का निर्णय लेगी ?

उत्तर

1—सुनेलटप्पा के काश्तकारों को इस तरह पट्टे देने का रेकार्ड इन्दौर स्टेट का अब मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में इसके विलीनीकरण के पश्चात् तहसील पिडावा द्वारा ऐसे कोई पट्टे जारी नहीं किये गये। इन्दौर स्टेट के वक्त का रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

2—यह सही है कि सुनेल टप्पा, झालावाड़ जिले में मिला दिया गया है, ऐसा कोई मामला अब नहीं है कि ऐसे पट्टे वालों की जमीन पर किन्हीं विस्थापितों को बसाया जाए।

3—राजस्थान में इस क्षेत्र को मिलाए जाने के पश्चात् यहां का सैटलमेन्ट हो गया है और जिन व्यक्तियों को खातेदारी दे दी गई है उनके विरुद्ध पैनेल्टी, जुर्माने का प्रश्न नहीं रहता। जिनको सैटलमेन्ट में खातेदारी नहीं दी तथा अतिक्रमणी माना गया उनके विरुद्ध धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करें, कब्जे के आधार पर तहसील विनियमन करने की कार्यवाही कर रही है।

4—ऐसे मामलों में वर्तमान नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

सक्रिय डाकूदल व उनकी संख्या

192. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1967 से पूर्व राज्य भर में कुल कितने डाकूदल सक्रिय थे और उनकी कुल संख्या कितनी थी ? इन दल के मुखियाओं के नाम बताने की कृपा करें।

(2) सन् 1967 में उक्त गिरोह में से कितने गिरोहों का सफाया किया गया और कितने नए दल बने ?

(3) सन् 1968 में कितने दलों का सफाया किया गया और कितने नए दल बने ?

(4) क्या यह सही है कि सन् 1967 में राजस्थान में डाकू दल अधिक सक्रिय हुए और सन् 1968 में इनका आकार और भी बढ गया जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में प्रकट किया था यदि हां तो। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई?

उत्तर

(1) सन् 1967 से पूर्व राजस्थान में कुल 21 दस्यु दल सक्रिय थे । मुल्जिमानों के नाम संलग्न तालिका में दर्ज हैं ।

(2) सन् 1967 में राजस्थान पुलिस ने किरोड़ी दस्यु दल का तथा मध्यप्रदेश पुलिस ने दुर्गा दस्यु के दल का सफाया किया था । इन दस्यु दलों के अलावा 1967 में भरतपुर, सवाई माधोपुर और कोटा जिले में 38 डाकू बन्दी बनाए गए तथा 12 डाकू मारे गए । इस साल में कोई नया दस्यु दल नहीं बना ?

(3) सन् 1968 में किसी एक दल विशेष का सफाया नहीं हुआ लेकिन इस साल में भरतपुर, सवाई माधोपुर और कोटा जिलों में 50 डाकू बन्दी बनाए गये व 1 मारा गया । इस साल में कोटा जिले में धन्ना मीना का नया दल बना ।

(1) जी हां, यह सही है कि राजस्थान में सन् 1967 में दस्यु दल अधिक सक्रिय हुए क्योंकि सन 1966 में कुल 65 डकैतियों के अभियोग पंजिबद्ध हुए जबकि सन् 1967 में डकैतियों के 128 अभियोग पंजिबद्ध हुए थे । 1968 में सन् 1967 की तुलना में डकैतियां और बढ़ीं और कुल 132 अभियोग पंजिबद्ध हुए । उपरोक्त इन आंकड़ों से यह धारणा होती है कि सन् 1967 और 1968 में डकैती की वारदात में वृद्धि हुई है, परन्तु गहराई से देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में पिछले वर्षों के मुकाबले में सन् 1968 में वास्तव में वृद्धि नहीं हुई । कुल 132 पंजिबद्ध अभियोगों में से 42 झूठे व 50 टेक्निकल किस्म के अभियोग पाये गये । सन् 1968 में संगठित गिरोह द्वारा केवल 40 अभियोग किये गये हैं जबकि सन् 1967 व 1966 में झूठे व तकनीकी अपराधों को घटा देने के बाद क्रमशः 64 तथा 37 डकैती के अपराध संगठित गिरोह द्वारा करना पाये गये हैं । इस प्रकार सही स्थिति यह है कि सन् 1967 के मुकाबले में संगठित गिरोह द्वारा किया । डकैतियों में वृद्धि हुई है तथा 1968 में सन् 1967 के मुकाबले में इस अपराध में काफी कमी हुई है ।

इस समस्या के समाधान हेतु मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश पुलिस अधिकारियों द्वारा डकैती विरोधी अन्तर राज्यीय सम्मेलन समय समय पर बुलाये जाते हैं ।

डकैती ग्रस्त क्षेत्रों में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर वितन्तु केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिससे कि दस्यु दलों की गतिविधियों की सूचना शीघ्र प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जाती है ।

डकैती ग्रस्त क्षेत्रों में सभी महत्वपूर्ण जगहों पर आर. ए. सी. व सशस्त्र पुलिस की पोस्ट तैनात की गई है इन पोस्टों के जवानों द्वारा गश्त की जाती है और डकैतों की सूचना मिलने पर रात्रि को डाकुओं की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिये एम्बुश भी किया जाता है ।

डकैती ग्रस्त सभी जिलों में मुख्य आरक्षक से लगाकर अधीक्षक आरक्षी के पद पर तैनाती उनके पिछले डाकू विरोधी कार्य-कुशलता एवं अनुभव के आधार पर की गई है ।

इसी क्षेत्र में डाकू विरोधी अभियान को सक्रिय करने के लिए हाल ही में Dy. I.G.P. ADL. की भी नियुक्ति की गई है ।

प्रश्न संख्या 31 गृह सं० की संलग्न तालिका

सन् 67 से पूर्व (सन् 1966 के अन्त तक सक्रिय दस्यु दल)	मुखियाओं के नाम
1. जग्गा	स्वयं
2. फूला	"
3. महाराजसिंह	"
4. जगदीश	"
5. गिरराज	"
6. चिरौंजी मीना	"
7. गज्जा	"
8. सज्जाराम	"
9. बुद्धा	"
10. माखनसिंह	"
11. रूपा गूजर	"
12. परमेश्वरिया	"
13. समन्दरसिंह	"
14. प्रतापसिंह	"
15. गुलाबसिंह	"
16. सुवरनसिंह	"
17. छोटासिंह	"
18. सूरतसिंह	"
19. दुर्गा	"
20. किरोड़ी	"
21. हरविलास	"

अस्थाई तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार

193. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ऐसे कितने तहसीलदार व नायब तहसीलदार हैं जो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से तहसीलदार व नायब तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी तक अस्थायी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने विभागीय परीक्षा (आर. टी. एस.) पास करली है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 1-1-58 के बाद कितने नायब तहसीलदारों की भर्ती सीधी की गई है और कितने व्यक्तियों की विभागीय पदोन्नति की गई है। क्या इसमें नियमों के अनुसार पदोन्नति का अनुपात 2:1 का ही रखा गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने आर. टी. एस. की परीक्षा पास नहीं की है फिर भी नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति 10 वर्ष में कर दी गई हैं ?

(5) ऐसे कितने तथा कौन कौन स्थायी व अस्थायी नायब तहसीलदार हैं जिनका कुल सेवा काल 6 वर्ष से कम हैं तथा जिनकी पदोन्नति तहसीलदार के पद पर कर दी गई है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(6) तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को अस्थाई से स्थाई कितने समय बाद करने का नियम है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

कत्ल के मामले की जांच

194. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चौमूं क्षेत्र में हुए एक कत्ल के सिलसिले में श्री सवाईसिंह नामक सी. आई. (सी. आई. डी.) को नियुक्त किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि जांच के दौरान मामले को समाप्त कर सी. आई. ने मुलजिमान पार्टी से पांच हजार रुपये रिश्वत के लिये ? यदि हां, तो जांच किस केस की थी ? मुकद्मा नम्बर व मुलजिमों के नाम बताने की कृपा करें ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस रहस्य का पता लग जाने के बाद वह जांच-शुदा कागजात की फाइलें सवाईसिंह सी. आई. से लेकर अन्य अधिकारी को दी गई ?

(4) यदि हां, तो सी. आई. के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। जांच का संबंध केश नं० 52, दिनांक 14-6-67 धारा 302 ता० हि० आरक्षी केन्द्र चौमूं से है। इसमें 5 मुलजिम (अर्जुन पुत्र सुखदेव जाट, हरजी पुत्र कजोड़ बलाई, लछू पुत्र बोजा बलाई, हनुमान पुत्र कल्लू, रामकरण पुत्र अर्जुन जाट)

(राजस्व मंत्री)

थे जिनमें से अर्जुन, हरजी व लछू के खिलाफ पूर्ण शहादत के आधार पर चालान भी किया था।

(3) सी. आई. के पास कार्य अधिक होने से जांच अन्य अधिकारी को सौंपी गई थी।

(4) ऐसे कोई आरोप सामने नहीं आये अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चोरी का माल बरामद करने का मामला

195. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में किसी सरकारी कर्मचारी ने किसी थाने में थानेदार के साथ मिल कर अपने आपको एस. पी. बताया और चोरी का माल बरामद करा देने का आश्वासन दिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कहां और कब कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

ग्राम कानूता की जल प्रदाय योजना

196. श्री रावत राम (छापर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव कानूता तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू की जल प्रदाय योजना के लिये संबंधित पंचायत ने नियमानुसार पंचायत समिति सुजानगढ़ द्वारा योजना की लागत की पांच, प्रतिशत धन-राशि जमा करवा दी है ? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त योजना का सर्वे किन्हीं विभागीय अधिकारी द्वारा करवाया गया है ? यदि हां, तो किन अधिकारी से और उक्त योजना पर कितनी धनराशि अनुमानतः खर्च होगी, सर्वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना को स्वीकृत करने हेतु जिलाधीश चूरू ने सिफारिश की है ? यदि हां, तो कब और उसके बाद विभाग ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की तथा उक्त योजना कब तक स्वीकृत कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। सर्वेक्षण सहायक अभियन्ता, विशेष अनुसंधान उपसंभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, बीकानेर द्वारा किया गया। पम्प एवं टेंक योजना की अनुमानित लागत 69,100 रु० है सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, दिनांक 10-7-69 को उसके बाद योजना बनाने के लिए सर्वे की गई किन्तु सरकार के नवीनतम आदेशों के अनुसार इस ग्राम की आबादी सन् 1961 की जनगणना के अनुसार 2000 से कम होने के कारण कोई योजना लागू नहीं की जा सकती ?

Survey Report of the Scheme

1.	Population as per census 1961	– 1441 Souls
2.	Design population	—2200"
3.	Rate of Supply	—10 G. P. C. D.
4.	Source of Supply	—New existing well near Middle School has been proposed.
5.	Yield of well	– 4000 G. P. H.
6.	Rising main	—3" C. I. main in length of 5000 has been proposed.
7.	S. R.	—One R.C.C. Tank 7500 gallons capacity on 30' staging.
8.	Total Cost of Scheme	– Rs. 69100/-

अजमेर में जनता द्वारा चलाया गया आन्दोलन

197. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर, पश्चिम): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जुलाई, 1968 में संघर्ष समिति, अजमेर के द्वारा राजू (घातक) के विषय को लेकर जनता द्वारा आन्दोलन चलाया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में कितने नागरिक हवालात बन्द किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सत्य है कि कुछ व्यक्तियों के ऊपर झूठे मुकद्दमें चलाये गये जो माननीय दंडनायक द्वारा खारिज किये गये थे ? यदि हां, तो पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त मामले से संबंधित कई मुकद्दमें जिलाधीश के समक्ष विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उन मुकद्दमों को वापिस लेने का सरकार कब तक विचार करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि ऐसे मुकद्दमों से जनता में रोष बढ़ता है ? यदि हां, तो उसको शान्त करने के लिए सरकार ने कौन-सा उपाय किया है ?

उत्तर

1. जी हां, कुछ व्यक्तियों द्वारा आन्दोलन चलाया गया था। कुल 46 व्यक्ति पुलिस द्वारा विभिन्न आरोपों पर गिरफ्तार किये गये थे, सूची संलग्न है।

2. जी नहीं-अदालत के केवल धारा 107/151 जा. फौ. में प्रस्तुत किए गए ही इस्तगासे हड़ताल खत्म होने के बाद अदालत की नजर में आइन्दा कोई शांति भंग होने का अन्देशा न होने पर खारिज किए गये थे।

3. लिस्ट में दिये गये मामलों में धारा 188 जा. फौ. व 325 फुट मुकट के तहत के सभी केसेज फैसला होकर तथा मुलजिमान को सजाए दी गई है। मुकद्दमा नम्बर 141 ह. द. 147/149/332/353 विचाराधीन है। चूंकि इन अभियुक्तों ने शहर में साम्प्रदायिक उत्तेजना भड़काने का प्रयत्न किया था व कानून भंग किया। अतः मुकद्दमे वापिस लेना उचित नहीं समझा जाता।

4. पुलिस द्वारा शान्ति बनाये रखने हेतु हर मुमकिन प्रयत्न किये गये। मुकद्दमों से जनता में कोई रोष नहीं बढ़ा।

सूची उन व्यक्तियों की जो राजू (घातक) काण्ड को लेकर आन्दोलन चलाया

नं.	नाम व्यक्ति	धारा
1.	श्री जगतराज वल्द हेमराज सिंधी लाखन कोटरी, अजमेर	32 पुलिस एक्ट
2.	श्री नरेन्द्रमल वल्द भागचन्द सिंधी लाखन कोटरी, अजमेर	,,
3.	श्री मगनमल वल्द झमनदास सिंधी नवाब की बेड़ा, अजमेर	,,
4.	श्री सतीश कुमार वल्द झामन दास सिंधी, अजमेर	,,
5.	श्री टीलमल वल्द आसनदास सिंधी गंज, अजमेर	,,
6.	श्री भागचन्द वल्द गोदूमल सिंधी आगरा गेट, अजमेर	,,
7.	श्री अर्जुनदास वकील, अजमेर	,,
8.	श्री रमेश वल्द जेठानन्द लाखन कोटरी, अजमेर	188 ता. हि.
9.	श्री नरेन्जन वल्द फूलचन्द सिंधी देहली गेट, अजमेर	,,
10.	श्री मिरचमल वल्द छतमल सिंधी चान्द बावड़ी, अजमेर	,,
11.	श्री चैनमल वल्द खूबचन्द सिंधी धान मण्डी, अजमेर	,,
12.	श्री आलमसिंह वल्द मेघसिंह	,,
13.	श्री किशन वल्द टीकम सिंधी शीशाखान, अजमेर	,,
14.	श्री हरीश कुमार वल्द चूमड़मल सिंधी आहुता मो., अजमेर	,,
15.	श्री मिर्चमल वल्द ओडरमल सिंधी कुमार मो., अजमेर	,,
16.	श्री माधवदास वल्द सोमराज सिंधी खारी कुई, अजमेर	,,
17.	श्री भैरूमल वल्द तेजूमल सिंधी सौदागर मो. अजमेर	,,
18.	श्री दयाराम वल्द बसरमल सिंधी पुन्दड़ी मो. अजमेर	,,
19.	श्री गोविन्द वल्द दयाराम सिंधी मुदड़ मो. अजमेर	,,
20.	श्री घनश्याम वल्द मेनीमल सिंधी नवाब का बेड़ा, अजमेर	,,

Page No 160

नं०	नाम व्यक्ति	धारा
21.	श्री टोडमल वल्द सावलदास सिंधी मोची मो. अजमेर	188 ता. हि.
22.	श्री नरेन्द्र कुमार वल्द ईश्वर दास सिंधी डिग्गी बाजार, अजमेर	,,
23.	श्री महादेव वल्द भागूमल सिंधी उत्तरी गेठ, अजमेर	,,
24.	श्री धनराज वल्द जवानमल सिंधी गूजरमल मो. अजमेर	,,
25.	श्री रामेश्वर वल्द परषोत्तम नायक देहली गेट, अजमेर	,,
26.	श्री रामचन्द्र सिंधी, अजमेर	107|151 जा. फौ.
27.	श्री सोहमल सिंधी, अजमेर	,,
28.	श्री नोतक मल सिंधी, अजमेर	,,
29.	श्री सादूराम सिंधी, अजमेर	,,
30.	नाथूराम सिंधी, अजमेर	,,
31.	श्री सरवरा कुमार सिंधी, अजमेर	,,
32.	श्री मूलचन्द वल्द गिरधारी लाल	,,
33.	श्री सतरामदास वल्द बन्शीमल सिंधी	,,
34.	श्री जेठानन्द वल्द भम्बटमल सिंधी देहली गेट, अजमेर	,,
35.	श्री गोस्वामी ठाकुरमीर वल्द सेवागीर जाति गोस्वामी डिग्गी बाजार, अजमेर	,,
36.	श्री नानकराम इसरानी	केस नं. 41 धारा 143
37.	श्री बरेन्दमल	147/149/336/332| 353/ ता. हि.
38.	श्री लक्ष्मरा पंजाबी	,,
39.	ठाकुरदास	,,
40.	श्री कीका	,,

नं.	नाम व्यक्ति	धारा
41.	श्री जीवनदास	147/149/336/ 332/353/ता० हिं०
42.	श्री भोजराज	केश नं. 141
43.	श्री टीकमदास	,,
44.	श्री भगवानदास	,,
45.	श्री अरविन्द कुमार	,,
46.	श्री वीर परतान	,,

पाली जिले की जल प्रदाय योजनाएं

198. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में किन किन स्थानों की जलप्रदाय योजनाओं के लिये पंचायत के हिस्से की राशि सरकार में जमा हो चुकी है ?

(2) पाली जिले के किन किन गांवों या नगरपालिका क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनायें किस किस अवस्था में हैं ? जो चालू नहीं हुई परन्तु जिनके कार्य चालू हैं वहां आबादी को पानी कब तक दे दिया जायेगा ?

(3) सादड़ी, देसूरी, बाली की जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य चले कितना समय बीत चुका है व आगे अब और कितना समय और लग जायेगा ? इन योजनाओं को कुल कितना पैसा अभी तक मिल चुका है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में जिन 2 स्थानों की जल प्रदाय योजनाओं के लिए पंचायत के हिस्से की राशि जमा हो चुकी है उनकी सूची 'डी' संलग्न है।

(2) पाली जिले में योजनाओं की स्थिति संलग्न सूची में अंकित है।

(3) सादड़ी व बाली का कार्य चलते हुए लगभग 1 वर्ष बीत गया है। और अब आगे 1 वर्ष और लगेगा। देसूरी योजना का कार्य चलते हुए लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं व 1 वर्ष और लगने की सम्भावना है। इन योजनाओं पर अब तक निम्न धनराशि मिल चुकी है।

सादड़ी रु० 5,52,000

बाली रु० 4,83,000

देसूरी रु० 1,88,000

सूची (व)

पाली जिले में योजनाओं की स्थिति

1. नगरीय योजनाएं

पाली

सोजत

2. जो चालू नहीं हुई किन्तु जिनके कार्य चालू हैं।

(1) बाली
(2) सादड़ी
} ये योजनाएं प्रगति पर हैं और धनराशि की उपलब्धि पर अगले वित्तीय वर्ष 1970-71 के अन्त तक पूर्ण की जाने की संभावना है।

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएँ

पूर्ण की गई योजनाएं

1. मुन्डारा
2. रानी
3. तख्तगढ़
4. रोहट
5. बीजापुर
6. धाकड़ी
7. फालना
8. बिन्जोवा
9. जेतारण
10. सुमेरपुर
11. कोमलोव

12. चन्द्रावल
13. ठिमेल
14. पोसालिया
15. चावन्डी

जो चालू नहीं किन्तु जिनके कार्य चालू है।

1. बगरी 2. बुसी 3. आनन्दपुर कालू 4. सान्डेराव 5. खुशालपुर 6. रावपुर 7. चानोद 8. देसूरी 9. खोड 10. धनला 11. गुन्दोज बेरा 12. गुडाराम सिंह	इन योजनाओं का कार्य प्रगति पर है तथा अगले वित्तीय वर्ष में धन राशि की उपलब्धि पर पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

5% जन सहयोग की सूची

क्र० सं०	योजना का नाम	अनुमानित लागत	जन सहयोग की धन राशि दिसम्बर 69 तक
1.	मुंडारा	1,28,000	3,400
2.	षडवाल	1,30,000	6,500
3.	रानी	1,68,000	5,300
4.	तखतगढ़	5,39,000	26,950
5.	बीजापुर	1,48,500	7,425
6.	रोहट	1,01,400	5,070
7.	छकारी	1,09,800	3,000
8.	फालना	3,50,000	18,250
9.	कोसेलू	1,36,000	6,800
10.	बेरा	1,28,000	—
11.	निम्बजा और जैतारण	8,18,000	40,300
12.	सुमेरपुर	2,80,000	15,500
13.	बिनजोबा	1,30,000	6,500
14.	बुसी	1,10,800	6,000
15.	धानला	1,70,000	9,000
16.	रायपुर	2,30,000	11,500
17.	ढोमेल	1,09,400	8,100
18.	आन्दपुरकालू	1,88,000	10,000
19.	बागरी	2,50,800	15,000
20.	साण्डेराव	1,47,200	15,000
21.	सोद	1,58,800	8,000
22.	कुशालपुरा	1,50,000	1,000
23.	चवनदारी	2,05,300	—
24.	देसूरी	1,80,800	9,500
25.	चानोद	2,00,600	8,700
26.	गुरा रामसिंह	98,000	5,000
27.	गुंडोज	1,49,000	7,450
28.	जोजावर	1,53,000	12,000
29.	भटपदा	1,07,000	7,000
30.	खोरवा	1,96,000	11,617
31.	जवाली	63,000	15,300
32.	पिपालिया कलान	94,500	8,000
33.	दिवाली	63,000	8,000

चोरियों के मामलों में आदिवासी कन्जरों की गिरफ्तारी

199. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरा पाटन पुलिस ने मई, जून व जुलाई, 1967 में हुई चोरियों के मामलों में कुछ आदिवासी कंजरों को चोरी के इलजाम में गिरफ्तार किया था ? अगर हां, तो कब व कितने कन्जरों को गिरफ्तार किया ?

(2) क्या मुरागिया कंजर भी उसी केस से सम्बन्धित था जिसकी मृत्यु उसी केस के दौरान हुई ? अगर हां, तो कब व कहां और कैसे हुई ?

(3) क्या यह सही है कि उसकी मृत्यु पुलिस की मारपीट से हुई थी ?

(5) क्या यह सही है कि मुरागिया कंजर की लाश झालावाड़, अदालत में लाई गई थी जहां से वगैर कोई जांच किए तुरन्त पुलिस द्वारा जबरदस्ती पोस्ट मार्टम के लिये ले जाई गई ? अगर हां, तो क्यों जब कि मुरागिया की पत्नी व पुत्र उस संबंधी जानकारी कलेक्टर महोदय को देना चाहते थे ?

(5) क्या यह सही है कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में मृत्यु का कारण बीमारी बताया गया है ?

उत्तर

(1) मई, जून व जुलाई, 1967 में हुई चोरियों में नहीं, अपितु फरवरी सन् 1966 में हुई नकबजनी के अभियोग क्रमांक 4 धारा 457/380 ता० हि० में 6 कंजरों को दिनांक 7-6-67 को गिरफ्तार किया था।

(2) मुरागिया कंजर भी उक्त बन्दीकृत कंजरों में था किन्तु उसकी मृत्यु पुलिस हिरासत में नहीं हुई। उसको पुलिस द्वारा छोड़ने के 6 दिन बाद दिनांक 19-6-67 को झालावाड़ अस्पताल में उसकी मृत्यु छोटी आंतों में व हेमरेज होने से हुई।

(3) जी नहीं। उसके साथ मारपीट होना नहीं पाया जाता।

(4) जी नहीं। बल्कि दिनांक 19-6-67 को मृतक मुरागिया की पत्नि ने मुरागिया को जीवित हालत में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, झालावाड़ के समक्ष पेश कर मुरागिया की चोटों का डाक्टरी मुआयना करवाने का आदेश किया था। आवेदन पर मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार अधीक्षक आरक्षी झालावाड़ की मारफत प्रबन्ध थाना झालरा पाटन ने मुरागिया कंजर को शफाखाना झालावाड़ में डाक्टरी मुआयना करवाने के लिये भेजा। वह शफाखाना झालावाड़ में पहुंचते ही मर गया। इसलिए पुलिस कोतवाली झालावाड़ ने मृतक मुरागिया को धारा 174 जा० फो० के अनुसार पंचायत नामा तैयार कर मृतक की लाश का पोस्ट मार्टम कराया तथा पोस्ट मार्टम कराने के पश्चात् मृतक की लाश को उसके वारिसान के सुपुर्द कर दी गई। मुरागिया की पत्नि व पुत्र ने उसे कलेक्टर महोदय के पेश करने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की थी।

(5) जी, हां।

परिशिष्ट 2

(अ० प्र० सं० 211 की सूची)

फहरिस्त काश्तकारान जिनकी भूमि किश्तें बकाया के कारण खारिज की गई। तहसील नोहर

क०सं०	नाम असामियान	विवरण
1.	मामराज वल्द मानीराम	निम्न नं० 1 से 12 तक
2.	केशरा वल्द कानाराम स्वामी	के काश्तकारों की भूमि बहाल
3.	धड़सीराम वल्द गुमानाराम जाट	हो चुकी है।
4.	गुरदयालसिंह वल्द कृपालसिंह	
5.	जुहारारांम वल्द भागूराम	
6.	श्योलाल वल्द गिरधारी	
7.	सुरजा हरिजन	
8.	सांवतराम वल्द सुखराम	
9.	गोविन्दराम वल्द भेराराम सुनार	
10.	हरनेत्रसिंह वल्द अजमेरसिंह	
11.	——	
12.	भलूराम वल्द हरजीराम जहाना	
13.	गिरधारी वल्द बस्ती जाट	
14.	दशरथ वल्द श्योलाल जाट	
15.	मुख्तयारसिंह, गुलजारसिंह पि० दलीपसिंह	
16.	भेरा वल्द बस्ती जाट।	

फहरिस्त काश्तकारान जिनकी भूमि किस्त बकाया के कारण खारिज की गई
तहसील भादरा

क्र.सं.	नाम चक	नाम काश्तकार	विवरण
1.	1 वी एच पी 4 वी एच पी	गफूर वगैरह पि० फकीरशाह	
2.	7 एम आर एम 9 एम आर एम	रामजीलाल पुत्र इशर मीणा	आइटम नं० 1 से 5 तक के व्यक्तियों की भूमि बहाल हो चुकी है।
3.	7 एम आर एम 3 एम एस आर	जुगा वल्द अलफू धोबी	
4.	7 एम आर एन	भीखा वल्द उदा बिश्नोई	
5.	8 वी एच डी	रामदेव वल्द मामराज	
6.	1 वी एच पी	गोपाल वल्द मामचन्द चमार	
7.	1 वी एच पी	जोतराम वल्द मामराज	
8.	1 वी एच पी 1 के आर पी	बिशना वल्द मामचन्द चमार मुना वल्द मनीराम	
9.	1 वी एच डी		
10.	19 एम एस आर	मामचन्द वल्द भैराराम खाती	
11.	20 ए एम एस 7 एस डी आर	रामरिख वल्द मामचन्द जाट	
12.	1 सी एच एच	तुलछा वल्द श्योकरण	
13.	डी एन आर	मूला चूनी पि० लेखू	
14.	6 बी एच डी 2 के आर डी	सुमेरसिंह पुत्र रामसिंह	
15.	7 वी एच डी	महाचन्द, बिशनाराम	
16.	2 के आर पी 7 वी एच डी 7 वी एच डी	बृजलालसिंह वल्द श्योदत्तसिंह	
17.	7 वी एच डी	नौरंग वल्द धना धानक	
18.	7 वी एच डी	अर्जुन वल्द आसा चमार	
19.	10 बारानी	चिरागदीन वल्द अम्बी लीलगर भादरा	

Page No 169

परिशिष्ट 3

(अ० प्र० 218 की सूची)

राजस्थान में नगर न्यास का गठन निम्न नगरों में किया जा चुका है : –

	नगर का नाम	दिनांक जब से गठन किया
1.	जयपुर	26-12-60
2.	जोधपुर	1-11-60
3.	अलवर	4-6-60
4.	अजमेर	1-11-60
5.	बीकानेर	1-11-60
6.	भरतपुर	15-10-61
7.	उदयपुर	1-11-60
8.	गंगापुर सिटी	15-3-64
9.	हिन्डोन	1-7-64
10.	भीलवाड़ा	16-9-67
11.	चित्तौड़गढ़	25-9-67

भरतपुर में फिलहाल अध्यक्ष नगर न्यास ही कार्य कर रहे हैं। इस न्यास का कार्यकाल दिनांक 21-1-70 को समाप्त होने वाला है तथा नये न्यास का गठन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट 4

(अ० प्र० सं० 220 की सूची)

List of cost of repairs to roads due to flood damaged in Alwar District

S. No.	Name of roads	Cost of Restoration work
	North Sub—Division	
1.	Repairs of Flood damaged on Alwar Delhi road.	5,66,530/-
2.	Alwar Bharatpur road	1,26,200/-
3.	Kishangarh Tijara road	20,950/-
4.	Kishangarh Kotkasimroad	1,92,200/-
5.	Tijara Ferojepur road	81,850/-
6.	Tijara Tapukra Bhiwari road	76,550/-
7.	Alwar Kishangarh road	58,100/-
8.	Alwar Behror road	45,880/-
9.	Sodawas Harsoli road	25,430/-
10.	Kairthal Kishangarh road	9,300/-
11.	-do- Harsoli road	14,150/-
12.	-do- Bansur road	8,500/-
13.	Sodawas Ajarka road	1,700/-
14.	Repairs to damaged to retaining wall on Alwar Forest road.	36,220/-
	South Sub—Dn.	
15.	Repairs to flood damages works on Rajgarh Mundawar road	1,19,500/-
16	Rajgarh Laxmangarh Garhi road	23,690/-

S. No.	Name of roads	Cost of Restoration work
17.	Rajgarh Machari Rani road	26,250/-
18.	Rajgarh Kushalgarh Narainpur road	34,500/-
19.	Rajgarh Thanagazi Ajabgarh road	74,700/-
20.	Rajgarh Ramgarh Govindgarh road	41,000/-
21.	Rajgarh Malakehra Gate Alwar Jpr. Rd. Junction.	6,000/
22.	Rajgarh Itarana road	5,000/-
	Behror Sub—Dn.	
23.	Kotputli Behror Shahjehanpur road	36,200/-
24.	Khairthal Bansur road	15,408/-
25.	Bansur Narainpur road	8,000/-
26.	Bansur Kotputli road	8,594/-
27.	Bansur Harsora road	37,392/-
28.	Behror Kund road	9,100/-
29.	Behror Narnaul road	7,400/-
30.	Alwar Behror road mile 32, 36 & 37	7,300/-
31.	Barod Shahjehanpur road	12,200/-
32.	Majri Neemrana road	3,500/-
	G. Total...	17,39,384/-

परिशिष्ट 5

(अ० प्र० सं० 224 की सूची)

सूची (द) तारांकित प्रश्न संख्या—22

	नाम सड़क	धनराशि
1.	सुकेत झालावाड़ रोड़	3,00,000
2.	झालावाड़ अकलेरा सीमा तक	1,50,000
3.	ब्यावर, खानपुर, झालावाड़ रोड	75,000
4.	झालावाड़ नगर तथा भाग दुर्ग से चोमहला राजस्थान सीमा तक मय एप्रोच छतरपुर रेल्वे स्टेशन, छतरपुर	2,30,090
5.	परवन से अकलेरा तथा अकलेरा से महाराजपुर	90,000
6.	पाटन से राजपुर अगर	1,40,000
7.	धारावा से सोपत	40,000
8.	पीराया, सुनेर, सूकियां	60,000
9.	मण्डावरा रूपारेल मवानो राजस्थान सीमा तक	60,000
10.	रीछवा मालटा	25,000
11.	खानपुर तारफचरनियां	20,000
12.	हवा सरक	10,000

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण बुधवार, दिनांक 28 जनवरी, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
1	ऊपर से	5	अध्यक्ष	अध्यक्ष,
8	नीचे से	6	तार	टार
21	ऊपर से	1	सहीं	सही
22	,,	21	रेजोन्यू	रवेन्यू
25	,,	1	आदोलन	आंदोलन
52	,,	1	जा नहीं	जी नहीं
93	नीचे से	9	अध्यक्ष महदय	अध्यक्ष महोदय
102	,,	13	नन्दानी	नन्दाजी
120	ऊपर से	10	धाकायदा	बाकायदा
125	,,	6	चोध ी	चौधरी
131	,,	3	करते	करती
131	,,	4	करते	करती
131	,,	21	दाता	दांता
133	,,	4	इन्डस्ड्रिलिस्टस	इन्डस्ट्रियलिस्टस
139	,,	8	प्रश्न	प्रकाश
145	,,	5	राज	राज्य
148	,,	15	(दाता)	(दांता)
153	,,	6	प्रो०	श्री
153	नीचे से	7	तो	जो
154	ऊपर से	11	भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
168	नीचे से	8	डिस्प्यूट	डिस्प्यूट में
177	,,	12	बहिगमन	बहिर्गमन
178	ऊपर से	2	पितयों	पतियों
180	,,	18	बहिगमन	बहिर्गमन
185	,,	9	बहिगमन	बहिर्गमन
185	,,	11	बहिगमन	बहिर्गमन
188	,,	13	हरियाण	हरियाणा
190	,,	3	प्रर्याप्त	पर्याप्त

1	2		3	4
192	नीचे से	2	परीवार	परिवार
193	,,	23	गावों	गांवों
194	ऊपर से	6	स्कूलें	स्कूलों
198	नीचे से	15	सत्र	सत्र
201	,,	27	बाढ़मेर	बाड़मेर
201	,,	5	(दांतारामगढ़	(दांतारामगढ़)
203	,,	22	ऊनको	उनको
203	,,	14	लाकतंत्र	लोकतंत्र
204	ऊपर से	8	टोंक	टौंक
205	,,	11	रामकिसन	रामकिशन
211	नीचे से	1	मेटरमेंट	बेटरमेंट
217	,,	5	में	मैं
211	,,	25	इन्द्रा	इन्दिरा
234	,,	15	यह	यह
243-44	फुट नोट		ले	से
258	नीचे से	1	लग	लग
268	,,	4	तदन्तर	तदनन्तर
274	ऊपर से	2	मैं	में
277	—		गेर	जेर
289	ऊपर से	10	के	में
308	नीचे से	2	ग्रर	ग्रौर
86 से 184	शीर्षक		स्थ. प्र. पर. अ. व्यवस्था-28 जनवरी, 1970-ध्यान आकर्षण प्रस्ताव	ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव-28 जनवरी, 1970-ध्यान आकर्षण प्रस्ताव